खण्ड-385, अंक-10
मंगलवार, 2 चैत्र, शक संवत् 1910
(22 मार्च, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 385 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3—84
जिला बलिया के निर्माण कार्यों में धांधली एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत ..	84—85
आजमगढ़ जिलान्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र नत्थूपुर में आवास आदि व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	85
वाराणसी जिलान्तर्गत ज्ञानपुर तहसील में मोरवा नदी पर अविलम्ब पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85—86
जिला फतेहपुर स्थित सहकारी सूती कताई मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86
आजमगढ़ जिले में बाढ़ एवं ओले से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86—87
जनपद गाजियाबाद की अधिगृहीत की गयी भूमि का समुचित प्रतिकर दर दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87—88
जिला फर्रुखाबाद की तालाग्राम कृषि उप मण्डी में व्यापार प्रारम्भ कराये जाने तथा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	88
बजट साहित्यों को शासन द्वारा समय से उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	88—91
नांक 21 मार्च, 1988 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति सम्मानजनक शब्दों के लिये संसदीय कार्य मंत्री के प्रति बधाई का प्रस्ताव (जारी) ..	91—115
ई-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	115
ीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 64-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) तथा अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (जारी)	115—147
प्रस्तुत बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव ..	147—148
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या	

विषय	पृष्ठ-सं
64-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) तथा अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (जारी)	148—162
प्रस्तुत बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव ..	162—163
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 64-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) तथा अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	163—186
वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 46-प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	186—20
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	20(
जनपद आगरा के थाना अछनेरा के ग्राम गुड़ियापुरा की सीमा में श्रीमती महादेवी हत्याकाण्ड के संबंध में वक्तव्य ..	200—203
दिनांक 21 मार्च, 1988 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति सम्मानजनक शब्दों के लिए संसदीय कार्य मंत्री के प्रति बधाई का प्रस्ताव लाने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	203
बांदा जनपद के थाना अतर्रा में श्री शिव प्रसाद गुप्त के परिवार पर अराजक तत्वों द्वारा किये गये हमले के सम्बन्ध में दिये जाने वाले वक्तव्य का स्थगन	203
आगरा जनपद में विद्युत् आपूर्ति न होने से पेयजल समस्या होने तथा मथुरा-आगरा जनपदों में पेयजल की समस्या से सम्बन्धित दोनों चर्चाओं को एक साथ लिये जाने पर आपत्ति ..	204—205
आगरा जनपद में विद्युत् आपूर्ति ठप्प हो जाने से उत्पन्न पेयजल की समस्या के संबंध में चर्चा (जारी)	205—207
बन विभाग में कार्यरत वाचर, खूंट मुंशी तथा बैरियर मोहर्रिरों को प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी अत्यन्त कम दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन ..	207—208
आगरा जनपद में विद्युत् आपूर्ति ठप्प हो जाने से उत्पन्न पेयजल की समस्या के संबंध में चर्चा	208—211
मथुरा-आगरा जनपदों में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा	211—220
जनपद मुरादाबाद के ग्राम सैदपुर पट्टी के निकट बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद द्वारा बनाये जा रहे बांध के हर वर्ष बह जाने के संबंध में चर्चा	220—22
नत्थियां	223—225

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ
फूल सिंह सौदान, श्री	मुजफ्फरपुर
बलबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
बुधपाल सिंह गुर्जर, श्री	बुलन्दशहर
ब्रह्मदत्त दिववेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
महमूदुल हसन अन्सारी, श्री	बिजनौर
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राम जनम, श्री	आजमगढ़
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	बलिया
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सेवाकाल में मेंडिकली अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने की मांग

**1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार की तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत सेवाकाल में मेंडिकली अक्षम हो जाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने हेतु शासन विचार कर रहा है ? सरकार को इसमें कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने में क्या परेशानी है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में विचार किया गया किन्तु प्रश्नगत सुविधा दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार ने इस बात को मान लिया है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा-काल में मेंडिकली अनफिट हो जाता है तो उनके आश्रितों को उनके स्थान पर सेवा में ले लिया जायेगा । इस चीज को मानने में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इस पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । विचारोपरान्त इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कर्मचारी रिटायर होते हैं, उनको पूर्ण पेंशन तो मिलती ही है या पूर्ण पेंशन के बराबर पैसा मिलता है । ऐसा नहीं है कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं रह जाता है । आज प्रदेश में हजारों शिक्षित युवक बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इसलिए उनके स्थान पर स्वास्थ्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर चयन कर, युवकों को सेवा में लिया जाय । आश्रितों को सेवा में रखने का कोई औचित्य नहीं होता है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी/कर्मचारी मेंडिकली अक्षम हो जाते हैं, उनको आप किस प्रकार की सुविधायें देते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, जब तक वह सेवा-काल में रहता है, तो उनको वही चिकित्सा सुविधायें दी जाती हैं, जो किसी सेवारत कर्मचारी को मिलती है । यहां पर जो प्रश्न किया गया है वह यह है कि उनके आश्रितों को सेवा में लिया जाय, इस संबंध में मैंने स्पष्ट किया कि उन्हें पूर्ण पेंशन मिलती है या लगभग पेंशन मिलती है, लेकिन स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही नवयुवक शिक्षित बेरोजगारों को ही रिक्त स्थानों पर, नियुक्ति दी जानी चाहिए । आश्रितों को नियुक्त कर लेने से इसका बड़ा दुरुपयोग होता है, क्योंकि लोग अपने को 55 साल में अक्षम घोषित करवा लेते हैं और अपने आश्रितों को सेवा में लगवा लेते हैं ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके आश्रितों को नौकरी देने पर इस सुविधा का बड़ा दुरुपयोग होता है, क्योंकि लोग गलत सर्टीफिकेट लेकर आप को अक्षम साबित करवा लेते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बजाय फर्जी सर्टीफिकेटों पर रोक लगाकर, इस सुविधा को न दिये जाने का क्या कारण है ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं पाया गया । आश्रितों को रोजगार देने के लिए जो मानक भारत सरकार ने बनाया है, वह क्या है और उनके अन्दर वह यहां क्यों नहीं आते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, हमारे यहां इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, इसलिये दुरुपयोग होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । माननीय सदस्य ने एक पत्र का हवाला दिया था, केन्द्र सरकार का हवाला दिया था, केन्द्र सरकार ने स्वयं कहा कि इस दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है । हमारे यहां आश्रितों को सेवा में लिये जाने का प्राविधान केवल उनके लिए है जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, उनको अनुकम्पा सेवा में ले लिया जाता है । जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, उनको पूर्ण पेंशन मिलती है, वह कम से कम इतना तो होता ही है कि उनका गुजर-बसर हो सके । हम उन युवकों का हक नहीं मारना चाहते हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं ।

एक तरफ कुछ न मिलने की बात है, एक तरफ लगभग इतना मिल रहा है कि काम चल सकता है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्षतिपूर्ति का सिद्धांत तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकार किया है । बेरोजगारों को रोजगार दिलाने से मतलब नहीं है । इसका मतलब है जो नितान्त अक्षम हो जाते हैं, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, एक तो इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में दवायें नहीं मिलती हैं, पेन्शन बहुत कम होती है, इसीलिये क्षतिपूर्ति के आधार पर उनके आश्रितों को नौकरी दिलाने की बात कह रहा हूं । अगर कोई गलत सर्टीफिकेट देता है, तो आप मेडिकल बोर्ड से एग्जामिन करा लें । इस आधार पर क्षतिपूर्ति देने में क्या दिक्कत है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मैं विनम्रतापूर्वक पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि शासन, उन नौजवानों के लिये जो बेरोजगार हैं, उनको पूर्ण अवसर मिले, इसलिये उनके आश्रितों को नही देना चाहती हैं जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है । अगर मेडिकली अक्षम व्यक्तियों को पेंशन न दी जा रही होती, तब तो इनके सुझाव पर विचार करना उचित होता लेकिन चूंकि पेंशन मिल रही है इसलिये उनके आश्रित को एक सेवा का अवसर और दे दें और इसकी वजह से किसी को कोई सेवा का अवसर न दिया जाय, मैं समझता हूं कि उचित यही है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ दे दिया जाय ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

जो मेडिकली या फिजीकली अनफिट हैं, उनके लिए आप तैयार नहीं हैं, लेकिन जो एक्सीडेन्टल केसेज होते हैं, जिसमें लोग मर जाते हैं, उन्हें आप पेंशन देते हैं और उनके आश्रित को सेवा का अवसर भी देते हैं । मेरा इस सिलसिले में कहना यह है कि यह पाबन्दी तो सही है कि गलत लोगों को सर्टीफिकेट इशू न हो पायें, इसमें गलती सहूलियत पाने वाले की नहीं है, सिस्टम की खराबी है । यह देखें कि

गलती सर्टीफिकेट न लेने पायें । जब मर जाने वाले को यह सहूलियत दे रहे हैं, जिसको कि और भी बहुत कुछ मिलता है, इन्श्योरेन्स का पैसा मिलता है तथा अन्य स्रोतों से भी धन मिलता है । मेरा कहना यह है कि उसे धन तो काफी मिल जाता है, जबकि लाइबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि एक व्यक्ति तो परिवार से मर ही गया, दूसरी तरफ वह तो फिजीकली अनफिट है, उसको जिन्दगी भर का रोग लग गया है, खर्च ज्यादा हो रहा है, पैसा भी कम मिल रहा है इस बात को मद्दे नजर रखते हुए, यह सामने रखकर कि जिसको नौकरी देंगे वह भी जवान होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप तो भाषण दे रहे हैं, आप अपना प्रश्न कर लें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मेरा यही सवाल है कि जो व्यक्ति मेडिकली अनफिट हो, उस घर के एक सदस्य को, जो बेरोजगार हो, 15—20 सालों से बेरोजगार हों उसको नौकरी देने पर सोचेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मैं माननीय सदस्य को एक फर्क बता देना चाहता हूं । वैसे तो माननीय सदस्य बहुत समझदार हैं, लेकिन वह समझकर भी नासमझ बन रहे हों तो बात अलग है । जो मर जाता है, उसके परिवार को फेमली पेन्शन मिलती है पूर्ण पेन्शन नहीं मिलती है, जो कि कम होती है । जो अक्षम हो जाता है, वह जितनी सेवा पूरी कर लेता है, उसके हिसाब से उसे पूरी पेन्शन गिलती है । जिसको पूरी पेन्शन मिल रही है, उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है । अगर उसके परिवार में कोई नौजवान है तो उसमें योग्यता होनी चाहिये कि वह अन्य नौजवानों के साथ प्रतियोगिता में जाय । जहां कोई व्यक्ति मर जाता है, वहां फेमली पेन्शन मिलती है, जो कि कम होती है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, इन्होंने तो बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया कि प्रदेश में बेरोजगारी को दृष्टि में रखते हुए ऐसा करने में सक्षम नहीं है । श्रीमन्, इसमें बेरोजगारी का कहीं भी अड़ंगा नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार जिस पार्टी की है, प्रदेश सरकार भी उसी पार्टी की है, इसलिये केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार में कोई अन्तर नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे अपनी जड़वादिता को छोड़कर, मानवता की दृष्टि से क्या वे इस बात पर पुनर्विचार करेंगे कि केन्द्र सरकार में जो नियम है मेडिकली अनफिट व्यक्तियों के आश्रितों को सेवा में लेने के लिये, तो आप प्रदेश में भी पुनर्विचार करके वैसे नियम लागू करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें एक साथ कह दीं । अब रहा लम्बा-चौड़ा भाषण देने की बात तो उनका प्रश्न ही एक भाषण की तरह लम्बा रहता है तो उसका उत्तर तो लम्बा होगा ही । आपने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार एक ही पार्टी की है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि केन्द्र सरकार के और प्रदेश सरकार के संसाधनों में काफी अन्तर है । प्रदेश सरकार के साधन सीमित है । इस-लिये केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार में बहुत बड़ी भिन्नता है । तीसरी बात जो उन्होंने पुनर्विचार करने के बारे में कही है, तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह निर्णय शासन ने बहुत सोच समझकर ही लिया है जो कि नौजवानों के हित में हो और ऐसा कदम

नौजवानों के हित में उठाया गया है, इसलिये इस प्रश्न पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

विधायकों की सुरक्षा हेतु थर्टी कारबाइन राइफल के लाइसेंस की मांग

**2—श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कुशल पाल सिंह तथा श्री मुस्तमन्द अली खां—

क्या गृह मंत्री माननीय विधायक गणों को अन्य प्रदेशों की तरह सुरक्षा हेतु (30) कारबाइन राइफल का लाइसेन्स देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

अब थर्टी कारबाइन जैसे आग्नेयास्त्र की लाइसेन्सिंग प्राधिकारी भारत सरकार है । आयुध नियमावली में यह संशोधन अगस्त 1987 में किया गया है । अत राज्य सरकार अब इस शस्त्र का लाइसेन्स जारी करने के लिए सक्षम नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में थर्टी कारबाइन के राइफल का लाइसेन्स दिया जा रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी भारत सरकार से जो लाइसेन्स देने की अथारिटी है, जैसे कि देश में कुछ प्रदेश एसे है जहां पर थर्टी कारबाइन के लाइसेन्स दिये जा रहे है, तो उसी अन्य प्रदेशों की ही भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी सुरक्षा हेतु थर्टी कारबाइन राइफल का लाइसेन्स देने पर विचार करेगी ? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को आखिर कठिनाई क्या है ? नियमावली में संशोधन भारत सरकार ने आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कर दिया है । इसमें यह भी है कि एक आदमी तीन-तीन आयुध आग्नेयास्त्र रख सकता है । तो इस तीन आयुध की लिमिट के अन्दर यदि आप थर्टी कारबाइन का लाइसेन्स देते है, जैसे कि अन्य प्रदेशों में दिये जा रहे है तो एसा उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर सकती है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

यदि आयुध नियमावली का कोई प्रदेश पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि यह भारत सरकार के सेन्ट्रल एक्ट में है और उस एक्ट के रूल्स का कोई प्रदेश पालन नहीं कर रहा है तो वह उत्तर प्रदेश के लिये अनुकरणीय नहीं हो सकता है ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी विधायकों की गरिमा को ध्यान में रखते हुये न केवल थर्टी कारबाइन राइफल बल्कि सामस्त आग्नेयास्त्र उनसे विदड्रा करेंगे क्योंकि इससे विधायकों का बड़ा अपमान होता है । तो क्या तमाम शस्त्र माननीय मंत्री जी विधायकों से विदड्रा कर लेंगे ताकि उनकी गरिमा बनी रहे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, जवाब दिलवा दीजिये, बहुत अहम् सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

बहुत अहम् है तो गरिमा इसमें है कि कारबाइन न रखी जाय ।

श्री अचल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन विधायकों के पास राइफल के लाइसेन्स हैं, क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि उनको वाजिब रेट पर या सरकारी रेट पर अस्त्र प्राप्त हो जायं, क्या ऐसी कोई व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, यह प्रश्न परिधि से बहुत बाहर है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या दिया जाये ?

श्री जयदीप सिंह वरार—

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी से स्पष्टतया यह जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश के जो नागरिक 30 कारबाइन के लाइसेन्स का प्रार्थना-पत्र दें तो क्या उनकी परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार से अपनी संस्तुतियों सहित अनुरोध करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

संस्तुति करने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, हम भारत सरकार को संस्तुति भी किसी की नहीं कर सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहूंगा कि विधायकों की सुरक्षा करने के लिए संस्तुति करने की जिम्मेदारी इस उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है या नहीं, इसका उत्तर स्पष्टतया मान्यवर आप दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह प्रश्न उस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं रखता है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आज से लगभग दो वर्ष पहले जिलों के अन्दर आम कारिन्दों को जिलाधिकारी के माध्यम से बन्दूक के लाइसेन्स दिये जाते रहे हैं, जो अब बन्द कर दिये गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी वह अधिकार फिर जिलाधिकारियों को देंगे ताकि कारिन्दों को बंदूक के लाइसेन्स मिल सकें ?

श्री अध्यक्ष—

यह कारबाइन का मामला है, दूसरी बन्दूकों का मामला है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, इण्डियन आर्म्स एक्ट के तहत किस-किस को लाइसेन्स जारी करने के अधिकार हैं, इस सम्बन्ध में हमारी जो जानकारी है और पढ़ा है, उसके अनुसार जिलाधीश को या राज्य सरकार को यह अधिकार रहते हैं तो इस एक्ट को इनके अलावा भी कोई बदल सकता है, संशोधन कर सकता है और क्या यह जो संशोधन भारत सरकार द्वारा किया गया है, तो क्या इसका उत्तरदायित्व इस सरकार ने उनको दे दिया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

चूंकि यह सेण्ट्रल एक्ट है, इसलिए इसमें हमें कोई संशोधन करने के अधिकार नहीं है । यदि भारत सरकार अपने किसी नियम में कोई संशोधन करे तो वह कर सकती है, इसमें हमें किसी प्रकार का कोई दखल देने का अधिकार नहीं है ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस अधिनियम में अगस्त, 1987 में संशोधन किया गया है तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर आर्म्स के जो लाइसन्स दिये जाते हैं, वह उ0 प्र0 आर्म्स एक्ट या उ0 प्र0 आर्म्स रूलिंग के अन्तर्गत दिए जाते हैं, तो क्या केन्द्र सरकार ने आपके इस एक्ट या रूलिंग में संशोधन किया है और क्या वह ऐसा कर भी सकती है, एक तो स्पष्ट रूप से इस सम्बन्ध में बता दें और दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि यह संशोधन केवल कारबाईन राइफल के ही विषय में किया है या इन जनरल किया है और जो विधायकगण स्वर्गवासी हो जाते हैं तो क्या उनके विरासत में उनके किसी निकट सम्बन्धी को इसका लाइसेन्स देने का कोई प्राविधान है या नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं एक तो माननीय सदस्य ला-ग्रेजुएट भी हैं, दूसरे नेता विरोधी दल की हैसियत से इस कुर्सी को भी सुशोभित कर रहे हैं । इसलिये बड़े अदब से अर्ज करना चाहूंगा कि आप अपनी जानकारी में यह संशोधन कर लें कि किसी भी प्रदेश के अलग से अपने न एक्ट हैं न नियमावली । आर्म्स एक्ट केवल भारत सरकार का है और नियमावली भी उन्हीं की है । उसमें हम न यहां पर कोई संशोधन कर सकते हैं और न कोई अलग से कोई नियमावली बना सकते हैं । जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि क्या मृतक लाइसेन्सी के वारिस को लाइसेन्स देने पर विचार करेंगे, मान्यवर, जब लाइसेन्स बैन हो गया तो मृतक लाइसेन्सी के वारिस को भी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री राम शरण दास—

मेरी जिज्ञासा है कि यह बता दें किस-किस को यह लाइसेन्स दे सकते हैं । अगर हमें तोप का लाइसेन्स लेना है, तो हम कहां जायं ।

श्री अध्यक्ष—

आप मिसाइल का लाइसेन्स ले लें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

राम शरण दास जी तोप का लाइसेन्स एप्लाई कर दें, तो उन्हें सहारनपुर में मिल जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अगस्त 1987 से जब यह प्राविधान हो गया है कि किसी को लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा, तो भी अगस्त 1987 में 30 कारबाइन के लाइसेन्स राज्यपाल महोदय ने क्या जारी किया और अगर किया है तो कितने लोगों को जारी किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल महोदय के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं दूसरी तरह से पूछे ले रहा हूं । राज्यपाल हटा दीजिये, सरकार ने अगस्त 1987 के बाद कितने लाइसेन्स जारी किये हैं और किन-किन लोगों को जारी किया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, अगस्त 1987 के बाद कोई भी 30 कारबाइन का लाइसेन्स जारी नहीं किया गया है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

नेता विरोधी दल के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह एक्ट भारत सरकार का है और प्रदेश सरकार इसको कोई नियमावली नहीं बनाती है । जब एक्ट भारत सरकार का है, तो सभी स्थानों पर एक समान लागू होना चाहिये । अन्य अदेशों में लाइसेन्स दिये जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं देती है ? आपको क्या कठिनाई है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जैसा मैंने कहा कि कोई प्रदेश भारत सरकार के डाइरेक्टिव को नहीं मानता है, उसमें किये गये संशोधन का पालन नहीं करता है, तो यह हमारा मसला नहीं है । ऐसा नहीं है कि वह पालन नहीं कर रहे हैं तो हम भी न करें । यह हमारे लिये ठीक नहीं है । हम उनके निदेशों का पालन करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

11·25 हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1985 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

किसान विरोधी नीतियों के विरोध में कतिपय विधायकों द्वारा मुख्य मंत्री के आवास पर धरना

*1—हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि माननीय नेता विरोधी दल सहित 40 विधायकों ने माननीय मंत्री जी के आवास पर विगत 9 फरवरी, सन् 88 को धरना दिया था ? यदि हां, तो करीब 60 लाख मतदाताओं के इन प्रतिनिधियों की मांगें क्या थीं तथा उनकी न्यायसंगत मांगों में से शासन ने कौन-कौन सी मांगों को मान लिया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय मुख्य मंत्री जी के आवास पर दिनांक 9 फरवरी, 1988 को 34 विधायकों ने धरना दिया था ।

धरनाकारियों से मांगों का ज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ बल्कि उन्होंने सरकार की तथा कथित किसान विरोधी नीतियों के विरोध में मेरठ के किसानों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के समर्थन में दिनांक 9 फरवरी, 1988 को धरना दिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि धरना देने वालों से उनकी मांगों का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ और बाद में उन्होंने कहा कि सरकार की तथाकथित नीतियों के विरोध में मेरठ के किसानों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में धरना दिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि यदि उनको कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ तो इसकी

जानकारी उन्हें कैसे प्राप्त हुई ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 34 विधायकों ने धरना दिया तो क्या माननीय मुख्य मंत्री या कोई वरिष्ठ मंत्री उनसे बात करने वहां आये ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इस सुनिश्चित जानकारी के आधार पर ही मैंने यह कहा है कि कहीं पर कोई ज्ञापन माननीय सदस्यों ने सरकार को नहीं दिया और न ही कोई ज्ञापन भिजवाया । आगे की बातों का प्रश्न ही नहीं उठता । सिर्फ इतना था कि अखबारों के माध्यम से हमें यह मालूम हुआ कि वहां पर लोग धरने पर बैठे हैं ।

श्री मनोहर लाल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि धरना देने वाले लोगों ने सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को या किसी भी को ज्ञापन नहीं दिया तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि 9 तारीख से धरना शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक जिस प्रकार बल्लियां वहां पर लगी थीं वह आज भी लगी हुई हैं, रास्ता रुका हुआ है । तो जब वहां पर बल्लियां लगा दी गयीं, पुलिस लगा दी गयी तो ज्ञापन कैसे देते । मंत्री जी यह बतायें कि सरकार ने स्वयं विरोध उत्पन्न किया जिसकी वजह से ज्ञापन नहीं दिया जा सका लेकिन जब किसान . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये, लेकिन नहीं . . .

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, लेकिन तो लगता ही है । मैं पूंछना चाहता हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि ज्ञापन नहीं मिला और अखबारों के जरिये उनको मालूम हुआ । लगातार 10 दिन तक वह आन्दोलन और धरना चलता रहा तो क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं था कि वह इस ज्ञापन के बारे में वह जानकारी करता कि किसानों की क्या-क्या मांगें हैं ? उनके बारे में कुछ बात करते ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, स्वयं मेरठ में जो किसान धरना दे रहे थे, उनकी मांगों पर सरकार जो कुछ भी कर सकती थी, वह कर रही है । इसलिये मुख्य मंत्री का वहां जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता । सरकार किसानों की मांगों पर सब कुछ कर रही है और करती रही है ।

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, जैसा कि उन्होंने बताया कि किसानों की मांगे सरकार ने मान ली हैं तो वह किसानों की कौन-कौन सी मांगे थीं और किन-किन मांगों को सरकार ने मान लिया है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, ज्ञापन जब नहीं मिला तो उनकी मांगों के बारे में मैं क्या बताऊं । मेरठ में जो किसान धरने पर बैठे थे । सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों के हित को देखते हुए हम कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे । . . . . (व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया है और जैसा कि मूलचन्द जी ने कहा कि किसानों की क्या-क्या मांगे थीं और आपने उनमें से किन-किन मांगों को मान लिया है ? कृपया यह सदन को बता दें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैंने अभी यह निवेदन किया कि किसानों के हित में समर्पित भावना से सरकार जो कुछ भी काम कर सकती है, करती रही है और कोई मांग तो थी नहीं ।

(श्री हृदय नरायन दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह आखिरी सवाल होगा दीक्षित जी ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि जब 34 विधायक धरना दे रहे थे या माननीय मुख्य मंत्री के आवास तक जाना चाहते थे उन्हें जाने नहीं दिया गया । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री या उनके कोई वरिष्ठ मंत्री उनसे मिलने के लिये गये थे ताकि उनकी बात सुन लें । जिस अखबार से खबर मिली उन्होंने कहा किसानों की मांगों के सम्बन्ध में तो वह मांगें क्या थीं और उनमें से कौन-कौन सी मान ली गयीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, सम्मानित विपक्ष के साथी कोई सूचना देकर या स्वीकृति लेकर किसी स्थान पर धरना देने बैठते जैसे बैठते रहे हैं तो शेष बात होती । यह तो अभतपूर्व बात थी जहां पर मुख्य मंत्री जी का निकासी द्वार हो वहां बैठ कर उसे घेर लें ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ । माननीय मुख्य मंत्री के आवास पर या किसी मंत्री के आवास पर सम्मानित सदन के सम्मानित साथी प्रवेश या निकासी द्वार पर बैठ जांय तो इसमें और सवालों का जवाब देने का प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हम भी इस सदन के सदस्य हैं मैं 10 दफा खड़ा हुआ हूं मुझे अवसर नहीं दे रहे हैं । मेरठ का यह मामला है जहां से हमारा तालुक है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

ठीक है इन्हीं को कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरठ का मामला नहीं है यह यहां धरने का मामला है ।

फैजाबाद के कतिपय अराजक तत्वों द्वारा छात्र युवा संघर्ष समिति नामक फर्जी संस्था के नाम पर धन की अवैध वसूली

*2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के शहर फैजाबाद में कुछ अराजक और आतंकवादी तत्व एक गिरोह बनाकर और हिंसा का सहारा लेकर तथा जान-माल की धमकी देकर व्यापारियों और नागरिकों को आतंकित करके छात्र युवा संघर्ष समिति, फैजाबाद नामक एक फैजी संस्था के नाम पर धन की वसूली कर रहे हैं जिसकी जानकारी जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को भी है ? यदि हां, तो परे तथ्य क्या है और ऐसे अपराधी तत्वों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके और उन्हें गिरफ्तार करके इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने में सरकार और शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

छात्र युवा संघर्ष समिति फैजाबाद के नाम पर अराजक तत्वों द्वारा दुकानदारों से धन वसूले जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के आदेश पर दिनांक 16-6-87 को थाना कोतवाली नगर, फैजाबाद में मु0 अ0 सं0 883/87 धारा 383/387 भा0 द0 वि0 का अभियोग (1) राममूर्ति सिंह, (2) राजेन्द्र प्रसाद, (3) राघवेन्द्र प्रताप सिंह, (4) आमप्रकाश सिंह सभी छात्र साकेत डिग्री कालेज तथा 15 अन्य साथी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना की गयी। साक्ष्य के अभाव में विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि विवेचना के दौरान यह जो छात्र युवा संघर्ष समिति बतायी गयी है, इसका कार्यालय कहां है और इसके पदाधिकारी कौन हैं इस संबंध में पुलिस को क्या विवरण मिला है और 16-6-87 तक कुल कितना चंदा इन्होंने वसूल किया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जिन लोगों से चन्दा वसूल करने की बात सम्मानित सदस्य ने कही थी और दो रसीदों की फोटो कापी भी प्रश्न के साथ लगायी थी और जिन लोगों से वसूल करने की बात थी उसमें विवेचना के समय जब जानकारी की गयी तो उन्होंने मना कर दिया कि हमसे कोई जबरन चन्दा वसूला गया हो। कहा कि हमसे कोई जबरन चन्दा वसूल नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की कोई संस्था है और उसका कोई कार्यालय है। दूसरी बात जो रसीदें दी गयी थीं तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विवेचना में उन लोगों से चन्दा वसूलने की बात पूछी थी मेरी जानकारी में है कि नहीं पूछा गया मैंने खुद लिख कर दिया था एस0 एस0 पी0 को और ओरिजनल रसीदें लगा कर दी थी। विवेचना अधिकारी ने मेरा बयान लिया नहीं और न व्यापारियों का बयान लिया। यहां पर माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि उनसे बयान लिये गये। मेरी जानकारी को सही मानकर कि हमारे बयान नहीं लिये गये जबकि मेरी कम्प्लेन्ट थी, पत्रावली आपके पास होगी आप देख लें क्या उसमें विवेचना अधिकारी ने मेरे बयान लिये है ? न उन व्यापारियों का बयान लिया जिनसे जबरदस्ती चन्दा वसूल किया गया था। मैं उस सूचना को आधार मानकर पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत सूचना दिया है कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि जबरन चंदा वसूलने की बात प्रकाश में नहीं आयी। चन्दा तो लिया लेकिन जिनकी रसीद इन्होंने दिया है उनसे संपर्क किया तो चन्दा तो लिया है लेकिन जबरन नहीं लिया है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, बार-बार पीठ से शासन को निर्देश दिये गये हैं कि जब कोई सदस्य शिकायत करते हैं तो कोई भी विवेचना या जांच अधिकारी जायेगा तो माननीय सदस्य,

विधायक से संपर्क करके बयान उनका लेगा । जैसा श्री तिवारी जी ने बताया तो मैं जानना चाहता हूं कि जो विवेचना अधिकारी इस मामले में गये, क्या तिवारी जी से कोई पूछताछ किया ? यदि नहीं किया तो यह पीठ की अवहेलना है अथवा नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, आपने कोई रिपोर्ट नही लिखाई थी, एस0 एस0 पी0 को एक दरख्वास्त दिया था और उसके आधार पर जो शिकायतें उस पर जांच कराई गयी और जिनसे चन्दा वसूलना बताया उनसे जाकर विवेचना अध्वाहारी ने सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि चन्दा तो वसूला गया लेकिन जबरन नहीं । इसके अतिरिक्त मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रसीदें पेक किस्म की कटी हैं जैसे 5 रुपये की जगह 51 लिखने का प्रयास किया गया, इसी तरह 10 रुपये की रसीद को काटकर 100 और शब्दों में 100 रुपये लिखा गया है । मूल बात यह है कि जिनसे चन्दा वसूला गया बताया गया है वह जब कह रहे हैं कि चंदा स्वेच्छा से दिया और जबरन नहीं वसूला गया है, तो आगे प्रश्न ही नहीं पैदा होता है । मुख्य गवाह डिनाई कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है तो आगे आपसे पूछना मुनासिब नहीं समझा होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, दुनिया में, कम से कम हिन्दुस्तान में सी0 आर0 पी0 सी0 के अनुसार कम्प्लेनेन्ट का बयान लिये बिना चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट नहीं लगेगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है इसमें कम्प्लेनेन्ट मैं हूं या दूसरा है ? यदि मैं हूं तो मेरा बयान लिये बिना जिस अधिकारी ने फाइनल लगा दिया उसके खिलाफ मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इस प्रश्न की भूमिका में यह है कि एक डा0 सत्येन्द्र त्रिपाठी है, उनके सम्मानित सदस्य का नजदीक का ताल्लुक है, आपके रिश्तेदार, हैं, एक छात्र पर फायर किया और उन पर मुकदमा हुआ । पार्टी बंदी के आधार पर यह प्रश्न यहां उठाया गया है और इसमें कोई बात नहीं है और न कोई धन जबरदस्ती वसला गया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, इस प्रश्न की भूमिका में यह है कि एक डा0 सत्येन्द्र त्रिपाठी है, उनके पार्टी बंदी के बाद मैंने यह सवाल उठाया । कम्पलेनेन्ट मैं हूं दूसरा नहीं है और यदि मैं हूं तो क्या उसके आधार पर किसी को सी0 आर0 पी0 सी0 की प्रक्रिया बदल देने का अधिकार है । यदि कम्प्लेनेन्ट मैं था तो मेरा बयान इसमें क्यों नहीं लिया गया ? इन्होंने आउट आफ वे जाकर मेरा नाम इस तरह लिया है और यदि लिया है तो मैं यह भी बता दूं कि इस मामले में मैंने माननीय गृह मंत्री श्री गोपीनाथ दीक्षित जी को एक पत्र दिया था और उसमें यह कहा था कि सांसद निर्मल खत्री के कहने पर यह मामला दर्ज कराया गया है । जब मैंने यह कहा तो इस मामले में सी0 आर0 पी0 सी0 की खुली अवहेलना करके मंत्री जी के मौखिक निर्देश पर इस मामले में यह रिपोर्ट लगाई गयी है । तो क्या सी0 आर0 पी0 सी0 की प्रक्रिया की नजरन्दाज करके विवेचना कराने का इस सरकार का कोई अधिकार है ? यदि नहीं, तो जो इसकी प्रक्रिया थी कि कम्पलेनेन्ट से बयान लेना आवश्यक है तो उसको किस कारण से इसमें पूरा नहीं किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय सदस्य उस घटना के चश्मदीद गवाह नहीं थे । आपको कुछ लोगों ने बताया कि उस मामले का और आपने एस0 एस0 पी0 को लिखा कि मामला देख लिया जाये । आप चश्मदीद गवाह नहीं थे, जो लोग उस घटना से सम्बन्धित थे और मौके पर गवाह थे, जिनसे जबरन वसूलना बताया गया है और वह डिनायल कर रहे हैं । आपका आरोप हियर से पर था, (व्यवधान) आपको दूसरे लोगों ने बताया तो आपने लिखकर बताया, सीधे आपका कोई मतलब था ही नहीं, इसलिये आपसे पूछना मुनासिब नहीं समझा गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि फाइल को आप मेरे कक्ष में दिखा दें फिर जैसा होगा, वैसा किया जायेगा ।

वर्ष 1987-88 में गन्ने का कुल उत्पादन एवं न्युनतम मूल्य का आंकलन

*3—श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पिराई सत्र 1987-88 में सप्लाई किये जा रहे गन्ने पर कृषकों की औसत उत्पादन लागत क्या आंकी है तथा कृषकों को गन्ने पर प्रति कुन्टल दिया जाने वाला लाभकारी मूल्य क्या आंका है ? कृषकों को यह लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)—

गन्ने की उत्पादन लागत के अनुमान न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारण के लिये प्रमुख आधार है, भारत सरकार द्वारा निकाले जाते हैं । भारत सरकार द्वारा सत्र, 1987-88 हेतु आंके गये उत्पादन लागत की सूचना उपलब्ध नहीं है तथा गन्ने का लाभकारी न्युनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत चीनी परते से सम्बद्ध रु0 18.50 प्रति कुन्टल भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ।

प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य से और अधिक लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र की चीनी मिलों के लिये रु0 27 तथा पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों के लिये रु0 26.50 प्रति कुन्टल परामर्श के रूप में उच्चतर गन्ना निर्धारित किये हैं और यहीं मूल्य चीनी मिलों द्वारा दिया जा रहा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं पहले आपका संरक्षण चाहता हूं । मैं लागत मूल्य पूछता हूं, मंत्री जी उसका खरीद मूल्य बताते हैं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करता हूं, वह भारत सरकार की बात करते हैं, और मैं किसानों की बात करता हूं वह मिलों की बात करते हैं । तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जो किसान गन्ना पैदा करते हैं, उन किसानों के गन्ना उत्पादन की लागत के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के पास क्या कोई जानकारी है कि उनकी उत्पादन लागत कितनी आती है ? यदि है, तो वह बता दें और वह नहीं जानते हैं तो कह दें कि वह अक्षम है इसे बताने में, **मैंने खरीद मूल्य के बारे में नहीं पूछा है ।**

श्री रामनाथ मुंशी—

श्रीमन् माननीय बरार जी ने बहुत छोटे से प्रश्न के उत्तर में पांच-छः प्रश्न कर डाले । यह स्पस्ट है कि गन्ने के मूल्य का निर्धारण भारत सरकार शुगर कन्ट्रोल आर्डर, 1966 की धारा-3(1) के तहत करता है और अब लागत निकालने का काम भारत सरकार करती है यह उत्तर में दे दिया गया है कि लागत मूल्य क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है ? भारत सरकार से जब यह उपलब्ध नहीं हुआ, तो प्रदेश सरकार का क्या दायित्व बनता है ? यह बहुत स्पस्ट है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, जब कल कृषि मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे तो लग रहा था कि किसानों को आसमान पर चढ़ा देंगे, लेकिन यह इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है कि गन्ने की लागत कीमत ही इन्हें नहीं मालूम । अगर उनको लागत कीमत नहीं मालूम है, तो 26 और 27 रुपया मध्य और पश्चिमी तथा पूर्व के लिये मूल्य निर्धारण का परामर्श चीनी मिलों को दिया है, यह किस आधार पर दिया है ?

श्री रामनाथ मुंशी—

मैंने बताया कि भारत सरकार किस एक्ट के तहत मूल्यों का निर्धारण करती है । चाहे फसल कोई हो, चाहे गेहूं की हो या चावल की हो, या गन्ने की हो, तो भारत सरकार से उपलब्ध न होने के कारण . . . . (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, साफ प्रश्न है और उत्तर नहीं दिया जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, सरकार ने चीनी मिलों को परामर्श दिया है और पश्चिमी, पूर्वी और मध्य में साढ़े 26 और 27 मूल्य निर्धारण किया है, तो जब सरकार को लागत कीमत नहीं मिली है तो साढ़े 26 और 27 के रेट किसके परामर्श पर दिये हैं ?

श्री रामनाथ मुंशी—

मान्यवर, उत्तर में स्पष्ट है कि 8.5 प्रतिशत रिकवरी मानकर भारत सरकार ने 18 रुपये 50 पैसे मूल्य निर्धारण किया इसके पश्चात् श्रीमन् . . . (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का संरक्षण चाहिए । पूरी बात नहीं समझेंगे तो इनकी समझ में नहीं आयेगा । मान्यवर, 8.5 प्रतिशत न्यूनतम रिकवरी मानकर, भारत सरकार ने 18 रुपये 50 पैसे मूल्य निर्धारण किया है । इन्होंने प्रश्न किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस आधार पर 27 रुपये और साढ़े 26 रुपये देती है तो श्रीमन्, शुगर केन कन्ट्रोल की धारा 5 के तहत व्यवस्था की गई है कि चीनी मूल्यों से . . . (व्यवधान) श्रीमन्, यह सुन नहीं रहे हैं जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आयेगा, यह ऐसे ही कहते रहेंगे और सुनेंगे नहीं । (व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आप मूल प्रश्न देखें । यह तीन भागों में है । प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों की गन्ना लागत या उत्तर प्रदेश सरकार के जो फार्मस

है, वहां पर जो गन्ना लागत आती है वह ज्ञात है ? यदि हां, तो वह लागत क्या है ? यह प्रश्न पूछा गया था, मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री रामनाथ मुंशी—

श्रीमन्, भारत सरकार का केन कंट्रोल आर्डर 1966 है, उसके अनुसार गन्ना मूल्य निश्चित करने का उनको हक है । प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्य निर्धारित करने का कोई हक नहीं है ।

(शोर)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी मेरी बात का मखौल उड़ा रहे हैं । यह नाटक यहां नहीं चलेगा ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कराइये ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

सब लोग एक साथ खड़े होंगे तो कैसे चलेगा । वह जवाब देते हैं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं । यह मुनासिब नहीं है । जो उन्होंने उत्तर दिया है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो मुझे लिखकर भेजिये, मैं देखूंगा । अब मैं आगे चल रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, एक प्रश्न कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप उनसे प्रश्न कर लीजिये और उत्तर सुन लीजिये । आप उत्तर सुनना ही नहीं चाहते हैं । सब खड़े हो जाते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी से यह जवाब दिलवा दें । अगर वह मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सकें तो इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें । मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के लिये आपने कोई संस्तुति की होगी तो उसी के आधार पर वह मूल्य निर्धारित करते हैं । तो आपने किस आधार पर संस्तुति किया है ? रिकवरी देवरिया और गोरखपुर में क्या है ? मेरठ और मुजफ्फरनगर में क्या है ?

श्री रामनाथ मुंशी—

मान्यवर, अब प्रश्न स्पष्ट हुआ है, मैं उत्तर भी स्पष्ट दे रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि अब प्रश्न स्पष्ट हुआ है । इसके पहले गलत प्रश्न कर रहे थे । अब प्रश्न स्पष्ट हो गया है तो वह उत्तर दे रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते हैं कि लागत मूल्य न पूछा जाय, सरकार का यही इरादा है, यही मंशा है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, बरार साहब की हालत कुछ यह है :—

"उनको आता है प्यार का गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है ।" यह प्यार वाली बातों पर गुस्सा करते हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह छोटा सा सवाल पूछा है कि गन्ना उत्पादन में लागत खर्च प्रति कुन्टल कितना आया है ? यदि सरकार नहीं जानती है, तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 36 रु0 कुछ पैसे आता है, क्या यह सच है ?

श्री रामनाथ मुंशी—

श्रीमन्, यह सच नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार की नीति का इन्हें पता नहीं है और न किसी को ही पता है । प्रश्न करके प्रश्न को उलझा देना ठीक नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने यह कहा कि 36 रु0 कुछ पैसे प्रति कुन्टल है, इस पर माननीय मंत्री ने यह कहा कि यह सच नहीं है, इसका मतलब कि इनको पता है । मान्यवर, इनकी बात से ही यह साबित हो गया कि इनको पता है । मान्यवर, जब इनको मालूम ही नहीं है, तो इनको यह कैसे पता है कि 36 रु0 कुछ पैसे सही नहीं है ? मान्यवर, इनको सजा देनी चाहिये, ये सदन को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं ।

श्री रामनाथ मुंशी—

श्रीमन्, मैं पूर्व और पश्चिम के अन्तर को समझा रहा था, तब तक माननीय सदस्य ने कुछ और प्रश्न करके और उलझा दिया, जिसको मैंने कहा कि प्रश्न को उलझा देना ठीक नहीं है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री रामनाथ मुंशी—

मान्यवर, एक साथ कोई उत्तर नहीं हो सकता, आप 50 प्रश्न करें, 50 उत्तर लें । मान्यवर, माननीय सदस्य रेवती रमण सिंह ने यह पूछा कि पश्चिम में 27 रु0 कैसे हुआ और पूरब में साढ़े 26 रु0 कैसे हुआ ? मान्यवर, गन्ने के मूल्य के निर्धारण के बारे में मैंने धारा 3(1) का उल्लेख किया । मान्यवर, चीनी के मूल्य निर्धारण में तीन बिन्दु होते हैं . . . . . (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं . . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं । प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मैं बराबर इधर से खड़ा हो रहा हूं । मान्यवर, मैं भी सदन के अन्दर किसी न किसी हैसियत से बैठता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से आप लोग करेंगे, तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप इनको शान्त कराइये ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन हो गया, वे बैठ गये ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

अजीत कुमार कमीशन की रिपोर्ट एवं प्रदेश में पुलिसकर्मियों की संख्या

*1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अजीत कुमार कमीशन की रिपोर्ट के मापदण्ड के अनुसार प्रदेश में कितने पुलिस कर्मी होने चाहिये तथा वर्तमान में कितने हैं ? इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए शासन ने क्या नीति अपनाई है तथा यह कमी कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

प्रश्नकर्ता का अभिप्राय अजीत प्रसाद जैन कमीशन से प्रतीत होता है । प्राप्त सूचनानुसार श्री अजीत प्रसाद जैन कमीशन (1960-61) के मापदण्ड के अनुसार प्रदेश में निम्नलिखित पुलिस कर्मी होने चाहिए :—

(1) **नागरिक पुलिस—**

इन्स0	सब इन्स0	हे0 का0	कान्स0
474	13,683	9,222	73,271

(2) **सशस्त्र पुलिस—**

69	291	5,423	26,779

वर्तमान में निम्नांकित पुलिस कर्मी विद्यमान हैं :—

इन्स0	सब इन्स0	हे0 का0	कान्स0
(1) नागरिक पुलिस—			
374	8,272	7,275	58,299
(2) सशस्त्र पुलिस—			
69	204	4,045	18,391

राज्य के वर्तमान संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पुलिस कर्मियों की इतनी बड़ी कमी के अनुसार पदों का सृजन सम्भव नहीं है न तो इसकी आवश्यकता ही समझी गयी है । फिर भी धीरे-धीरे वित्तीय संसाधनों तथा कानून एवं व्यवस्था की सामयिक आवश्यकता का ताल-मेल बिठाते हुए वर्षानुवर्ष नये थाने तथा पुलिस चौकियां खोलकर तथा नये पद सृजित कर कानून एवं व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अजीत प्रसाद जैन कमीशन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है । मान्यवर, उसके अनुसार 474 इंसपेक्टर होने चाहिए लेकिन वर्तमान में 374 हैं, 100 की कमी है । मान्यवर, यह कमी देख लें इनके बतायें आंकड़े के अनुसार सब इंसपेक्टर 5400 कम हैं, हेड कांस्टेबिल 2000 कम हैं और कांस्टेबिल तो 15000 कम है । दूसरी बात इन्होंने कहा है कि ये नये थाने और चौकियां खोलकर पुलिस कर्मचारियों को बढ़ा रहें हैं, पदों का सृजन कर रहें हैं कर्मचारियों के तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह अजीत प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार और सरकार के हिसाब से भी, ये क्या पुलिस के कर्मचारियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करते हैं या कि यह पुलिस थानों और पुलिस चौकियों के आधार पर निर्धारित करते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जैसा कि स्वयं प्रश्न से स्पष्ट है कि संख्या बढ़ी है और थाने भी बढ़े हैं । मान्यवर, इस प्रश्न के माध्यम से यह बताने का प्रयास भी किया गया है कि हम अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुये पुलिस बल व थाने बढ़ा सकते हैं और साथ ही आवश्यकता की भी बात है तो जितनी आवश्यकता वक्त के हिसाब से और वित्तीय साधनों के अनुसार होगी, उतनी बढ़ती जायेगी ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, उत्तर नहीं आ पा रहा है ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम है फिर भी प्रदेश की जनता के ऊपर अत्याचार कम नहीं है तो क्या थाने और पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर अत्याचार अधिक कराने की कृपा करेंगें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, पुलिस की कमी को माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुये जो पुलिस की संख्या में कमी है, उसे कब तक पूरा कर लेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, हमारी कानून व्यवस्था, मैं समझता हूं कि तुलनात्मक तरीके से देखा जाय तो बहुत अच्छी है, हम सबसे अच्छे हैं। अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो इस समय साम्प्रदायिक दंगे भी कम हैं, कत्ल भी कम हैं, चोरियां भी कम हैं, डकैतियां भी कम हैं। तो मान्यवर, हम वित्तीय संसाधनों को देखते हुये फिलहाल बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने एक अजीत प्रसाद जैन कमीशन बनाया था 60-61 में। इसके बाद से सरकार ने कोई कमीशन नहीं बनाया। इस संदर्भ में दूसरी बात यह है कि कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको तो माननीय मंत्री जी कहते हैं अपने उत्तर में कि न तो इसकी आवश्यकता ही समझी गयी, मतलब यह कि इस कमी को देखते हुये प्रदेश सरकार आवश्यकता ही नहीं समझ रही है मान्यवर, इसके साथ ही माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि पिछले तीन वर्षों में पुलिस विभाग में अधिकारियों के कितने पद सृजित किये गये और इन्सपेक्टर के नीचे के कर्मचारियों के कितने पद सृजित किये गये ? दूसरी बात क्या मा0 मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में अधिकारियों के और पद न सृजित करके केवल कर्मचारियों के पद ही सृजित किये जाएंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, अनुपात का सरकार विशेष ध्यान रखती है। मान्यवर, अधिकारियों के पद भी सृजित किये गये और पुलिस कान्स्टेबिलों की भी भर्ती की गयी। पुलिस कान्स्टेबिलों के पद 3700 से भी ऊपर भरे गये। पुलिस कान्स्टेबिलों की और भर्ती हो रही है। फायर सर्विसेज में भी भर्ती हो रही है। अन्य संस्थाओं में भी भर्ती हो रही है, 114 नये थाने बनाये गये हैं और आनुपातिक पे कान्स्टेबिल, सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर के सब जगह पद सृजित हुए हैं। मान्यवर, भर्ती की गयी है और वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इसको बढ़ाते रहेंगे।

जनपद मथुरा के नौहझील शेरगढ़ मार्ग पर यमुना नदी पर पुल निर्माण की मांग

*2—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1-1-87 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें मांट तहसील, जनपद मथुरा के किसानों के गन्ने को छाता शुगर फैक्टरी (मथुरा) में पहुंचाने के लिये नौहझील शेरगढ़ मार्ग पर यमुना नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो मांट तहसील के गन्ना उत्पादक किसानों के हित में शासन उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में मा0 मंत्री जी ने संसाधनों की कमी का सहारा लिया है । मान्यवर, मथुरा में यमुना नदी के एक ओर छाता तहसील और दूसरी ओर मांट तहसील है । शुगर फैक्टरी छाता में है । मांट तहसील से छाता में बनी मिल तक नहीं जा सकते हैं पिछले एक डेढ़ महीने से मांट तहसील से छाता जाने के सभी रास्ते बन्द पड़े है मांट का गन्ना फैक्टरी तक नहीं जा सकता है । मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब पुल बनाया जाता है यमुना पर तो उससे मांट तहसील और छाता तहसील लिंक हो जाती है और दिल्ली से 50 किलोमीटर रास्ता भी कम हो जाता है तो बीच में जो लम्बा पुल जो यमुना पर बनाया जा रहा है, उस पर कितनी लागत आती है ?

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न दोहरा दें ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, मेरे कहने का आशय यह है कि मा0 मंत्री जी संसाधनों की कमी का सहारा लेकर प्रश्न को टाल जाते है । प्रश्न इतना जनहित का है कि इससे एक तहसील का दूसरे से सम्पर्क हो जायेगा और छावा फक्टरी में मांट का गन्ना पहुंच जायगा । मांट का गन्ना कोई नहीं ले रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि छोटी लम्बाई वाले पुल जो यमुना पर बनाये जाते हैं, उनकी क्या लागत आती है, जिससे कि हम लोग भी सहयोग करने पर विचार करें ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, यमुना और गंगा जो नदी है, इन पर पुल की लागत काफी अधिक आती है । यमुना पर औसतन 5 करोड़ की लागत आती है । दूसरे मान्यवर, जैसा कि मा0 सदस्य को पता है कि यहां पर सन् 52 से पैन्टून ब्रिज बनाया जाता रहा है और वह सुविधा इनके लिये उपलब्ध है ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब इस पुल के सम्बन्ध में बात चली तो मा0 सदस्य कुशल पाल सिंह जी ने एक पत्र भी दिया था कि हमारी मांट तहसील के किसान 10 लाख रुपये 5 वर्ष के लिये फिक्स डिपाजिट में जमा करने के लिये तैयार हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह 50 लाख रुपये दोनों तहसील के किसान 5 साल के लिये फिक्स डिपाजिट में अगर जमा कर दें तो क्या मा0 मंत्री जी वहां पर पुल बनवाने का आश्वासन देंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, प्रश्न तो खाली यह है कि वहां पर एक पुल बनाया जा सकता है या नहीं । अभी तक इस यमुना नदी पर जो स्थान बताया जाता है, उससे अप स्ट्रीम पर 45 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम पर 33 किलोमीटर पर पुल मौजूद है और यहां पेंटून ब्रिज मौजूद है । उसका कोई औचित्य नहीं है ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, वहां की जनता इनको संसाधन जुटाने में सहयोग करने के लिये तैयार है दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि कोई औचित्य नहीं है ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, जो मंत्री जी ने बताया कि वहां पर पीपे का पुल मौजूद है, मान्यवर, उस पुल से बड़ी गाड़ी कोई पास नहीं हो सकती ट्रक जा नहीं सकती, टांगे इक्के ही जा सकते हैं । मैं तो यह कह रहा हूं कि वहां की तहसील के लोग आपके संसाधन जुटाने में सहयोग करने के लिये तैयार हैं फिर जनता की इस वाजिब मांग को मानने में आपको क्या कठिनाई है ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नत्थी (घ) प्रश्न संख्या-1 पर आ गया हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह मथुरा वाले मामले में एक सवाल कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राणा जी, 12-10 बज गये हैं, अभी मैं नत्थी (घ) पर नहीं आ पाया हूं, आप बैठें ।

[मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के तिवारीपुर नन्शा मार्ग पर मड़हा नदी पर पुल बनाए जाने की मांग

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में विभिन्न जनपदों में नदियों पर सेतु निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिये निर्धारित मानक क्या थे और उन निर्धारित मानकों में से कौन सी शर्त ऐसी थी जिसके पूरा न होने के कारण जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में तिवारीपुर नन्शा बाजार मार्ग पर स्थित मिझौड़ा गांव सभा में मड़हा नदी पर मिझौड़ा घाट पर पुल निर्माण नहीं कराया जा सका ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रति वर्ष वर्षा में उक्त नदी को पार करते समय मिझौड़ा घाट पर बहुत से यात्रियों की डूबने से मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1988 में क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिझौड़ा घाट पर गड़हा नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने की कृपा करेंगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपका इस पर विशेष संरक्षण चाहूंगा । प्रश्न के दो भाग हैं, पहले भाग में पूछा कि मानक क्या हैं । मान्यवर, मानक सरकार ने निर्धारित किये हैं, उसके लिये सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है इन्हें । मुझे पूछने की आवश्यकता इसलिये पड़ी, वर्ष 1987-88 में फैजाबाद जनपद में 5 पुल स्वीकृत हुए और अहिरौली-नन्साबाजार सड़क जो पी0 डब्लू0 डी0 की भी नहीं थी उस पर किस मानक से लेपन स्तर तक का कार्य करा दिया गया मान्यवर, इस पर विशेष क्षेत्र की सड़क होने के नाते काम कराया गया । मुझे इससे कुछ गलत फहमी हुई और उसी कारण मैंने मानक की बाबत प्रश्न किया । दूसरे भाग की बाबत भी इन्होंने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 12-9-87 को मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री का इस बारे में लिखा था, जिसके साथ संयुक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन श्री लालजी सिंह के एक पत्र की फोटो कापी भी लगा दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पुल के निर्माण की सहमति सन् 1986 में दी थी ।

मान्यवर, 14-1-88 को इस बारे में एक और पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा जिस पर विशेष सचिव सार्वजनिक निर्माण अनु0-1 श्री ए0 एच0 जुबेरी ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या एम0 एम0-36-सी/23-सा0 नि0-1, दिनांक 27-1-88 द्वारा श्री एस0 एन0 पी0 सिन्हा, मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र से 15 दिन के अन्दर आख्या मांगी थी । वह आख्या भी शासन के पास आ गयी है । इस स्थान पर पुल बनाने का प्रस्ताव मुख्य अभियंता फैजाबाद क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद के पत्रांक 2807/एफ0 जेड/70 काम0 एफ0 जेड0/87, दिनांक 9-2-88 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 31वां वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग लखनऊ को वरीयता निर्धारित कराते हुए शासन की स्वीकृति के लिये भेजा गया है । श्रीमन्, दो महीने पहले मैं और माननीय हर्षवर्धन जी मुख्य मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर इसका उदघाटन कर देंगे । टेलेक्स मैसेज भी फैजाबाद के पी0 डब्ल0 डी0 को किया गया कि माननीय मख्य मंत्री जी 2 महीने के अंदर इसका उदघाटन करना चाहते हैं । इसके बाद कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी कि पुल का निर्माण कार्य अभी नहीं कराया जा रहा है और कौन सी सूचना माननीय मख्य मंत्री जी को और चाहिये, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, इन्होंने यह और जानना चाहता था कि इसमें कितने लोगों की डूबने से मृत्यु हुई, तो वह सूचना अभी सरकार को उपलब्ध नहीं है । मान्यवर, हम प्रश्न का पूरा जवाब देने की कोशिश करते हैं, आधा जवाब देने की इसमें बात नहीं है । हम चाह रहे हैं कि पूरा जवाब आ जाये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सत्र के उठने से पहले आप इसका जवाब दिलवा दें । जवाब यह मंगवा लें 15 दिन के अंदर ।

श्री अध्यक्ष—

15 दिनों में तो आ जायेगा ।

किदवई फार्मूला के अन्तर्गत प्रदेश में गन्ने के मूल्य का निर्धारण

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य स्थित चीनी मिलों से किसानों को उनके गन्ने का मूल्य दिलाने के लिये इस वर्ष सुविख्यात किदवई फारमूला (अर्थात् जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन गन्ना) जो भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री स्व0 रफी अहमद किदवई द्वारा घोषित किया गया था, अपनाकर राज्य सरकार द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त फारमूला के अनुसार गन्ना का क्या मूल्य होना चाहिए ?

श्री राम नाथ मुंशी—

जी नहीं ।

प्रदेश सरकार सत्र 1987-88 के लिये परामर्शित गन्ना मूल्य की घोषणा कर चुकी है । किदवई सूत्र के आधार पर गन्ने का परामर्शित मूल्य निधारित करने का प्रदेश सरकार विचार नहीं रखती है क्योंकि इस सूत्र के अवैज्ञानिक व अव्यवहारिक होने के कारण इसका अनुसरण कभी नहीं किया गया । इस सूत्र के आधार पर गन्ने का परामर्शित मूल्य निकालने के लिये मुक्त चीनी का औसत अर्जित भाव अभी न तो ज्ञात है और न ही निश्चित है । अतः किदवई सूत्र के आधार पर गन्ने के परामर्शित मूल्य की सही गणना नहीं की जा सकती है ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के बात करने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बरार साहब अगर बातें कर चुके हों, तो इधर सुन लीजिये ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया और पहले भी इस सदन में बता चुके है कि भार्गव फार्मूला के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है । भार्गव फार्मूला इस आधार पर आधारित है कि चीनी मिल को क्या लाभ होगा, सीजन के अन्त में और उसकी क्षमता क्या है । मान्यवर, किदवई फार्मूला जो है, वह इस आधार पर आधारित है कि किसान ने जब अपना गन्ना दे दिया तो चाहे फैक्टरी में कितना भी भ्रष्टाचार हो, उसकी रिकवरी भी कम है, परन्तु उसके गन्ने का सही मूल्य मिलना चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार को भार्गव फारमूले के स्थान पर किदवई फार्मूला को अपनाने में क्या कठिनाई है ?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, भारत सरकार ने पूरे देश को 16 जोन में बांट रखा है और उसके आधार पर लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित किया जाता है । इसमें 3 जोन उत्तर प्रदेश में पश्चिम, मध्य व पूरब है । मान्यवर, डी0 आई0 सी0 पी0 की नीति के तहत ही भार्गव फार्मूले को लागू होना माना जाता है । किदवई फारमूला चूंकि एक और 16 का अनुपात रखता है, किदवई फार्मूला इस अनुपात से अगर मूल्य दिया जाये, तो एक और 20 का अनुपात हो जाएगा, ऐसी दशा में यह अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक होगा । चूंकि 5 बिन्दुओं पर गन्ने का मूल्य निर्धारित होता है और भार्गव फार्मूला के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है । मान्यवर, पूरब में गन्ने का लेवी मूल्य अधिक होता है और

पश्चिम की चीनी मिलों की रिकवरी अधिक है, इसलिये उनको कम देना पड़ेगा। अतः इस प्रकार का अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक फार्मूले के लागू करने से पूरे दश और प्रदेश के किसानों में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा होगी, और सरकार के लिये भी एक प्रकार का व्यवधान पैदा हो जायेगा। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बरार जी, समझ लें कि किदवई फार्मूला और भार्गव फार्मूला क्या है ? तब आपको इस पर डिसकस करना चाहिये, कि इससे क्या असर पड़ेगा। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि किदवई फार्मूला अवैज्ञानिक है और भार्गव फार्मूले के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित होता है जो वैज्ञानिक है। मैं इसको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेवी चीनी मूल्य वर्ष 1986-87 में पश्चिम में 428.23 पैसे था, मध्य में यह 414.53 पैसे था और पूरब में 142.58 पैसे था। इसी प्रकार वर्ष 1987-88 में पश्चिम में 453.41 पैसे था, मध्य में 430.94 पैसे था और पूरब में इसका मूल्य 458.30 पैसे था। ऐसी दशा में पश्चिम के किसानों को कम मूल्य तथा पूरब के किसानों को अधिक मूल्य देना होगा। इस प्रकार मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि किदवई फार्मूला अव्यवहारिक अवैज्ञानिक है, इसलिये इसको लागू करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सेतु निगम

की विदेश यात्रा में हुये सरकारी खर्च का ब्यौरा

*3—श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, जुलाई, 87 में उ0 प्र0 सेतु निगम के अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक को सरकार द्वारा कितने देशों की यात्रा करने सम्बन्धी शासनादेश सं0 3738 सी/23-सा0 नि0/87, दिनांक 19 जून, 87 को जारी किया गया था ? क्या शासनादेश में अंकित न होने पर भी इन अधिकारियों ने इंग्लैण्ड एवं कुवैत की यात्रायें कीं ? अगर हां, तो क्यों और सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की और इन यात्राओं पर सरकार का कुल कितना धन खर्च हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जून, 1987 में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 की यात्रा शुरू होने की तिथि से एक सप्ताह के लिये ईराक एवं पेरिस (फ्रांस) यात्रा की अनुमति हेतु शासनादेश संख्या 3738 सी/23-सा0 नि0-1/87, दिनांक 19 जून, 1987 जारी किया गया था। शासन द्वारा स्वीकृत अवधि के अन्दर उक्त यात्रा पूर्ण करने के उद्देश्य से वायुयान की उपलब्धता हेतु इन अधिकारियों को इंग्लैंड तथा कुवैत जाना पड़ा।

इन यात्राओं पर सरकार का धन खर्च नहीं हुआ। निगम का कुल लगभग 3,000 रुपये खर्च हुआ।

प्रदेश में खड़े कोल्हू वाले किसानों के किये गये चालानों की वापसी की मांग

*4—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान हित में शासन द्वारा वर्ष 86-87, 87-88 में खड़े कोल्हू पर लागू लाइसेंस प्रणाली समाप्त की गई ? यदि हां, तो

---

*3—नत्थी (ध) के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

क्या सरकार इन वर्षों के दौरान खड़े कोल्हू वाले किसानों के किये गये चालान वापस करने की कृपा करेगी ? क्या उन किसानों की जिन पर 3/7 की कार्यवाही की गई थी ? सरकार द्वारा समाप्त की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन द्वारा किसानों के हित में वर्ष 1986-87 व 1987-88 में खड़े शक्ति चालित कोल्हुओं पर लागू लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त नहीं, बल्कि स्थगित रक्खी गयी । वर्ष 1986-87 में खड़े शक्ति चालित कोल्हुओं पर प्रभावी लाइसेंस व्यवस्था को स्थगित करने से पूर्व पकड़े गये मामलों के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही का प्रश्न विचाराधीन है । वर्ष 1986-87 में खड़े शक्ति चालित कोल्हू के स्वामियों द्वारा शक्ति/हस्त चालित खाण्ड मशीन का प्रयोग कर खाण्डसारी शक्कर का निर्माण करते पाये जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत की गयी विधिक कार्यवाही को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस बल के लिए मारुति जीपों के क्रय में अनियमितता

*5—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि पुलिस बल को दी जाने वाली मारुति जीपों की प्रथम किस्त बिना रेट कान्ट्रेक्ट एवं तकनीकी जांच के ही कम्पनी से क्रय की गयी थी जिस कारण से यह जीपें पुलिस बल के लिये निरर्थक सिद्ध हुई हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा शासन ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? क्या शासन ने भविष्य में इन कमजोर जीपों को न खरीदने का निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

पुलिस बल के लिए मारुति जीपों का क्रय प्रथमतः वर्ष 1986 में सामग्री क्रय नियमों के अधीन किया गया था । उस समय इनका रेट कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ था । जब से ये जीपें पुलिस विभाग में प्रयोग की जा रही हैं, इसके सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, क्योंकि इन जीपों में कोई दोष अथवा इनके संबंध में कोई शिकायत नहीं पायी गयी है ।

कतिपय पुलिस उपनिरीक्षकों के सेवा अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण सेलेक्शन ग्रेड में व्यवधान

*6—श्री मैनेजर सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 19 के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 73 उप निरीक्षकों के सेवा अभिलेख अन्य स्थानों पर लम्बित रखने का तथा परिक्षेत्र में न उपलब्ध रखने का दोषी कौन है ? यह किन अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व था जिनकी लापरवाही के कारण 73 उप निरीक्षक सेलेक्शन ग्रेड पाने से चार वर्ष तक वंचित रहे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

छठीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात् प्रदेश के पिछड़े जनपदों की जानकारी

*7—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के बाद प्रदेश के कौन-कौन से जनपद पिछड़े रह गये हैं और उन पिछड़े जनपदों को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

सर्वमान्य मापदण्ड के अभाव में किसी जनपद को समग्र रूप से पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया है । जो जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है । इन जनपदों को औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में अन्तर्जनपदीय विषमताओं को कम करने के उद्देश्य से जनपदों को परिव्यय का आवंटन एक फारमूले के आधार पर किया जाता है जिसमें जनसंख्या के साथ-साथ कतिपय विकास संकेतों में पिछड़ेपन को भार दिया गया है ताकि जनपदों को समग्र रूप से विकास हेतु परिव्यय का उचित भाग उपलब्ध हो सके ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 223 पर)

विधायकों को वायरलेस सुविधा दिये जाने की मांग

*8—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि साम्प्रदायिक दंगों, बलवों, आगजनी, बाढ़ आपदा जैसी आपात कालिक दुर्घटनाओं की सूचना जिला प्रशासन को पहुंचाने के लिये निकटतम पुलिस स्टेशन से वायरलेस सेट द्वारा प्रेषित करने की सुविधा माननीय विधायकों को दिये जाने की किसी योजना पर सरकार द्वारा विचार चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामलों में क्षेत्रीय विधायकों द्वारा दी गयी सूचना भी थानों द्वारा संबंधित जिलाधिकारी तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को वायरलेस द्वारा भेजी जा सकती है । इस कार्य के लिये किसी पृथक योजना की आवश्यकता नहीं है ।

संजय पेपर मिल, बस्ती के प्रदूषित जल को आमी नदी में गिरने से रोकने के सम्बन्ध में प्रदूषण बोर्ड को निर्देश

*9—श्री राज किशोर सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती स्थित संजय पेपर मिल्स के प्रदूषित जल व विषैले कचड़े को आमी नदी में गिरने से रोकने के लिये प्रदूषण बोर्ड ने उक्त मिल को आवश्यक निर्देश दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादूर सिंह—

मेसर्स संजय पेपर मिल्स, खलीलाबाद, बस्ती को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 1987 की सहमति अस्वीकार कर उन्हें उचित शुद्धीकरण व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत उद्योग के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 33 और 44 के अन्तर्गत जुडीशियल मजिस्ट्रेट, बस्ती के न्यायालय में अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

*10—श्री महेन्द्र भाटी—

[6 वें मंगलवार के लिए स्थगित]।

मिलक-मेवाली के जंगल (जनपद मुरादाबाद व रामपुर की सीमा) में सक्रिय दस्यु गिरोह

*11—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है मिलक-मेवाती का जंगल अर्थात् रभेड़ा नदी का किनरा, थाना भगतपुर, थाना मूढ़ा पाण्डे, जनपद मुरादाबाद, थाना टांडा, जनपद रामपुर की सीमा पर स्थित है और यहां एक दस्यु गिरोह सक्रिय है जो डकैतियां, बलात्कार, हत्याएं, फिरौती जैसे जघन्य अपराध उक्त स्थान पर करता रहता है जिसके दस्यु सरगना पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि रामपुर जनपद तथा मुरादाबाद जनपद की पुलिस की आपसी विवाद का लाभ दस्यु सरगना उठा रहा है और इस विवाद में लाशें सड़ जाती हैं तथा शिनाख्त भी नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो इस विवाद के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तथा दस्यु गिरोह के सफाये के लिये कोई प्रभावी कदम उठायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर व थाना मूढ़ा पाण्डे की लगभग 13 कि0 मी0 की सीमा जनपद रामपुर के थाना टांडा की सीमा से मिलती है। इस सीमा पर थाना भगतपुर के ग्राम मिलक-मेवाती आदि पड़ते हैं। रभेड़ा नामक एक मामूली सा नाला है, जो कि जनपद मुरादाबाद एवं रामपुर की सीमा के मिलान से लगभग 12 कि0 मी0 अन्दर जनपद मुरादाबाद की सीमा में है। जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर पर असलम उर्फ भोंदा का एक गैंग पंजीकृत है जिसका गैंग लीडर, असलम उर्फ भोंदा पुत्र शब्बीर, जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर के ग्राम मिलक-मेवाती का निवासी है। इस गैंग के सरगना पर कोई इनाम घोषित नहीं किया गया है। इस गैंग के सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है। इस क्षेत्र में पुलिस व पी0 ए0 सी0 द्वारा गश्त की व्यवस्था भी की गई है। यह सही नहीं है कि जनपद मुरादाबाद एवं रामपुर की पुलिस में आपसी विवाद का लाभ दस्यु सरगना उठा रहा है और इस विवाद के कारण लाशें सड़ रही हैं तथा उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

परतावल-पिपराइच मार्ग, जनपद गोरखपुर पर मिट्टी की आपूर्ति हेतु निविदा का विज्ञान

*12—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर में दो करोड़ रुपये की योजना के अन्तर्गत बनने वाले परतावल-पिपराइच मार्ग पर पत्थर की गिट्टी इकट्ठा करने के लिये निविदा का विज्ञापन तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड द्वारा 1-7-86 को निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को भेजा गया था जिस सहायक अभियन्ता प्रथम ने 21-7-86 को निरस्त कर दिया था ? क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि पुनः उसी कार्य के लिये सहायक अभियन्ता द्वारा 15-7-86 को निविदा मांगने की तिथि दिखाकर उसे 12-8-86 को खोला गया तथा अधिक दर देकर शासन को रुपये 10 लाख की क्षति पहुंचायी है ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । दिनांक 10-7-86 को निरस्त किया गया ।

निविदा दिनांक 15-7-86 को पुनः आमंत्रित की गयी तथा दिनांक 12-8-86 को खोली गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-मोहान रोड पर गिट्टी की आपूर्ति में अनियमितता

*13—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्माण इकाई-2, सा0 नि0 वि0, लखनऊ में दिनांक 29-12-87 को लखनऊ-मोहान रोड पर गिट्टी की आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा निविदा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त निविदा की सूचना सार्वजनिक तौर पर समाचार पत्रों में या किसी अन्य माध्यम से किया गया है ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में निविदा का प्रकाशन सार्वतजिनिक रूप से नहीं किया गया ? क्या सरकार उक्त निविदा को रद्द करके नया निविदा आमंत्रित करेगी और इस अनियमितता के लिये उक्त कार्य अधीक्षक एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 360 के अनुसार प्रकाशन के अन्य माध्यम के रूप में निविदा की सूचना कार्य अधीक्षक अ0 वि0 नि0 ई0 (मार्ग) नं0—1 एवं अधिकारी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, सा0 नि0वि0, लखनऊ तथा सम्बन्धित खण्ड के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगायी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 29-12-87 को प्राप्त निविदाओं में से मात्र तीन किलोमीटर की निविदायें ही स्वीकृत की गई थीं तथा शेष 12 किलोमीटर की सभी निविदायें अधीक्षण अभियंता चतुर्थ वृत्त, सा0 नि0 वि0, लखनऊ के निर्देशानुसार निरस्त कर पुनः नई निविदायें समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त दिनांक 25-2-88 को खोली गई । जो भी निविदायें पूर्व में प्राप्त हुई थीं वह सभी आर. एम. आर. की दरों के अन्दर थीं और केवल तीन किलोमीटर की निविदायें स्वीकृत की गयीं तथा शेष 12 किलोमीटर की निविदायें स्वीकार किये जाने से पूर्व ही निरस्त कर दी गयी थीं । अतः कार्य अधीक्षक एवं अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है ।

फूलमनहा- दुबौलिया मार्ग, तहसील-फरेंदा, जनपद गोरखपुर के निर्माण कार्य में अनियमितता

*14—श्री हर्षवर्धन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की फरेंदा तहसील में फूलमनहा-दुबौलिया मार्ग पर ईंटों की सोलिंग में अत्यन्त निम्न स्तर का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का सचिव, सा0 नि0 वि0 को सम्बोधित दिनांक 7-1-87 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के थाना जैतपुरा में विषैली शराब से लोगों की हुई मृत्यु की जांच

*15—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री केदार नाथ गुप्त, क्षेत्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय शान्ति समिति ग्रामोद्योग भवन, बड़ी बाजार, वाराणसी ने जुलाई, 1987 के अन्तिम सप्ताह में शासन से यह शिकायत की थी कि थाना जैतपुरा, जनपद वाराणसी के क्षेत्र में विषैली शराब के पीने से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उस घटना को प्रकाश में लाने के परिणामस्वरूप इन्चार्ज, थाना जैतपुरा उनकी जान लेने पर आमादा है ? यदि हां, तो क्या विषैली शराब से होने वाली मौतों की घटना की जांच की गयी और श्री केदार नाथ गुप्त की सुरक्षा सुनिश्चित की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार कुल 5 व्यक्ति विषाक्त शराब पीने से मरे थे । इस सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमा अ0 सं0 28/87 धारा 272/304-ए भा0 दं0 वि0 की विवेचना से प्रकाश में आये 3 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 21-2-88 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

श्री केदार नाथ गुप्त ने एक प्रार्थना-पत्र अन्ध्यक्ष श्री आर0 एस0 द्विवदी के कार्य-काल में विषाक्त शराब पान से कई लोगों का मृत्यु तथा थानाध्यक्ष द्वारा उनको हत्या करा दिये जाने का प्रयास करने के सम्बन्ध में दिया था । थानाध्यक्ष से श्री गुप्त को खतरा होने आदि के आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुये । सम्बन्धित थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण जनपद से बाहर हो चुका है ।

जनपद-मेरठ में ब्लैंक कारतूस भरने के लाइसेंस पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

*16—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल में कुछ व्यक्तियों को ब्लैंक कारतूसों को भरने के लाइसेन्स प्राप्त हैं ? यदि हां, तो उक्त लाइसेन्स धारकों द्वारा इसके दुरुपयोग न किये जाने के उद्देश्य से क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या मेरठ मण्डल में अपराधों के प्रकोप पर नियंत्रण करने हेतु बंदूक के लाइसेन्सों पर प्रतिबन्ध की भांति ब्लैंक कारतूसों के लाइसेन्सों के वार्षिक कोटे को समाप्त करते हुए प्रतिबन्ध लगायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

मेरठ मण्डल में ब्लैंक कारतूसों को भरने का लाइसेंस बुलन्दशहर जनपद के स्याना टाउन के चौधरी गन हाउस को स्वीकृत है । लाइसेन्स के दुरुपयोग रोकने हेतु जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया है । यह लाइसेंस भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है । अतः प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक कोटे पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 अमरोहा के विस्तारीकरण कार्य में विलम्ब

*17—हाजी मोहम्मद हयात—

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के चौथे मंगल के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा के विस्तारीकरण का कार्य निर्धारित समय के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके फलस्वरूप फैक्ट्री इस सीजन में भी चलने की स्थिति में नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विस्तारीकरण कार्य में विलम्ब की जांच किसी जांच एजेन्सी द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, इकाई अमरोहा के विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं किये गये विस्तारीकरण का ट्रायल चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*18--डा0 शिवानन्द नौटियाल—

[6 वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अल्मोड़ा में सा0 नि0 विभाग वृत्त खण्डों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*19—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा सा0 नि0 वि0 वृत्त के अन्तर्गत रानीखेत व बागेश्वर खण्डों में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें आठ वर्ष से अधिक हो गये हैं, परन्तु अभी भी अस्थायी हैं ? क्या इन खण्डों में वरीयता क्रम से स्थायी करने की प्रक्रिया अपनायी गयी है ? क्या बागेश्वर खण्ड के दो कर्मचारी जो रानीखेत खण्ड के कर्मचारियों से वरीयता क्रम में पीछे हैं, को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वरीयता क्रम में सीनियर कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत वृत्त के अन्तर्गत रानीखेत एवं बागेश्वर खण्डों में उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या, जिन्हें आठ वर्ष हो गये हैं, परन्तु अभी तक अस्थायी हैं, निम्नवत् है :—

(क) कार्यालयीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—9

(ख) नियमित कार्य प्रभारित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—276 ।

जी हां ।

ऐसा कोई मामला नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एशबाग रेलवे क्रासिंग लखनऊ में फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

*20—श्री नरेश चन्द्र—

क्या सा0 नि0 मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशबाग रेलवे क्रासिंग लखनऊ उ0 पूर्व रेलवे के ऊपर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? इस पुल की कितनी लम्बाई व कितनी चौड़ाई होगी और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

एशबाग लखनऊ स्थित सम्पार संख्या 4ए के स्थान पर उपरिगामी सेतु के निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ हो जायेगा ।

रेलवे लाइन के ऊपर मुख्य सेतु की लम्बाई लगभग 30 मीटर तथा चौड़ाई 10.5 मीटर होगी तथा दोनों ओर के पहुंच मार्गों की कुल लम्बाई 712.35 मीटर होगी प्राक्कलन के अनुसार इस सेतु के निर्माण की कुल लागत रु0 3.86 करोड़ होगी ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम्य विकास अधिकारी नरैनी जनपद बांदा द्वारा कर्ज के धन का गबन तथा उसकी जांच

1—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग, 021743 दिनांक 20-10-87 बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के कस्बा अतर्रा के मुहल्ला गढ़ी गंज नरैनी रोड अतर्रा एवं श्री राम दत्त पुत्र श्री दुःखी आदि के संलग्न पत्र, ग्राम्य विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) ब्लाक नरैनी एवं डीलर द्वारा स्टेट बैंक से कर्ज हड़प कर जाने एवं हरिजन उत्पीड़न करने के सम्बन्ध का, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा क्या इस प्रकरण की जांच, कोई विशेष जांच अधिकारी द्वारा अथवा विजिलेंस से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मामले में कराई गई जांच से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा पंजीकृत एवं अधिकृत फर्म से सामान न क्रय कराने हेतु दोषी पाये गये श्री शम्भू नाथ शुक्ल, ग्राम्य विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा श्री चुन्नी लाल प्रोप्राइटर ममता करघा उद्योग अतर्रा के विरुद्ध सामान की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच कराई जायेगी ।

श्री गुरु प्रसाद ग्राम माती, जनपद लखनऊ की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने विषयक पत्र

2—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-5-87 जो श्री गुरु प्रसाद, ग्राम व पोस्ट माटी, जनपद लखनऊ की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में था तथा जिसके प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति राज्य मंत्री सा0 नि0 विभाग ने अपने पत्र संख्या 579/वी0 आई0 पी0/87 द्वारा की है, पर शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री गुरु प्रसाद, ग्राम व पोस्ट माती, जनपद लखनऊ के दावे के सम्बन्ध में व्यापक छान-बीन कराई जा चुकी है, जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि उनका कोई मकान सड़क निर्माण में नहीं गिराया गया है और न ही उनकी कोई भूमि अधिग्रहीत की गयी है । अतः श्री गुरु प्रसाद को किसी प्रकार का मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

डायमण्ड डेरी कालोनी, लखनऊ के रख-रखाव में व्यय धनराशि का ब्यौरा

3—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की डायमण्ड डेरी कालोनी, लखनऊ के रख-रखाव पर पिछले पांच वर्षों में कब कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और उसके प्रत्येक फ्लैट के संबंध में गत तीन वर्षों में रख-रखाव आदि पर कितना खर्च हुआ है ? इस वर्ष वहां के कितने फ्लैट्स में रख-रखाव संबंधी कार्य होने शेष हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

डायमंड डेरी कालोनी, लखनऊ के रख-रखाव हेतु पिछले पांच वर्षों में कुल रु0 2,96,905 की धनराशि आवंटित हुई ।

प्रत्येक फ्लैट पर हुये व्यय का अलग से कोई विवरण नहीं रखा जाता है किन्तु कालोनी के सभी आवासों के रख-रखाव पर गत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1985-86, 86-87 तथा 1987-88 (15-3-1988 तक) में कुल 2,71,147 रुपये का व्यय हुआ । रख-रखाव का कोई कार्य शेष नहीं है ।

डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ के अध्यासियों पर बकाया धनराशि

4—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में डायमण्ड डेरी कालोनी लखनऊ के किन-किन अध्यासियों पर कितना-कितना किराया बाकी है और कब से ? क्या गत वर्ष ऐसे व्यक्तियों को किराया जमा करने की कोई नोटिस जारी की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त नोटिस का क्या आधार था ? क्या यह सही है कि कुछ लोगों को गलत नोटिस भेजी गयी थी ? यदि हां, तो उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

डायमण्ड डेरी कालोनी के ऐसे अध्यासी जिनके ऊपर किराया बकाया है उनके संबंध में पूरा विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर उपलब्ध है ।

जी हां । यह नोटिस अध्यासियों से किराये के रूप में शासकीय धनराशि वसूल करने हेतु जारी की गयी थी ।

जी नहीं । नोटिस भेजने का उद्देश्य यह भी था कि यदि किसी अध्यासी के ऊपर अभिलेखों के आधार पर किराया अवशेष दिखाया गया हो और वास्तव में किराया जमा कर दिया गया हो, तो सम्बन्धित अध्यासी प्रमाण प्रस्तुत करके लेखा-जोखा ठीक करा सकें । किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 224 पर)

राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों के रख-रखाव हेतु प्रस्तावित धनराशि

5—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों में प्रत्येक का रख-रखाव संबंधी बजट कितने रुपयों का है ? उसमें किन-किन कालोनियों का औसत व्यय सर्वाधिक है और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रख-रखाव के लिए बजट में प्राविधान प्रत्येक कालोनी के लिये अलग-अलग नहीं होता है, वरन् कालोनियों के कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर समस्त कालोनियों के लिये वार्षिक मरम्मत एवं विशेष मरम्मती कार्यों हेतु लगभग 60 लाख रुपये का प्राविधान किया जाता है ।

निम्नलिखित कालोनियों के रख-रखाव पर औसत व्यय अधिक है क्योंकि इन कालोनियों में श्रेणी-5 एवं 6 के आवास हैं जिनकी विशिष्टियां उच्च स्तर की हैं :—

1—माल एवेन्यू

2—कालिदास मार्ग

3—विक्रमादित्य मार्ग

4—गौतमपल्ली

5—राजभवन कालोनी

6—दिलकुशा कालोनी

थाना जैठवारा, जनपद प्रतापगढ़ के अपराध संख्या 214/85 का गुप्तचर शाखा द्वारा परीक्षण

6—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के जैठवारा थाने का अपराध सं0 214/85 का मामला गुप्तचर शाखा को जांच के लिये भेजा गया है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

जांच अभी प्रचलित है ।

जनपद आगरा में आयोजित किसान रैली में सरकारी वाहनों का प्रयोग

7—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-10-87 को आगरा में आगरा मण्डल की कांग्रेस (इ) की किसान रैली का आयोजन हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसके लिए मुख्य मंत्री और अन्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने प्रदेश सरकार के सरकारी वाहनों का प्रयोग किया ? यदि हां, तो क्या उन वाहनों का किराया और पेट्रोल आदि का व्यय कांग्रेस (इ) कमेटी आगरा ने अदा किया ? यदि नहीं, तो सत्ताधारी पक्ष की रैली पर राज्य सरकार द्वारा धन व्यय किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

8—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[5 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ0 प्र0 के विरुद्ध अनियमितता विषयक शिकायती-पत्र

9—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुप्ता, निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई

पत्र दिनांक 15 मार्च, 87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित आरोपों पर शासन स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां,

माननीय विधायक श्री रणजीत सिंह का पत्र दिनांक 15 मार्च, 1987 शासन में प्राप्त हुआ है जिसमें अर्थ एवं संख्या निदेशक के विरुद्ध भवन निर्माण अग्रिम, उसकी किस्त तथा स्कूटर/मोपेड अग्रिम स्वीकृत करने एवं स्थानान्तरण में जातिवाद, चमचागीरी तथा सरकारी नीतियों के विरुद्ध कार्य करने, का आरोप लगाया गया है एवं इसकी जांच की मांग की गयी है । शिकायत सामान्य प्रकृति की होने के कारण एवं शिकायत में किसी विशिष्ट तथ्य का उल्लेख नहीं है, फिर भी दिखवाया जा रहा है ।

जिला चिकित्सालय फैजाबाद के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

10—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत 10 नवम्बर 86 को अयोध्या फैजाबाद में हुई परिक्रमा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के गम्भीरवस्था में जिला चिकित्सालय फैजाबाद में भर्ती रहने के समय दिनांक 11 नवम्बर, 86 को चिकित्सकों सहित अन्य स्वास्थ कर्मियों द्वारा अचानक हड़ताल कर देने पर लोकदल फैजाबाद के कोषाध्यक्ष श्री रमेश शर्मा द्वारा थाना कोतवाली फैजाबाद में अपराध संख्या 1631/86 दिनांक 11-11-86 अन्तर्गत धारा 307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कोई मुकदमा पंजीकृत कराया गया ? यदि हां, तो रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है तथा उस पर पुलिस द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

दर्ज करायी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फैजाबाद के स्थानान्तरण के विरोध में चिकित्सकों तथा स्टाफ नर्सों आदि ने सामूहिक हड़ताल कर दिया । परिणामस्वरूप चिकित्सालय में भर्ती समस्त मरीज जो दुर्घटना के शिकार हुए तथा अन्य मरीजों का उपचार बन्द कर दिया गया, जो उन्हें मारने के प्रयास करने जैसा कृत्य है ।

विवेचना से यह पाया गया कि अस्पताल के कुछ कर्मचारीगण अस्पताल में भर्ती मरीजों की दवा-इलाज बराबर कर रहे थे और कुछ कर्मचारीगण हड़ताल पर थे । धारा 307 भा0 द0 वि0 का अपराध होना नहीं पाया गया । अतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी गयी ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व पदभार ग्रहण करना

11—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सूचना अधिकारी अल्मोड़ा, सीतापुर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व मिर्जापुर आदि के कार्यालयों में

कितने ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यभार नियुक्ति तिथि के पूर्व ही ग्रहण कर लिया था ? क्या इस संदर्भ में उ0 प्र0 सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पत्र सं0 6145/सू0 एवं ज0 सं0 वि0-प्रकाशन-537/87—लखनऊ, दिसम्बर, 87 के द्वारा उक्त जनपदों के सूचना अधिकारियों से उपनिदेशक (टी0 व्य0) ने कोई आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार नियुक्ति तिथि के पहले ही कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों का विवरण कारण सहित बतायेंगी ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)—

जिला सूचना कार्यालय अल्मोड़ा, सीतापुर, पौड़ीगढ़वाल, नैनीताल तथा मिर्जापुर में किसी भी कर्मचारी ने नियुक्ति तिथि से पूर्व कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

प्रसंगगत आदेश द्वारा जिला सूचना अधिकारियों से स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता के सम्बन्ध में स्थिति मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोतीनगर जनपद लखनऊ में हुई लूटपाट की थाना आलमबाग पुलिस द्वारा जांच

12—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलमबाग पुलिस जनपद लखनऊ पर 3-12-86 को मोतीनगर मो0 में लूट-पाट करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट डिप्टी एस0 पी0 द्वारा जांच के बाद दर्ज कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या इसी लूटपाट की जांच हेतु माननीय कैलाश यादव, एम0 पी0 ने माह मई व जून में जिलाधिकारी, लखनऊ को तथा गृह मंत्री जी को भी लिखकर सी0 आई0 डी0 जांच हेतु निवेदन किया था ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में थाना आलमबाग के संबंधित उप निरीक्षक एवं सहयोगी कान्स्टेबिलों के विरुद्ध थाना आलमबाग पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 454/380/323/504 भा0 दं0 वि0 तथा 161/5(2)-भ्र0 नि0 अधिनियम पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी महानगर द्वारा पूर्ण की गयी । विवेचना से उपरोक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए । अतः दिनांक 13-8-87 को विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई ।

प्रश्नगत घटना की जांच के संबंध में श्री कैलाश यादव, सांसद का पत्र जून, 87 में प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी । मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

आयुर्वेद चिकित्सालय जामू जनपद कानपुर को स्वीकृत धनराशि का उपलब्ध कराया जाना

13—श्री जौहरी लाल त्रिवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुर्वेद चिकित्सालय, जामू, जनपद कानपुर (नगर) में सन् 1980 में प्लान में स्वीकृत धनराशि 2 लाख 81 हजार रुपया एवं सन् 1985 में 1 लाख रुपया देने के बाद अभी तक

अस्पताल का भवन क्यों नहीं पूर्ण कराया गया है ? उक्त भवन निर्माण की जांच मुख्य अभियंता द्वारा कराये जाने पर कौन लोग दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आयुर्वेद चिकित्सालय जाम, जनपद कानपुर नगर के निर्माण हेतु वर्ष 1980 में रुपया 2 लाख 81 हजार एवं वर्ष 1985 में रुपया 1 लाख चिकित्सा विभाग से प्राप्त हुये । निर्माण कार्य हेतु भूमि जून, 1982 में प्राप्त हुयी । प्राप्त धनराशि से चिकित्सालय का मुख्य भवन तथा श्रेणी एक के दो आवास पूर्ण कर 6 अगस्त, 1986 को चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं । चिकित्सा विभाग से अतिरिक्त धन प्राप्त न होने के कारण चिकित्सालय के अन्य आवासों, सड़क तथा चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है ।

जांच में दोषी पाये गये अवर अभियन्ता, श्री डी0 डी0 मुकर्जी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, पीलीभीत को कार्यकारी पद पर न रखने का शासनादेश

14—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि वर्तमान अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, पीलीभीत का कार्यकारी पद पर न रखने के शासन के आदेश थे ? यदि हां, तो इनको कार्यकारी पद पर रखे जाने के क्या कारण हैं ? इसका दोषी कौन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री एन0 एल0 गुप्ता, अधिशासी अभियंता, अस्थायी खण्ड, पीलीभीत को उक्त खण्ड से स्थानान्तरित करके उन्हें प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय पर तैनात करने के लिए शासन के पत्र दिनांक 8-12-87 द्वारा प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित किया गया था । प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने आदेश दिनांक 17-12-87 द्वारा श्री गुप्ता को प्रमुख अभियंता कार्यालय, लखनऊ में अकार्यकारी पद पर तैनात कर दिया है, जिस पर उन्होंने दिनांक 7-1-88 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

चीनी मिल रसड़ा, जनपद बलिया के अधिकारियों के विरुद्ध श्रमिकों का शिकायती-पत्र

15—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या गन्ना विकास मंत्री को यह जानकारी है कि सरकार कामगार सभा चीनी मिल रसड़ा, जिला बलिया के श्रमिक नेताओं के मांग-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-10-87 शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें मिल अधिकारियों की धांधली की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो दि किसान सहकारी चीनी मिल के अधिकारियों के भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी । जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गयी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बेल्थरा रोड, जिला बलिया को भंग किये जाने विषयक सालाना जलसे का आयोजन

16—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि बिल्थरा रोड, किरिहड़ापुर गन्ना विकास सहकारी समिति लिमिटेड बिल्थरा रोड, जिला बलिया को भंग करने के लिये कोई सालाना जलसा आयोजित किया गया है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और उसमें क्या कोई प्रस्ताव आखिरी जलसे में पारित किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बिल्थरा रोड, किरिहिड़ापुर, जिला बलिया को भंग करने के लिये नहीं अपितु उक्त समिति को दि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड रसड़ा, बलिया में विधिवत विलीन होने की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु उक्त समिति की साधारण निकाय की बैठक (सालाना जलसा) दिनांक 19-9-76 को 12 बजे दिन में जूनियर हाई स्कूल सीयर (बेल्थरा रोड) के प्रांगण में सम्पन्न हुई थी । बैठक में एक ही प्रस्ताव बेल्थरा रोड समिति एवं दि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, रसड़ा समिति के विलय के संबंध में पारित किया गया था ।

प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ की नियुक्ति विषयक नीति का निर्धारण

17—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा नीति निर्धारित कर दी गयी है कि पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ के किसी भी कर्मचारी को दूसरे कैडर में नियुक्ति प्रदान न की जाय ? यदि हां, तो विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता/कृषि में नियुक्त 10 मीनिस्ट्रियल स्टाफ के किसी भी कर्मचारी को जो लगभग 10 वर्ष या उससे ऊपर से प्रति नियुक्ति पर हैं, उन्हें अपने पैत्रिक विभाग में वापस न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

इस संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है ।

विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता/कृषि अधिष्ठान बाह्य कैडर है, जिसमें नियुक्ति का कोई अधिकतम कार्यकाल निर्धारित नहीं है ।

धारचूला तहसील जनपद पिथौरागढ़ में अस्थायी परमिट धारकों को स्थायी लगातार रहने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

18—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या गृह मंत्री को सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ की सीमावर्ती धारचूला तहसील की इनर लाइन (आंतरिक सुरक्षा रेखा) होने पर भी अस्थाई परमिट धारियों के स्थाई रूप से लगातार रहने, उनके द्वारा असंवैधानिक कार्यवाहियां करने की सूचना प्रश्नकर्ता के पत्रांक 935/

86, दिनांक 2-6-86 के साथ संलग्न श्री जवाहर सिंह नवियाल, भूतपूर्व प्रमुख, विकास क्षेत्र धहारचूला के पत्र द्वारा मिली यदि हां, तो इस अत्यन्त असंवैधानिक असामाजिक कार्यवाही हेतु दिनांक 1 जून, 1987 तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि जांच से नहीं हुई । क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अधिकृत हैं और वे अपने विवेकानुसार परमिट दिये जाने के अधिकार का प्रयोग करते हैं ।

उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद के निवास में कार्यरत स्वर्गीय श्री तिलादत्त पाण्डेय के देयों का भुगतान तथा पुत्र को पिता के स्थान पर नियुक्त न किया जाना

19—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1979 में मुरादाबाद उपमहानिरीक्षक के निवास में कार्यरत श्री तिलादत्त पाण्डेय (नं0 222) की सेवा अवसर पर डाकुओं से मुठभेड़ में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो शासन की नीति के अनुसार स्वर्गीय श्री तिलादत्त पाण्डेय के हाई स्कूल उत्तीर्ण पुत्र श्री केदार दत्त पाण्डेय को अपने पिता के स्थान पर नियुक्त करने तथा उनके जीवन बीमा तथा अन्य देयों के भुगतान करने हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

स्वर्गीय श्री तिलादत्त पाण्डेय की मृत्यु वर्ष 1970 में हुई थी न कि वर्ष 1979 में । इनकी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है तथा इनकी विधवा को पारिवारिक पेंशन वर्ष 1972 में ही स्वीकृत की जा चुकी है । स्वर्गीय श्री पाण्डेय जी0 पी0 एफ0 के अभिदाता नहीं थे । सामूहिक बीमा योजना 1-3-74 से लागू हुई है, जिससे प्रश्नगत प्रकरण आच्छादित नहीं है ।

जहां तक श्री केदार दत्त पाण्डेय को उनके पिता के स्थान पर नियुक्त किये जाने का प्रश्न है, इस विषय से संबंधित नियमावली दिनांक 21-12-73 से प्रभावी हुई है । अतः श्री पाण्डेय उक्त नियमावली के अधीन सेवायोजित किये जाने के पात्र नहीं है ।

फर्म मिश्रा वनस्पति एण्ड आयल स्टोर्स शुक्लागंज, उन्नाव को पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करना

20—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव बिक्रीकर कार्यालय में फर्म मिश्रा वनस्पति एण्ड आयल स्टोर्स शुक्लागंज को तारीख 1-4-82 से प्रभावी पंजीयन प्रमाण-पत्र सं0 एम-13/40-2530 जारी किया गया ? यदि हां, तब माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82-83, 83-84 में कितने-कितने, कौन-कौन से फार्म जारी किये गये ? दोनों वर्षों में कर निर्धारण से पूर्व कितना-कितना कर जमा किया गया ? कर निर्धारण आदेश किस तारीख को पारित किये गये, प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना कर लगा ? बकाया में से कितना वसूल हुआ ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 69 माननीय मुख्यमंत्री जी को ता0 10-9-85 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां । सर्वश्री मिश्रा वनस्पति एण्ड आयल स्टोर्स 3/128 गुप्ता मार्केट शुक्लागंज, उन्नाव को पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या एम-13/यू0 ओ0 2530, दिनांक 1-4-82 से प्रभावी जारी किया गया ।

इस फर्म को वर्ष 82-83 व 83-84 में बिक्रीकर विभाग द्वारा कोई फार्म जारी नहीं किये गये ।

दोनों वर्षों में कर-निर्धारण से पूर्व कोई कर जमा नहीं किया गया ।

वर्ष 82-83 से सम्बन्धित कर-निर्धारण आदेश दिनांक 28-3-87 को तथा वर्ष 83-84 से संबंधित दिनांक 28-1-88 को पारित किया गया । वर्ष 82-83 के लिए व्यापारी पर 6,48,000 रुपये कर लगाया गया जिसके विरुद्ध व्यापारी की प्रथम अपील में सहायक आयुक्त (न्याय) द्वारा वाद प्रतिप्रेषित किया गया । इस आदेश के विरुद्ध व्यापारी ने द्वितीय अपील बिक्रीकर अधिकरण, कानपुर के समक्ष की है । प्रतिप्रेषित वाद की सुनवाई अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 17-12-87 द्वारा रोक दी गयी है । वर्ष 83-84 के लिये व्यापारी पर 17,20,000 रुपये कर आरोपित किया गया है ।

कर की कोई वसूली नहीं हुई है ।

पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त बिक्रीकर से जांच करवा कर आख्या भेजने का अनुरोध किया गया ।

21—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

फर्म कृष्णा स्टील देहरादून पर लगाए गए अर्थ-दण्ड स्थगन का आदेश

22—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून बिक्रीकर कार्यालय में स्थित फर्म कृष्णा स्टील्स बाबत वर्ष 74-75 में लगे 16375 रु0 अर्थदण्ड को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ के निर्णय दिनांक 4-10-80 से रद्द होने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 904 उनको तारीख 17-6-86 को मिला है ? यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां । माननीय विधायक का प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ जिसका उत्तर माननीय विधायक को भेज दिया गया है ।

ग्राम जोगा मुसाहिब, जनपद गाजीपुर के सम्पर्क मार्गों को पक्का किये जाने के लिये कतिपय वर्षों में खर्च की गई धनराशि

23—श्री अफजाल अंसारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम जोगा मुसाहिब जिसकी आबादी वर्तमान समय में 5000 से अधिक है को सार्वजनिक निर्माण विभाग इकाई (दो) गाजीपुर द्वारा यूसुफपुर-बलिया मार्ग

पर करीमुद्दीनपुर के समीप पक्के मार्ग से जोड़ने में वर्ष 1982-83 व 83-84 व सन् 84-85 व 85-86 व 86-87 व 87-88 में कितना-कितना धन खर्च किया गया है और वर्तमान समय में किन कारणों से इतना धन खर्च करने के बाद भी सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हो सका ? कब तक इस सड़क के निर्माण का कार्य पूर्ण होना सम्भव है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यूसुफपुर-बलिया मार्ग पर करीमुद्दीनपुर के समीप ग्राम जोगा मुसाहिद को पक्के मार्ग से जोड़े जाने हेतु प्रश्नगत वर्षों में व्यय किये गये धन का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	व्यय
1982-83	0.21 लाख रु0
1983--84	1.27 लाख रु0
1984-85	0.23 लाख रु0
1985-86	— —
1986-87	0.22 लाख रु0
1987-88 (2/88 तक)	1.89 लाख रु0
योग	3.82 लाख रु0

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 2.3 किमी0 है । जिसमें से 1.8 किमी0 लम्बाई में मिट्टी एवं पुलिया का कार्य पूर्ण है । 1.8 किमी0 भाग में ही खड़ंजा लगाने की कार्यवाही की जा रही है तथा इसके 6/88 तक पूर्ण हो जाने की आशा है । शेष 500 मीटर भाग किसानों द्वारा स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है । कार्य का पूर्ण होना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति

24—श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति करने की कोई नियमावली है ? यदि हां, तो उसके मूलभूत आधार क्या हैं और उसके आधार पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति करके कब तक समायोजित कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

श्रेणी-3 के उपलब्ध पदों के 15 प्रतिशत तक समूह "घ" के उन कर्मचारियों में से जो पदोन्नति द्वारा इन पदों पर सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित अर्हतायें रखते हों श्रेष्ठता के आधार पर परीक्षा लेकर नियुक्तियां करने का प्राविधान है ।

कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

विधायक निवास में राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0 प्र0 के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी एवं देय सचिवालय भत्ता

25—श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास के कर्मचारी राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0 प्र0 सचिवालय के अधीनस्थ हैं ? यदि हां, तो क्या विधायक निवासों में कार्यरत कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता देय हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सम्पत्ति संवर्ग के सभी कर्मचारी शासन के अधीन हैं । सचिवालय का राज्य सम्पत्ति विभाग शासन का अंग हैं ।

जी नहीं ।

क्योंकि राज्य सम्पत्ति संवर्ग के विधायक निवासों में कार्यरत सभी कर्मचारी सचिवालय के अंग नहीं हैं ।

राज्य सम्पति विभाग के सचिवालय संवर्ग में सचिवालय प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार

26—श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग सचिवालय का अंग हैं ? यदि नहीं, तो सचिवालय प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी किस आधार पर नियुक्त किये जाते हैं ? यदि हां, तो इस विभाग के कर्मचारियों को सचिवालय प्रशासन की होने वाली नियुक्तियों तथा प्रोन्नतियों में सम्मिलित न किये जाने का क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सम्पत्ति विभाग का सचिवालय संवर्ग सचिवालय का अंग हैं ।

सचिवालय संवर्ग में सचिवालय प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं ।

चूंकि राज्य सम्पत्ति संवर्ग सचिवालय का अंग नहीं हैं, अतः नियुक्तियों तथा प्रोन्नतियों में सम्मिलित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता हैं ।

जनपद गाजियाबाद के बन्थला-ढिकौली से चिरौड़ी सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में विलम्ब

27—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत बन्थला-ढिकौली मार्ग से चिरौड़ी सम्पर्क मार्ग 87-88 में जिला योजना में बनना स्वीकृत हुआ हैं ? यदि हां, तो अभी तक इस पर कार्य प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण हैं और अब यह मार्ग कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस मार्ग के निर्माण हेतु निविदायें प्राप्त कर ली गयी हैं तथा कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं । कार्य 12/88 तक पूर्ण कर दिए जाने की आशा हैं ।

जनपद मेरठ के शहादरा-सहारनपुर से फिरोजपुर सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में विलम्ब

28—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में 87-88 की जिला योजना के अन्तर्गत शहादरा-सहारनपुर रोड से फिरोजपुर सम्पर्क मार्ग बनना स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त सम्पर्क मार्ग पर अभी तक कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

29-30—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

डुमरियागंज जनपद बस्ती में सरकारी आवासों की मरम्मत एवं रख रखाव में व्यय धनराशि

31—श्री निसार हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज, जनपद बस्ती में राप्ती नदी के किनारे बने सरकारी आवासों की मरम्मत तथा रख-रखाव प्रति वर्ष सुचारु रूप से नहीं की जाती है तथा उक्त आवासों का पिछले 15 वर्षों से नवम्बर, 1987 तक किसी भी प्रकार की मरम्मत तथा पुताई आदि नहीं की गयी है ? यदि हां, तो मंत्री जी शीघ्र इसकी व्यवस्था करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत तीन भवनों में से दो में अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखने वाले अध्यासियों द्वारा भवन खाली कर दिये जाने पर आवश्यकतानुसार तीनों भवनों की मरम्मत तथा पुताई करा दी जायेगी ।

जनपद झांसी के समथर से सिकन्दरा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक-पत्र

32—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 28-7-87 का झांसी जिले की समथर से सिकन्दरा सड़क को पक्का कराये जाने विषयक पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा उक्त सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मार्ग को लेपन स्तर तक पूरा किया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जनपद झांसी के बेतवा नदी के रामनगर घाट पर बने रिपटा का सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने में कठिनाई

33—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में चिरगांव एवं गुरूसराय मार्ग के मध्य में पड़ने वाली बेतवा नदी के रामनगर घाट का रिपटा सार्व0 निर्माण विभाग को स्थानान्तरित हो गया है ? यदि हां, तो सा0 नि0 वि0 इसकी मरम्मत कब तक करा देगा ? यदि हां, तो जिला परिषद् को उक्त रिपटा स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं है तो इसे सा0 नि0 वि0 को स्थानान्तरित किये जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । अभी यह रिपटा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं हुआ है । अभी यह जिला परिषद् के अधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत रपट के हस्तांतरण का प्रस्ताव जिला परिषद से उसके प्रशासकीय विभाग जो पंचायतीराज विभाग है, के माध्यम से उसकी संस्तुति सहित अभी तक शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः इसके सा0 नि0 विभाग में अधिगृहीत किये जाने के संबंध में विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य योजना आयोग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें

34—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना आयोग नियोजन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं तथा इनके भर्ती में क्या प्रक्रिया व अर्हताएं निर्धारित की गयी है ? क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी के पद पर भर्ती हेतु विज्ञाप्ति पदों पर हाई स्कूल से अधिक शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) में चतुर्थ श्रेणी का एक पद रिक्त है । भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हताएं वही है जो शासन के कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली यथा संशोधित में दी है । चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नवीनतम भर्ती वर्ष 1987 में रोजगार कार्यालय लखनऊ से नाम मंगाकर किया गया था जिसमें हाई स्कूल से अधिक शैक्षिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी भी थे :

नियम में अधिक शैक्षिक अर्हता का कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जनपद बांदा की करवी हवालात में बंदियों के रखने की क्षमता एवं नये बन्दी गृहों का निर्माण कराने की मांग

35—श्री राम सजीवन—

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी हवालात में कितने बन्दियों को रखने की क्षमता है और प्रतिदिन औसतन कितने बन्दी रखे जाते है ? क्या

वह सही है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और मुंसिफ, मजिस्ट्रेट की नई अदालतें करवी में स्थापित हो जाने के बाद करवी हवालात में बंदियों की संख्या बढ़ गयी है और आवास की जटिल समस्या पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो क्या करवी में सब जल की नई इमारतें निर्मित करने के लिये शासन के पास कोई प्रस्ताव आया है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा और भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

करवी हवालात कारागार विभाग से संबंधित नहीं है, तथापि प्राप्त सूचना के अनुसार, उसकी क्षमता 30 बतायी गयी है । अन्य विकल्प न होने के कारण 50 बन्दी तक रखना पड़ता है, जो कभी-कभी होता है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार बंदियों की संख्या 50 से ऊपर बढ़ने पर यह समस्या उत्पन्न होती है । तब बन्दियों को जिला मुख्यालय भेज दिया जाता है ।

जी हां, किन्तु प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

लक्ष्मी चीनी मिल के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

36—श्री मित्रसेन—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा लक्ष्मीगंज चीनी मिल के सामान्य प्रबंधक के विरुद्ध प्रेषित शिकायती पत्र संख्या शून्य दिनांक 14-2-86 के अनुक्रम में संयुक्त प्रबन्धक निदेशक, उ0 प्र0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक डी0 जी0 एम0/एस0 एस0 सी0/जांच 5383, दिनांक 25 फरवरी, 1986 द्वारा प्रेषित सूचना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय विधायक द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र दिनांक 14-2-86 में वर्णित आरोपों की जांच उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई गयी । जांचोपरान्त आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

वर्ष 86-87 में इलाहाबाद में माघ मेला के आयोजन पर व्यय धनराशि का भुगतान न किया जाना

37—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में लगने वाले माघ मेला में वित्तीय वर्ष 1986-87 में लगभग कितना खर्च हुआ है ? क्या उसका सी0 सी0 एल0 प्रदेश सरकार ने भेज दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसका इलाहाबाद के प्रान्तीय खण्ड में भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे कि कर्मचारियों के तनख्वाह तथा अन्य भुगतान न होने के कारण सभी कार्य रुके हुए हैं और निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इलाहाबाद में लगने वाले माघ मेला में वर्ष 1986-87 में लगभग 42.00 लाख रुपया व्यय हुआ है ।

इस कार्य हेतु 4.00 लाख रुपये की साख सीमा प्राप्त हुई थी । साख सीमा के अभाव में किये गये कार्यों का पूर्ण भुगतान वर्ष 1986-87 में नहीं हो पाया था । श्रमिकों के भुगतान में भी देरी हुई थी । साख सीमा में कमी के कारण कार्य नहीं रुके और उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण कर दिया गया था ।

श्री रघुनाथ बाजपेयी, गन्ना निरीक्षक, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, खीरी के विरुद्ध गबन के आरोपों की जांच

38—श्री मैनेजर सिंह—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुनाथ बाजपेयी, "गन्ना निरीक्षक", सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी की पदोन्नति गैर कानूनी ढंग से की गयी है ? क्या यह सच है कि श्री बाजपेयी के विरुद्ध गन्ना ग्राम सेवक के रूप में गबन का गम्भीर अभियोग है जिसकी जांच आज भी लम्बित है ? यदि हां, तो क्या शासन गैर कानूनी पदोन्नति को रद्द कर इसके लिए दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । श्री रघुनाथ बाजपेयी, गन्ना निरीक्षक, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद खीरी की पदोन्नति योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर वैधानिक रूप से सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त की गयी है । श्री बाजपेयी के विरुद्ध ग्राम सेवक के रूप में गबन का कोई गम्भीर अभियोग नहीं है और न इसकी जांच लम्बित है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्साधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद खीरी के स्थगन आदेश को रद्द कराया जाना

39—श्री मैनेजर सिंह—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्साधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी को सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका में पारित एक पक्षीय "स्थगन आदेश" को "वेकेट" कराये जाने हेतु शासन, सहकारी चीनी मिल संघ व मिल स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रधान प्रबन्धक सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी के आदेश के विरुद्ध सहायक चिकित्साधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ बेन्च) में दायर की गयी याचिका पर दिनांक 13-10-87 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा उसी प्रतिशपथ पत्र में एक पक्षीय "स्थगन आदेश" को वेकेट करने की प्रार्थना भी की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

40-41—श्री हर्ष वर्धन—

[दिनांक 22-6-87 को अता0 प्र0 सं0 140-141 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद उन्नाव के पुरवा मिरोकला बनी रोड के निर्माण हेतु आपूर्ति की गई घटिया दर की सामग्री

42—हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के पुरवा मिरोकला बनी रोड पर शिव सिंह खेड़ा से बनी तक डाले गये पत्थर घटिया और कच्चे हैं, सड़क पर रोलर नहीं चलाया गया तथा सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है ? क्या मंत्री जी प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र माह अक्टूबर 87 के आधार पर पूरे सन्दर्भ की उच्च स्तरीय जांच करवा चुके हैं ? यदि हां, तो निष्कर्ष क्या है तथा क्या कार्यवाही हुई है ? क्या मंत्री जी माह जनवरी 88 में सहायक अभियन्ता, पी0 डब्लू0 डी0, उन्नाव के द्वारा प्रश्नकर्ता के साथ किये गये इस मार्ग के निरीक्षण के निष्कर्ष बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग पर शंकरगढ़ खदान जो अनुमोदित खदान है का पत्थर डाला गया है । जो घटिया नहीं है । सड़क की कुटाई रोलर से की गयी है ।

माननीय विधायक के शिकायती-पत्र दिनांक 8-9-87 में कथित अनियमितताओं पर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

दिनांक 27-1-88 को सहायक अभियन्ता के साथ माननीय विधायक द्वारा निरीक्षण के समय बतायी गयी बातें वही थीं जो उन्होंने उपर्युक्त शिकायत में लिखी हैं । जांच अभी प्रगति में है । जांचोपरान्त निष्कर्ष प्रकाश में आयेगा ।

सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी में कार्यरत श्रमिकों के नियमित किये जाने की मांग

43—राम आसरे वर्मा—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी में वर्षों से दैनिक वेतन मस्टर रोल डिमाण्ड आदि पर कार्यरत सैकड़ों श्रमिकों को नियमित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या शासन उपरोक्त मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर श्रमिकों को नियमित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर (लखीमपुर खीरी) में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को सृजित पद, उपलब्ध होने पर उनके योग्यता एवं अनुभव के आधार पर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार नियमित नियुक्ति दी जाती है । यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

मस्टर रोल, डिमाण्ड पर श्रमिकों को दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार कार्य पर लगाया जाता है तथा इनके विनियमितीकरण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नियुक्त पुलिस अधीक्षकों में आरक्षित जातियों का कोटा

44—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जिलों में नियुक्त पुलिस अधीक्षकों में अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के क्रमशः कितने लोग नियुक्त हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नगर तथा अपर पुलिस अधीक्षक के पदों पर सम्प्रति नियुक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अधिकारियों की संख्या निम्नवत् है :—

	अनुसूचित जाति	पिछड़ी जाति
1—ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	15	1
2—पुलिस अधीक्षक, नगर	1	—
3—अपर पुलिस अधीक्षक	9	1

थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा में पंजीकृत मुकदमें पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

45—श्री फसीउर्रहमान (मुन्नन खां)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के कौड़िया थाना अन्तर्गत कोई मुकदमा अपराध सं0 3/88 अन्तर्गत धारा 419/420 आई0 पी0 सी0 पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है तथा इसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी और मुकदमें में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि श्री पाटेश्वरी प्रसाद तिवारी ने फरवरी, 1986 में रिपोर्टकर्ता से उसके भाई को नौकरी दिलाने हेतु 6000 रु0 लिया था परन्तु न तो नौकरी ही दिलाई और न ही रुपया वापस किया । विवेचना प्रारम्भ में श्री राम सागर उप निरीक्षक ने की परन्तु अब श्री राम चन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, कौड़िया कर रहे है । सम्प्रति मुकदमा विवेचनाधीन है ।

46—श्री फसीउर्रहमान (मुन्नन खां)—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा गोण्डा जनपद के कौड़िया थानान्तर्गत कुकुरभुकवा निवासी पाटेश्वरी प्रसाद तिवारी के विरुद्ध कोई मुकदमा पुलिस अधीक्षक गोण्डा की जांच के बाद अपराध संख्या 85/87 अन्तर्गत धारा 417/420 आई0 पी0 सी0 व 17 इण्डियन मेडिसिन सेन्ट्रल कौंसिल एक्ट 1970 थाना कौड़िया में माह अगस्त, 1987 में पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

विवेचना साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 43 दिनांक 25-10-87 को न्यायालय प्रेषित की गयी । प्रश्नकर्त्ता की प्रार्थना पर न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं की और अभियुक्त को न्यायालय में तलब करा लिया । सम्प्रति मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

47—श्री शारदानन्द अंचल—

[दिनांक 1-3-88 को अता0 प्र0 सं0 54 द्वारा उत्तरित]

थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

48—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 8-7-87 को थाना भोजपुर के पुलिस कर्मियों के विषय में उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । प्रश्नगत शिकायती-पत्र को सामान्य डाक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को दिनांक 9-7-87 को भेजा गया किन्तु अभिलेखों के अनुसार उनके कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया । इस कारण इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

पुलिस कांस्टेबिल भर्ती बोर्ड में नामित किये गये अल्प संख्यक समुदाय के अधिकारियों को उचित स्थान न प्राप्त होना

49—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कांस्टेबिल के भर्ती बोर्ड में इण्टरव्यू के समय अल्प-संख्यक समुदाय का सदस्य उपाधीक्षक स्तर का ही अधिकारी होता है ? यदि हां, तो क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि उपाधीक्षक के स्थान पर महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी रखा जाए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

पुलिस कांस्टेबिल्स के भर्ती बोर्ड में इण्टरव्यू के समय अल्प-संख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में उपाधीक्षक के स्तर से अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारी नामित किये जाते हैं । भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष पुलिस उपमहानिरीक्षक होता है ।

पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को अल्प-संख्यक समुदाय के सदस्य के रूप में नामित किये जाने का कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे कनिष्ठ अधिकारी (पुलिस उपमहानिरीक्षक) बोर्ड का अध्यक्ष होता है ।

धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ में अवैधानिक रूप से रह रहे कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

50—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या गृह मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक गृह/226/4/87, दिनांक 2-4-87 के साथ श्री कालू बहादुर, निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ का, कु0 लक्ष्मी शर्मा, निवासी धारचूला के द्वारा लगातार किये जा रहे अवैधानिक/असामाजिक कार्यों से जन

आक्रोश बढ़ने की सूचना प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कु0 लक्ष्मी शर्मा को धारचूला प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बाद भी वहां की मूल निवासी न होने पर भी वहां स्थायी रूप से रहने, चल-अचल सम्पत्ति जमा करने के लिए किस अधिकारी द्वारा कब अनुमति दी गयी ? अवैधानिक रूप से वहां रहने के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त आरोपों की कब-कब जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्न में इंगित पत्र के साथ प्राप्त शिकायती-पत्र में कु0 लक्ष्मी शर्मा के विरुद्ध उनके अवैधानिक/असामाजिक कार्यों आदि में संलग्न होने संबंधी आरोपों की पुष्टि जांच से नहीं हुई । कु0 शर्मा क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट एक्ट, 1961 के अन्तर्गत घोषित अधिसूचित क्षेत्र की आवासिक (रेजीडेण्ट) नागरिक हैं तथा उन्हें अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

कु0 शर्मा द्वारा स्टेट बैंक, धारचूला से ऋण लेकर एक प्रेस धारचूला में स्थापित किया गया है, जो उनके रिश्तेदार के मकान में स्थित है । कोई अचल सम्पत्ति धारचूला में इनके नाम अंकित नहीं है ।

ग्राम हलुआपुर, जनपद लखनऊ के बेता नाले पर पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब

51—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद, लखनऊ अंतर्गत लखनऊ-हरदोई मार्ग स्थित अन्धे चौकी से ग्राम नवीपनाह तक निर्मित सड़क पर हलुआपुर ग्राम के निकट बेता नाला पर स्वीकृत पुल का निर्माण अभी तक आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी सार्वजनिक हित में उक्त पुल का निर्माण अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य अभी स्वीकृत नहीं है । कार्य अभी स्वीकृत नहीं है, अतः निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता । धनाभाव के कारण ।

थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद में अंकित रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही में विलम्ब

52—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ0 संख्या 80/87 धारा 307 थाना खण्डासा, फैजाबाद दिनांक 1-8-87 अंकित रिपोर्ट दि0 2-8-87 में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? विलम्ब का कारण क्या है और अपराधियों का आपराधिक चरित्र क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

नामजद तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा तीनों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 26-2-88 को न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग के पूर्व विवेचक का स्थानान्तरण हो जाने के कारण तथा दूसरे विवेचक को मुरादाबाद प्रशिक्षण में जाने एवं पुनः अयोध्या में शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में आ जाने आदि कारणों से मुकदमें की विवेचना में कुछ विलम्ब हुआ है । अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है ।

अपराधियों का आपराधिक चरित्र संलग्न* है ।

पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को सम्बोधित शिकायती-पत्र तथा शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

53—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को संबोधित तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित पत्र जो आपराधिक घटनाओं से संबंधित था, दिनांक 21-10-87 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी के पत्रांक अ0 स0 पत्र संख्या 22/आ0 लि0/अ0 पु0-87 जिलाधिकारी निवास, फैजाबाद दिनांक 24 अक्तूबर, 1987 के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई तथा कब और किससे जांच कराई गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्नगत पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, इनायतनगर से दिनांक 30-12-87 को कराई गई । जांच से प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आपराधिक घटनाओं के बारे में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट हुई :—

(1) अभियोग संख्या 380/86 व 216/86 में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

(2) अभियोग संख्या 308/87 धारा 395 भा0 द0 वि0 में विवेचना के पश्चात् जुर्म धारा 323/504 भा0 द0 वि0 का पाया गया । अतः अपराध को 395 भा0 द0 वि0 से 323/504 भा0 द0 वि0 तरमीम करते हुये विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र प्रेषित किया गया ।

(3) ग्राम अछौरा के रामलखन की पत्नी की रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 427/504 भा0 दं0 वि0 व धारा 394 भा0 दं0 वि0 विवेचना से जुर्म धारा 323 भा0 दं0 वि0 की हद तक का ही पाया गया । उपरोक्त धाराओं से अभियोग धारा 323 भा0 द0 वि0 में तरमीम कर विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

(4) ग्राम परसपुर सबरा में पुलिस द्वारा कुछ लोगों को मारने-पीटने संबंधी आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हो सका ।

(5) ग्राम डीहपुरे बीरबल में दो हरिजनों के घर गिराये जाने के संबंध में जांच से ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों में सुलह (समझौता) हो गया है ।

54—श्री यदुनाथ सिंह—

[समाचार-पत्र की सूचना पर आधारित होने के कारण निरस्त]

---

*(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 225 पर)

बिक्री कर की दरों में बढ़ोत्तरी से प्रदेश को प्राप्त कुल राजस्व की जानकारी

55—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86 में बिक्रीकर दरों (अधिभार सहित) की बढ़ोत्तरी से कितने करोड़ रुपया बिक्री-कर राजस्व की प्राप्ति की आशा की गयी थी और वास्तव में कितना प्राप्त हुआ ? वर्ष 84-85 की अपेक्षा वर्ष 85-86 में मूल्यों में जनरल वृद्धि के कारण कितने करोड़ रुपया राजस्व बढ़ोत्तरी बजट में अनुमानित की गयी थी ? वर्ष 1985-86 के दौरान आयुक्त द्वारा करवंचना के विरुद्ध किये विशेष अभियान से कितने करोड़ रुपया राजस्व की प्राप्ति हुई ? क्या करवंचना अभियान को सफल बनाने के लिये आयुक्त को एक विशेष फंड आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो कितना रुपया आवंटन किया गया और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1985-86 में बिक्रीकर की दरों (अधिभार सहित) की बढ़ोत्तरी से रु0 6.67 करोड़ अतिरिक्त बिक्रीकर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान किया गया था ।

वर्ष 1985-86 का पुनरीक्षित बजट अनुमान रु0 586.00 करोड़ निर्धारित किया गया था ।

वर्ष 1985-86 में बिक्रीकर की कुल प्राप्तियां रु0 628.21 करोड़ हुयी थीं । करापवंचना के विरुद्ध अभियान चलाए जाने से बिक्रीकर राजस्व में हुई वृद्धि के आंकड़े अलग से देना संभव नहीं है । क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही का व्यापारियों पर परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है तथा करवंचना में कमी आती है । नियमित व्यापार भी बढ़ता है तथापि करवंचना के विरुद्ध चलाए गए अभियान के फलस्वरूप वर्ष 1985-86 में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा रु0 269.58 करोड़ का अनुमानित अपवंचित विक्रय धन प्रकाश में आया । जांच चौकी इकाइयों द्वारा रु0 509.81 लाख की धनराशि जमानत/अर्थ-दण्ड के रूप में वसूल की गई तथा सचल-दल इकाइयों द्वारा संशोधित रु0 300.35 लाख की धनराशि जमानत/अर्थदण्ड के रूप में वसूल की गई ।

आयुक्त को करापवंचना अभियान के लिए वर्ष 85-86 में गुप्त सेवा व्यय की मद में रु0 2.30 लाख का धन आवंटित था । यह अनुदान गुप्त होने के कारण इसके व्यय का विवरण देना सम्भव नहीं है ।

फर्म न्यू वाथम शुगर इण्डस्ट्रीज, उमरिया, जनपद लखीमपुर के विरुद्ध अस्थायी कर निर्धारण आदेश पर कार्यवाही

56—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखीमपुर बिक्रीकर कार्यालय में फर्म न्यू वाथम शुगर इण्डस्ट्रीज, उमरिया का वर्ष 78-79 का कर निर्धारण आदेश ता0 12-11-82 को पारित किया गया था और 60,250 रु0 की मांग निकाली गयी थी ? यदि हां, तो मा0 मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब करदाता ने वर्ष के दौरान रूप-पत्र 4 व देय कर नहीं जमा किया, तो अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण तथा अस्थायी कर आदेश पारित करने की कार्यवाही किये जाने के क्या कारण थे ? साल की समाप्ति यानि 15-5-79 के बाद कर निर्धारण की कार्यवाही न किये जाने तथा ता0 12-11-82 को आदेश पारित करने के क्या कारण थे ? बकाया में से कितना वसूल हुआ ? देय कर को विलम्ब से जमा करने पर व बकाया को जमा न करने पर कितना अर्थदण्ड लगाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अस्थायी कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया गया और न ही इस फर्म का सर्वे किया गया क्योंकि फर्म बाथम शुगर इण्डस्ट्रीज, उमरिया के पुनर्गठन फलस्वरूप अभि-सर्वे किया गया क्योंकि फर्म बाथम शुगर इन्डस्ट्रीज, उमरिया का सर्वेक्षण दि0 5-1-78 को किया गया था ।

किसी वर्ष का कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति की तिथि से चार वर्ष के अन्दर किया जा सकता है । कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद तुरन्त कर निर्धारण आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है क्योंकि पुराने वादों का निस्तारण किया जाना होता है । कर निर्धारण आदेश दिनांक 12-11-82 को पारित किया गया जो समय के अन्दर था । इसमें किन्हीं निर्देशों की अवहेलना नहीं की गई है क्योंकि वास्तव में कर निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 30-3-81 को ही प्रारम्भ कर दी गई थी और बार-बार नोटिस तामील न होने के कारण बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नियमों का पालन करते हुए कर निर्धारण आदेश दिनांक 12-11-82 को पारित किया गया ।

दिनांक 12-11-82 को पारित कर निर्धारण आदेश व्यापारी पर चस्पा विधि द्वारा दिनांक 16-3-83 को तामील हुआ । इस कर निर्धारण आदेश में रु0 60250 की मांग निकाली गई थी । इस कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध व्यापारी द्वारा अपील की गई । सहायक आयुक्त (न्याय), बिक्रीकर, सीतापुर ने अपीलीय आदेश दिनांक 11-1-84 द्वारा वाद को प्रति प्रेषित कर दिया । प्रति प्रेषित वाद का निस्तारण दिनांक 5-7-84 को किया गया जिसमें रु0 60250 की मांग निकाली गई । यह बकाया धनराशि व्यापारी ने जमा नहीं की है जिसकी वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी है और वसूली के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ व सीतापुर से बराबर सम्पर्क किया जा रहा है ।

निकाली गयी मांग को जमा न किये जाने के कारण बिक्रीकर अधिनियम की धारा 15-ए 1) (ई) के अन्तर्गत दिनांक 9-10-85 को रुपया 12050 अर्थदण्ड व्यापारी पर लगाया गया ।

फर्म नारायण भण्डार अलीगंज, लखनऊ के पंजीयन प्रार्थना-पत्र में हेराफेरी पर सी0 आई0 डी0 जांच

57—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुला वदूद खां का पत्र सं0 640 मुख्य सचिव को ता0 15-10-87 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? दिनांक 1-6-87 तथा 1-8-87 को सुनवायी की नोटिस में भागीदारों के नाम अंकित न करने तथा रूप पत्र-14 में हेराफेरी के लिये कौन दोषी है ?

मा0 सदस्य का पत्र संख्या 640, दिनांक 15-10-87 शासन में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

गन्ना सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के स्रोत

58—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना सहकारी समितियों के कर्मचारियों का वेतन गन्ना कमीशन से दिया जाता है ? यदि हां, तो गन्ना सहकारी समितियों के कुल कितने कर्मचारी हैं ? क्या उनके वेतन की गन्ना कमीशन से पूर्ति हो जाती है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार किस स्रोत से उनके वेतन का भुगतान करती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गन्ना सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन समितियों द्वारा चीनी मिलों को पूर्ति किये गये गन्ने से प्राप्त कमीशन तथा अन्य स्रोतों जैसे उर्वरक बिक्री से प्राप्त कमीशन, समितियों के सदस्यों को दिये गये ऋण से प्राप्त ब्याज आदि से होने वाली आय से वहन किया जाता है । प्रदेश की गन्ना सहकारी समितियों में लगभग 15,200 कर्मचारी कार्यरत हैं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

59—श्री सुन्दर लाल—

[दिनांक 6-7-87 को अता0 प्र0 सं0 194-195 द्वारा उत्तरित]

60—श्री राज किशोर सिंह—

[दिनांक 1-3-88 को अता0 प्र0 सं0 73 द्वारा उत्तरित]

सहारनपुर नगर स्थित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध जांच

61—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहारनपुर नगर स्थित चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में सहारनपुर शुगर वर्कर्स यूनियन, सहारनपुर के अध्यक्ष श्री राजकुमार वोहरा का शिकायती पत्र दिनांक 24-5-87, 27-5-87 व 25-5-87 उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री के0 के0 जैसवाल को प्राप्त हुये ? क्या उन पर कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो किस के द्वारा तथा जांच में क्या पाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिकायतकर्त्ता के पत्र दिनांक 24-5-87 व 27-5-87 प्राप्त हुये थे, किन्तु उनका पत्र दिनांक 25-5-87 प्राप्त नहीं हुआ । प्राप्त शिकायती पत्रों पर उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी तथा आन्तरिक सम्प्रेक्षक द्वारा जांच कराई गई । रिपोर्ट के आधार पर आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद स्थित श्री गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, सेवरही में कतिपय वर्षों में गन्ना बीज एवं गन्ना के उत्पादन और आपूर्ति का विवरण

62—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84, 84-85, 85-86 एवं 1986-87 में देवरिया जनपद स्थित श्री गेंदा सिंह, गन्ना शोध संस्थान,

सेवरही में कितने हजार क्विन्टल बीज तथा कितने हजार क्विन्टल कामर्शियल गन्ने का उत्पादन और आपूर्ति हुई ? क्या यह सत्य है कि उक्त अवधि में बीज तथा कामर्शियल गन्ने के उत्पादन में भारी कमी आयी, जिससे शोध केन्द्र को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इस क्षति का दायित्व किस पर है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, सेवरही में वर्ष 1983-84 से वर्ष 1986-87 तक वर्षवार गन्ना बीज एवं कामर्शियल गन्ने का उत्पादन और आपूर्ति के आंकड़े निम्नवत् हैं :—

वर्ष	गन्ना बीज हजार (क्विंटल में)	अन्य गन्ना उत्पादन
1983-84	4·17	8·16
1984-85	4·31	9·24
1985-86	3·42	8·31
1986-87	3·22	2·93

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 1983-84 और 1984-85 में बीज उत्पादन तथा कामर्शियल गन्ने के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है । वर्ष 1985-86 में वर्ष 1983-84 की तुलना में गन्ने के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है । वर्ष 1985-86 में तथा वर्ष 1986-87 में बीज उत्पादन में आई गिरावट दैविक आपदाओं व मौसम की अनुकूलता न होने के कारण है । इसके लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

63—श्री सूर्य प्रताप शाही—

(दिनांक 4-1-88 को अता0 प्र0 सं0 88 द्वारा उत्तरित)

भारतीय सेना के कर्मचारी स्व0 श्री बनवारी, ग्राम-चड़लहा, थाना-नौतनवां-गोरखपुर के देय मुआवजे के भुगतान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

64—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय सेना में कार्यरत बनवारी पुत्र बीरबल, निवासी ग्राम चड़लहा, थाना नौतनवां, गोरखपुर की 14 फरवरी, 1978 को सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद उसके नाम पर देय मुआवजे के धोखाधड़ी से भुगतान किये जाने के संबंध में एक शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 22-7-86 को बनवारी के भाई दिगपाल पुत्र बीरबल, निवासी ग्राम चड़लहा, थाना नौतनवां, गोरखपुर द्वारा प्रेषित किया गया ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

प्रश्न का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जनपद की मवई-इन्दौरा सड़क के निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी

65—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उन्नाव जनपदकी मवई इन्दौरा सड़क कब बनी तथा कितने समय में बह गयी है ? मार्ग निर्माण पर कुल कितना खर्च आया ? मार्ग के निर्माण में भारी घपले देखते हुए क्या इसकी टी0 ए0 सी0 जांच करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद उन्नाव में मवई-इन्दौरा नाम की कोई सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है । अतः मार्ग निर्माण में लगे व्यय, समय एवं अन्य किसी संबंध में कोई सूचना देना संभव नहीं है । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद में थानाध्यक्ष-भीमपुरा के विरुद्ध शिकायती-पत्रों पर जांच

66—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद, थानाध्यक्ष भीमपुरा के विरुद्ध कितने व्यक्तियों ने माह अगस्त, 1987 से माह अक्टूबर, 87 तक जांच एवं कार्यवाही हेतु शासन में शिकायती-पत्र दिये हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

थानाध्यक्ष भीमपुरा, जनपद बलिया के विरुद्ध माह अगस्त, 1987 से माह अक्टूबर, 1987 तक प्रश्नकर्ता के अतिरिक्त श्री राम केवल दास, वैष्णव मठ मामपुर महदेवा, थाना भीमपुरा, श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त, श्री फेकू प्रसाद जायसवाल, श्री किशुन सिंह निवासीगण ग्राम व थाना भीमपुरा, बलिया तथा ग्राम सभा भीमपुरा के हरिजनों व पिछड़े वर्ग के नागरिकों एवं दुकानदारों के संयुक्त शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं । प्रश्नकर्ता के पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, रसड़ा द्वारा करायी गयी । जांच से थानाध्यक्ष भीमपुरा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुये । शेष शिकायती पत्रों की जांच करायी जा रही है ।

बलिया जनपद के थानाध्यक्ष-भीमपुरा के विरुद्ध जांच किये जाने की मांग

67—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के थाना क्षेत्र भीमपुरा अन्तर्गत ग्राम सभा भीमपुरा निवासी श्री विश्वनाथ गुप्त, श्री कृष्ण सिंह और फेंकू जायसवाल ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध माह अगस्त, 1987 से माह अक्टूबर, 1987 तक कितने-कितने शिकायती-पत्र दिये हैं और शासन से उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि न्याय के लिए दरख्वास्त देने के कारण उक्त थानाध्यक्ष उन शिकायतकर्ताओं को तरह-तरह से पीड़ित कर रहा है ताकि वे जांच में सही साक्ष्य न प्रस्तुत कर सकें ? क्या सरकार उक्त थानाध्यक्ष को अन्यत्र हटाकर निष्पक्ष जांच करायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त के 6, श्री फेंकू जायसवाल के 4 तथा श्री किशुन सिंह के 3 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच करायी जा रही है ।

प्राप्त सूचनानुसार उपरोक्त व्यक्तियों को थानाध्यक्ष द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप निराधार है ।

जनपद वाराणसी स्थित बाजार पिंडारा के दक्षिण छोर से पिंडारा स्टेशन सम्पर्क मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराने की मांग

68—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी स्थित बाजार पिंडारा के दक्षिण छोर से पिंडारा स्टेशन तक जा रहे सम्पर्क मार्ग (लम्बाई तीन किलोमीटर) का निर्माण विधायक, क्षेत्रीय सांसद तथा रा0 का0 के भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष (श्री कमला पति त्रिपाठी) के अनेक बार मांग करने तथा स्थानीय निवासियों द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने की स्वीकारोक्ति पर भी स्थानीय अभियन्ता द्वारा सड़क निर्माण प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक सड़क का निर्माण कराया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । स्थान-स्थान पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण मार्ग की सम्पूर्ण 4 कि0 मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

भूमि उपलब्ध होने पर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

शाहजहांपुर नगर में स्टेडियम हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

69—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में स्टेडियम के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है ।

शाहजहांपुर नगर में गोविन्दगंज रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण

70—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में सेतु निगम इकाई द्वारा प्रस्तावित गोविन्दगंज रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के कार्य में क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सेतु निगम द्वारा निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 1987 में प्रारम्भ कर दिया गया है तथा दोनों ओर के पहुंच मार्गों में रिटेनिंग वाले का कार्य करने के लिए मिट्टी की खुदाई की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मेरठ में बागपत थाने के समक्ष दो व्यक्तियों की हत्या एवं माया त्यागी को अपमानित किये जाने पर कार्यवाही की मांग

71—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री को इस बात की जानकारी है कि मेरठ के बागपत थाने के समक्ष घटित घटना जिसमें दो व्यक्ति मार दिये गये थे और माया त्यागी को बुरी तरह अपमानित किया गया था उस काण्ड के सिलसिले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बुलन्दशहर ने 6 अभियुक्तों को फांसी की सजा और 4 को आजीवन कैद की सजा सुनाई है किन्तु 2 अभियुक्तों ने उक्त मामले में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिससे उनके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी ? यदि हां, तो क्या शासन इस बात की पहल कर रहा है कि जिन अभियुक्तों के मामले में स्थगन आदेश है, उसे समाप्त करा कर उन्हें भी दण्डित कराया जाय ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत मामले से संबंधित अभियोग में दिनांक 23-1-88 को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पंचम बुलन्दशहर ने 6 अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड तथा 4 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा दी है । मुकदमें की सुनवाई के दौरान श्रीमती माया त्यागी के वकील के प्रार्थना-पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा एक अन्य पुलिसकर्मी को धारा 319 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत तलब किया गया था । उक्त पुलिसकर्मी द्वारा न्यायालय के कथित आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था । चूंकि उक्त पुलिसकर्मी के विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, अतएव उक्त स्थगन आदेश को शासन द्वारा समाप्त कराने के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम गोपालपुर मथैया को थाना चांदा से हटाकर लम्भुआ (सुल्तानपुर) किये जाने की मांग

72—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा गोपालपुर मथैया को थाना चांदा से हटाकर थाना लम्भुआ, सुल्तानपुर (पूर्ववत) किये जाने विषयक श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, एम0 एल0 ए0, नेता सी0 पी0 आई0 विधायक दल के पत्र के साथ वहां की जनता द्वारा प्रेषित संलग्न प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-12-85 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

ग्राम सभा गोपालपुर मथैया को थाना चांदा से निकालकर थाना लम्भुआ में सम्मिलित किये जाने के संबंध में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर उक्त के संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी ।

73—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[सातवें सोमवार को अता0 प्र0 सं0 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी जनपद के दस्यु प्रभावित क्षेत्र में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

74—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 3 सितम्बर 87 का झांसी जिले में प्रस्तावित/स्वीकृत, दस्यु प्रभावित क्षेत्र के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के संबंध में धन आवंटित कर शीघ्र निर्माण कराये जाने विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा क्या गरौठा तहसील जिला झांसी के उक्त मार्गों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रदेश के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़क एवं पुल निर्माण की योजना केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित तथा 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंश के व्यय पर है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश द्वारा बारह जनपदों के निर्माण कार्य भारत सरकार को भेजे गये हैं, जिसमें झांसी जनपद भी सम्मिलित है । भारत सरकार ने अब तक केवल आगरा, इटावा, मैनपुरी एवं जालौन चार जनपदों के कुछ सड़क एवं पुल निर्माण कार्य स्वीकृत किये हैं । शेष आठ जनपदों के प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है ।

झांसी जनपद के गरौठा से असनेह मार्ग के निर्माण कार्यों की जानकारी तथा क्षतिग्रस्त पुलिया को ठीक कराने की मांग

75—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले का गरौठा से असनेह मार्ग का निर्माण किस वर्ष प्रारम्भ किया गया था तथा अब तक इस मार्ग पर कुल कितना धन किस कार्य में कब व्यय किया गया तथा वर्तमान में यह किस स्थिति में है ? क्या इसे पूर्ण न कराये जाने के कारण पूर्व में कराया गया मिट्टी का कार्य तथा पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इसे तत्काल पूर्ण कराये जाने (डामर स्तर तक) के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 13.65 किमी0 है, का निर्माण कार्य वर्ष 1979-80 में प्रारम्भ किया गया था ।

प्रथम 7 किमी0 भाग में खड़न्जा लगाने एवं अन्तिम 6.65 किमी0 में मिट्टी पुलिया के कार्यों पर वर्ष 79-80 से 3/83 के बीच कुल 8.55 लाख रुपया व्यय किया गया तथा निर्माण कार्य 3/83 में स्वीकृत स्तर (उपरोक्तानुसार) पूर्ण कर दिया गया था । वर्षा के कारण पुलियों में छोटी-मोटी क्षति तथा मार्ग में रेन कट्स हुए हैं । मार्ग डामर स्तर तक स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[दिनांक 21-7-87 को अता0 प्र0 सं0 45 द्वारा उत्तरित]

विभिन्न जिलों में कार्यरत अंगरक्षकों को अंगरक्षक भत्ता दिये जाने की मांग

77—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ कैडर के अंगरक्षकों को अंगरक्षक भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या समान प्रशिक्षण और कार्य के आधार पर अन्य जिलों में कार्यरत अंगरक्षकों को भी उक्त भत्ते देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस तरह का कोई कैडर नहीं है । मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण के साथ सम्बद्ध अंगरक्षकों को अंगरक्षक भत्ता देय है । अन्य महानुभावों के साथ सम्बद्ध अंगरक्षकों को यह भत्ता देय नहीं है ।

इलाहाबाद स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्पोर्ट्स हास्टल व स्वयंसेवा खेल संस्थाओं को आवंटित धनराशि एवं विभिन्न मदों में हुए व्यय का विवरण

78—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 86-87 व जनवरी 88 तक इलाहाबाद स्पोर्ट्स काम्पलेक्स व इलाहाबाद स्पोर्ट्स हास्टल को कितना बजट आवंटित किया गया और किन-किन मदों में कितना व्यय किया गया ? क्या स्वयंसेवी खेल संस्थाओं को भी कुछ राशि दी गयी है ? यदि हां, तो किस संस्था को कितनी राशि किस मदहेतु दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986-87 में इलाहाबाद स्पोर्ट्स काम्पलेक्स मद व इलाहाबाद स्पोर्ट्स हास्टल मद के लिये क्रमशः रु0 3.75 लाख तथा 1.43 लाख आवंटित हुआ और रु0 3.88 लाख तथा 1.44 लाख व्यय किया गया । जनवरी, 88 तक इलाहाबाद स्पोर्ट्स काम्पलेक्स मद व इलाहाबाद स्पोर्ट्स हास्टल मद के लिये क्रमशः रु0 5.00 लाख तथा 0.93 लाख आवंटित हुआ और रु0 3.77 लाख तथा 0.65 लाख व्यय किया गया ।

हां, दो स्वयंसेवा संस्थाओं स्पोर्टिंग क्लब, इलाहाबाद को वर्ष 1986-87 में रु0 10,000 तथा वर्ष 1987-88 में रु0 25,000 प्रतियोगिता के आयोजन एवं रंग भारतीय परिजात क्लब को वर्ष 1987-88 में रु0 3,000 उपकरण के क्रय हेतु दिया गया ।

सहायक लेखाधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति के लेखा कर्मियों की नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां करने की मांग

79—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 15/25/73-(2) रा0 एकी0 दिनांक 10-5-76 में निहित आदेशों के अन्तर्गत सहायक लेखा अधिकारियों की पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड को शिथिल करते हुए कितने अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों की उक्त पदों पर अब तक नियुक्ति की जा चुकी है ? क्या इन अधिव्वरियों की विभागीय ज्येष्ठता सूची शीघ्र निर्गत की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहायक लेखाधिकारियों के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदण्ड को शिथिल करके अब तक 24 अनुसूचित जाति के लेखाकार्मिकों को सहायक लेखाधिकारी के पद पर नियुक्त/पदोन्नत किया जा चुका है । पदोन्नति में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है । प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक लेखाधिकारियों के अनुमोदन का प्रकरण लोक सेवा आयोग को संदर्भित है । आयोग के अनुमोदन के उपरांत सहायक लेखाधिकारियों की ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

प्रदेश में लेखाधिकारियों के कुल पद तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की जानकारी एवं पदोन्नति द्वारा आरक्षण की मांग

80—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतनमान रुपया 850-1720 में प्रदेश में लेखाधिकारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी कार्यरत हैं ? क्या इन पदों पर अनुसूचित जातियों का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या शासनादेश संख्या 3373/चालीस-1-1980 रा0 एकी0-15 (14)/79 दिनांक 24 मई, 1980 के अनुसार उक्त जातियों के कार्यरत सहायक लेखा अधिकारियों की पदोन्नति करके शीघ्र आरक्षण को पूरा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के वेतनमान 850-1720 रु0 में समूह "ख" के कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के 328 पद हैं । वर्तमान में भरे पदों पर अनुसूचित जाति के 34 अधिकारी कार्यरत हैं । 106 पद चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को संदर्भित है जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार पद आरक्षित हैं । एकीकृत संवर्ग में नियुक्त सहायक लेखाधिकारियों के विनियमन व सहायक लेखाधिकारी के पदों पर ज्येष्ठता निर्धारण का प्रकरण भी आयोग को संदर्भित है जिनकी संस्तुति प्राप्त होने पर सहायक लेखाधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करके सहायक लेखाधिकारियों के लिये निर्धारित कोटे में समूह "ख" के पदों पर पदोन्नति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों के लिये निर्धारित आरक्षण पूरा करने हेतु विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को स्थाई करने की मांग

81—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायक लेखाधिकारियों के कितने पद स्थाईकरण हेतु रिक्त हैं ? क्या इन रिक्तियों पर शासनादेश संख्या 15/25/73 रा0 एकी0 दिनांक 10 मई, 1976 के अनुच्छेद-4 के आधार पर कार्यरत अनुसूचित जाति के सहायक लेखा अधिकारियों को शीघ्र स्थाई करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश सहायक लेखाधिकारी सेवा संवर्ग में 256 पद सृजित हैं जिसमें से 193 पद अस्थाई हैं । प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त सहायक लेखाधिकारियों के अनुमोदन का प्रकरण लोक सेवा आयोग को संदर्भित है । आयोग के अनुमोदन के उपरांत संवर्ग की

ज्येष्ठता सची को अंतिम रूप देकर नियमानुसार अधिकारियों के स्थाईकरण की कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

82—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

83—श्री यदुनाथ सिंह—

[6 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

84—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर के अतिथि गृह पर संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (द्वितीय) की मौजूदगी में शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन में व्यवधान

85—श्री धनराज यादव—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत 19-1-88 को सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर के अतिथि गृह पर संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (द्वितीय) सहकारी चीनी मिल संघ, उ0 प्र0 लखनऊ की मौजूदगी में शासन द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन में सुनियोजित व्यवधान उत्पन्न किये जाने की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही नहीं है कि दिनांक 19-1-88 को सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर के अतिथि गृह में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (द्वितीय), उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ की मौजूदगी में शासन द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन में सुनियोजित व्यवधान उत्पन्न किया गया ।

अतः किसी व्यक्ति को दण्डित किये जाने या जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का निपटारा

86—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, जिसका प्रबन्ध तंत्र सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है जिसका कार्यालय गोरखपुर में ही स्थित है, पर किसी प्रकार का सरकार का नियंत्रण है ? यदि हां, तो क्या शासन वहां के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी विवादों का निपटारा भी अपने स्तर से करती है ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में उक्त संस्था के श्री राम शरण दुबे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा सम्बन्धी पत्रावली एवं उनके अपील की पत्रावली पर अनुसचिव तथा विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा ने फरवरी, 1980 से 8-8-80 के बीच टिप्पणी तथा आदेश पारित किये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर का प्रबन्ध तंत्र सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका कार्यालय गोरखपुर में ही स्थित है । इस पर सरकार का कोई सीधा नियत्रण नहीं है ।

विद्यालय कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का निपटारा विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र की प्रशासकीय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । समिति के नियमानुसार उसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्य मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति होता है । विद्यालय के प्राचार्य, परिषद् के पदेन सचिव है ।

जो मामले अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने होते है उन्हें पदेन सचिव, अध्यक्ष को आवश्यकतानुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करते है ताकि वहां से विद्यालय नियमों/सरकारी नियमों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित प्रकरणों में टिप्पणियां अध्यक्ष महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत की जा सके । उपरोक्तानुसार ही श्री राम दरस दूबे की अपील के प्रकरण में पत्रावली में अनु सचिव तथा विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा ने अध्यक्ष के विचारार्थ टिप्पणी अंकित की । (उल्लेखनीय है कि श्री राम शरण दूबे नाम का कोई कर्मचारी विद्यालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं है बल्कि श्री राम दरस दूबे विद्यालय में कनिष्ठ पुस्तकालय सहायक (जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेन्ट) के पद पर कार्यरत थे) । श्री दूबे के प्रत्यावेदन के संबंध में अध्यक्ष ने समय-समय पर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की आख्या को दृष्टिगत रखते हुये आदेश पारित किया ।

बस्ती जिले के गैंगेस्टर एक्ट में बन्दी रह चुके व्यक्तियों को अंगरक्षक दिये जाने के संबंध में जानकारी

87—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ऐसे व्यक्ति बस्ती जिले में है, जो गैंगेस्टर एक्ट में बन्दी रह चुके है जिन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमें विभिन्न जिलों में चल रहे है तथा उनको किसकी संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा अंगरक्षक 1986 तथा 1987 में दिया गया है ? उनके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक की क्या रिपोर्ट है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

88—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

89—श्री विष्णु देव—

[दिनांक 21-3-88 को अता0 प्र0 सं0 70 द्वारा उत्तरित]

90—श्री विष्णु देव—

[दिनांक 23-6-87 को अता0 प्र0 सं0 127 द्वारा उत्तरित]

91—श्री विष्णु देव—

[दिनांक 23-6-87 को अता0 प्र0 सं0 127 द्वारा उत्तरित]

92--श्री विष्णु देव—

[5 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उन्नाव जनपद के ग्रामीण अंचलों में सूचना विभाग द्वारा फिल्म प्रदर्शन न किया जाना

93--श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग ने बड़े-बड़े मेलों में विभागीय प्रदर्शनी/सिनेमा प्रदर्शन अब बन्द कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 87 के जुलाई माह से 30 नवम्बर 1987 तक जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उन्नाव ने कितने फिल्म प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में किये हैं ? क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी फिल्म प्रदर्शन नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

प्रसंगगत अवधि में जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र में एक फिल्म प्रदर्शन किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पोथी पुत्र फूला, सूरजमल का पुरा, थाना शमशाबाद, आगरा के विरुद्ध फर्जी अपराधिक मामला

94—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पोथी पुत्र फूला, निवासी सूरजमल का पूरा थाना शमशाबाद, आगरा ने दिनांक 13-8-87 को श्रीमान् जुडो0 मजि0 श्री आ0 पी0 अग्रवाल की अदालत में अ0 सं0 123/87 धारा 451/380 भा0 द0 सं0 के अन्तर्गत आत्म समर्पण किया और दिनांक 13-8-87 से दिनांक 21-8-87 तक जिला कारागार, आगरा में न्यायिक हिरासत में जेल में रहा ? यदि हां, तो दिनांक 16-8-87 की घटना थाना शमशाबाद अपराध संख्या 134/87 धारा 148/147 149/307 आई0 पी0 सी0 में अभियुक्त कैसे बना जबकि श्री पोथी पुत्र फूला उस दिन जेल में था ? ऐसे झूठे मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सत्य है कि अभियुक्त पोथी पुत्र फूला निवासी सूरजमल का पूरा, थाना शमशाबाद, आगरा प्रश्नगत अपराध के अन्तर्गत दिनांक 13-8-87 को जूडी0 मजि0, श्री आ0 पी0 अग्रवाल की अदालत में आत्मसमर्पण कर जेल गया था और दिनांक 21-8-87 तक जिला कारागार, आगरा में न्यायिक हिरासत में रहा ।

जहां तक दिनांक 16-8-87 की घटित घटना के संबंध में थाना शमशाबाद पर पंजीकृत अ0 सं0-134/87 धारा 148/147/149/307 भा0 द0 वि0 में पोथी पुत्र फूला का अभियुक्त बनाये जाने का प्रश्न है, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-8-87 को थाना शमशाबाद की पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से बदमाशों ने फायर किये जिस पर

दिनांक 17-8-87 को कांस्टेबिल चरन सिंह मुतैना ने थाना शमशाबाद पर प्रश्नगत अभियोग नैनइया, पुत्र रामदयाल व रूस्तम पुत्र फूला तथा तीन बदमाश अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया । अभियुक्त नैनइया दिनांक 4-9-87 को बन्दी बनाया गया और उसने अपने इकबाल जुर्म में पोथी पुत्र फूला को सरीक जुर्म होना बताया । इस कारण पोथी की तलाश की गई थी । विवेचना से अभियुक्त नैनइया का उक्त कथन असत्य पाया गया । अतः इस अभियोग में पोथी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य जीवी सहकारी समिति, मूडघाट, बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

95—श्री रणजीत तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मत्स्य जीवी सहकारी समिति मूडघाट जनपद बस्ती के जांच के सम्बन्ध में श्री संकटा प्रसाद सिंह, मत्स्य 20 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति, ब्लाक बहादुरपुर, जन्पद बस्ती के प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-12-1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कब तथा किस अधिकारी से कराई गयी । ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

जी हां ।

दिनांक 10-3-88 को मत्स्य निरीक्षक (सहकारिता) बस्ती से जांच करायी गयी ।

जनपद-गोरखपुर के बृजमनगंज थाना में वन सम्पदा चुराने वाले नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज मुकदमें पर कृत कार्यवाही की जानकारी

96—श्री हर्ष वर्धन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में थाना बृजमनगंज में मुकदमा अपराध संख्या 52/86 अन्तर्गत धारा 379 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दर्ज रिपोर्ट में वन सम्पदा चुराने वाले नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त रपट किसके द्वारा लिखायी गयी थी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्री सूबेदार सिंह रेंज अधिकारी फरेंदा दक्षिणी गोरखपुर फरेंदा डिपो की लिखित सूचना पर प्रश्नगत अपराध तथा बृजमनगंज में दर्ज किया गया था । साक्ष्य के अभाव में विवेचना समाप्त कर 26-10-86 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दी गई ।

नागरिक पुलिस में उप निरीक्षकों के स्थानान्तरण की अवधि की जानकारी तथा गोरखपुर के कतिपय उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण

97—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक ही जनपद में पुलिस उप निरीक्षकों को एक ही स्थान पर नियुक्त रखने के सम्बन्ध में कोई शासकीय नीति है ? यदि हां, तो क्या गोरखपुर जनपद में उप निरीक्षक (श्री गोरखनाथ सिंह) व उप निरीक्षक (श्री मुख्त्यार सिंह) को उक्त प्राविधानों के आधार पर अब तक जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को एक जनपद में 6 वर्ष से अधिक नियुक्त न किए जाने का विभागीय आदेश है ।

प्रश्नगत उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा जनपद के बाहर किया गया था जिसे स्थानीय स्तर पर अनुकम्पा के आधार पर विशेष परिस्थितियों में रोका गया है ।

उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स कालेजों व हास्टल के खिलाड़ियों के भोजन आदि के खर्चे में वृद्धि की जानकारी

98—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या खेलकूद मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के स्पोर्ट्स कालेजों व हास्टल के खिलाड़ियों के भोजन आदि के खर्च को बढ़ाने की शासन ने सन् 87 में घोषणा की थी ? यदि हां, तो प्रति खिलाड़ी यह खर्च कितना बढ़ाया जायेगा और कब से लागू किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । अप्रैल, 88 से प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन की दर रु0 12.50 से बढ़ाकर रु0 16.00 कर दी गई है । इस प्रकार प्रति खिलाड़ी खर्च 3.50 प्रति दिन की दर से बढ़ा दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में हाकी हेतु एस्ट्रोटर्फ लगाने की योजना के संबंध में जानकारी

99—गोपाल दास यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के हाकी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लखनऊ में बनी एस्ट्रोटर्फ पर्याप्त है ? यदि नहीं तो क्या और जनपदों इलाहाबाद, वाराणसी आदि में एस्ट्रोटर्फ बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । सम्प्रति अन्य जनपदों में एस्ट्रोटर्फ लगाने की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के थाना उभांव में साम्प्रदायिकता भड़काने संबंधी शिकायत

100—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में थाना उभांव में वर्ष 1985 से 23-11-87 तक साम्प्रदायिकता भड़काने संबंधित कितने मामले शासन के संज्ञान में आये है ? सरकार साम्प्रदायिकता निवारण हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार बलिया जनपद में थाना उभांव में प्रश्न में उल्लिखित अवधि में साम्प्रदायिकता भड़काने संबंधित मात्र एक मामला प्रकाश में आया । इस संबंध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 153ए/505 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया गया । विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण दिनांक 7-1-88 को मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । आवश्यकतानुसार पुलिस पिकेट एवं गश्त के विशेष प्रबन्ध किए जाते है तथा स्थानीय पुलिस बराबर सतर्क रहती है ।

जनपद गोरखपुर के थाना-झंगहा के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बरही के ग्राम बरही निवासिनी श्रीमती कर्मदानी के साथ बलात्कार व लूट

101—श्री सुन्दर लाल—

क्या मुख्य मंत्री महोदय जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बरही में मार्च, 1985 के प्रथम सप्ताह में ग्राम-डीहघाट निवासी श्री छत्रपति राय उक्त थाना निवासी ने सन्निकट ग्राम बरही निवासिनी श्रीमती कर्मदानी पत्नी श्री रामदेव के साथ दिन दहाड़े बलात्कार व लूट किया था जिसकी रपट उक्त चौकी में न होकर उक्त थाने में हुई थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1985 में प्रश्नगत घटना का होना नहीं पाया जाता है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

102—श्री सुन्दर लाल—

[दिनांक 4-1-88 को अता0प्र0सं0 8 द्वारा उत्तरित]

103—श्री काशी सिंह ऐरी—

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अल्मोड़ा में गणनाथ-नाई-ममरछीना-पाटिया पातलीवगढ़ (बमसरघाट) मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की जानकारी

104—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में सरकार द्वारा गणनाथ नाई पाटिया वमस्यघाट-पातलीदगड़ मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा माननीय साप्ताहिक समाचार पत्र शक्ति में दिनांक 26 सितम्बर, 1986 को उक्त नाम से ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए निविदायें आमंत्रित की गयी थी ? यदि हां, तो इस मोटर मार्ग का निर्माण किन-किन ग्रामों तथा उनके किन-किन टोलों से होकर किया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि यह मोटर मार्ग पाटिया गांव के लिए मूल रूप से प्रस्तावित किये जाने के बाद भी इस गांव से बनाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, प्रश्नगत गणनाथ-नाई-ममरछीना-पाटिया-पातलीवगढ़ (बमसरघाट) मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 34 किमी0 में से केवल 10 किमी0 भाग के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई तथा मार्ग निर्माण पातलीबगड़ की ओर से कराये जाने हेतु अनापत्ति दी गई थी । तद्नुसार स्वीकृत नाम के अनुसार ही निविदाएं आमंत्रित की गई थी ।

विभाग द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण 34 किमी0 लम्बे मार्ग का संरेखण पातलीबगड़ (बमसरघाट) नामक स्थान से प्रारम्भ होकर ग्राम गागिल, बेह, ममरछीना, स्यूनराकोट, ऊड्यूड़ा, पोखरी व नाई होते हुए गणनाथ तक था एवं ग्राम पाटिया को जोड़ने के लिए ममरछीना नामक स्थान से एक संयोजक मार्ग का निर्माण होना था । परन्तु उपरोक्त के विरुद्ध केवल 10 किमी0 की स्वीकृति होने के कारण यह उचित पाया गया कि मार्ग का निर्माण पातलीबगड़ (बमसरघाट) से गागिल बेह, ममरछीना, स्यूनराकोट, ऊड्यूड़ा, पिथराड़, पोखरी आदि ग्रामों को जोड़ते हुए भिंभाड़ के निकट तक पहले कराया जाय ।

अतः स्वीकृत 10 किमी0 लम्बाई में अधिकाधिक आबादी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पाटियाग्राम के लिए लिंक मार्ग के निर्माण का कार्य अभी नहीं किया गया है ।

इलाहाबाद जनपद में गिरोहबन्द और समाज विरोधी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि हड़पने तथा बन्दी बनाये जाने के संबंध में जानकारी

105—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में वर्ष 85-86, 86-87 व जनवरी 88 तक कितने भूमि हड़पने वाले, गिरोहबन्दी निवारक अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये और उनके विरुद्ध अन्य क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इलाहाबाद जनपद में वर्ष 85-86, 86-87 व जनवरी 88 तक भूमि हड़पने के आधार पर उ0 प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को बन्दी नहीं बनाया गया है, अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री एस0 एम0 चक्र, पुलिस अधीक्षक, मथुरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

106—श्री जगवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी में है कि राम प्रकाश व सत्यदेव वृन्दावन जनपद मथुरा का दिनांक 20-10-87 का कोई शिकायती पत्र जो माननीय प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को सम्बोधित था तथा पुलिस अधीक्षक मथुरा श्री एस0 एम0 चक्र के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के बारे में था, मिला था ? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र की जांच किसी अधिकारी द्वारा कराई गई है ? इसमें कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयी और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । शिकायती-पत्र की जांच पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस उप महा-निरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र से करायी गई । प्रारम्भिक जांच के परिपेक्ष्य में विस्तृत जांच की आवश्यकता समझी गयी । इसके लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्रीमती उमा रानी तिवारी, राजकीय बा0 इ0 कालेज, कानपुर देहात में कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

107—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वश्री जयराम तिवारी, अशोक तिवारी, सुख-देई तिवारी व रमेश गुप्ता के विरुद्ध श्रीमती उमा रानी तिवारी, राजकीय बा0 इ0 कालेज, कानपुर देहात का कोई शिकायती पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 87 एवं 24 दिसम्बर, 87 को कमिश्नर, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उन पत्रों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा शिकायतों की जांच करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट कानपुर को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

श्रीमती उमा रानी तिवारी, पुखरांवा, कानपुर देहात की शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

108—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री जी उक्त प्रश्न के क्रम में यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सी0 ओ0 भोगनीपुर, कानपुर देहात को दिनांक 5-10-87 को तथा गृह मंत्री को 16-11-87 का शिकायती पत्र जो श्रीमती उमा रानी तिवारी पुखरांवा, कानपुर देहात द्वारा प्रेषित किये हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त प्राप्त किये पत्र पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, लखीमपुर खीरी के गोविन्दनगर क्रय केन्द्र पर ट्राली कांटा लगाने के निर्णय की जानकारी

110—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 की गन्ना आरक्षण की बैठक में सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपुर खीरी के गोविन्दनगर क्रय केन्द्र पर ट्राली कांटा लगाये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय को कार्यरूप दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के जलूस पर लाठी चार्ज

111—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 87 के अंतिम सप्ताह में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के एक जुलूस जो लखनऊ वि0 वि0 परिसर से हजरतगंज होते हुए जी0 पी0 ओ0 पार्क स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आ रहा था, पर बर्बर लाठी चार्ज किया जिससे छात्रसंघ के अध्यक्ष श्री समरपाल सिंह व महामंत्री श्री राना बुरी तरह घायल हो गये ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लाठी चार्ज की कोई उच्चस्तरीय जांच कराई व घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं, कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जनपद में करामत की चौकी से विसौना मार्ग के निर्माण की जानकारी

112—श्री गोपाल दास यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में करामत की चौकी से विसौना तक सड़क का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया और यह कार्य कब तक पूरा होना था ? क्या आवंटित धनराशि के अनुसार ही कार्य हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद इलाहाबाद में करामत की चौकी से विसौना तक मार्ग का निर्माण कार्य दो चरणों में निम्न प्रकार स्वीकृत हुआ था :—

(1) 10 कि0 मी0 लम्बाई में गिट्टी, पुलिया स्तर तक 7 लाख रु0 की लागत से 1980-81 में स्वीकृत हुआ था जिसे निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मार्च, 84 में पूर्ण कर दिया गया था । यह कार्य उक्त आवंटित धनराशि के अनुसार ही पूर्ण किया गया है ।

(2) 4 कि0 मी0 लम्बाई में सीलिंग स्तर तक का कार्य 3.20 लाख रु0 की लागत से वर्ष 84-85 में स्वीकृत हुआ था । जिसे निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मार्च 1986 तक पूर्ण कर दिया गया । यह कार्य भी आवंटित धनराशि के अन्दर ही पूरा हुआ है ।

स्पोर्ट्स हास्टलों के छात्रों के पौष्टिक आहार में वृद्धि किये जाने की मांग

113—श्री गोपाल दास यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स हास्टलों में जो बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए धनराशि मिलती है क्या सरकार इसे बढ़ाने का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दरें बढ़ा दी गई हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

114—श्री यदुनाथ सिंह—

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के ग्राम खडवाई पर मौजूद भीड़ पर पुलिस फायरिंग से श्री प्रभु नामक व्यक्ति की मृत्यु

115—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1 फरवरी, 87 को थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा के खडवाई गांव में पुलिस ने निर्दोष व्यक्तियों पर गोली चलाई जिसमें प्रभु नामक व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो गयी, कई लोग तथा जानवर घायल हुए ?। यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-2-87 को जब थाना शेरगढ़ जिला मथुरा के पुलिस कर्मी ग्राम खड़वाई से चोरी की एक भैंस को बरामद कर उसे लेकर थाने आ रहे थे तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और भैंस नहीं लाने दी । इस घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मय फोर्स के ग्राम खड़वाई पहुंचे । पुलिस ने वहां पर मौजूदा भीड़ को समझाने की कोशिश की परन्तु भीड़ नहीं मानी और हिंसात्मक हो गई तथा पुलिस पर हमला कर दिया । पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किये जिसके फलस्वरूप प्रभु को गोली लगी । इस घटना के संबंध में थानाध्यक्ष द्वारा मुकदमा अपराध संख्या : 12 व 13 धारा 147/148/149 307/336/333 413 भा0 द0 वि0 व 25 शस्त्र अधिनयम पंजीकृत कराया गया ।

इसी घटना के सम्बन्ध में दिनांक 16-2-87 को धन्धो पुत्र केहरी, निवासी खड़वाई थाना शेरगढ़ ने इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया कि दिनांक 11-2-87 को थाना शेरगढ़ की पुलिस ग्राम खड़वाई पहुंची और पुलिस को देखकर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी । पुलिस वाले भीड़ को गाली देने लगे और जब उन्हें गाली देने से मना किया गया तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया और गोली चला दी । फलस्वरूप प्रभु को गोली लगी और अस्पताल आते-आते उसकी मृत्यु हो गयी । इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना शेरगढ़ पर मु0 अ0 सं0 12 ए, धारा 147/148/323/504 302 भा0 दं0 वि0, दिनांक 18-2-87 को पंजीकृत किया गया ।

इन सभी अभियोगों की विवेचना प्रचलित है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की छाता तहसील के चौमुहा गांव के श्री राधेश्याम की थाना शेरगढ़ की पुलिस द्वारा हत्या

116—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जनपद मथुरा की छाता तहसील के चौमुहा गांव के श्री राधेश्याम की हत्या पीट-पीट कर थाना शेरगढ़ की पुलिस ने कर दी तथा लाश को उसके गांव में डाल आये ? क्या यह सही है कि जनता ने उत्तेजित होकर उसी दिन आगरा-दिल्ली रोड को लगभग 6 घंटे तक जाम कर दिया और जिलाधिकारी मथुरा के आश्वासन पर कि दोषी लोगों को दंडित किया जायेगा, सड़क खाली की ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-6-87 को श्री रामहेत पुत्र रामस्वरूप निवासी चौमुहा ने चौकी जैत थाना वृन्दावन पर इस आशय की सूचना अंकित करायी कि दिनांक 6/7-6-87 की रात्रि में लगभग 8 बजे वह, उसका भाई राधेश्याम व मामा का लड़का रमेश चन्द्र मोटर साइकिल पर चौमुहा-शेरगढ़ की तरफ से जा रहे थे तो ग्राम नौगांव व अस्तौली के बीच थानाध्यक्ष शेरगढ़ राजवीर सिंह, उप निरीक्षक श्री शुक्ला व तीन सिपाहियों ने रोका और पकड़कर थाना ले गये । वादी भागकर आया और नोगांव व अस्तौली के कुछ व्यक्तियों को लेकर थाने पर पहुंचा तथा राधेश्याम व रमेश चन्द्र को छोड़ने के लिए कहा । पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा और राधेश्याम को मारा पीटा जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी तथा पुलिस वाले उसकी लाश को चौमुहा में डाल गये । इस सूचना पर उक्त

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 43/87 धारा 147/302/201/327 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया । पुलिस के अनुसार राधेश्याम व रमेश चन्द्र की मोटर साइकिल का एक्सीडेन्ट होने पर उन्हें चोटें आईं जिससे राधेश्याम की मृत्यु हो गयी । सम्पूर्ण प्रकरण की विवेचना एस0 आई0 एस0 द्वारा की जा रही है । इस घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश भी दिये गये । स्थानीय नेताओं आदि द्वारा आगरा-दिल्ली रोड जाम करने और जिलाधिकारी के कथित आश्वासन पर सड़क खोलने की बात सही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में स्थापित सेल द्वारा पेंशन निस्तारण में विलम्ब

117—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जब से उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में पेंशन निस्तारण के लिए एक पृथक् विभाग की स्थापना की गयी है तब से अभी तक एक भी पी0 पी0 ओ0/जी0 पी0 ओ0 जारी नहीं हुई है और पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की कठिनाइयां उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ? क्या एक माह के अदर पी0 पी0 ओ0/जी0 पी0 ओ0 जारी कराने के लिए कोई संतोषजनक कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

दिनांक 31-7-85 से पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में स्थापित सेल द्वारा फरवरी, 1988 के अन्त तक कुल 5440 पी0 पी0 ओ0/जी0 पी0 ओ0 निर्गत किये जा चुके है ।

सेवा निवृत्ति के पश्चात् अतिशीघ्र पी0 पी0 ओ0/जी0 पी0 ओ0 निर्गत किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद प्रयत्नशील है ।

चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या, फैजाबाद का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

118—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या फैजाबाद के लिए धन उपलब्ध होने के बावजूद भी निर्माणाधीन मार्ग का अवशेष भाग निर्मित न किये जाने से उस मार्ग से संबंधित दर्जनों गांव सभाओं में जनाक्रोष एवं असंतोष बढ़ रहा है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त सार्वजनिक निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा पुनर्विचार किया जा रहा है ।

ग्राम काकुन, चरखारी, जनपद-हमीरपुर के हनुमान मंदिर की धर्मादा की सम्पत्ति का दुरुपयोग

119—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लोकनाथ द्विवेदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चरखारी हमीरपुर ने शासन से शिकायतें की है कि चरखारी के कानून ग्राम के हनुमान जी मंदिर की धर्मादा की लाखों रुपयों की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोका जाय ? क्या शासन ने 15 अक्टूबर, 1985 को जिलाधिकारी हमीरपुर से इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अभी तक कोई प्रभावी कार्य-

वाही न करने के क्या कारण हैं ? मंदिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग करने को रोकथाम के लिए मंदिर का चार्ज अपने अधीन करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त आदेशों के उपरान्त प्रभावी कार्यवाही कराने के निमित्त सुसंगत अधिनियम में विद्यमान प्राविधानों के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारों से जांच कराकर, आयुक्त, झांसी मण्डल द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 1986 को तकालीन ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, महोबा, जनपद हमीरपुर को संस्था को तथा उसके आधिपत्य में विद्यमान सम्पत्ति के लिए कार्यवाही करने जिसमें उसके रत्नाभूषणों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध सम्मिलित है, के लिए अधिकृत किया गया । मण्डलायुक्त झांसी के उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध प्रश्नगत मंदिर के महन्त द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर दिए गए अपने आदेश दिनांक 11 जुलाई, 1986 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने आयुक्त के उक्त आदेशों को वैधानिक मानते हुए यह स्पष्ट किया कि मन्दिर के ट्रस्टी होने के नाते महन्त को मंदिर के प्रशासन एवं कृषि भूमि पर खेती का अधिकार है । अतः अब मंदिर का प्रबन्ध उक्त आदेशों के अन्तर्गत हो रहा है ।

120—श्री राजित प्रसाद यादव—

[6वें सोमवार के अता0 प्र0 सं0 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ के बागपत-मुरादाबाद मार्ग पर सुराहाना ग्राम के समीप हिन्डन नदी पर पुल निर्माण

121—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत बागपत-मुरादाबाद मार्ग पर सुराहाना ग्राम के पास हिन्डन नदी पर सरकार की पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उपरोक्त पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रवण कुमार उपाध्याय, अपर जिला अधिकारी (परियोजना), जनपद देवरिया के विरुद्ध जांच

122—श्री रणजीत—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रवण कुमार उपाध्याय अपर जिला अधिकारी (परियोजना), जनपद देवरिया द्वारा ग्राम विकास अभिकरण द्वारा धन आवंटन करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1197/ज0 प्र0-87, दिनांक 12-10-87 उन्हें प्राप्त हुए ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच किसी अधिकारी से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

श्रम्य विकास विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट आफ मनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज, विकासनगर, कुर्सी रोड, लखनऊ को मान्यता

123—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज, विकास नगर, कुर्सी राड, लखनऊ का केन्द्रीय सरकार के कौंसिल आफ टैक्निकल एजूकेशन द्वारा नामित विशेषज्ञों की एक समिति ने फरवरी, 1986 में मान्यता पाने के लिए निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या समिति ने यह संस्तुति की कि उक्त स्थान को मान्यता न दी जाय ? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट क्या है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1983 एवं 1985 में इस संस्था को किन आधार पर मान्यता दी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भारत सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार आल इंडिया कौंसिल फार टैक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली ने आल इण्डिया बोर्ड आफ मैनेजमेंट स्टडीज की विजिटिंग कमेटी से संस्था के अनुरोध पर संस्थान का निरीक्षण माह फरवरी, 1986 में कराया । उक्त कमेटी की संस्तुति आल इण्डिया कौंसिल फार टैक्निकल एजूकेशन के आल इण्डिया बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज के सम्मुख प्रस्तुत हुई जिसने संस्थान द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों को निर्धारित स्तर का नहीं पाया एवं इन्हें अखिल भारतीय अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु मान्यता नहीं दी । उक्त कमेटी की संस्तुति का उल्लेख ऊपर खण्ड-2 में किया गया है । उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग ने वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश कारखाना कल्याण अधिकारी नियमावली 1955 के नियम-9 (ई) के अन्तर्गत संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले "पर्सनल मैनेजमेंट डिप्लोमा" को कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सशर्त मान्यता प्रदान की । प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति एवं विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद् ने अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की जिसके पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1985 में संस्थान के "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन" की अधीनस्थ सेवाओं में सेवायोजन हेतु सशर्त अस्थायी मान्यता तीन वर्ष के लिए प्रदान की गई ।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों में दीमक लगने से गन्ने के फसल की बर्बादी

124—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा किसौला जनपद बुलन्दशहर में गत वर्ष दीमक के प्रकोप से गन्ना फसल कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षतिग्रस्त हुई ? क्या विभाग द्वारा दीमक के प्रकोप की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दीमक के प्रकोप से विकास खण्ड स्याना व ऊंचा-गांव जनपद बुलन्दशहर के अन्य गांवों में भी गन्ने की फसल क्षतिग्रस्त हुई है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल में ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम सभा किसौला जनपद बुलन्दशहर में 350 एकड़ पर दीमक का प्रकोप हुआ एवं 16 प्रतिशत फसल प्रकोप से प्रभावित हुई ।

जी हां । विभाग की देख-रेख में कृषकों द्वारा दीमक से प्रभावित सम्पूर्ण गन्ना क्षेत्रफल का नियंत्रण समयानुसार कर लिया गया ।

विकास खण्ड स्याना व ऊंचागांव सहित जनपद बुलन्दशहर के 33 ग्रामों के 6,651.13 एकड़ गन्ना क्षेत्रफल में से 800.45 एकड़ गन्ना क्षेत्रफल दीमक से प्रभावित हुआ ।

मोहिबुल्लापुर के पल्टन छावनी ग्राम, लखनऊ के श्री राजदुलारे तिवारी तथा श्री खुशीराम यादव के मध्य रंजिशवश चोरी व मारपीट की घटना

125—श्री रास आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहिबुल्लापुर के पल्टन छावनी ग्राम, लखनऊ के निवासी श्री राज दुलारे तिवारी द्वारा 10, 11 फरवरी, 1988 को अपने घर चोरी होने का मामला दर्ज कराया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम के निवासी श्री खुशी राम यादव को रंजिशवश उक्त चोरी में नामजद किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या रही ? क्या इसके पूर्व भी श्री खुशी राम के घर में घुसकर मारपीट करने की घटना श्री तिवारी के परिवार द्वारा की गई ? यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी घटना उक्त ग्राम में तिवारी के विरुद्ध प्रकाश में आयी तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शामली में किसान यूनियन के नेता श्री महेन्द्र सिंह टिकैत द्वारा आयोजित सभा में मुख्य मंत्री का भाषण एवं तत्संबंधी कार्यवाही

126—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने शामली में किसान यूनियन के नेता महेन्द्र सिंह टिकैत द्वारा आयोजित किसानों की सभा में गत माह सितम्बर, 1987 में भाग लिया था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री ने किसानों की इस सभा में क्या-क्या वायदे किये और उन वायदों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती दीपा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया के सांसद द्वारा विकास योजनाओं के निरीक्षण के बहाने सरकारी जीप का दुरुपयोग

127—श्री मैनेजर सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 155 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून में बलिया के सांसद महोदय द्वारा 28 दिन का निरीक्षण किन-किन विकास योजनाओं का किया गया उनके साथ कौन-कौन अधिकारी रहे ? क्या यह सही है कि जून माह में विवाह-शादी में जीप का अधिक प्रयोग हुआ ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माह जून, 1987 में संबंधित माननीय सांसद ने सरकारी जीप द्वारा 28 दिन के अपने दौरे की अवधि में विकास खण्डों के ग्रामीण अंचलों में मुख्य रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का निरीक्षण किया । यह जानकारी की जा रही है कि इस दौरे में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले किन-किन विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों का निरीक्षण किया गया । उनके इस दौरे के समय कोई अधिकारी उनके साथ सरकारी जीप में नहीं था । ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सरकारी जीप का प्रयोग शादी/विवाह में हुआ है । फिर भी यह जानकारी की जा रही है कि शादी/विवाह में जीप के प्रयोग के सम्बन्ध में माननीय सांसद से भी सूचना प्राप्त की गई थी या नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में दैनिक वेतन, एडहाक व नियमित रूप में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में अनियमितता

128—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम में वर्ष 1986, 1987 एवं वर्ष 1988 के माह जनवरी में दैनिक वेतन, एडहाक तथा नियमित रूप में किन-किन पदों पर कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न इकाइयों पर निगम द्वारा की गयी है ? क्या इन नियुक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालय से नाम मांगे गये अथवा विज्ञापन किया गया ? यदि नहीं, तो इन नियुक्तियों का स्रोत क्या रहा ? क्या ये समस्त नियुक्तियां सी0 एन0 बी0 एक्ट तथा शासन के विभिन्न आदेशों के अनुरूप की गयी है ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या प्रभावी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु कतिपय जनपदों को आवंटित धनराशि का ब्यौरा

129—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में बनायी जाने वाली सड़कों के लिए शासन ने अब तक किस जनपद को कितना धन कितनी किस्तों में आवंटित किया है ? क्या शासन जिन जिलों को धन की एक किस्त दे चुका है पुनः उन्हीं जिलों को दूसरी किस्त भी देने जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या शासन झांसी जिले को उक्त सड़कों के लिए धन की पहली किस्त दिये जाने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह पहली किस्त कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वित्तीय वर्ष 1985-86 में इटावा जनपद को 192.00 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 1986-87 में जालौन तथा इटावा को 1272.00 लाख रुपय ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 में जालौन एवं इटावा को पुल निर्माण हेतु 525.00 लाख रुपये तथा मार्गों के निर्माण हेतु इटावा, आगरा तथा जालौन को क्रमशः 75,00,60.00 तथा 40.00 लाख रुपयें ।

प्रदेश में दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़क एवं पुल की योजना 50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है । इस योजना के अन्तर्गत कोई भी स्वीकृत भारत सरकार पर निर्भर करती है ।

मथुरा जनपद के कतिपय मार्गों पर डामर (लेपन) कराने की मांग

130—श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा-सादाबाद मार्ग से निकलने वालों सिहोरा, कारब, पचावर, जगसना मार्ग अभी तक पेन्टेड नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन जनहित में इस मार्ग को अगले वित्तीय वर्ष 1988-89 में डामर कराने की कृपा करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है—

(1) मथुरा-सादाबाद मार्ग से सिहोरा-कारब मार्ग मथुरा-सादाबाद मार्ग से सिहोरा मार्ग जिला परिषद का मार्ग है, यह मार्ग लेपित है एवं सिंहोरा से कारब मार्ग सा0 नि0 विभाग द्वारा सोलिंग स्तर तक निर्मित है ।

(2) कारब से पचावर मार्ग—यह मार्ग सोलिंग स्तर तक निर्मित है ।

(3) मथुरा-सादाबाद से बल्देव-जुगसना मार्ग—यह मार्ग लेपन स्तर तक निर्मित है ।

उपरोक्त मार्गों में से शेष मार्गों का लेपन स्तर तक आगामी वित्तीय वर्ष 88-89 में स्वीकृत करना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

131—श्री राम पाल सिंह एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ उ0 प्र0 के विरुद्ध कतिपय माननीय विधायकों द्वारा लिखित शिकायती-पत्र दिनांक 11 जनवरी, 1988 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच गन्ना आयुक्त से करायी जा रही है ।

जनपद सीतापुर के इण्टरमीडिएट अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त सशस्त्र पुलिस जवानों को नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित करने की मांग

132—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर सशस्त्र पुलिस में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितना है जिनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके अधिक है ? इन्हें अब तक नागरिक पुलिस में स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि नियमानुसार सशस्त्र पुलिस में कार्यरत सभी जवानों को जिनका शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके ऊपर है उन्हें नागरिक पुलिस में भेजे जाने की व्यवस्था है ? इन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सीतापुर सशस्त्र पुलिस में इण्टरमीडिएट या उससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले 46 कान्सटेबिल हैं । इण्टरमीडिएट या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त सशस्त्र पुलिस के कान्सटेबिल को नागरिक पुलिस में भेजे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । यह ध्यान अवश्य रखा जाता है कि हाई स्कूल पास कान्स0 सशस्त्र पुलिस में तथा उससे अधिक शिक्षित कान्सटेबिल को नागरिक पुलिस में रखा जाय । परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि सशस्त्र पुलिस की आवश्यकता की पूर्ति हाई स्कूल पास कान्स0 से नहीं होती तो उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कान्सटेबिल भी सशस्त्र पुलिस में रखे जाते हैं ।

श्री रामकृष्ण, ग्राम-कुटी मटियारी कलां, थाना जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर के घर पर पड़ी डकैती के संबंध में जानकारी

133—श्री बैजनाथ—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 24/25 अक्टूबर, 1987 को श्री राम कृष्ण पुत्र श्री महादेव निवासी ग्राम-कुटी मटियारी कलां, थाना जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर के घर में भीषण डकैती की घटना हुई है जिसे पुलिस ने धारा 459 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत ही दर्ज करके अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया ? क्या सरकार उक्त मुकदमों को डकैती में तरमीम करके प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

श्री राम कृष्ण की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0 अ0 सं0 166/87 के अन्तर्गत धारा 459 भा0 दं0 वि0 थाना जगदीशपुर में पंजीकृत हुआ । विवेचना से अपराध धारा 459 भा0 दं0 वि0 का पाया गया । माल व मुलजिमान का पता न लग पाने के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।

कार्यालय बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-1, अलीगढ़ के कार्यालय से 300 फार्म-31 के खोने तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

134—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि बिक्रीकर अधिकारी खंड-1, अलीगढ़ ने अपने अ0 शा0 प0 सं0 1073/वि0 क0 अ0-1, दिनांक 12-3-85 से मुख्यालय को सूचित किया था कि उनके कार्यालय से 300 फार्म 31 स0 एम0-आई 1984-055 8771 से 0559000 खो गये हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिकारी की जानकारी में फार्मों के खो जाने की बात कब आयी, पुलिस में रपट किस तारीख को दर्ज करायी गयी तथा पुलिस जांच एवं रपट का क्या परिणाम रहा ? फार्मों की चोरी के लिए कौन जिम्मेदार माना गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अधिकारी की जानकारी में फार्म खोने की बात दिनांक 12-3-85 को आयी । उसी दिन पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी । जांचोपरान्त पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी जो सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई ।

ग्रेजुएट इंजीनियर्स कालेज, कानपुर रोड, लखनऊ पर बकाया बिक्रीकर धनराशि की वसूली

135—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 85 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 प्रान्तीय व केन्द्रीय कर की बकाया के लिए खण्ड अधिकारी के यहां से सूचना किस तारीख को डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के पास पहुंची ? उस दिन से तारीख 15-7-82 तक डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) ने वसूली के बारे में क्या-क्या कार्यवाही की ? तारीख 15-7-82 को जो नीलामी के लिए तिथि निश्चित हुई थी उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? डिप्टी कलेक्टर ने किस तिथि को रिकवरी प्रमाण-पत्र को खण्ड अधिकारी के पास वापस किया ? रिकवरी में से कितना वसूल हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 24-2-81 को डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) के कार्यालय को वसूली हेतु प्राप्त हुई । दिनांक 9-3-81 को चल सम्पत्ति की कुर्की अधिपत्र जारी किया गया । कुर्की की कार्यवाही के बाद दिनांक 13-3-81 को सुपुर्दगार को चल सम्पत्ति की सुपुर्दगी दी गयी, दिनांक 18-3-81 को नीलामी अधिपत्र जारी किया गया । इस संबंध में दिनांक 16-4-81, 6-8-81, 28-11-81 नीलामी की तिथि निश्चित की गयी । सुपुर्दगार श्री एच0 एन0 अवस्थी द्वारा माल प्रस्तुत न किये जाने के कारण नीलामी नहीं की जा सकी । दिनांक 15-7-82 की नीलामी की सूचना प्रबन्धक, स्वतंत्र भारत द्वारा देर से प्रकाशित करने के कारण नीलामी की कार्यवाही न हो सकी । रिकवरी प्रमाण-पत्र वापस नहीं किया गया । सम्पूर्ण बकाया धनराशि 39,538.00 रु0 वसूल कर ली गई ।

जनपद मथुरा के मांट क्षेत्र के कतिपय मार्गों को डामरयुक्त कराने की मांग

136—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मांट क्षेत्र, जनपद मथुरा के गांवना से बिरजगढ़ी, एदलगढ़ी से सल्लनौझील मार्ग तथा बरोठ मांट से नसीटी, पिथौरा से बालखेड़ा तथा एदलगढ़ी से जटपुरा आदि मार्गों पर कई साल पहले खड़ंजा लग चुका है जिसके पत्थर उखड़ने से चलना असम्भव है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मार्गों पर जब एन0 आर0 ई0 पी0 में डामर नहीं कराया जा सकता है तो क्या शासन इन मार्गों पर सार्वजनिक निर्माण द्वारा डामरलेपन कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत निम्नलिखित मार्गों पर तीन वर्ष पूर्व सोलिंग का कार्य कराया जा चुका है :—

(1) बाजना से बीजूगढ़ी ।

(2) एदलगढ़ी से सल्ल ।

(3) नौझील मार्ग से बरोठ ।

(4) मांट से नसीटी ।

(5) पिथौरा से पालखेड़ा ।

(6) एदलगढ़ी से जटपुरा ।

यह सही नहीं है कि इस पर चलना असम्भव है ।

उपरोक्त मार्गों में से नौझील से बरोठ मार्ग, वर्ष 1987-88 की जिला योजना में लेपन स्तर तक स्वीकृत है । शेष मार्गों को डामर स्तर तक स्वीकृत कराने का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं, जिनकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वरुणा नदी के कोरउत व सतनपुर घाट पर सेतु निर्माण की मांग

137—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत वरुणा नदी से कोरउत घाट व सतनपुर घाट पर सेतुनिर्माण का कार्य राज्य सेक्टर के अन्तर्गत अथवा जिला योजना में ले लिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो सन्दर्भित स्थानों पर वरुणा नदी पर सेतु निर्माण में शासन को कौन सी कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्तावित सेतु ग्रामीण मार्गों पर पड़ने वाले सेतुओं की श्रेणी में है । प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए फिलहाल इस पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री संतोष कुमार, मुख्य अभियन्ता (परिवाद), सा0 नि0 वि00 के पदारूढ़ अवधि में निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों के आरोप-पत्रों की जांच की जानकारी

138—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्री सन्तोष कुमार, मुख्य अभियन्ता (परिवाद) को उनकी इस पद पर तैनाती के उपरान्त अब तक कितने

निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों के आरोप-पत्र दिए गए, उनमें से कितने मामलों में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या 7/8-1977 कार्मिक, दिनांक 33-7-1977 के अनुसार जांच एक माह में पूरी करके, जांच आख्या शासन को भेजी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री सन्तोष कुमार, मुख्य अभियन्ता (परिवाद) को उनकी इस पद पर तैनाती के उपरान्त अब तक 30 निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों के आरोप-पत्र दिये गये, उनमें से एक भी मामले में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-7/8-1977-कार्मिक, दिनांक 30 जुलाई, 1977 के अनुसार जांच एक माह में पूरी करके जांच आख्या शासन को नहीं भेजी गई ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिये गये 20 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन में सा0 नि0 वि0 विभाग से संबंधित मांगों के संबंध में जानकारी

130—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र लिखकर 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मांगें क्या हैं और उन्हें पूरी करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त ज्ञापन में सा0 नि0 वि0 से संबंधित निम्नलिखित मांगें हैं :—

(1) बिन्दु (14) विभिन्न विभागों में ठेकेदारी का काम कर रहे गुण्डे, अराजक तथा भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को इन कार्यों से अलग किया जाय और ऐसे तत्वों को संरक्षण देने वाले राजनैतिक लोगों की सूची प्रकाशित की जाये ।

(2) बिन्दु (18) श्रवण क्षेत्रसवना तिवारी पुर सम्पर्क मार्ग, तिवारीपुर-बंडरिया सम्पर्क मार्ग तथा भीटी-महरुआ रोड पर पुलियों के निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच करायी जाय ।

(3) बिन्दु (20) राजनैतिक भेदभाव के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के साथ होने वाला सौतेला व्यवहार बन्द होने और कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में मिझौड़ा तथा बसोहरी पर, मड़हा नदी पर, नरायनपुर तथा इनौना में बिसुही नदी पर पक्के पुलों का तथा शेखघाट पर सरजू नदी पर पीपे के पुल का निर्माण स्टेट सेक्टर से कराया जाय तथा तारुन, पैकौली और गोशाईगंज के मड़हा नदी के पुलों का नये सिरे से निर्माण कराया जाय । उक्त मांगों से संबंधित स्थिति निम्नवत् है :—

बिन्दु (14) ठेकेदारों के पंजीकरण करने हेतु शासन द्वारा बनायी गयी नियमावली में निहित प्रविधानानुसार ठेकेदारों द्वारा भ्रष्ट आचरण करने पर उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है ।

(2) बिन्दु (18) श्रवण क्षेत्र-सबना तिवारापुर, तिवारीपुर बड़ौरिया तथा भोटी महरुआ मार्ग पर पुलिया के निर्माण में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इन मार्गों पर पुलिया काफी समय पूर्व बनी थी तथा कोई भी पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हुई है ।

(3) बिन्दु (20) राजनैतिक आधार पर भेद-भाव करने का आरोप निराधार है क्योंकि प्रश्नगत पुलों को शासन से कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है ।

140—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-9-87 को जिलाधिकारी फैजाबाद को एक पत्र लिखाकर 20 सूत्रीय मांगों का एक विज्ञापन दिया था और उस पर 2 अक्टूबर, 1987 तक आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उक्त ज्ञापन में गृह विभाग से संबंधित मांगों पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और मामले की गम्भीरता को देखते हुए सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय खुफिया जांच कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

गृह विभाग से निम्न मांगों के संबंध में अपेक्षा की गयी थी:—

(1) गोसाईगंज थाने के पूरे स्टाफ का सामूहिक स्थानान्तरण करके पिछले दो माह में गोसाईगंज कस्बे में या उसके आस-पास पाई गयी लाशों के बारे में उच्च स्तरीय खुफिया जांच कराकर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाय और बुद्धू बनमानुष जैसे कुख्यात अपराधियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया जाय ।

(2) जिले में बड़े पैमाने पर चलने वाले जुए और अवैध शराब के अड्डों को समाप्त किया जाय और अपराधों में संलग्न अपराधियों तथा पुलिस कर्मियो को दण्डित किया जाय ।

(3) जिले में कुटीर उद्योग का रूप ले रहे कट्टा और हथगोला बनाने के कारखानों का पता लगाकर उन्हें सख्ती से समाप्त किया जाय और इस धन्धे में संलग्न अपराधियों को गिरफ्तार किया जाय ।

तत्कालीन थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण हो चुका है । शेष के स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी । जहां तक लाशों का प्रश्न है, विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है । बुद्धू बनमानुष अपने दो अन्य साथियों सहित दिनांक 24-9-87 की डकैती की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया था, जिससे संबंधित मु0 अ0 सं0 289, 290, 291, 292/87 धारा 399 402 भा0 द0 वि0 व 25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है । मामला न्यायालय में विचाराधीन है । बुद्धू बनमानुष को राजनीतिज्ञों द्वारा संरक्षण दिये जाने के बारे में कोई साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

जुए को रोकने एवं अवैध शराब के व्यवसाय पर नियंत्रण रखने में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है ।

कट्टा और हथगोला बनाने के कारखाने जिले में कुटीर उद्योग का रूप ले रहे हैं, शिकायत सत्य नहीं पायी गयी । अवैध हथियार बनाने वालों के विरुद्ध भी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है ।

खुफिया जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों, ग्राम टिकरा के प्रधान श्री झुरहराम हरिजन की हत्या

141—श्री गिरधारी—

क्या गृह मंत्री कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1985 के प्रथम सप्ताह में जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों ग्राम टिकरा के ग्राम प्रधान को झुरहराम हरिजन की फरसे व बल्लम से निर्मम हत्या किये जाने की कोई नामजद रिपोर्ट उक्त थाने में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मृतक परिवार के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार श्री झुरहुराम की हत्या दिनांक 27-8-85 को हुई थी और इसी तिथि को इस सम्बन्ध में थाना जामौ, जिला-सुल्तानपुर पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

विवेचनोपरान्त नामजद चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

मृतक श्री झुरहुराम की पत्नी को 3000 रुपये की सहायता दी गयी है ।

जिला बलिया के निर्माण कार्यों में धांधली एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अंतर्गत 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना, श्री हरदेव जी की है, दूसरी, श्री विष्णु देव जी की है, तीसरी श्री राज किशोर सिंह जी की है, चौथी, श्री अचल सिंह जी की है, पांचवी, श्री दीप नारायण जी की है, छठी सूचना श्री महेन्द्र भाटी जी की है तथा सातवीं सूचना श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट की है ।

यदि आप लोगों की इजाजत हो तो इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

श्री हरदेव—

मान्यवर, बलिया जनपद में निर्माण कार्यों में धांधली शासन द्वारा प्रदत्त धन को निर्देशित मद के अतिरिक्त अनिश्चित मदों में खर्च तथा सूखा राहत के नाम पर फर्जी भुगतान कराए जाने की चर्चा व्याप्त है । मा0 विधायकों ने भी इस आशय की शिकायत शासन के संज्ञान में लायी है । बलिया जनपद के सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड) के जनपदीय अधिशासी अभियन्ता बरसड़ा तहसील में कार्यरत चार अवर अभियन्ताओं ने करीब रु0 10 लाख का सार्वजनिक निर्माण में घोटाला अभी हाल में किया है । विकास खण्डों

द्वारा पहले से बनाई गयी सड़को पर मामूली मिट्टी छिड़ककर सूखा राहत में पूर्ण निर्माण कार्य दिखलाकर फर्जी एम0 बी0 तैयार करके भुगतान करा लिया गया है । सेमराजपुर बड़ा गांव मार्ग बरवास्ती पट्टी से नेवादा मार्ग, हैदरपुर तियारा मलय मार्ग, देवलबीर पकड़ा इनार मार्ग, पूरापताई कलवारी नहर की पटरी मार्ग, चकरा-बरौली मार्ग, आदि पर खुला फर्जी भुगतान लगभग 30 लाख रुपय का कराकर शासन व जनता के साथ विश्वासघात किया गया है । यू0 आ0 जेड0 2166 (ट्रक) यू0 जी0 जेड0 1171 (ट्रक) और एक जीप खरीद कर मालिक बनने वाले इस क्षेत्र के एक अवर अभियन्ता यह कहता फिरता है कि 30 लाख क्या 3 करोड़ शासन देगा तो भी हम लोग अपने तरीके से खपा देंगे ? यही नहीं जो भी इस प्रान्तीय खण्ड से कार्य कराया जा रहा है बिना टेण्डर का 7 प्रतिशत कमीशन लेकर हो रहा है । इन फर्जी भुगतान के कारण हमारे जनपद की जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अत: इस लोक महत्व के मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब इन्हें हटाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र नत्थूपुर में आवास आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णु देव—

[मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के उत्तरी भाग घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांवों की गत वर्ष 1986-87 में घर पटाई में बीसों लाख खर्च हो जाने के बावजूद घर पटाई का काम अधूरा रह जाने तथा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं उक्त घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ित ग्रामों में धर्मपुर विशनपुर-2 नूरूल्लाहपुर-सिसवां-बखरियां आदि गांवों में गत वर्ष घर पटाई में ग्रामीण अभियन्ता सेवा जनपद आजमगढ़ द्वारा बीसों लाख रुपया खर्च हो जाने पर भी घर पटाई का काम अधूरा रह गया है । विशेषकर गरीब भूमिहीनों के घर पटाई के कार्यों से वंचित रह गये हैं । वंचित वाले लोगों द्वारा उच्चाधिकारियों व माननीय ग्राम विकास मंत्री को अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर जिले के अधिकारियों द्वारा झूठा आश्वासन दिया जाता रहा है । मार्च का महीना व्यतीत हो जाने, नयी बरसात पुन: होने में केवल 2-3 माह रह जाने से सम्बन्धित घर पटाई से वंचित भूमि हीन गरीब जनता में भारी असन्तोष पैदा हो गया है यह जानकर कि घर पटाई पर खर्च पैसा अधिकारी खा गये हैं अब शेष की घर पटाई नहीं होगी जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर घर पटाई से वंचित घरों को घर पटाई कराने तथा सरकारी धन लूट के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

वाराणसी जिलान्तर्गत ज्ञानपुर तहसील में मोरवा नदी पर अविलम्ब पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह—

[महोदय, जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील के खण्ड विकास क्षेत्र डीघ के ग्राम रमईपुर के पास मोरवा नदी पर पुल न होने से छात्र छात्राओं को गांव एरेनगरी स्थित हाई स्कूल में पढने जाने के लिये कठिनाई व कष्ट है । पुल न होने से यातायात व गमनागमन अवरुद्ध होने से क्षेत्र पिछड़ेपन का शिकार है ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्षा काल में मोरवा नदी की हालत अत्यन्त भयानक व खतरनाक हो जाती है । जिससे विद्यार्थी विद्यालय जाने से वंचित हो जाते हैं । अध्यापक भी नहीं जा पाते हैं । पठन-पाठन में अपूर्णीय क्षति होती है ।

उक्त विद्यालय के सन्निकट स्थित नलकूप तक सिंचाई विभाग की ओर से एक सर्विस रोड का निर्माण हुआ है किन्तु पुल न होने से सम्पर्क व संबंध नहीं हो पाता है ।

भोरवा नदी पर पुल निर्माण के लिए क्षेत्रीय जनता की लम्बे अर्से की मांग के प्रति शासन के उपेक्षा पूर्ण रुख के कारण क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर भोरवा नदी पर पुल निर्माण की मांग करता हूं ।]

जिला फतेहपुर स्थित सहकारी सूती कताई मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अचल सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर में स्थित सरकारी सूती कताई मिल में इस समय पूरा तरह से भ्रष्टाचार है । जिसमें लगने वाली रुई को ऊंचे दामों में खरीदा जा रहा है और उस पर लाखों रुपया कमीशन लिया जा रहा है तथा मिल से निकली वेस्ट रुई को फर्जी कोटेशन के आधार पर अपने चहेते ठेकेदारों को कम दामों में देकर मिल का लाखों रुपया हड़पा जा रहा है । यही नहीं मिल के श्रम अधिकारी द्वारा मिल में कार्य कर रहे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है । उन्हें एक-एक साल से ट्रेनिंग के नाम पर केवल 5 रुपया प्रतिदिन देकर कार्य करने पर मजबूर किया जा रहा है । आवाज उठाने पर उन्हें निकाल दिया जाता है । इस समय मिल के अधिकारियों में दो गुट बन गये हैं । श्रम अधिकारी ने अपने प्रभाव का प्रयोग कर जनरल मैनेजर का प्रवेश भी मिल में बन्द करा दिया था । यही नहीं मिल के चेयर मैन हमेशा लखनऊ में पड़े रहते हैं । उनके हस्ताक्षर के लिये लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है, जिससे मिल का लाखों रुपया यात्रा-भत्ता के रूप में खर्च हो रहा है । मिल में दो गुट हो जाने से मिल का कार्य प्रभावित हो रहा है ।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि इस प्रकरण की जांच करायी जाये और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय ।]

आजमगढ़ जिले में बाढ़ एवं ओले से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अति लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

पिछले सूखा एवं बाढ़ के समय में आजमगढ़ की सम्पूर्ण फसल बरबाद तो हुई ही थी जिससे त्रस्त होकर किसान अपने भविष्य की चिन्ता में डूबा हुआ था कि अचानक दूसरा दैवी

नोट:—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रकोप आला के पड़ जाने से हो गया है । गत दिनों मेरे जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में आला पड़ने से जो क्षति किसानों का हुई उससे सभी का मनोबल खेती से टूट गया है उनके सामने उनका गाढ़ी कमाई का गेहूं, मटर, चना, सरसों, अरहर आदि फसल आले के प्रकोप से सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गई । इन फसलों के नष्ट हो जाने से किसानों के सामने उनके लिये हुए सरकारी कर्जा का भुगतान, पानी के लगान का भुगतान, शादी-ब्याह करने तथा भविष्य में परिवार को खाने एवं जानवरों के रखरखाव की समस्या उत्पन्न हो गई है । इन सब के बावजूद भी वसूली से किसान और भी त्रस्त हो गया है । पैसे के अभाव में दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है । उनके पास इस समय सरकारी देयों का भुगतान करने के लिये एक फूटी सी कौड़ी भी नहीं है ।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि जनपद आजमगढ़ के समस्त किसानों के पानी की लगान एवं माल गुजारी (रबी और खरीफ) की माफ करने की कृपा करें तथा अन्य भुगतान स्थगित किया जाय ।]

जनपद गाजियाबाद की अधिगृहीत की गयी भूमि का समुचित प्रतिकर दर दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भाटी—

[माननीय, माननीय सदन में एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न उपस्थित करने की अनुज्ञा चाहता हूं ।

1—रेवेन्यू मैनुअल की धारा-4 एक्ट नं0-1, 1894 के अनुसार ग्राम तिलवता करनवास, गुलिस्तांपुर देवला, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद आदि ग्रामों की 800 बीघा जमीन का अधिग्रहण हेतु नोटीफिकेशन दिनांक 14-11-85 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा क्षेत्र के समुचित विकास के लिये किया गया, भूमि का अधिग्रहण किस्म जमीन के आधार पर प्रस्तावित है जो सरासर अन्याय है ।

2—दिनांक 13-9-85 को सुधीर कुमार पुत्र राजेश्वर दयाल आदि ने एस0 आर0 एफ0 निपडेन्सो लि0, एक्सप्रेस बिल्डिंग 9/10, बहादुरशाह मार्ग, नई दिल्ली को 72 रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से बेची । औद्योगिक निगम ने इस फैक्ट्री से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विकास कर वसूल किया इसी प्रकार फैक्ट्रियों जैसे हांडा फूड लि0 तथा रूही केमिकल्स लि0 ने भी किसानों से सीधी जमीन ली तथा औद्योगिक निगम ने उन फैक्ट्रियों से भी विकास कर वसूल किया ।

3—मान्यवर, औद्योगिक निगम ने जमीन का प्रतिकर 4 या 5 रुपया प्रतिमाह किया है कि स्टाम्प ड्यूटी की वर्तमान दरें 50 हजार रुपया बीघा है तथा सड़क के पास की जमीन का भाव 50 रुपये से 150 रुपये प्रतिवर्ग गज है । औद्योगिक निगम 150 रुपये प्रति-वर्ग गज से बेंच रहा है ।

4—ग्राम वासियों ने दिनांक 26 जनवरी, 1988 को एक मीटिंग सूरजपुर में की । प्रतिकर दर न खोले जाने से लोगों में काफी रोष था कई निर्माणाधीन फैक्ट्रियों को भी बनने से रोका । इन परिस्थिति में कोई भी घटना घट सकती है लोगों में काफी रोष व क्षोभ है जो स्वाभाविक है ।

नोट :—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ऐसी परिस्थिति में भूमि का प्रतिकर किसानों से फैक्ट्रियों द्वारा खरीदी गई भूमि के अनुरूप प्रतिकर भुगतान किये जाने का प्रयास करता हूं ।]

जिला फर्रुखाबाद की तालाग्राम कृषि उप मंडी में व्यापार प्रारम्भ कराये जाने तथा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[महोदय में अत्यन्त लोकमहत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कृषि उत्पादन उप मण्डी स्थल तालाग्राम का निर्माण को पूर्ण हुये बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परन्तु अभी तक इस उप मण्डी स्थल पर व्यापार प्रारम्भ नहीं किया गया है जबकि शासन का बहुत रुपया इस निमित्त लगा हुआ है जो अनुपयुक्त है और कृषक मण्डी से होने वाले लाभों से वंचित है ।

तालाग्राम की जनता में गम्भीर असन्तोष है । गांव सभा तालाग्राम देहात की भूमि का मूल्य अभी तक न दिया जाने के कारण जनता में घोर असन्तोष है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से जांच करवा कर शीघ्र उप मण्डी स्थल तालाग्राम में व्यापार प्रारम्भ करवाने व गांव सभा तालाग्राम देहात की गांव सभा भूमि का मूल मण्डी विभाग से दिलवाने की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की बजट साहित्य का देर से मिलने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना भी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के बारे में है, तीसरी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही जी की स्वीकृत प्रश्नों के बारे में शासन द्वारा स्पष्टीकरण के बारे में है, चौथी सूचना श्री अचल सिंह जी की सत्र के दौरान किसी मंत्री द्वारा सदन के बाहर नीतिगत मामलों की घोषणा किये जाने के बारे में है, पांचवीं सूचना श्री बलराम यादव जी व श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की आजमगढ़ के सदर अस्पताल के मेडिकल स्टोर से दवाइयों की खुले बाजार में बिक्री के सम्बन्ध में है । छठीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी की मच्छरों के तादाद में बढ़ोत्तरी के बारे में है और सातवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की पी0 एल0 ए0 में पैसा जमा करने के बारे में है ।

बजट साहित्यों को शासन द्वारा समय से उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप क्रम संख्या-211 को देखने का कष्ट करें । उसमें यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि माननीय सदस्यों को सदन के माध्यम से सरकार द्वारा जो बजट साहित्य उपलब्ध कराया जायेगा, वह 4 दिन पहले सचिवालय को मिल जाना चाहिये । यह प्राविधान इसलिये किया गया कि माननीय सदस्यों को साहित्य यथासमय मिल जाय जिससे वह शासन की नीतियों का अध्ययन कर सकें और अपने सुझाव दे सकें । लेकिन हम रोज देखते हैं कि जब हम सायंकाल को यहां से जाते हैं तो हमें बजट साहित्य नहीं मिल पाता है ।

नोट :—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उदाहरण के लिये, आज शिक्षा का बजट है । साढ़े नौ बजे जब कल यहां सदन चल रहा था, तब उस समय यह मामला उठाया गया था कि कल शिक्षा विभाग का बजट है और माननीय सदस्यों को साहित्य अभी तक नहीं पहुंचा है । श्री यदुनाथ सिंह जी ने यह मामला उठाया था । शायद आज 9-10 बजे इस सचिवालय को वह साहित्य प्राप्त हुआ है ।

माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट किया गया था । संकठा प्रसाद शास्त्री जी उस समय यहां पर थे । उन्होंने कहा कि सचिव से संपर्क कर लो । हमें सचिव से क्या मतलब ? हमें तो मंत्री से मतलब है । माननीय मंत्री जी द्वारा इसे बड़े हल्के-फुल्के ढंग से लिया गया । इसी का नतीजा है कि आज ब्यूरोक्रेसी इनके ऊपर हावी हो गयी है । साहित्य के समय से न मिलने के कारण जो हमारे विधान सभा के कर्मचारी हैं, उनको भी परेशानी होती है । माननीय अध्यक्ष जी जिस समय यह प्रश्न उठाया गया था, इसलिये आप इस पीठ से निर्देश दिये गये थे, किन्तु उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया गया, इसलिये आप सरकार की भर्त्सना करें और इस बात की व्यवस्था की जाय कि विधान सभा सचिवालय को बजट साहित्य समय से मिल जाय, ताकि माननीय सदस्य उसका मौके से अध्ययन कर सकें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, कल शाम को 8.30 बजे के करीब माननीय यदुनाथ सिंह जी ने, इसमें कोई सन्देह नहीं है बात सही है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । उस वक्त मैंने तुरन्त इसका पता लगाने के लिए किसी को भेजा था कि कोई साहित्य आया है, 2-3 प्रतियां आयी थीं, जो कि अपूर्ण थीं । भविष्य में इस बात का प्रयास किया जायगा कि जैसा माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा है और जैसी परम्परा रही है, साहित्य समय से आ जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी । यह गम्भीर मामला है, मैं चाहता हूं कि दुबारा यह न हो, नहीं तो मुझे कड़ी कार्यवाही करनी होगी ।

दूसरा प्रश्न जो है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इसको उठाने की अनुमति नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप सुन लें । मैंने जिस विषय पर सूचना दी है उसको आपने पढ़ा नहीं है, मैंने कहा है कि आपकी अवमानना सरकार द्वारा की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

वह घूम फिर कर वही है, मैं इसको अस्वीकार करता हूं, आप बैठें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही जी । 4 बजे मेरे कक्ष में आ जायं, मैं पत्रावली मंगाकर देखूंगा और संबंधित मंत्री को भी बुलाऊंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

आप सुन तो लें कि स्थिति क्या है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 हो जाय तब व्यवस्था सुनूंगा ।

जहां तक श्री अचल सिंह जी की सूचना है माननीय गृह मंत्री से जानकारी करके सूचना दूंगा ।

जहां तक श्री बलराम यादव और श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की सूचना है . . .

(व्यवधान)

श्री अचल सिंह—

ये घोषणायें कर देते हैं । माननीय मंत्री जी ने कानपुर में घोषणा की, उन्नाव में घोषणा की . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

जब जानकारी हासिल कर लूंगा, तभी निर्णय लूंगा । आप बैठें ।

जहां तक श्री बलराम यादव और श्री दुर्गा प्रसाद जी का सवाल है, मा0 उपाध्यक्ष जी ने सदन में घोषणा की थी कि इस मामले में जांच के बाद चर्चा होगी ।

(कई सदस्यों द्वारा शोर करने पर)

आप सुन लें, अभी जांच नहीं हुई है ।

(घोर व्यवधान)

पूरी बात तो सुन लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा गम्भीर है । सरकार इसको छिपाने की कोशिश कर रही है, एक मंत्री पर गम्भीर आरोप है । सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि जांच के बाद चर्चा स्वीकार करेंगे । जांच इस मामले में हो चुकी है, कई महीने पहले जांच हो चुकी है । इसके बाद जब हम खड़े हुए तो आपकी तरफ से आया कि चर्चा होगी, चर्चा स्वीकार की गयी । आपकी पीठ से जो निर्णय लिए जायेंगे, उसको अगर बदला जायगा तो लोकतंत्र के लिए खतरा तो है ही, लेकिन यह विधान सभा की गरिमा भी समाप्त हो जायेगी और इससे आपकी गरिमा खत्म हो जायेगी । इसलिए मान्यवर, इसको घुमा-फिरा कर नहीं बल्कि सीधे इस पर चर्चा स्वीकार की गयी । इस पर चर्चा स्वीकार होने के बाद किस तरह से इसको बदला गया है, जबकि चर्चा स्वीकार की गई है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया था उसको आप स्वयं देख लें । इस तरह के आदेश माननीय उपाध्यक्ष जी ने नहीं दिये थे ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मा0 मुलायम सिंह जी कह चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं दूसरे सन्दर्भ में कहना चाहता हूं कि आप व्यवस्था को देखें, अगर इस तरह की व्यवस्था हो जायेगी कि जांच के बाद चर्चा होगी तो जांच की रिपोर्ट कब आयेगी ? यह सरकार के हित में है ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी बात को भी सुन लें । यदि आप सुन लेंगे तो आपको बात कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी । मैं इस मामले को पुनः देखूंगा और तब निर्णय दूंगा । माननीय दिनेश जौहरी की जो सूचना है, यह मामला नियम 300 में नहीं आता है । आखिरी सूचना मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी की है उनसे मैंने अनुरोध किया है कि वह 4 बजे मेरे कार्यालय कक्ष में आ जायं, इसमें फाइल को देखने के बाद निर्णय होगा ।

(व्यवधान)

दिनांक 21 मार्च, 1988 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रति सम्मानजनक शब्दों के लिए संसदीय कार्य मंत्री के प्रति बधाई का प्रस्ताव

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब माननीय गुप्ता जी ने राष्ट्रभाषा के सवाल को लेकर यहां पर औचित्य का प्रश्न उठाया था, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और हम लोगों ने उससे प्रेरणा भी ली और उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार करने में वे हमसे ज्यादा सहयोग कर रहे हैं बजाय गुप्ता जी के । हम लोग तो यह चाहते ही हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा और रूस में रूसी भाषा में बोला जाता है ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

इस तरह से जब हमारे देश के लोग विदेशों में जायं तो राष्ट्र भाषा का ही प्रयोग करें । इस बात पर हम विपक्ष के लोग उनके लिए बधाई का प्रस्ताव लेकर आये हैं । यह दुख की बात है कि आजादी के 40 वर्षों के बाद हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने देश में अपनी राष्ट्रभाषा भी नहीं बोल सकते हैं । इसलिए हम एक प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री को बधाई देने के लिए लाये हैं और उसे सदन में पढ़ने के लिए आपकी अनुज्ञा चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं यह प्रस्ताव दे चुका हूं । प्रस्ताव यह है कि "यह सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री, डा0 अम्मार रिजवी को उनके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति सम्मानजनक रवैये के लिए बधाई देता है और भारत सरकार से भी अनुरोध करता है कि भविष्य में देश में या विदेश में प्रधान मंत्री या मंत्रिगण विशेष अवसरों पर अंग्रेजी के बजाय हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करें ।"

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं, यह लिखा नहीं जायेगा । मैं मा0 अध्यक्ष जी से पूछ लूंगा कि जो प्रस्ताव आया है उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मा0 उपाध्यक्ष जी, यदि हम लोगों में देश के प्रति जरा सा भी सम्मान है, देश के प्रति जरा भी भी भक्ति है तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती है । इसलिए आपने अनुज्ञा दे दिया और मैंने इसे पढ़ दिया ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों के संबंध में अब कोई व्यवस्था न उठाइए, जैसा कि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि कक्ष में आ जाइयेगा, वहां बात हो जायेगी, यह उचित भी है, इसलिए इस पर कुछ न कहिए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल जो आपने नियम 110 की सूचना को इसलिए अस्वीकार कर दिया था कि इसकी लिखित सूचना नहीं थी, जबकि नियम 110 में है कि बिना लिखित सूचना के भी कोई प्रस्ताव कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा उसको हमने शिरोधार्य किया, लेकिन आज तो मान्यवर, लिखित सूचना है और 110 में दिया हुआ है कि वह प्रस्ताव असंसदीय न हो, तो पेश किया जा सकता है और उस पर आपकी अनुज्ञा जरूरी नहीं है, इन सबको देखते हुए तो आपको आज अनुज्ञा दे देनी चाहिए और जहां तक 110 में लिखित प्रस्ताव में यह भी है कि वह नियमानुकूल न हो, असंसदीय न हो तो मान्यवर यहां पर ऐसी भी कोई बात नहीं है, यह अगर नियमों के अंदर है तो आप इसकी अनुमति दें ताकि यह मालूम हो सके कि हिन्दी भाषा के प्रति इनकी मंशा क्या है ? इसलिए यह बहुत आवश्यक है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपको हर अधिकार है, आपको ग्राह्य व अग्राह्य करने के पूरे-पूरे अधिकार हैं, लेकिन आपको जो भी यह अधिकार हैं वह भारत के संविधान और नियमावली से बंधे हुए हैं । 110 (1) आप देखने की कृपा करें जैसा कि मा0 तिवारी जी ने कहा

कि नियमावली के तहत यह बात है कि बिना किसी सूचना के भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, परन्तु कल कई माननीय सदस्य सामूहिक रूप से यह प्रस्ताव लाए परन्तु आपने उसे अग्राह्य कर दिया यह कहकर कि लिखत सूचना नहीं है, इसलिए केवल एक बात आप बता दें अगर हमारा वह प्रस्ताव संविधान के अनुसार है या जिन बातों पर विधान सभा में हम चर्चा करने के लिए अधिकृत हैं, हां अगर हम कोई ऐसी बात कहें या ऐसा प्रस्ताव लाएं जिसमें अशालीनता प्रकट होती हो या असंसदीय हो या कोई उसमें ऐसी बात हो जो नियमों में न आती हो तो इसके रोकने के लिए आपका पूरे-पूरे अधिकार है। लेकिन अगर हम कोई बात ऐसी कहें या ऐसा प्रस्ताव लाएं जो नियम सम्यक् हो तो आपको इसमें अनुज्ञा देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए और कोई ऐसी बाधक बात नहीं है कि आपकी ओर से उस पर अनुज्ञा न दी जाए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको अनुज्ञा दे दें ताकि यह पता चल सके कि यह अपनी भाषा को बढ़ावा देने में देश व विदेश में कितने प्रयत्नशील हैं और क्या इनकी भावनाएं हैं, इसलिए इस प्रस्ताव की ओर आप पुनः विचार कर लें और अनुज्ञा देने की कृपा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैं समझता हूं कि हिन्दी को राज्य भाषा बनाने में आप भी सहमत होंगे और सत्ता पक्ष के लोग भी हैं और जैसा कि कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक लम्बा-चौड़ा भाषण भी दिया था इससे यह मालूम होता है कि यह भी इस पक्ष में हैं इसलिए इसमें क्या हर्ज है इसके लिए आप अनुज्ञा दे दें, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इसमें आप आड़े न आएं, ऐसा ही है तो आप इनसे पूछ लें कि यह प्रस्ताव यहां आ जाने दें या नहीं तब भी पता चल जायेगा कि इनको कितना लगाव है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रस्ताव क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे प्रस्ताव का पता नहीं है। जो मुलायम सिंह जी बोले हैं, वही वह भी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप मुझे भी सुन लें।

श्री फजलुल बारी—

अगर आप हमें इस पर बोलने के लिए मौका नहीं देंगे, तो यह अधूरा रह जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, क्या कठिनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक-एक आदमी बोल लें ।

श्री वेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

शतरुद्र जी आप बोलिये, बारी जी आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, आप हमें भी सुन लें, मुझे भी मौका दे दें ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मुलायम सिंह जी कोई प्रस्ताव बधाई का पढ़ना चाहते थे, लेकिन आपने उनको इजाजत नहीं दी । विधान सभा से बधाई का प्रस्ताव जाना है और उसी पर राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा रवीन्द्र नाथ तिवारी जी भी बोले हैं । अम्मार रिजवी साहब को बधाई देना चाहते हैं । राष्ट्रभाषा में प्रधान मंत्री और सारे मंत्री बोले, तो इसमें बधाई की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी मंशा का आदर करते हुए जो प्रधान मंत्री हैं, जो सारे मंत्री हैं, जो देश की सरकार को चला रहे हैं, हिन्दी बोलना चाहिये । आज भी मान्यवर, भारत के संविधान की प्रमाणित प्रतिलिपि हिन्दी में उपलब्ध नहीं है । संसद में राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया है, लेकिन आज तक उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हिन्दी में उपलब्ध नहीं हो पायी है । अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है कि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्री हिन्दी में काम करें, तो सारी भावना इस प्रस्ताव के साथ है, और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बधाई देने की बात नहीं है । यह तो इनका कर्तव्य है । यदि यह उसका पालन नहीं करते हैं तो हमारी तरफ से निन्दा का प्रस्ताव आना चाहिए । यदि केन्द्र और इस सूबे के मंत्री हिन्दी भाषा में काम नहीं करते हैं तो हम उनकी निन्दा करते हैं । यदि यह मंशा इस प्रस्ताव के पीछे है कि यहां पर राष्ट्रभाषा हिन्दी में काम होंगे तो मेरा निवेदन है कि आप इसको परिमार्जित करके सरकार को आदेशित करें ताकि वे यहां पर हिन्दी में काम कर सकें ।

(श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री फजलुल बारी तथा श्री राम शरण दास खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, बहुत ज्यादती आप हमारे साथ कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी तरफ से एक आदमी बोल लिये हैं . . . । (व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

कैसे नहीं बुलवायेंगे आप ? (व्यवधान) । एक आदमी का सवाल नहीं है । सवाल है मुद्दे का । सौ आदमी बोल जायं । आप डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे और यह कर देंगे तो अमर हो जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बाद में अपना निर्णय दूंगा ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, अम्मार साहब को आप बिठा दें और मेरा निवेदन सुन लें ...

(व्यवधान)

(श्री अम्मार रिजवी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर काफी लोग बोल चुके हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, राम शरण दास जी की बात सुन लें ।

श्री राम शरण दास—

अम्मार साहब क्या बोलेंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि [X X X] और राष्ट्रभाषा हिन्दी के नाम पर चली जाय तो बहुत अच्छा । आप अमर हो जाओगे । इनको निर्देश दो कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मंत्री या दिल्ली का रहने वाला हो, वह विदेशी भाषा में भाषण नहीं करेगा । राष्ट्रभाषा हिन्दी में या उर्दू में अथवा खड़ी बोली में जस दंवी लाल जी करते थे, वैसा ही करेंगे । अंग्रेजी में बोलने वाले का मुंह काला होगा उनको जहन्नुम में डाल देंगे । आप यह निर्देश नहीं देंगे तो आपका क्या होगा, यह आप जानते हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूं । बड़े-बड़े स्पीकर काम कर चुके हैं । बिहार और दूसरे सूबों का मसला आपके सामने है, हाई कोर्ट के जजों का मसला आपके सामने है । इस बिना पर आपकी डिप्टी स्पीकरी चली जायेगी तो आप अमर हो जायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, कल इस प्रस्ताव के संबंध में आपने आदेश दिया कि चूंकि यह लिखित नहीं है इसलिए इसको नहीं सुना जायेगा । आज यह प्रस्ताव लिखित रूप में पहले ही आपको दे दिया गया । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार करते हुए बड़ा सम्मान समर्पित किया और कहा कि हम इसे स्वीकार करते हैं कि हिन्दी में काम काज किया जाय । लेकिन उनके चाहने के बाद भी शासन हिन्दी राष्ट्र भाषा की पूरी तरह से अवहेलना कर रही है । संसदीय कार्य मंत्री की मंशा भी तब पूरी हो जायेगी जब शासन और प्रशासन इसको स्वीकार

नोट—[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

करके लागू कर ले । इस पर चर्चा करना बहुत ही अहम् और जरूरी है अन्यथा अंग्रेजी माध्यम से बोलने वालों और बात करने वालों से संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी मंशा पूरी नहीं कर पायेंगे जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी और सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर कड़ाई से इसको लागू नहीं करेगा । अन्यथा मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की मंशा विफल हो जायेगी इसलिए मैं चाहूंगा कि यह प्रस्ताव चर्चा के रूप में स्वीकार कर लें जिससे संसदीय कार्य मंत्री जी की मंशा भी पूरी हो पाये और शासन और प्रशासन के लोगों को जो हिन्दी में काम करने के लिए संवैधानिक आदेश हैं, हमारी नियमावली में भी निर्देश है उनका ठीक से पालन होगा । आज बाहर के प्रदेश और दूसरे देश हम पर हंसते हैं जिस प्रदेश में राष्ट्रभाषा जन्मी है वहीं का प्रशासन उसकी उपेक्षा कर रहा है और राष्ट्रभाषा अपमानित हो रही है । इसलिए इस प्रस्ताव को आप स्वीकार कर इस पर चर्चा करा दें जिससे संसदीय कार्य मंत्री जी की मंशा भी पूरी करने में हम मदद कर सकें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा कहना यह है . . . (व्यवधान)

श्री हरदेव—

इनके लड़के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और यह यहां हिन्दी की बात करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हरदेव जी आप बैठें । माननीय वर्मा जी आप बोलिये माननीय हरदेव की चिन्ता न करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, कल आप पीठ पर नहीं थे माननीय अध्यक्ष जी जब बैठे थे तो यह मामला आया था यहां पर हिन्दी लिपि में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के बारे में माननीय गुप्ता जी ने मामला पेश किया था । उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा रूस में रूसी भाषा का प्रयोग होता है, फ्रांस में फ्रैंच का प्रयोग होता है हमारे यहां भी हमारे नेताओं को हिन्दी में बोलना चाहिये । इस पर यह बात आई कि यहां से एक प्रस्ताव हो जाय कि हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि जब बाहर जाते हैं या उनके सम्मान में यहां बोलते हैं तो उसमें राष्ट्रभाषा का प्रयोग होना चाहिए यह बात संविधान में भी दी है । हमें 38 साल हो गये संविधान को लागू किये जिसमें हिन्दी को जो राष्ट्रभाषा होने की बात लिखी है वह पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है ।

हम लोग हिन्दी भाषी हैं अगर इसको हल्के भाव से लेंगे तो कभी भी हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं बन पायेगी । इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर एक बात स्वाभाविक रूप से जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के मुंह से निकल गयी है । हम चाहते हैं, आपको भी इसमें गर्व है, एक प्रस्ताव यहां पास करें कि हमारे नेता सार्वजनिक अवसरों पर या दूसरे देशों में जब जायं तो राष्ट्रभाषा का ही प्रयोग करें इससे संविधान की भावना की भी रक्षा होगी । इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है । इसमें किसी के मान-अपमान की बात नहीं है और न कोई मतभेद की बात है । हम चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब बोलने के लिए खड़े हो तो इसको स्वीकार कर लें ।

यह सर्वसम्मति से पास हो जाय तो अच्छा है अगर उनको संकोच का एहसास हो रहा हो इस प्रस्ताव को आप प्रस्तुत कर दें अगर वह विरोध में मत देते हैं तो विरोध कर सकते हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह और अन्य माननीय सदस्य सदन के पटल पर रखे हैं उसको प्रस्तुत करने की आप अनुज्ञा दें यह महत्वपूर्ण मामला है । व्यक्तिगत रूप से मैं अनुरोध करता हूं कि भाषा के मामले में बाहर के लोग कितने राष्ट्र भाषा के मामले में सजग रहते हैं । हमारे बगल में एक छोटा देश नैपाल है जिसका नैपाली राष्ट्रभाषा है । हमारे बार्डर पर वहां के महाराजा आये थे उनको सुनने के लिए बहुत से लोग गये थे मैं भी गया था सारे लोग हिन्दी जानते थे । वहां के जो अधिकारी आये थे वह हिन्दी जानते थे और महाराजा स्वयं हिन्दी जानते हैं ।

हमने वहां के जो अधिकारी आये थे उनसे पूछा किस भाषा में बोलेंगे तो उन्होंने कहा अपना राष्ट्रभाषा नैपाली में बोलेंगे और महाराजा ने पूरा भाषण नैपाली में ही दिया । हम नैपाली थोड़ा समझ लेते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं समझ पाये । महाराजा हिन्दी जानते हुए भी हिन्दी में नहीं बोले उनका अपना स्वाभिमान इसी में है कि वह अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं । हमारा इतना बड़ा देश है, दुनिया में इतनी जनसंख्या है लेकिन हम राष्ट्रभाषा का प्रयोग ऐसे मामलों में नहीं करते हैं । हमारे एक रूसी मित्र बनारस में आये थे उन्होंने मेरा कालर पकड़ लिया कहा कि क्या आपकी कोई मातृभाषा भी है । मातृभाषा में ही व्यक्तित्व का विकास सम्भव हो सकता है । दूसरी भाषा में नहीं । मातृ भाषा ही अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकती है दूसरी भाषा नहीं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हिन्दी के सम्मान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनायें, उर्दू को राष्ट्रभाषा बनायें, एक भाषा तो खुले आम से कहें । इसलिए यह शासक दल इसे स्वीकार नहीं करता है तो हमारी विधान सभा की मंशा इस प्रस्ताव के जरिये केन्द्र सरकार के पास भेजी जा रही है, तो इस पर आप अनुज्ञा दें यह राष्ट्र भाषा के सम्मान का मामला है ।

श्री अम्मार रिजवी—

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राज भाषा भी है और सदन की भी भाषा है और मातृभाषा भी है तो इसमें किसी को इंकार नहीं हो सकता है । हिन्दी के लिए कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया है वह सभी को पता है, इसमें दो राय नहीं है । हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए अभी और किया जाना है और किया जा रहा है । लेकिन प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह यादव ने यहां पर रखा वह अगर बधाई का प्रस्ताव होता तो उसमें कोई बात नहीं थी, जब हम समझते हैं कि हमारा और इनका बहुत पुराना संबंध है और उसको मित्रता के आधार पर रखा है, यह जो हमने बात कही है वह इनकी समझ में आ गयी है, इसलिए बधाई का प्रस्ताव दिया है, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर क्या हो रहा है उसका जिक्र किया ?

कल सरकार की मंशा थी चाहे उत्तर प्रदेश का मंत्री हो, हम लोग हों, कोई हों, हम सभी को हिन्दी भाषा का प्रयोग जिंदगी के हर हिस्से में करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है । सरकारी अधिकारी हैं जहां कोई बात होती है हिन्दी के प्रोत्साहन

में, प्रयोग में कमी हो रही है तो उनको निर्देश दिये जायेंगे और दिये जा रहे हैं कि हिन्दी भाषा का वह प्रयोग करें । अब प्रश्न यह है कि कोई प्रस्ताव यहां लाने की एक प्रक्रिया होती है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, हिन्दी की मंशा हमारी साफ है । वह एक प्रस्ताव लाये कि उत्तर प्रदेश के बाहर बोलने के ऊपर किस प्रकार उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये या किस प्रकार बोला जाये . . . ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, उस प्रस्ताव में कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गयी है । प्रस्ताव की भाषा यह है—कि सदन भारत सरकार के मंत्रियों और प्रधान मंत्री से भी अनुरोध करता है कि वह विशेष अवसरों पर राष्ट्रभाषा का प्रयोग करें । क्या सदन को राष्ट्र-भाषा अपनाने का अनुरोध करने का भी अधिकार नहीं है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस सदन को पूरा अधिकार है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सीमाओं में जो बात हो रही है उस पर आपने आदेश दिया, यह सर्वोच्च स्थान है उसके लिए । जहां तक राष्ट्र भाषा के स्थान का संबंध है उसमें इस सदन के माननीय सदस्य की कोई राय नहीं है जिसमें सभी सर्वसम्मत हों, उसमें राय की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मान्यवर, दूसरा निवेदन करना है कि एक प्रक्रिया होती है, नियम 110 की बात कही गयी उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दे, बिना सूचना के दिये जा सकते हैं—

1—संवेदना या बधाई का प्रस्ताव, 2—उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव, 3—अर्जनाओं को हटाने का प्रस्ताव, 4—समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव, 5—किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव, 6—किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, 7—वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव, 8—किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव, 9—किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव, 10—राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, यह इसके अन्तर्गत विषय है ।

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वर्ष 1973 में माननीय कल्पनाथ राय ने एक प्रस्ताव दिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने त्याग-पत्र दिया है, उसमें पीठ से निर्णय हुआ था कि नेता लोग मिलकर एक मत होकर किसी को बधाई देना चाहते हैं या निन्दा करना चाहते हैं तो वैसा करें । इसका मतलब दोनों पक्षों की तरफ से सर्वसम्मति होना जरूरी है, तब यह प्रस्ताव लाया जा सकता है । मान्यवर, प्रस्ताव की भावना जो है, जो नियत है, कांग्रेस सरकार की ही वह नियत है और कांग्रेस सरकार की नीति है हिन्दी के प्रोत्साहन में और पूरी तरह मौके दिये जायेंगे ।

किसी तरह की उसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा । पूरे देश की एक जबान और राष्ट्रभाषा हिन्दी है । हम इसमें पूरी तरह सहमत हैं, इसमे कोई विवाद की बात ही नहीं है । राय तो आप उस समय लेते जब कोई

विवाद की बात होती । जब कोई कहीं मतभेद नहीं है तो प्रस्ताव की क्या बात है, इसकी क्या आवश्यकता है । तो जब इसमें, इस प्रस्ताव को लाने के सम्बन्ध में असहमति नहीं हुई है और जिस चीज से प्रेरित होकर यह लाया जा रहा है, वह लाने योग्य नहीं है, वह यहां पर नहीं लाया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी ने कहा कि दोनों पक्ष सहमत होते तो इसको लाने में कोई आपत्ति नहीं थी, और जो आपने आपत्ति की थी कि प्रस्ताव ऐसा हो जो हमारे क्षेत्र की सीमाओं में हो, तभी इसमें आ सकता है । लेकिन मेरा अनुरोध है कि वह इसके बावजूद आ सकता है और इस सम्बन्ध में आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 88 की ओर दिलाना चाहता हूं, उसमें है कि संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा । तो यह नियम 88 के अनुसार नियम संगत है । यह भी मंत्री जी ने कहा कि परस्पर सहमति होनी चाहिए, तो मैं नम्रतापूर्वक संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह प्रस्ताव के किस अंश से असहमत हैं । जानकारी इसकी हो जाने पर हो सकता है कि हम लोग सहमत होने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालें । मंत्री जी का जो हमने भाषण सुना है, उसमें उन्होंने हमारे प्रस्ताव की जो मंशा है उसका कहीं विरोध नहीं किया है . . . (व्यवधान) वह यह केवल बता दें कि वह असहमत किस बात से हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, अभी माननीय गुप्त जी ने हमारी बात कह दी, जो मैं कहना चाहता था । मैंने पहले ही प्रस्ताव पढ़ दिया था, पुनः मैं यह प्रस्ताव पढ़े देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी अनुज्ञा नहीं है, आप उसे न पढ़ें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है ही, लेकिन हम इसको दुबारा पढ़ना चाहते हैं, जिससे जिन पंक्तियों से असहमति है उनको निकाल दिया जाए । अभी राम शरण दास जी ने यह बहुत ठीक कहा है कि हम और यह कुर्सी अमर नहीं है, आप इसी भावना से इसको देखिये । आप विदेशों में जाकर उर्दू, तामिल, बंगला, उड़िया कुछ बोलिये, अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा का इस्तेमाल कीजिए । हिन्दुस्तान की जितनी भाषाएं हैं, वह सभी हमारी हैं, हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी की बहिनें हैं, उसमें आप बोल दीजिए । मैं दुबारा पढ़ना चाहता हूं यह जानने के लिए कि किस पर आपकी असहमति है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी आज्ञा नहीं है, आप बैठिये और बजट भी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

लेकिन इससे महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती है । मंत्री जी ने कहा है कि सरकार की नीति भी है, नीयत भी है, किन्तु यह साफ हो गया कि इनकी नीति और नीयत कोई नहीं है । एक भी होती तो उनको इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहिए था । इसलिए हम इसके लिए इस सरकार की निन्दा करते हैं, आप हमारे देश की देशी भाषाओं को नहीं अपनाना चाहते हैं . . . (व्यवधान) प्रस्ताव से असहमत हैं तो वह हमें बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

यह तो वैसे ही है, जैसे हम यह प्रस्ताव करें कि यह सदन प्रजातंत्र में या धर्म-निरपेक्षता में विश्वास करता है या यह हम प्रस्ताव करें कि यह सदन समाजवाद में जो कांस्टीट्यूशन के अन्दर है, विश्वास करता है । यह सारी चीजें हमें आती हैं और हम भारत के नागरिक हैं, तो प्रजातंत्र में हमारा विश्वास है ही, इसको दोहराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । तो इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता ही नहीं है । इस पर चर्चा आपने पूरी करा दी । अब इसको आप समाप्त करावें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

हिन्दी विरोधी इस सरकार का पूर्णतया रुख है । इसलिए मैं इस सरकार की निन्दा करता हूं और इस रुख के विरोध में मैं इस सदन का अपने दल सहित बहिष्कार करता हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हिन्दी भाषा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं अपने दल के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह सरकार हिन्दी के बारे में कुछ नहीं करती है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश जी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, यह सरकार हिन्दी के लिए कुछ नहीं करती है इसलिए मैं इनकी निन्दा करते हुए अपने दल के साथ इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं भी इस सरकार की निन्दा करता हूं और अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रामचन्द्र बख्श सिंह भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री राज किशोर सिंह भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नियम 110 के अन्तर्गत है या नहीं, अनुमति प्रदान की जाये या नहीं, यह बिन्दु माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम-56 के अन्तर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(व्यवधान)

पहली सूचना ी अचल सिंह जी की, दूसरी सूचना श्री हरीश चन्द्र (हरीश जी) की तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की और श्री गोपालदास ादव की है इन्होंने लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर स्थित ग्राम श्रवणनगर में लगी आग से लाखों रुपये की सम्पत्ति जल जाने एवं एक व्यक्ति की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । चौथी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री मूलचन्द जी की है जनपद वाराणसी में सर सुन्दरलाल अस्पताल में पिछले 15 दिनों से चल रही हड़ताल से लगभग 110 मरीजों की मृत्यु हो जाने के संबंध में है । पांचवी सूचना श्री रघुवरदयाल वर्मा तथा श्री विजय सिंह राणा जी की जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद के कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे क्रमिक अनशन से उत्पन्न स्थित के संबंध में है । छठीं सूचना सर्वश्री कुशलपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण, सुरेश प्रताप सिंह गांधी तथा श्री जगवीर सिंह की मथुरा जनपद में किसानों का गन्ना खेतों मे सूख जाने से किसानों मे व्याप्त असन्तोष के संबंध में सूचना दी है । सातवीं सूचना सर्व श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, फजलुल बारी, मित्रसेन, राजकिशोर सिंह, शारदा प्रताप तथा श्रीराम सजीवन की स्कूटर इण्डिया के मजदूरों को गिरफ्तारी से उत्पन्न कानून व्यवस्था के संबंध में है । आठवीं सूचना श्री सूर्यप्रताप शाही एवं श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी की भी इसी संबंध में है । नवीं सूचना श्री पारस नाथ यादव की जनपद जौनपुर के रुहट्टा मोहल्ले में अमोनिया गैस की पाइप लाइन फटने से जनता में व्याप्त असन्तोष के संबंध में है । दसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रंगवा बांध के फाटक बन्द करने एवं वहां कार्यरत उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की अराजक तत्वों द्वारा पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । ग्यारहवीं सूचना श्री रामनरेश यादव, श्री माता प्रसाद पाण्डेय श्री शफीकुर्रहमान बर्क की गोरखपुर जनपद में बरगदवा के अन्तर्गत ग्राम आदना की हरिजन बस्ती में लाखों की सम्पत्ति की लूटपाट किये जाने एवं महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में है । बारहवीं सूचना श्री मनोहर लाल जी की कानपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है । तेरहवीं सूचना सर्व श्री रवीन्द्र-नाथ तिवारी, विष्णुदेव, विक्रमादित्य पाण्डेय, हर्षवर्धन, राकेशधर त्रिपाठी, सुश्री विजय लक्ष्मी की वन विभाग द्वारा बिड़ला उद्योग समूह को सस्ते दर पर लकड़ी उपलब्ध कराये जाने से सार्वजनिक कोष में लाखों रुपये का घाटा होने के संबंध में है ।

चौदहवीं सूचना श्री जमुना प्रसाद बोस की बांदा जनपद की तहसीलों की हवालातों में किसान मजदूरों से भरी होने एवं उनका उत्पीड़न किये जाने के संबंध में सूचना दी है । पन्द्रहवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री किशनलाल श्री अवनीश कुमार सिंह की रामपुर जनपद के टाण्डा कस्बे में गलाघोंट बीमारी से कई व्यक्तियों के मर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । सोलहवीं सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा एवं भगौती सिंह ने थानाध्यक्ष पड़री, जनपद मिर्जापुर द्वारा तीन ग्राम प्रधानों को थाने के अन्दर नंगा करके पिटाई किये जाने के संबंध में है । सत्रहवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित किये जाने वाली

गेहूं के मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । अठारहवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम की बसों का किराया बढ़ाये जाने के संबंध में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक-एक आदमी को एक-एक सूचना पर सुनूंगा क्योंकि काफी समय हो चुका है और अभी बजट आना है । केवल 2 मिनट ग्राह्यता पर बोलें, भाषण न दें ।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में एक श्रवन नगर गांव है । वहां पर कल दोपहर को एक झोपड़ी में आग लग गयी जिससे गांव के 200 घर जल गये और एक आदमी की मृत्यु हो गयी है । 6 घंटे आग बुझाने में लगे । अब गर्मी आ रही है जिसमें प्रदेश में अधिकतर आग लगती है जिससे खलिहान-घर आदि जलते हैं । जब राजधानी में आग बुझाने में 6 घन्टे लगे तो अगर किसी गांव में आग लगती है तो पूरा गांव जल जाता है । यह बहुत अहम् मसला है । कई आदमी घायल हो गये हैं, पशु जल कर मर गये हैं और घायल हुए हैं । लोगों के पास खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ नहीं बचा है लोगों में त्राहि-त्राहि मची है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आज की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैंने नियम 56 में जो सूचना दी है वह राजधानी के सरोजनीनगर क्षेत्र के एक गांव श्रवन नगर में भयंकर अग्निकाण्ड के बारे में है । इस आग से 200 घर जल गये हैं और उन घरों में कुछ नहीं बचा है । एक आदमी की जल कर मृत्यु हो गयी है । कई लोग बुरी तरह से झुलस गये हैं लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । मवेशी भी जल कर मर गये हैं । 6 घंटे तक आग धू-धू करके जलती रही 2 बजे दिन से लेकर 8-9 बजे तक आग शान्त हुई है । जनता में लोग अपने भविष्य के बारे में निराश हो गये हैं । मैं चाहूंगा कि उस गांव में नि:शुल्क राशन, दवाइयां, कपड़े और भवन बनाने के लिए अनुदान और मृतकों को क्षतिपूर्ति दी जाय । अग्निकाण्ड के बारे में जो शासन की नीति है उससे कुछ होने वाला नहीं है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उदार होकर इस बारे में सोचें जिससे जो पीड़ित हैं उनको राहत मिल पाये । तत्काल उनको राहत देने की आवश्यकता है । मैं चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है । मैं सुबह वहां होकर आया हूं । मेरे क्षेत्र में श्रवन नगर एक गांव है जहां पर कल भीषण आग लगी जिससे 200 मकान जल गये हैं और एक व्यक्ति जगन्नाथ यादव की मृत्यु हो गयी है । एक लड़की शर्मावती हास्पिटलाइज है । 2 जानवर मर गये हैं । तमाम लोग झुलस गये हैं । यहां से अधिकारी गये और उन्होंने कुछ लोगों को कम्बल और धोती दीं और तमाम लोगों को कुछ नहीं दिया गया है । स्थिति यह है कि लोगों के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है । चारे की कोई व्यवस्था नहीं है । मकानों की छतें कट गयीं हैं जिससे गांव के लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं । कुओं का पानी सूख गया है जिससे त्राहि-त्राहि मची है ।

मैं चाहूंगा कि उनके लिये खाने-पीने का बन्दोबस्त किया जाय टेंटों की व्यवस्था की जाय और मकान बनवाने के लिए अनुदान दिया जाय । जो लोग सर्विस में हैं या जिनके पास खेती ढ़ाई बीघे से ऊपर है उनको राहत नहीं दी गयी है । अभी फसल कटने में और घर पर आने में काफी समय है । गांवों के लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है । और भूखों मरने की स्थिति है । आप जिस प्रकार से राहत अनुदान देते हैं, उसी प्रकार से उन लोगों को भी राहत अनुदान दिलवायें और उनके खाने-पीने की व्यवस्था करायें और इस पर मान्यवर, चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, ग्राह्यता पर कई माननीय सदस्यों ने विस्तार से कहा है । लखनऊ जनपद के सरोजनीनगर स्थित ग्राम श्रवण नगर में एक षडयंत्र के तहत आग लगाई गयी, जिसमें लाखों रुपये की सम्पत्ति जल गयी और 200 घर स्वाहा हो गये । मेरी जानकारी से कुछ लोगों की यह साजिश थी, वे लोग जमीनों पर कब्जा करना चाहते थे । मान्यवर, इस आग लगने की घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराई जाय । मान्यवर, जिन लोगों ने इन तमाम लोगों को बेघर-बार कर दिया है, उनकी सम्पत्ति जला दी है, उनको भी जला दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय । मान्यवर, अभी तक सरकार ने उन लोगों के पुनर्वासन के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है । मान्यवर, वे लोग जिससे अपना रोजगार करते थे, वे भी जला दिये गये हैं, अब उनकी रोजी-रोटी का कोई सहारा भी नहीं रह गया है । अतः कार्यवाही रोककर चर्चा कराने, पीड़ित लोगों को पुनर्वासित किये जाने की मांग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह एक दुखद घटना है, हम सबको दुख है । मान्यवर, इससे पहले भी हमारे पास इस घटना के संबंध में जानकारी मिली थी और जो बातें माननीय सदस्यों ने बताईं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि काफी नुकसान हुआ है और काफी मवेशियों को क्षति पहुंची है । माननीय अनुग्रह नारायण ने जैसा कहा, इसमें किसी प्रकार की किसी की साजिश भी हो सकती है । शासन उस वक्त कोई सहायता नहीं कर सकता था, लेकिन आग बुझाने में पूरी तरह से तत्परता दिखाई गई, फायर ब्रिगेड के इंजन वहां पर पहुंचे ।

मान्यवर, इस पूरे प्रकरण की जांच हम स्वयं करवायेंगे । जो लोग आग लगने से प्रभावित हुए हैं, उनको खाने के लिए और रहने के लिए सहायता दिलाई जायगी । जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको और भी जो सहायता हो सकती है, वह दिलाई जायगी । मान्यवर, माननीय शारदा प्रताप जी ने कुछ नाम भी बताये हैं, मैं बहुत ही अनुग्रहीत हूंगा माननीय सदस्य का कि वह उन नामों की सूची दे दें ताकि उस सूची के हिसाब से रिलीफ का और राहत का कार्य जो है, वह किया जाय ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, इस सूचना में हमारा भी नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपका नाम पढ़ दिया था ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैं घटनास्थल से ही होकर आ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त हो गया । आप बैठिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जो लोग जल गये हैं, उनको सहायता दी जायगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आश्वासन सरकार सदन में देती है, क्या अपने दिये हुए आश्वासनों का वह खुद ख्याल रखती है ? मान्यवर, थर्डली, जिला रायबरेली में दंगा हुआ था, मैंने उसके संबंध में सदन में सूचना दी थी, मेरी सूचना पर इसी सदन में माननीय गृह मंत्री ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मरने वालों के परिवार को बीस हजार रुपया और घायल लोगों को रिलीफ दी जायगी । मान्यवर, इस आश्वासन के बावजूद भी किसी को कोई रिलीफ नहीं दी गयी ।

मान्यवर, यह जो सदन में आश्वासन दिया जाता है, इसको सरकार कभी पूरा नहीं करती है । मान्यवर, शासन पक्ष की तरफ से यह गलत बयानी की जाती है, सदन को धोखा दिया जाता है । मान्यवर, सहायता के संबंध में जो भी आश्वासन सदन में दिया गया, उनके अनुसार आज तक किसी को भी सहायता नहीं दी गयी । मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, जो माननीय आजम खां गलत बयानी और झूठे आश्वासन की बात कह रहे हैं, उसमें सही स्थिति यह थी कि वह मेडिकल कालेज में आकर मरा था, उस घटना से उससे कोई वास्ता नहीं था । एक जो मस्जिद के सामने लगी थी, उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें मुआवजा दिया जाना चाहिए ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । आप बैठिये ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, यह बेइमानों की सरकार है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान के मध्य)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

जो वादा कर चुके हैं, उसको पूरा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिये, इन्होंने कह दिया, पाण्डे जी आप भी बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जनपद बनारस में सर सुन्दर लाल अस्पताल है । पिछले 15 दिनों से वहां पर हड़ताल चल रही है । यह अस्पताल पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐसा अस्पताल है, जहां पर सारे आधुनिक उपकरण मौजूद हैं । जब भी कोई गंभीर रोगी होता है तो वह इसी अस्पताल में आता है । इस अस्पताल में पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं लेकिन पिछले 15 दिनों से वहां पर हड़ताल चल रही है कर्मचारियों और नर्सों ने हड़ताल कर दिया है । इस वजह से जो गंभीर रोगी थे, उनको अस्पताल से मुक्त कर दिया गया है । मेरे जानकारी है कि पिछले 15 दिनों में करीब 110 लोगों की मृत्यु हो गयी है, चिकित्सा का अभाव है और जिन लोगों को आक्सीजन लगी हुई थी जिन लोगों की डायलिसिस हो रही थी तो जो लोग आपातकाल में भर्ती थे, उन सारे के सारे लोगों को अस्पताल से मुक्त कर दिया गया है । कई छोटे-छोटे बच्चे जो अस्पताल में भर्ती थे उनकी भी मृत्यु हो गयी है, महिलाओं की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो गयी है । मान्यवर, यह 900 शैय्याओं का अस्पताल है, इसमें ब्लड बैंक है, जहां पर खून दिया जाता है लोगों को जिन्दगी देने के लिये, वहां लाखों रुपये का खून बहा दिया गया । इस समय ऐसी स्थिति हो गयी है और अगर यही स्थिति बरकरार रही तो आने वाले दिनों में और विस्फोटक हालत हो जायेगी । अगर प्रदेश सरकार और वहां का प्रशासक इस तरह का मूक दर्शक बना रहा तो स्थिति कल्पना से बाहर है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सर सुन्दर लाल अस्पताल में जो हड़ताल चल रही है, उस हड़ताल में प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करे और हड़ताल तुड़वाने का प्रयत्न करे । मान्यवर, जो बीमार लोग हैं उनका इस अस्पताल में इलाज के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि दिल्ली, लखनऊ में जाकर इलाज करा सकें । तो मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार तुरन्त हस्तक्षेप करें और हड़ताल तुड़वाकर तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, वाराणसी के सर सुन्दर लाल अस्पताल की जो हालत है, यह खेद का विषय है कि 3 वर्ष के अन्दर यह सातवीं हड़ताल है और इस वक्त वहां की हालत यह है कि पता नहीं कितने आदमी मर गये जैसा कि 110 का जिक्र है कि 110 लोग मर गये और ब्लड बैंक जो खून का खजाना है, वहां सारे खून को बहा दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो वही बात कह रहें हैं ।

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि तत्काल इस पर ध्यान दें, दुःख तो इस चीज का है कि सरकार भी यह जानती है 15 रोज हो गये हैं हड़ताल किये और इस पर सरकार ने क्या किया ? इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि सरकार के आप अनुमति दें और इस पर 2 घंटे की चर्चा करायें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अस्पतालों में इस प्रकार की जब हड़ताल होती है तो उसके जो नतीजे होते हैं, वह बड़े भयानक होते हैं और मैं समझता हूं कि दुनिया में चन्द ही देश होंगे जहां पर अस्पतालों में भी हड़ताल की इजाजत है । जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का संबंध है, मान्यवर, इस बारे में कल माननीय शतरुद्र जी ने मुझे इस बारे में बताया और उसी समय मैंने स्वास्थ्य विभाग में सूचना भिजवाई थी कि इसके बारे में जो भी कार्यवाही की गयी हो और जो कुछ की जा रही हो, इस हड़ताल को समाप्त करने के लिये जो कदम उठाये जा रहे हों वह मुझे बताये जायं । अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी है, जैसे ही आ जायेगी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी को सूचित करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डायरेक्टर, मेडिकल हेल्थ और वाराणसी के अधिकारियों को यह आदेश भेज दिये गये हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाय । वैसे हम सबको भी ध्यान में रखना चाहिये कि अस्पतालों को इस प्रकार की हड़ताल से अलग रखें ताकि इंसान की जिन्दगी से न खेला जाय तो अच्छा होगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सर सुन्दर लाल अस्पताल में जो हड़ताल चल रही है, इसके बारे में यह कहा कि नहीं होनी चाहिये और दुनिया के किसी भी देश के अस्पतालों में हड़ताल नहीं होती है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार हड़तालों की सरकार है, जैसा कि मूल चन्द जी ने कहा कि पिछले 3 साल में 7वीं बार हड़ताल हो रही है, आपकी सरकार के जमाने में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों की सबसे बड़ी हड़ताल हुई, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जहां हड़ताल नहीं हुई हो ।

लेकिन आपकी सरकार हमेशा लापरवाही से काम लेती है । आज 15 दिन हो गये और यहां पर शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा बात तो आपके संज्ञान में आयी । आपको जानकारी नहीं हुई और 15 दिन तक मरीज मरते रहे । वह ऐसा अस्पताल है जहां हर प्रकार की सुविधा है, मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर जिन रोगियों को ब्लड चढ़ाया जा रहा था उनकी ब्लड की निडिल हटा ली गयी, जिनको आक्सीजन चढ़ाई जा रही थी, आक्सीजन सिलेंडर हटा लिये गये और मरीजों को मरने के लिये मजबूर कर दिया गया । दुनिया में कहीं हड़ताल नहीं होती है, यह कहने से समस्या का समाधान नहीं होता है । आप सदन में सुनिश्चित रूप से आश्वासन दें कि 15 दिनों से जो कार्यवाही नहीं की गयी है, आप उसको समाप्त करने के लिये फौरन कोई कदम उठाने में सक्षम हैं या नहीं । वहां पर मरीजों के लिये कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । यह अस्पताल केन्द्र सरकार का अस्पताल है । केवल इस बात का सहारा लेकर कि मेडिकल के अधिकारियों से बात की है, काम नहीं चलेगा । वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । आप केवल नीतिगत बात कह रहे हैं या कोई ठोस

कदम उठाने जा रहे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इस अहम और गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री कब तक इस समस्या पर कार्यवाही कर इस हड़ताल को समाप्त करायेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह केन्द्र और प्रदेश का मामला है । सुन लेंगे तो सदन में आ जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

कौन से नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां पर बोल रहे थे, आप इनको संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से यहां पर बुलवा दें, डायरेक्टर और कमिश्नर को बुलवा दें, लेकिन यह केन्द्र सरकार की यूनीवर्सिटी है । सदन में जो यह मामला शतरुद्र प्रकाश जी और मूल चन्द जी ने उठाया, इसको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भेजें । आप वहां क्यों फंस गये । केन्द्र सरकार में मंत्रियों की कहार के बराबर इज्जत नहीं है, मुख्य मंत्री की लुहार के बराबर इज्जत नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैंने इसी कारण से कोई बात यह नहीं कही कि क्या करने जा रहे हैं क्योंकि हमें पता था कि यह हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर की चीज है । हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से समझौता हो जाय और उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार मिल कर इस समस्या का समाधान करें । मान्यवर, ठोस कदम उठाने की बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही, उत्तर प्रदेश की इस सरकार के जमाने में सबसे बड़ी हड़ताल हुई, इसमें कोई शुभा नहीं है कि हड़ताल बड़ी थी, लेकिन जिस प्रकार से और जिस तत्परता से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया गया उसकी भी नजीर दूसरी जगह मिलना मुश्किल है । यह भी बात रही, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, मैंने कोई ठोस बात नहीं की, चलिये मैं इसे मान लेता हूं, लेकिन इतनी देर माननीय नेता विरोधी दल ने भाषण दिया, वे ही कोई ठोस बात उसमें बता देते । मान्यवर, मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस पक्ष और उस पक्ष की बात को छोड़कर, सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या अस्पताल जैसी जगहों पर ऐसी जगहों पर हड़तालें होना कहां तक उचित है ? अस्पताल में किसी को खून चढ़ाया जा रहा है, किसी को आक्सीजन दी जा रही है, क्या हम मांगों को लेकर, चाहे तनख्वाह की बात हो, भत्ते की बात हो, सहूलियतों की बात हो, क्या हमें इस बात का अधिकार है कि हम उस आक्सीजन की ट्यूब को मरीज की नाक से निकाल लें, मास्क चेहरे पर लगा हुआ हो, उसे हटा दें ?

मान्यवर, चाहे हम डाक्टर हों, इम्पलायी हों, कम्पाउंडर हों, वार्ड ब्वाय हों, फार्मेसिस्ट हों, नर्स हों, क्या हमें इस बात का अधिकार है कि जिस मरीज के खून चढ़ रहा हो, उसके पास से खून चढ़ाने वाली सुई निकाल लें और वह बोतल वहां से हटा दें । इसका किसी को अधिकार नहीं है कि दूसरे की जिन्दगी से खेलें । मान्यवर, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपस में सब बैठें और डिबेट होनी चाहिए । कम से कम कुछ क्षेत्र की समस्याओं को देखें, लेकिन कुछ क्षेत्रों को इनसे अलग भी रखें,

ताकि जनमानस की जिन्दगी वह उससे प्रभावित न हो । मान्यवर, मैंने जो बात कही थी उसे दोहराना चाहता हूं । एक-आध ही मुल्क होंगे, जहां इस तरह की हड़ताल हो सकती है, लेकिन किसी की जिन्दगी से खेलना उचित नहीं है । माननीय सतरुद्र प्रकाश जी ने जो इस बात को उठाकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । कल भी उनको बहुत पीड़ा थी, उन्होंने मुझसे बात की थी । मान्यवर, उ0 प्र0 सरकार के जो अधिकार हैं, उनमें सीमित रहते हुए, जो भी कर सकते हैं, मरीजों को सहायता पहुंचाने के लिए उनको दूसरे अस्पतालों में ले जाने के लिए, इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए, हम करेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा हड़तालों के संबंध में कि सरकार पूरी तत्परता से कार्यवाही करती है, कर रही है । मान्यवर, यहां कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उस हड़ताल के दौरान दो महीने तक सारे प्रदेश का कामकाज ठप्प पड़ा रहा, सारा प्रशासन पैरालाइज रहा, क्या वही तत्परता इसमें भी करने जा रहे हैं, तो उसको बता दें । मान्यवर, इस अस्पताल की हड़ताल को वहां 15 दिन हो गये लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, आपको कोई जानकारी ही नहीं हुई ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, फिरोजाबाद नगरपालिका के कर्मचारी दिनांक 14-3-88 से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं । सारा काम वहां के दफ्तर में ठप्प पड़ा हुआ है, जिससे न्यायिकों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं । अब स्थिति यह है कि वहां के सफाई कर्मचारी भी उनकी हड़ताल में सहयोग करने पर तुले हुए हैं । मान्यवर, वहां कर्मचारियों की हड़ताल के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर, उनकी प्रमुख मांगें हैं, अकेन्द्रीय कर्मचारियों को पेंशन आदि की बाबत, भविष्य निधि का पैसा जो कटा है, उसको खाते में जमा कराना, चौकीदार, ड्राइवर और चपरासियों को जो वर्दी मिलती थी, वह उन्हें 2 साल से नहीं मिल रही है, कम से कम वह वर्दी तो दिला दें । 4-5 उनकी और अतिरिक्त मांगे हैं । उनका कहना है कि हम लोगों को जो सुविधाएं मिल रही थी पेंशन आदि की वह क्यों नहीं मिल रही है ।

जो वेतन 1979 से बढ़े हैं आदि अभी बढ़े थे, उसको उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, हड़ताल को इतने दिन हो गये, शासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उनसे वार्ता करने नहीं गया, कोई भी अधिकारी नहीं गया । मान्यवर, इसकी वजह से नगरपालिका की आमदनी पर भी प्रतिकूल असर पड़ा रहा है । मान्यवर, आप सरकार को आदेश दें कि किसी उच्चाधिकारी को उनसे वार्ता करने के लिए तुरन्त भेजा जाय ताकि, हड़ताल टूट सके, उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाय । मान्यवर, इससे वहां गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । आप इस पर चर्चा करा दें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, बस एक मिनट बोलूंगा इस पर । मान्यवर, जो उनकी प्रमुख मांग है, वह यह है कि जो 1979 से बढ़ा हुआ वेतन है, वह उनको नहीं मिल रहा है, वह बढ़ा हुआ वेतन उन्हें मिलना चाहिये । मान्यवर, 7-8 दिन से वह हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन ने किसी को वार्ता के लिए नहीं भेजा, उनके समर्थन में सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं । अपने वेतन आयोग की संस्तुतियां मान ली

मान्यवर, यह उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और हर जगह हड़ताल होती रहती है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस पर शीघ्र कोई विचार नहीं किया गया तो फिरोजाबाद की स्थिति नरक हो जायेगी । अब तो मान्यवर, वहां पर सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिससे मान्यवर, वहां अत्यन्त गन्दगी हो जायेगी और लोगों का निकलना मुश्किल हो जायगा । मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है, अतः इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा अवश्य करायें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इस पर जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, फिरोजाबाद की हड़ताल के बारे में माननीय श्री विजय सिंह राना और श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने बताया । मान्यवर, उनकी जो मांगें थी, मान्यवर, लोकल बाडीज के लिए टाउन एरियाज और नगर पालिकाओं के लिए अलग-अलग कानून होते हैं, इत्तिफाक से माननीय मंत्री जी भी यहां पर बैठी हुई हैं, मैंने उनसे भी इस बारे में निवेदन किया है । मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में पूरी जांच करवाकर, जो उनकी जायज मांगें हैं, उनसे हमें कोई इंकार नहीं है । उन पर पूरी हमदर्दी से विचार करेंगे लेकिन मान्यवर, कुछ मांगें ऐसी हैं, जिनसे पूरे प्रदेश में असर पड़ सकता है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, जो हमारी वित्तीय स्थिति है, वह बाढ़, सूखा आदि के कारण ऐसी हो गयी है कि हम बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए हमारे जो सीमित साधन हैं, उनको देखते हुए जो भी जायज मांगें हैं, उन पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

श्रीमन्, आप एक आख्या वहां से मंगवा लें और कम से कम उन लोगों से बात करके जो गतिरोध पैदा हो गया है, उसको समाप्त करने का प्रयास करें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसके आदेश आज ही हम भिजवा देंगे ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, हमारे मथुरा जनपद में गन्ने का उत्पादन बहुत होता है और वहां पर छाता शुगर फैक्टरी है । मान्यवर, वहां पर खर्चा उतना ही हो रहा है, लेकिन उस फैक्टरी ने अभी तक जितना गन्ना पेरा जाना चाहिए, उससे 2 लाख क्विंटल गन्ना कम पेरा है । मान्यवर, माड तहसील में दरवै कॅनाल, जरारा, वाजना आदि केन्द्रों साथ सुगरा मिल अलीगढ़ को आबंटित कर दिया जाता है लेकिन कभी भी नियमित रूप से नहीं चलाती । मान्यवर, आज पूरा एक महीना हो गया और उक्त तीन केन्द्र बिल्कुल बन्द पड़े हैं, जिससे किसानों को गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है और किसान परेशान हो रहा है । माननीय मंत्री जी ने 24 तारीख को आदेश भी दिये थे लेकिन आज तक वहां गन्ना केन्द्र चालू नहीं हुए हैं । मान्यवर, वहां पर एक श्री सुरेश चन्द महेश्वरी, गन्ना सप्लाई इन्चार्ज हैं, वह किसानों का भारी शोषण कर रहे हैं और मान्यवर, वहां पर पर्चियों में हेराफेरी की जा रही है । अतः मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा कराई जाये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, हमारे गोरखपुर और देवरिया में भी यही स्थिति है, पूरे प्रदेश में आज यही हाल है, इसलिए इस पर चर्चा कराना आवश्यक हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शाही जी, आप सब नियम कानून जानते हैं, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं । बात तो मथुरा की हो रही थी, यह गोरखपुर-देवरिया कहां से आ गया ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने बताया । मान्यवर, छाता शुगर फैक्टरी हमारे यहां है । मान्यवर, हमारे यहां के किसानों में और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और देहरादून के किसानों में बड़ा भारी फर्क है, काशीपुर और नैनीताल की फैक्टरी जून-जुलाई तक चल सकता है चूंकि मान्यवर, मथुरा, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है और वहां पर मार्च के बाद बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, फल-स्वरूप किसानों का गन्ना पेरने में काफी परेशानी होती है ।

जब से छाता शुगर फैक्ट्री बनी है, तब से आज तक पर्चियों में इतनी बेईमानी नहीं हुई है, जितनी आज हो रही है । गन्ना अधिकारियों व कर्मचारियों में काफी मतभेद है । पिछले साल 21 नवम्बर से शुगर फैक्ट्री चली है और अब की बार 6 नवम्बर से चली है, इसके बावजूद भी वहां पर 2 लाख क्विंटल गन्ना कम पेरा गया है । यह एक अत्यन्त ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है, इस पर मान्यवर, आप कम से कम 2 घंटे की चर्चा करवायें और शासन को यह भी निर्देश दें कि गन्ना जो रह गया है, उसे जल्दी से जल्दी पेरा जाय ।

गन्ना परिवहन आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुन्शी)—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने गन्ना के बारे में इस सदन को अवगत कराया, इसके लिए मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । यदि कोई ऐसी घटना हुई होगी तो मैं तत्काल उसे अपने अधिकारियों से दिखवाऊंगा और उसका निराकरण करके ही रहूंगा । वक्तव्य की आवश्यकता इस पर नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, गन्ने के सीजन का अन्त हो रहा है । माननीय मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो भी घटना हुई होगी, हम उसका समाधान करेंगे । अभी तो माननीय मंत्री जी को इसका पता ही नहीं है । आज पर्चियों में बड़ी धांधली हो रही है । मथुरा में ही नहीं, सहारनपुर, बस्ती, देवरिया आदि सभी जगह यह धांधली हो रही है । इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करवा दें, ताकि सभी माननीय सदस्य अपने विचार इस पर रख सकें ।

श्री रामनाथ मुन्शी—

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक गन्ना रहेगा, मिलें चलती रहेंगी । जैसा कि मैंने बजट के समय ही कहा था कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 8 से लेकर साढ़े 8 पर-सेन्ट गन्ना ज्यादा पेरा जा चुका है । इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को गन्ना के बारे में कुछ भी पता नहीं है । मान्यवर, जो ये यहां कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है । माननीय श्री लक्ष्मी नारायण जी ने जो प्रश्न उठाया है, केवल मथुरा में ही नहीं, सहारनपुर में जो मिलें हैं, वहां गन्ना अभी पेरा जाना बाकी है । गन्ना तो पेरा नहीं जा रहा है, नसबन्दी की तलवार ऊपर से इन्होंने और लटका दी है । यह बहुत ही अहम प्रश्न है, इस पर आप 2 घण्टे की अवश्य चर्चा करवा दें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मुजफ्फरनगर व मेरठ में बहुत तेज ओले पड़े हैं, जिसके कारण गन्ना टूट गया है, इसलिए मेरे पीछे जो माननीय सदस्य हैं, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाय ।

श्री पारस नाथ यादव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज नियम-56 के अंतर्गत मैंने जो सूचना दी है, वह दिनांक 17-3-1988 को जौनपुर में हुई एक घटना के संबंध में है । 17-3-1988 को जौनपुर शहर के अन्दर एक गोपाल कोल्ड स्टोरेज है, वहां पर दिन में 12 बजे वहां पर अमोनिया गैस का पाईप फट गया है और उसके फटने से 6 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गये । यह स्टोरेज शहर के अन्दर है । नगर महापालिका का एक कन्या विद्यालय वहां पर है, जिसमें एक हजार बालिकायें पढ़ती हैं और सिनेमा हाल है, इसका लाइसेंस इस गलत ढंग से ले लिया गया है कि आबादी के रहते हुए खतरा बना हुआ है ।

जो पाइप फट गया, उसको तो फायर ब्रिगेड द्वारा शान्त कर दिया गया लेकिन गैस के रिसने का डर बना हुआ है, लोग आतंकित हैं, बालिका विद्यालय बन्द हो गया है । इस व्यक्ति के तीन कोल्ड स्टोरेज चल रहे हैं, चौथा निर्माणाधीन है, जो लाइसेंस दिया जा रहा है मेरा आग्रह है कि कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस रद्द किया जाय और गलत लाइसेंस देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय और आज की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आज ही इसकी नोटिस मिली है, इसकी जांच करायेंगे, लेकिन इसमें सवाल दो हैं, उन्होंने जो बिन्दु उठाये हैं अमोनिया गैस के लीकेज के खिलाफ है या लाइसेंस के खिलाफ है । एक तरफ अमोनिया गैस के लीकेज में जो भी लापरवाही बरती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायगी, लाइसेंस देने का भी इसी के साथ है, दो चीजों को लिंक करना उचित नहीं है । इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पारस नाथ यादव—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाइसेंस के खिलाफ है या गैस के रिसने के खिलाफ है, तो अगर लाइसेंस रद्द नहीं किया जायगा तो हमेशा खतरा बना रहेगा । कोल्ड स्टोरेज आबादी के बाहर होना चाहिये । शहर के किनारे बालिका विद्यालय है, स्कूल बन्द है, लोगों में असंतोष है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने जांच के लिये कह दिया है, आप बैठें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा कार्य स्थगन का प्रस्ताव उद्योग घरानों पर हमारी सरकार जिस तरह का पक्षपात ले रही है, उसके बारे में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, अभी आपका नियम 56 नहीं ले रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

स्कूटर्स इण्डिया के बारे में ग्राह्यता पर सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विषय है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आपने पहले ही कह दिया कि स्कूटर्स इण्डिया का मामला दिल्ली का मामला है । मुख्य मंत्री जी ने अनुमति दी है । आप इसको सुन लें ।

श्री रामचन्द्र वख्श सिंह—

स्कूटर्स इण्डिया के बारे में जो यह कहा जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, इससे ग्राह्यता पर अन्तर नहीं पड़ता है । यह कारखाना लखनऊ में स्थित है, 3,200 मजदूर और अधिकारी उत्तर प्रदेश के इसमें काम कर रहे हैं । यहां के मजदूर एक महीने से आन्दोलन चला रहे हैं, फैक्ट्री पर महीने भर से धरना चल रहा है । कल से उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों को गिरफ्तार कर रही है, कल भी 200 मजदूर गिरफ्तार किये गये और आज भी 200—250 लोग गिरफ्तार हुए हैं । सभी प्रमुख केन्द्रीय मजदूर संगठन इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं । अगर इस समस्या पर काबू न पाया गया तो सारी कानून व्यवस्था बिगड़ जायगी स्थिति यह है कि 200 करोड़ रु0 की सम्पत्ति राहुल बजाज को 30 करोड़ रु0 में बेची जा रही है । 25 करोड़ रु0 उनको सबसिडी दी जा रही है । कम्पनी फर्म पर 105 करोड़ रु0 के कर्जे हैं, जो माफ किये जा रहे हैं । 50 करोड़ रु0 की 160 एकड़ जमीन, जो कारखाने की है, भी दी जा रही है । बेचने के समर्थन में कहा जा रहा है कि घाटा हो रहा है । लेकिन घाटा क्यों हुआ ? इस उपक्रम का कोई चेयरमैन वर्षों से नहीं है ।

यहां कोई मैनेजिंग डाइरेक्टर नहीं रखा गया है एक एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर है जो कि रेलवे का अधिकारी है जिनको आटोमोबाइल के बारे में कुछ नहीं मालूम है । एक लम्बी साजिश है राहुल बजाज को दो साल पहले स्कूटर बनाने के लिये लाइसेन्स दिया गया था उस पर वे कार्य नहीं कर रहे हैं और बैठे हुए हैं कि जब उनको यह कारखाना मुफ्त में मिल जाय तब वह स्कूटर बनाने के कार्य को शुरू करें । सरकार इस समस्या पर कुछ नहीं कर रही है । सुनने में तो यह भी आया है कि मुख्य मंत्री जी ने अन्दर से इस कारखाने को बेचने की स्वीकृति भी दे दी है । जबकि केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक नीति यह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया जाय, पंडित नेहरू बराबर यह कहते रहे लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री पूंजीपतियों के हित में ऐसा कर रहे हैं इस नीति को ध्वस्त कर रहे हैं और एक पूंजीपति को कारखाना बेच रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, ये मजदूरों की बात कर रहे हैं या ये राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, 150 एकड़ जमीन हमारे क्षेत्र की ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, हमारे क्षेत्र की 150 एकड़ जमीन स्कूटर इण्डिया को दी गयी थी 1972 में जिसमें मशीनें 200 करोड़ में इटली से खरीद कर आयीं । उसके बाद 1973 में यह कारखाना लगा जिसमें हमारे क्षेत्र के मजदूरों ने उसमें नौकरी पायी । उसे अब राहुल बजाज को राजीव गांधी दे रहे हैं क्योंकि राजीव गांधी और राहुल बजाज देहरादून में साथ के पढ़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, अभी सुन तो लें, मैं एक नई बात कह रहा हूं राहुल बजाज को जो लम्बा टैम्पो चलता था उसे लखनऊ में बन्द करा दिया है कि अब यहां केवल विक्रम चला करेंगे जो कि स्कूटर इण्डिया में बनते हैं, वह अब यहां चालू हो गये हैं । अब स्कूटर इण्डिया का कारखाना हड़पने के लिये उसने रुपया दिया है । भ्रष्टाचार के तहत इस फैक्ट्री का मामला आ गया है कि 5 करोड़ रु0 में इस कारखाने को उसे दे दिया जबकि इसमें इससे कहीं ज्यादा रुपया लगा है । हमारे क्षेत्र के मजदूर इस बात को लेकर बहुत आन्दोलित हैं क्योंकि यहां दस हजार लोग अपनी जीविका कमा रहे हैं । इसलिये यह अहम मामला है और इस पर मैं सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, स्कूटर इण्डिया का मसला जब भी सदन में उठाया जाता है, उस समय जो भी पीठासीन अधिकारी होता है वह यह कह करके कि यह केन्द्रीय सरकार का मसला है, विधान सभा में इसे नहीं उठाने देता है । इस तरह से इस मसले की उपेक्षा की जाती है, इसके प्रति लापरवाही दर्शायी जाती है और इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है और इसी कारण से आज इस विषय में इस समय जो स्थिति पैदा हो गयी है । यह विधान सभा में उठाने के लिये लोकमहत्व का है, ग्राह्य है और इसके साथ ही साथ आज जो स्कूटर इण्डिया के कर्मचारियों ने कल से सारे प्रदेश के अन्दर 'जेल भरो' आन्दोलन शुरू किया है, गिरफ्तारियां दे रहे हैं । हमारे प्रदेश के विभिन्न नगरों के

कर्मचारी इस बारे में कार्य कर रहे हैं, इसलिये प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था की गम्भीर समस्या खड़ी हो गयी है । नम्बर दो इस स्कूटर के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में है राहुल बजाज को बेचा जा रहा है, यह काम बगैर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की साजिश के नहीं हो सकता है, इनकी इस सोची-समझी साजिश के कारण 232 लोगों का भविष्य आज खतरे में पड़ रहा है, इन्होंने मान्यवर किस आधार पर यह अनुमति प्रदान की है, जिसे लेकर आज सारे प्रदेश में भयंकर आक्रोश व्याप्त है, जिससे मान्यवर कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ेगी बल्कि सारे प्रदेश के अंदर खतरा है कि अशांति पैदा हो जाए और अगर ऐसा कहीं हो गया तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री केवल इतना कह देंगे कि हम बड़ी तत्परता से कार्यवाही कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, मैंने चर्चा की अनुमति तो दी नहीं है ?

श्री सत्य पाल सिंह—

मैं मान्यवर इस मामले की ग्राह्यता पर कह रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि फैक्टरी कब यह बनायी गयी और कितने में बनायी गयी और कब बेची गयी । मैं तो इसकी ग्राह्यता पर कह रहा हूं ।

(शोर)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर यह बहुत ही गम्भीर मामला है और यह कानून और व्यवस्था से भी संबंधित है । कल 200 मजदूरों को गिरफ्तार भी किया गया है, सारा प्रदेश इससे मान्यवर प्रभावित है । [× × ×]इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पर अवश्य चर्चा कराएं इससे अधिक कोई दूसरा मामला महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है इस समय मान्यवर, इसलिए इसे अवश्य सुनें . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी दो-तीन दिन पहले इसे माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने उठाया था, मैं इसे अस्वीकार कर चुका हूं, इस पर अब किसी की भी व्यवस्था को सुनने का प्रश्न नहीं उठता है, कृपया शांत रहें, यह मामला यहां उठाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि केन्द्र सरकार से इसका ताल्लुक है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय प्रधान मंत्री जी के बारे में जो कुछ माननीय शाही जी द्वारा कहा गया है, उसे कृपया कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो इससे अलग है । कृपया सुन लें ।

(शोर)

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस बारे में अब कुछ नहीं सुनूंगा, कृपया शांति बनाएं रखें, इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता है . . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर मैंने निवेदन किया था कि माननीय शाही जी ने जो माननीय प्रधान मंत्री जी के बारे में कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

(घोर व्यवधान के मध्य) आज नियम 56 के अंतर्गत 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार हुयी है, इसी प्रकार से माननीय जगवीर सिंह की सूचना भी वक्तव्य के लिए तथा माननीय पारस नाथ यादव जी की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और बाकी सभी अस्वीकार करता हूं . . . . ।

(घोर व्यवधान)

(श्री शारदा प्रताप, श्री फजलुल बारी, श्री लक्ष्मी नारायण तथा विपक्ष के अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 2 बजे श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरंभ हुई । गणपूर्ति के अभाव में कार्यवाही 5 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, स्कूटर इण्डिया पर आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या—48—मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या—66 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग, (प्रौढ़ शिक्षा) तथा अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48—मुस्लिम

वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के हेतु 35,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 97,16,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,86,74,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 5,36,91,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग(प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 12,78,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 331 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,27,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, इस गरिमामय और प्रतिभामंडित सदन में जो मैंने पांच मदें शिक्षा को रखी हैं उस पर कुल धनराशि 10,35,08,73,000 बनती है । मान्यवर, यदि इसको हम पिछले वर्ष से मुआइना करें तो पायेंगे कि गत वर्ष इसमें 9 अरब 48 लाख रुपये की धनराशि रखी गई थी । इस वर्ष जो धनराशि रखी गई है उसके लिहाज से 1 अरब 17 करोड़ रुपये अधिक परिव्यय यहां पर रखा गया है । मान्यवर, इस तरह से जो हमारा राजस्व मद है उसके लिहाज से यह 8 प्रतिशत बनता है । आप जानते हैं शिक्षा विभाग का एक दूसरा बजट पर्वतीय विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है । यदि उस मंत्रालय की धनराशि भी इसमें जोड़ दी जाय तो यह लगभग 10,52,12,47,000 रुपये धनराशि बनती है । यदि इन दोनों का प्रतिशत निकाला जाय तो यह 18.3 प्रतिशत बनता है ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि मानव इतिहास और शिक्षा का संबंध जीवन अनन्तकाल से चला आ रहा है । शिक्षा की विविध भागों में प्रगति और विकास हुआ है । प्रत्येक देश अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं और आवश्यकताओं के लिहाज से अपनी शिक्षा प्रणाली

बनाना रहा है । किन्तु देश और इतिहास में कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं कि सदियों से या वर्षों से चली आ रही उस शिक्षा प्रणाली पर हमें फिर से दृष्टिपात करना पड़ता है और पूरी पद्धति का सिंहावलोकन करना पड़ता है । तो वह समय आ चुका है ।

आप जानते हैं हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस देश का प्रधान मंत्री पद सम्भालने के बाद जब रेडियो और दूसरे प्रसारणों से देश के करोड़ों लोगों को सम्बोधित किया तो उन्होंने उस संबोधन में शिक्षा की ओर पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया । आप जानते हैं कि उसके बाद एक पूरी चर्चा हुई । पूरे देश के अंदर मई 86 में एक नई शिक्षा नीति जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं का उद्भव हुआ । प्रधान मंत्री जी ने देश की समस्याओं के समाधान के लिये देश के करोड़ों-करोड़ लोगों के विकास के लिये मानव संसाधनों को ज्यादा प्रभावी बनाकर देश की समस्याओं के समाधान और विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिये जो संकल्प लिया है माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार उस संकल्प को पूरा करने के लिये कृत संकल्प है और उस नीति का प्रचार यह सरकार करती है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं जो भी सम्बद्ध कार्यक्रम लाये जा रहे हैं उनको अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाते हुये, केन्द्र से सहायता लेते हुये हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उस नीति का पालन हो । शिक्षा का मतलब केवल लिखने पढ़ने से नहीं होता है शिक्षा का ज्ञान पक्ष एक महत्वपूर्ण पक्ष है, किन्तु शिक्षा का घेरा काफी बड़ा है । इसमें हमारे चरित्र का निर्माण, हमारे नैतिक मूल्यों का निर्माण के साथ-साथ वह व्यक्ति के सम्यक् विकास से जुड़ा हुआ है । शिक्षा का मतलब कौशल, शिक्षा का मतलब नैतिक मूल्यों का बोध कराना, शिक्षा का मतलब भद्रता सीखना है ।

यदि हमारी शिक्षा भद्रता नहीं सिखाती है, सौम्यता नहीं सिखाती है, शिक्षा के जरिये मानव संसाधनों की प्रगति नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा विकास नहीं होता है तो वह शिक्षा पूर्ण शिक्षा नहीं है । हमारा प्रयास यही है कि मानव संसाधनों का विकास राष्ट्रीय नीति के अनुरूप यहां के करोड़ों लोगों को लेकर हम चलें और मजबूत आधार-शिला पर अपनी शिक्षा का निर्माण हम कर सकें । और हम चाहते हैं कि जो 21वीं शदी में जाने की बात होती है उसमें हमारे प्रदेश के नौजवान भी चलने के लिये सक्षम हो सकें । मान्यवर, एक शिक्षाविद ने कहा है कि बिना शिक्षा के नर-नारी संगममर के उस टुकड़े के समान है, जिसमें किसी शिल्पकार का हाथ नहीं लगा है ।

आज दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा भारी परिवर्तन आ रहा है । जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिये पहले जहां सदियों गुजर जाया करते थे आज वह ज्ञान 10, 15 वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेते हैं । आने वाले 10 वर्ष चुनौती भरे हैं । एक जबरदस्त परिवर्तन पूरे विश्व में हो रहा है एक क्रान्ति हो रही है वह क्रान्ति है मानव संसाधनों की, वह क्रान्ति है औद्योगीकरण की, वह क्रांति है कंप्यूटर की और सुपर कंप्यूटर की । तो उस बदलते हुए समाज के अन्दर हम अपने को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, राष्ट्र की मुख्य धारा से शिक्षा के क्षेत्र में अपने को नहीं जोड़ेंगे तो हम पीछे रह जायेंगे ।

आज हमें ध्यान देना है कि जो भी योजनायें प्रदेश में बनें उसमें इस बात का पूर्णरूप से ध्यान रखें जिसका हमने प्रयास किया है । हम केवल शिक्षाविद् पैदा न करें क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षाविद् बहुत से होते हैं लेकिन उनमें नैतिक मूल्य नहीं है । यदि उनमें हम नैतिक मूल्य नहीं जोड़ेंगे तो वह ज्ञान निश्चितरूप से अहंकार

में परिवर्तित हो जायेगा । शिक्षा नीति के जरिये जो भी हमारी योजनायें बने उनमें हम इस पर मुख्य रूप से ध्यान दें कि वह नैतिक मूल्यों पर आधारित हो ।

आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न यहां आया करते हैं, यदि उसके मुख्य कारणों को देखें तो मुख्य रूप से वह बिन्दु है कि हम संकीर्णता का रास्ता अपना रहे हैं और अपने स्वार्थवश आज समाज के करोड़ों लोगों के हितों का नुकसान कर रहे हैं । इसलिये हम आज नवजवानों को उस रास्ते पर लेकर चलना चाहते हैं जिससे वे सभी के हितों को अपने हितों के साथ समझें । शिक्षा विभाग में जो मुख्य रूप से आज जो समस्यायें हैं वह जैसा कहा जाता है उसके अनुसार वित्त की समस्या नहीं है । बहुत से हमारे दोस्त कहते हैं कि वित्त नहीं लगेगा तो शिक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, वित्त जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ आज जरूरत है प्रबन्ध की । जो भी संसाधन हैं, इंफरास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है उसको पूर्ण रूप से भरसक प्रयास करें तो वित्त के बिना भी नये वित्त संसाधन जोड़े हुए ही जो परिस्थितियां हैं उनमें हम आगे बढ़ सकते हैं ।

मान्यवर, जैसा नेता विरोधी दल ने यहां अपने महत्वपूर्ण भाषण में कहा था कि हमें अपनी प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाना चाहिए और निश्चित रूप से जो उन्होंने इंगित किया उसको हम स्वीकारते हैं और यही प्रयास है कि प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है । यदि यह शिक्षा मजबूर नहीं होगी तो ऊपर की शिक्षा कमजोर हो जायेगी । इसलिये मुख्य रूप से देखा जाये तो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है । मान्यवर, आप सभी को मालूम है, आपके सामने आंकड़ों का खेल मैं नहीं रखना चाहता हूं लेकिन अपनी कमजोर आवाज को मजबूत बनाने के लिये कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, आजादी के पहले प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्कूल 30,048 थे और आज वह संख्या 74,880 पहुंच चुकी है । इसी प्रकार आजादी के पहले जूनियर हाई स्कूल 1850 थे और आज मिडिल स्कूलों/सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 16,582 हो चुकी है । प्रतिशत में बताना चाहता हूं कि आजादी के पहले से आज के प्रतिशत में 368 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है प्राथमिक शिक्षा स्कूल खोलने में और जूनियर हाई स्कूल के प्रतिशत में 782 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदेश में हुई है ।

मान्यवर, बच्चों की संख्या के हिसाब से देखें तो आजादी के पहले प्राथमिक स्कूल जाने वाले 14 लाख बच्चे होते थे और आज 1,24,00,000 बच्चे जाते हैं । इसी तरह जूनियर हाई स्कूल में आजादी के पहले 4 लाख बच्चे थे और आज यह संख्या 39 लाख हो गयी है । इसे प्रतिशत में बदला जाये तो छात्र संख्या के हिसाब से 768 प्रतिशत की वृद्धि हुई है प्राथमिक शिक्षा में और जूनियर हाई स्कूल के अंदर 975 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । लेकिन मान्यवर, यह कोई संतोष की बात नहीं है । हमें आगे बहुत काम करने हैं । जब संविधान बनाया गया था तो उसमें इस बात का संकल्प था कि 1960 तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सार्वजनिकरण हो जायेगा लेकिन यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका । उत्तर प्रदेश भी उस श्रेणी में आता है । मैं भविष्य की चुनौती को सामने रखना चाहता हूं और इसमें प्रयास करना है कि 1990 तक प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में सार्वजनिकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लें और 1995 तक जूनियर हाई स्कूलों के सार्वजनिकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लें ।

लेकिन भविष्य चुनौती पूर्ण है और 1990 में, सातवीं पंच वर्षीय योजना पूर्ण करने पर, 6 से 11 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे 1,67,00,000 होंगे, 11 से 14

वर्ष की आयु के बच्चे हमारे प्रदेश में 93 लाख होंगे, इसके लिये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों धाराओं के रास्ते पर चलना होगा और इतने बड़े भार को संभालना होगा । यह और वहन केवल शासन के कन्धों पर ही संभव नहीं है ।

देश के प्रत्येक वर्ग को, हर वर्ग को, चाहे वह प्रतिपक्ष में बैठे या सत्तापक्ष में बैठे, प्रदेश के कल्याण के लिए, साक्षर समाज को बनाने के लिए आवश्यक है कि हम और सहयोग भावना से आगे बढ़ें । हमें उम्मीद है कि आपका इसमें पूर्ण सहयोग हमें मिलेगा । हम प्राथमिक शिक्षा को जन कल्याण से जोड़ रहे हैं, जब तक हम इस प्राथमिक तत्व को पूरा नहीं करेंगे, तब तक यह सम्भव नहीं हो पायेगा । आप जानते हैं कि प्राथमिक स्कूलों की थोड़ी बहुत दशा अच्छी बनाने के लिए उनकी मरम्मत के लिए, वहां टाट-पट्टी की व्यवस्था के लिए एक नया राजकीय अनुदान शुरू किया गया है, और इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को 386 रुपया और जूनियर हाई स्कूलों को 450 रुपया सालाना शासन की ओर से दिया जाएगा । जो इसके पहले 86-87 से चला आ रहा है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी और अब आप यदि दोनों धनराशियां जोड़ लें तो यह अब से प्राथमिक स्कूल के लिए 700 रुपया और जूनियर हाई स्कूल के लिए 600 रुपया सालाना उनके छोटे-मोटे खर्चों के लिए दिया जाया करेगा ।

मान्यवर, यदि आप हमें कहने की इजाजत दें तो यह कहने का प्रयास करूं कि हमने ग्राम समितियां बनाई हैं और उन्होंने काफी दायित्व निभाया है और अब से प्रधान को भी बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य सौंपा गया है । जो हमने राजकीय अनुदान दिया है, उसका संचालन इसके द्वारा ही नहीं होगा, बल्कि हमने हर प्राथमिक स्कूल में एक संयुक्त बैंक खाता खोले जाने की व्यवस्था कर दी है और इसके लिए जो धन खर्च होगा वह स्कूल के और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । वह ग्राम समितियां उसमें अपना सुझाव देंगी । जिला बेसिक शिक्षा समितियां हमारी बनी हुई हैं और इनका जन सम्पर्क हम और बढ़ाना चाहते हैं ।

इसलिए ग्राम शिक्षा समिति और जिला बेसिक शिक्षा समिति के अतिरिक्त विकास खण्ड क्षेत्र में और न्याय पंचायत क्षेत्र में इनकी समितियों के गठन का हमारा प्रयास है और यह बहुत शीघ्र हम करेंगे । विद्यालय शिक्षा समिति भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास यह हो रहा है कि हम उसमें जनता के लोगों को जोड़ सकें । जैसा आपको ज्ञान है और पूरे सदन को ज्ञान है, आज प्राथमिक शिक्षा के वित्त और नियोजन से सम्बन्धित जितने कार्य हैं, वे जिला योजना में दे दिये गये हैं और वहां हमारे जन-प्रतिनिधि और अधिकारीगण बैठकर यह तय करते हैं कि किस इलाके में प्राथमिक शिक्षा की कौन-कौन जरूरतें हैं और उसको किस प्रकार पूरा करें । व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है ।

इसलिए हमने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू की हैं और आज हमारे जूनियर स्कूलों और प्राथमिक शिक्षा के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने जा रहे हैं और वहां अपना स्थान बना रहे हैं । जैसा आप जानते हैं, एक बहुत ही चर्चित स्कीम केन्द्र सरकार की ओर से चालू की गई है, जिसको हम आपरेशन ब्लैक-बोर्ड के नाम से जानते हैं । उसमें हम प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत स्कूलों को कवर करेंगे, द्वितीय वर्ष में 30 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में 50 प्रतिशत स्कूलों को हम इसके अन्तर्गत लेंगे ।

हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस सिलसिले में काफी चुस्ती दिखाई है और केन्द्र सरकार से हम इसके अन्तर्गत लगभग 10 करोड़ 64 लाख

रक्खा लाने में सफल हुए हैं । इसके माध्यम से, यहां जो प्राय: प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा की बात होती है, हम 13,666 प्राथमिक विद्यालयों को नये उपकरणों, जो 37-38 हैं, से सुसज्जित करने जा रहे हैं । माननीय, यह जो केन्द्र सरकार की योजना है, 7 हजार रुपया प्रति विद्यालय है, जहां भी कोई कमी होगी, उसके लिए खर्च में हम इतनी लिमिट तक जायेंगे ।

माननीय, इसी के साथ-साथ दो हजार 269 महिला शिक्षिकायें नियुक्त करने की अनुमति हमने ले ली है । यह महिला शिक्षिकायें नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत इसलिए दी जा रही हैं जिससे हर विद्यालय में एक महिला शिक्षिका तथा एक पुरुष शिक्षक रहें ताकि जो मिले-जुले स्कूल हैं वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्रायें उनसे सम्पर्क करके अपनी समस्यायें सुलझा सकें । महिला शिक्षिकाओं के लिये दो करोड़ रुपया केन्द्र से मिला है । इस प्रकार उत्तर प्रदेश के लिये काफी प्रयास किये गये हैं । आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत 13 करोड़ की धनराशि हम अपने प्रदेश के लिये ले चुके हैं । आज औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा का जो रास्ता है उसको भी अपनाना होगा । इस साल हमें केन्द्रीय सरकार से लगभग 34 हजार 320 योजनायें चलाने का निर्णय लिया है । इसमें 33 हजार योजनायें हमारे प्रदेश में चल रही हैं । जिसमें 4 लाख 96 हजार बालक तथा 3 लाख 85 हजार बालिकाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य है । 8 लाख 86 हजार बच्चे अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ।

इसके बारे में अगर कोई एतराज आता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह जो बच्चे हैं यह कमजोर वर्ग के जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं जिनके माता-पिता के आर्थिक संसाधन कम हैं और जो अपने बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ऐसे बच्चे जो मां-बाप के कारोबार में हाथ बंटाते हैं और दो-चार रुपये रोज कमाकर ला सकते हैं उन बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं । साक्षरता के अभियान को पूरा करने के लिये हमें देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर की निरक्षरता को देखना चाहिये । 1971 के आंकड़े के अनुसार 27 प्रतिशत साक्षरता रही है और देश के स्तर पर 37 प्रतिशत साक्षरता रही है . 1971 के लिहाज से जो साक्षरता का प्रतिशत देश और प्रदेश में देखें तो दस प्रतिशत रहा है ।

माननीय, 336 परियोजनायें चल रही हैं 1987-88 में केन्द्र सरकार ने 8 करोड़ 7 लाख रुपया और इस वक्त 8 करोड़ 85 लाख रुपया दिया है । भवनों के सिलसिले में कहना चाहूंगा कि प्राथमिक स्कूलों की जो समस्या है उसके बारे में बताना चाहूंगा । माननीय, जब 1987-88 का वित्तीय वर्ष प्रारम्भ हुआ था उस समय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्कूल हैं उनकी संख्या 11 हजार आठ थी । हमने आर0 एल0 जी0 पी0 कार्यक्रम, भूमिहीन, रोजगार योजना और दूसरी योजनाओं के जरिये 2 हजार 694 प्राथमिक भवनों को बनाया गया है । चार सौ प्राथमिक विद्यालयों के बनाने के आदेश निर्गत किये जा रहे हैं । आगामी वर्ष में 2 हजार प्राथमिक विद्यालय बनाने जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पांच हजार 924 प्राथमिक विद्यालय ऐसे रह जायेंगे जो भवन विहीन हैं । . . .

हमारी योजना है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी, हम जल्दी से जल्दी भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों को भवनों से सुसज्जित करने का

प्रयास कर रहे हैं । अगर इन प्राथमिक विद्यालयों में आकर्षण नहीं बढ़ाया गया और यदि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में वह व्यवस्थायें नहीं की गयीं जो एक स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिये आवश्यक होती है तो निश्चित रूप से हमारा जन साधारण जो 80 प्रतिशत इस प्रदेश की आबादी है वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सन् 87-88 में हमारी वीर बहादुर सिंह की सरकार ने 32 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में भवनहीन प्राइमरी स्कूलों को भवन देने के लिये स्वीकृत किये हैं । (मेजों की थपथपाहट) ।

मान्यवर, जूनियर हाई स्कूल बनाने के सिलसिले में काफी प्रगति हुई है । हमारे जूनियर हाई स्कूल अब 879 रह गये हैं । इसी तरह से मान्यवर, शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात है । राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत इसके बारे में कहा गया है । शिक्षकों का प्रशिक्षण सेवाकाल के पहले या सेवाकाल के बाद अलग-अलग नहीं किया जा सकता है । जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि आज शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे हैं । इसलिये अध्यापकों को सेवाकाल में भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । 1986-87 में हमने 48 हजार अध्यापकों को प्रशिक्षित किया है और 87-88 में 36 हजार अध्यापकों को प्रशिक्षित किया है प्रयोगात्मक प्रशिक्षण में । 88-89 में हमने 60 हजार अध्यापकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है ।

मान्यवर, अब मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में सारांश में कहना चाहता हूं । इसमें देश की आजादी के बाद काफी प्रगति हुयी है । मैं आंकड़े देकर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसके विस्तार के कार्यक्रम में हमने पिछले तीन वर्षों के अंदर नये जो राजकीय हाई स्कूल खोले हैं उनकी संख्या 84 है और जिन राजकीय विद्यालयों को उच्चीकृत करके इंटरमीडिएट का दर्जा दिया है उनकी संख्या 68 है । 1987-88 में जैसा सदन के संज्ञान में है हमने बालिकाओं के जो हाई स्कूल हैं उनका हायर सेकेंडरी स्कूल बनाये हैं । 1987-88 में यह 12 थे । इस वर्ष बालिकाओं की शिक्षा को वरीयता देते हुए उत्तर प्रदेश की 19 तहसीलों में जहां पर बालिका विद्यालय नहीं थे, जहां शासकीय या अशासकीय विद्यालय नहीं थे तो 19 तहसीलों में हम स्कूल खोलने जा रहे हैं ।

हमारे जो विद्यालय हैं उन पर बढ़ते हुये दबाव को देखते हुये हमने 525 अशासकीय विद्यालयों को जनहित में मान्यता दी है । यह मान्यता विभिन्न विषयों में दी गयी है और हाई स्कूल को इंटरमीडिएट स्तर तक ले जाने के संबंध में दी है । इससे बढ़ते हुए शिक्षा के बहाव का सामना करने में मदद मिलेगी । मान्यवर, इसी तरह से पिछले साल 86-87 से एक नया कोर्स चलाया है जिसे पत्राचार सतत संपर्क शिक्षा योजना कहते हैं । इसमें 72 राजकीय विद्यालयों के अंदर हमने पिछले वर्ष यह योजना चलायी है । इसमें वह बच्चे जो मुख्य धारा से किसी कारणवश कट जाते थे वह सुबह शाम की क्लासेज में इंटरमीडिएट की शिक्षा ले सकते हैं ।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुए ।)

जो प्राइवेट विद्यार्थी होते थे उसमें मुख्य रूप से वाणिज्य और साहित्य वर्ग में जाते थे । क्योंकि विज्ञान वर्ग में छात्रों के जाने का कोई प्राविधान नहीं था । अब यह योजना चलायी गयी है इसमें अगर विद्यार्थी विज्ञान को व्यक्तिगत रूप से पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें इसकी अनुमति मिली

हुई है । इस शिक्षा योजना को और बढ़ाने के लिये प्रयास यह किया है कि जो सर्टीफिकेट इंटरमीडिएट के बाद उनको दिया जाय वह इस प्रकार का दिया जाय कि वह प्राइवेट कंडीडेट न लगें बल्कि रेगुलर कंडीडेट की सूरत में उनको ट्रीट किया जा सके ।

मान्यवर, अगले वर्ष में इस योजना को हम बढ़ा रहे हैं और राजकीय जो हमारे मैदान के 85 विद्यालय हैं, उसमें हम इसको लागू करेंगे और 16 जो पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालय हैं, उसमें हम इसको लागू करेंगे । मान्यवर, आये दिन की तरह तरह की वजूहात के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मैं उस पर समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं । मान्यवर, सत्र माध्यमिक विद्यालयों में पूर्ण नहीं हो पा रहे थे । हमने प्रयास किया है कि एक मई से नया सत्र चलायेंगे । पिछले वर्ष हमने एक मई से नया सत्र चलाया है । इस प्रकार से भरकस प्रयास है कि जितना ज्यादा हम समय बचा सकें, वह बचायें । अपने शिक्षा सत्र को जिसको कैलेन्डर कहते हैं उसको पूर्ति कर सकें । जो हमने नया सत्र चलाया है उसके कारणवश हमने 20 दिन बचाये हैं अपने उस कैलेन्डर को पूरा करने में ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की जो परीक्षायें हुआ करती थी वह डेढ़ महीने तक चला करती थी, 2-2 महीने तक चला करती थी । राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य बिन्दु है शिक्षक बढ़ाये और विद्यार्थी पढ़ायें, वह कैसे बढ़ेंगे जब उन्हें पूर्णरूप से पढ़ने के लिये वह समय नहीं मिल पायेगी जो कैलेन्डर के लिये निर्धारित है । मान्यवर, इस प्रकार से आप जानते हैं कि 220 दिन हमारी शिक्षा कैलेन्डर है, माध्यमिक शिक्षा का मान्यवर, अब जो प्राप्त हो रहा है जो हमने नया परीक्षण किया है उसमें लगभग 120 दिन से 150 दिन हमारा एवरेज निकल पायेगा । इसलिये कह रहा हूं कि कुछ वर्ष पहले कहीं-कहीं तो हमारा एवरेज पढ़ाई के दिनों का वह 60 से लेकर 80 दिनों तक रहा करता था । इसलिए निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आ रही थी । यदि विद्यार्थी का पूर्ण रूप से अध्ययन का मौका नहीं मिलेगा तो गिरावट तो स्वाभाविक है । मान्यवर, मैं इस क्षेत्र में यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमने प्रयास किया है, उसमें बहुत सफलता मिली है और गोरखपुर मण्डल के अन्दर...

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, कितना और बोलेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जितने मदों के ऊपर बजट रखा है, हर मदों के ऊपर बोलने का मौका मिलना चाहिए । मैं तो कम समय ले रहा हूं, जो मुख्य बिन्दु हैं उनको ही रख रहा हूं ।

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल के अन्दर स्कूल के अन्दर जो कैलेन्डर ईयर का अनुपात निकला है, वह करीब 200 दिन का है ।

श्री मुक्ता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, गोरखपुर का ही क्यों दिया है और जगह का क्यों नहीं है ? मैंने एक सवाल पूछा था (व्यवधान)

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, माननीय सदस्य जो सवाल करते हैं वह लोकाहित का होगा और उनके सवाल से जो बात निकलती है, वह केवल उनकी बात नहीं रह जाती है, वह तो सदन का सम्पत्ति बन जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाण्डेय जी, आप बैठें, आपको बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, गोरखपुर का बता रहे हैं, फैजाबाद और बनारस का भी बता दें ।

(व्यवधान)

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल ने सहयोग दिया है और मण्डल सहयोग देंगे तो हम निश्चित रूप से 200 दिन उसको कर लेंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 418 जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं वहां हमने व्यावसायिक वाणिज्य, व्यावसायिक गृह विज्ञान, व्यावसायिक कृषि पर इस साल से पिछले साल से उस पर शुरूआत कर दिया है । इससे हमारे 27 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे । इसके साथ ही साथ जो हमारे बालिकाओं के विद्यालय हैं, उन 200 विद्यालयों को उत्तर प्रदेश में सिलाई और बुनाई की मशीनें उपलब्ध करायी गयी है । जो हमारे व्यावसायिक गृह विज्ञान में संबंधित उपकरण लाभदायी हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर जो हमें अच्छा काम करने पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उसका उपयोग किया है और हम प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र भी बना रहे हैं ताकि जो महिलाएं हैं, निरक्षर हैं, वे व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ उठा सकें । इसी तरह से हमने खेल-कूद के कार्यक्रमों को भी महत्व देना शुरू किया है । हमने प्रथम बार प्रयास किया है कि खेल-कूद के बारे में जो भावना थी, लखनऊ में खासतौर से कहा जाता है कि खेलोगे-कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, मान्यवर, इस मूल धारणा को हमने बदला है कि केवल ज्ञान अर्जित करना ही काफी नहीं है, शारीरिक रूप से सुधार करके हमें देश के लिए अच्छे नागरिक बनाना है । इसको हमने मूल्यांकन की व्यवस्था से जोड़ा है । इस साल हम इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं । स्काउटिंग के क्षेत्र में हमने नये कार्यक्रम शुरू किये हैं । आज सेवा की भावना से, जन भावना से हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है । स्काउटिंग से कितना अनुशासन हमारे जीवन में आता है, आप सब जानते हैं ।

हमने इसके लिए आज तक 5700 आचार्यों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है जो अपने विद्यालयों में स्काउटिंग की योजना चलायेंगे और उनका सुदृढ़ रूप से संचालन करेंगे । आप जानते हैं कि हमने अभिभावक-अध्यापक एसोसियेशन बनाई है, जनता से अपने विचारों को जोड़ने के लिए, ताकि जो समस्याएं आती हैं, अभिभावकों की नजर अपने स्कूलों पर होती तो उनको मालूम होगा कि उनके बच्चों को कितना पढ़ाया जा रहा है, अध्यापक कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं और उस स्कूल की स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने के लिये वह अपना कितना योगदान दे सकते हैं, बच्चा क्या पढ़ रहा है,

कितनी महनत कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है । यह उनको पता रहे । यह इसलिए कर रहे हैं कि हमको और आपको यह आभास हो कि स्कूलों में क्या हो रहा है ।

मान्यवर, पिछले वर्ष हमने विद्यालयों का वित्तीय सर्वेक्षण कराया है ताकि अध्यापकों को समय से वेतन मिले, पेंशन मिले और जो अनुदान के रूप में संसाधन दिये जा रहे हैं, उनका उपयोग हो, उनके लिए जिनके लिए यह अनुदान दिया जा रहा है । आज हमारी योजना है कि अध्यापकों के हितों का पोषण करेंगे और दूसरे वर्गों के हितों का पोषण करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य यूनट विद्यार्थी है । इसी क्रम में सारी योजनाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बारे में कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 1987 में हमने 24 दिनों में परीक्षाएं कराई हैं । उस स्थिति में, जबकि परीक्षार्थियों की संख्या 34.8 प्रतिशत बढ़ गयी है ।

मान्यवर, पिछले वर्ष इण्टरमीडिएट के नतीजे जून के प्रथम सप्ताह में दिये गये और हाई स्कूल के तृतीय हफ्ते में दिये गये, जबकि परीक्षार्थी थे 18-19 लाख । इस वर्ष 21,61,923 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया, तो 21 लाख लोगों की परीक्षा कराना और 3062 केन्द्रों में आयोजित करना, यह बहुत ही बड़ा काम किया है । इसके साथ ही एक बहुत बड़ा काम किया है कि 1,55,000 कक्ष निरीक्षक लगाये गये हैं और 65,927 लोग मूल्यांकन करेंगे । इसी सदन में बहुत से प्रश्न आये कि हाई स्कूल और इण्टर के प्रमाण-पत्र बहुत देर से निर्गत होते हैं । हमने युद्ध स्तर पर काम करके दो वर्षों में 27,94,664 प्रमाण-पत्र जो 1977 से 1985 तक के थे, उनका निस्तारण किया है । हमने जब यह काम शुरू किया था उस समय 30,35,392 प्रमाण-पत्र लम्बित थे । अब 2,27265 बचे हैं जो हस्तलिखित होंगे । जून 1988 तक उनका भी निस्तारण कर देंगे ।

मान्यवर, 42 राष्ट्रीयकृत पुस्तकें अब तक दी हैं । नवोदय विद्यालयों के संबंध में सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे प्रदेश के अन्दर 29 नवोदय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं । प्रथम वर्ष में 10 नवोदय विद्यालय हमें मिले, द्वितीय वर्ष में 9 नवोदय विद्यालय मिले और तृतीय वर्ष में यानि इस वर्ष के अन्दर 10 नवोदय विद्यालय और मिले हैं । मान्यवर, यह केन्द्र द्वारा पोषित स्कीम है, हमने जमीन उपलब्ध करायी है । पूर्ण रूप से जहां स्कीम चलाने की व्यवस्था नहीं थी, वहां भवन टेम्पोरेरी उपलब्ध कराया है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शिक्षा मंत्री अब थोड़ा संक्षेप में कहकर समाप्त करें ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं समय का ध्यान रख रहा हूं । समता और समानता शिक्षा के क्षेत्र में आनी चाहिए । छात्र मेधावी है, कम्पटीशन में जा सकता है, आर्थिक परिस्थितियों के कारण या देहात के दूर अंचलों में रहने के कारण वह अच्छे-अच्छे पब्लिक स्कूलों में नहीं जा पाता है, प्रदेश के अन्दर हर नागरिक को यदि उसका छात्र मेधावी है, तो अच्छे स्कूल में जाने की बात है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं सब दृष्टि से हर जिले के अन्दर एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की योजना है । सत्ता पक्ष की

ओर से मजों की थपथपाहट) मान्यवर, माननीय नता विरोधी दल पिछले दिनों जब यहां बोल रह थे तो उन्होंने भी इस बात पर ज्यादा बल दिया कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के अन्दर नवोदय विद्यालय खोल जाने चाहिए ।

मान्यवर, सामूहिक गायन से राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है । हर विद्यालय के अन्दर जो हमारा सामूहिक गायन है उसे प्रातः राज एक आनवार्य रूप में शुरू कर दिया है । आप जानते है कि एक साथ गाने से हमें कितनी ताकत मिलती है । सामूहिक गायन के द्वारा जब एक साथ कई लोग देश निर्माण के गीत, देशभक्ति के गीत याद गाते है तो उसमें एक बल आता है, शक्ति आती है । एक अच्छी भावना लाने के लिए हमने इस योजना को शुरू किया है । एन0 सी0 इ0 आर0 टी0 के द्वारा इस योजना को चालू किया गया है । क्रीड़ा के क्षेत्र में काफी प्रयास किये है, इस सिलसिले में काफी काम कर रहे है । क्रीड़ा सरकार की यह योजना है कि हर जिले के अन्दर प्रतियोगिता करायी जाय, यह विशेष प्रकार की रखी गयी है, जिस जिले के अन्दर जो स्कूल प्रथम आता है, उसको 10 हजार रु0 की पुरस्कृत धनराशि दी जाती है । इसी प्रकार से इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत हम ऐसे विद्यालयों के लिए 21 लाख 70 हजार रु0 ला सके । अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया गया है । 1986-87 में 22 हजार अध्यापक, 1987-88 में 17 हजार अध्यापक और इस वर्ष 30 हजार अध्यापक, इनको हमने प्रशिक्षित किया है और भी बहुत सी नयी योजनायें हम ला रहे है । आज मान्यवर, भवनों की समस्यायें हमारे सामने खड़ी हुई है । अशासकीय विद्यालय है, उनकी समस्या है, भवन नहीं है, कक्षाओं में प्रवेश की समस्यायें काफी बढ़ रही है । हमने तय किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से और सातवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर वर्ष से इस योजना को प्रारम्भ करेंगे । यह चरण में योजना होगी । 25 बाई 20 फीट की माप के कमरों के लिए हम ऐसे अशासकीय विद्यालयों को 10 हजार रु0 एक सहायता के रूप में अनुदान के स्वरूप में देने का प्रयास करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी अब समाप्त करें, संक्षेप में कह कर समाप्त करें ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं बता रहा था कि प्रथम चरण 1988-89 में 6-9-11 की कक्षा, द्वितीय चरण 1989-90 में 7-10-12 की कक्षा और तृतीय चरण 1990-91 में 8वीं कक्षा के लिए हम सहायता करने जा रहे है । 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह शुरू नहीं हो पायेगा तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अन्तर्गत प्रयास करेंगे । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मान्यवर, अष्टम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल खासतौर से बालिकाओं के हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत करने का प्रयास है । हम बालिकाओं के लिए प्रयास करेंगे कि मुख्य रूप से बालिका विद्यालय खोल सकें ।

अब मान्यवर, मैं उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़ी बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा । मान्यवर, इस वर्ष 5 नये महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में खोले जाने का प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव वर्ष 88-89 के लिये है । इसमें से 3 महाविदयालय मैदानी क्षेत्र में और 2 पहाडी क्षेत्र में होंगे । इस माननीय सदन के अन्दर हमारे माननीय सदस्य कई बार यह प्रकरण उठाया करते है कि विद्यार्थियों के लिये भी आवासीय सुविधा होनी चाहिये । मैं

बताना चाहता हूं कि कई विद्यालयों में यह आवासीय सुविधा लागू हुई है और कई जगह हम आवासीय सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, जहां पर आवासीय सुविधा लागू थी, वहां छात्र संख्या बढ़ जाने के कारण यह सुविधा अपर्याप्त हो रही है । इसके लिए हमने लखनऊ, गोरखपुर और इलाहाबाद में एक-एक महिला छात्रावास खोलना स्वीकार किया है । इसी तरह रूहेलखण्ड और अवध विश्वविद्यालय में भी हमने बालकों को यह सुविधा देने का फैसला किया है । मान्यवर, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में काफी समय से यह देखा जा रहा था कि यहां का परिसर अब छोटा पड़ता चला जा रहा है, इसीलिए हमने विद्यार्थियों के अनुपात को देखते हुए 100 एकड़ जमीन खरीदने के लिये 75 लाख रुपयों की स्वीकृति दी है । मान्यवर, मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी शिकायतें आती रहती थीं, कि सत्रों को नियमित किया जाये । और कई विद्यालयों के अन्दर ऐसी रिपोर्टें थीं, कि वहां एक-एक साल तक सत्र पिछड़ गये हैं ।

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय विधि संकाय को छोड़कर शेष कक्षाओं के सत्र नियमित हो गये हैं । इसी तरह इलाहाबाद में विधि संकाय तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं को छोड़कर सभी सत्र नियमित हो चुके हैं और सारे उत्तर प्रदेश में स्थिति अब ठीक है । हमने समय से परीक्षाएं कराने, समय से प्रवेश होने और समय खत्म हो जाने के बाद प्रवेश न होने की व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की हैं और इसके लिये हमने नियम भी बनाये हैं । मान्यवर, आजकल त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को लेकर बड़ी चर्चा होती है । इस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेश का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश के 12 विश्वविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में मान्यवर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो महाविद्यालय चल रहे हैं, उनके काम को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमने क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं । इस तरह के कार्यालय लखनऊ व गोरखपुर में अपना काम कर रहे हैं । भविष्य में हम मेरठ में भी इसी तरह का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रहे हैं । क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खुल गया है और उस पर 10 हजार रुपये वार्षिक का किराया हम इस समय वहन कर रहे हैं । इसी प्रकार इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के अन्दर सम्पर्क केन्द्र बनाये जा रहे हैं, इससे उन विद्यार्थियों को लाभ पहुंचेगा जो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक अपने किसी रोजगार अथवा काम में व्यस्त होने के कारण विद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे, वह इससे फायदा उठा सकेंगे और अपनी शिक्षा की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकेंगे । इसी प्रकार मान्यवर, हमने एन0 एस0 एस0 योजना को भी मजबूत बनाया है ।

मान्यवर, हमने कई विद्यालयों में कम्प्यूटर्स साइंस की पढ़ाई भी प्रारम्भ की है । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हमने इस तरह का दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है और आगरा विश्वविद्यालय में भी हमने इसी प्रकार की अनुमति दी है । इसके अलावा आगरा विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, वाराणसी में भी हमने हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर्स साइन्स के पाठ्यक्रम को स्वीकृति दी है । लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने लेसर फिजिक्स की पढ़ाई, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एल0 एल0 एम0 की पढ़ाई तथा बी0 एड0 की पढ़ाई भी प्रारम्भ करने पर हम विचार कर रहे हैं । इसी तरह

से भूगर्भ शास्त्र और कम्प्यूटर साइन्स की पढ़ाई के लिये भी हम इस विश्वविद्यालय में विचार कर रहे हैं। इस प्रकार हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक्सीलेन्स बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मान्यवर, उसके आंकड़े में यहां पर नहीं बताना चाहता हूं लेकिन आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों में हताशा पैदा हो गयी है कि स्नातक होने के बाद, स्नातकोत्तर होने के बाद भी हमारे हजारों-लाखों नौजवान आज बेरोजगार सड़कों पर धूप और गर्मी बरसात को झेलते हुये हर जगह पंक्तिबद्ध खड़े परिस्थितियों का मुकाबला कर रहे हैं।

हम कोशिश कर रहे हैं कि स्नातकोत्तर स्तर पर इस प्रकार का प्रशिक्षण व पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाय, जिससे वह स्वयं अपना कार्य कर सकें, यदि कोई नौकरी करना नहीं चाहता हो। इसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में हमारे उक्त निदशालय ने 17 पाठ्यक्रमों को तैयार किया है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी हमने प्रयास किया है, इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है कि जो लोग अन्धकार में भटक रहे हैं, उन्हें रोशनी की तरफ ला सकें। हम मानते हैं कि उस पर काफी आपत्तियां हैं, जो 15 से 35 वर्ष तक के हैं, जिनमें सृजनात्मक क्षमता है, लेकिन अन्धेरे कुएं में पड़े हैं, यदि कोई परियोजना चलती है और कुछ सैकड़ा लोग भी यदि उसमें साक्षर हो जाते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो जाती है। 1988-89 में हमने 10 लाख 26 हजार लोगों को साक्षरता बनाने की योजना है और केन्द्र सरकार की भी योजना है। 1980 से लेकर आज तक 50 लाख लोगों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी शिक्षा की टेक्नीक है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमने बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ में करीब 900 प्राथमिक स्कूलों में टी0 वी0 सेट्स उपलब्ध कराये हैं। हमने एक वैज्ञानिक किट प्रयोगशाला की योजना भी बनायी है, जो जर्मन गणराज्यवाद सरकार की सहायता से चलाई जायेगी। इस किट के अन्दर जूनियर हाईस्कूल व प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को उससे ज्ञानार्जन हो सके, उनके लिये हम किट-बैग तैयार करेंगे और छोटे-छोटे चलते-फिरते लेबोरेटरी देने का प्रयास करेंगे। हमारे जो शैक्षिक संस्थान हैं, दूरदर्शन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर भारत में इसकी सुविधा केवल 6 जगह है। नेशनल शिक्षा में टी0 वी0 का जो स्थान है, उसमें अभी तक हमने 1987-88 के अन्दर 140 व्यक्तियों से सम्बन्धित 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये चलचित्र बनाये हैं और 116 फिल्में बनाई हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारकर आने वाले वर्षों में लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे।

वक्फ के बारे में भी कुछ कहना है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है और व्यवस्था का प्रश्न भी है। माननीय मंत्री जी ने शिक्षा का बजट रखा है। सारे प्रदेश के बारे में तो उन्होंने बता दिया लेकिन खुद लखनऊ में अंशकालिक अध्यापकों ने प्रदर्शन किया है और उसमें लगभग 3,000 अध्यापक गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में भी कुछ कहें।

श्री मिश्रे रजी—

इस समय 1976 में शासन ने एक योजना शुरू की थी और उस योजना के अन्दर उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। इस सर्वेक्षण के कारण

सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो जायदाद आइ है वह 1,50,300 है, शिया वक्फ पर 3,292 है । गजट में भी प्रकाशन शुरू हो गया है, 3 जुलाइ, 1984 से प्रकाशन प्रारम्भ किया था, अभी तक 38 जिलों में गजट प्रकाशन का भी काम हो चुका है । यह जो गजट प्रकाशन का बात है, सुन्नी और शिया इसके लिये जो वक्फ बोर्ड है, 30 नम्बर का रोजस्टर होता है, उसमें इन्दराज भी शुरू कर दिया है ।

यह अभी पूरा नहीं है क्योंकि लिपिक आदि अभी नहीं है, इस पर भी विचार कर रहे हैं । सुन्नी 3108 और शिया 1329, इसके लिये जो सर्वेक्षण का काम चल रहा था, 76 से आदमी जो स्टाफ लगा था, वह समाप्त हो जाता, सर्वेक्षण समाप्त तो नौकरी भी समाप्त हो जाती, लेकिन शासन ने लोकहित को ध्यान में रखते हुए और वक्फ बोर्ड के कामों में सहायता देने के लिये, जो इन्सपेक्टर्स वगैरह थे, उनको जिला स्तर पर नियुक्ति कर दी है और उनको नियमित भी कर दिया गया है । इस पर 32 लाख 54 हजार रुपये का सालाना व्यय भार शासन को वहन करना होगा ।

जिले में शासन ने जो वक्फ का स्टाफ नियुक्त किया है, उनका मुख्य रूप से काम यह है कि वक्फ की जायदादें, जहां पर अवैध कब्जे हैं, ढूंढ़ कर निकालें और जिलाधिकारियों को इस काम में मदद करें, विकास और संबर्द्धन की योजना बनाने में मुतबलियान की मदद करें, इसके अलावा जो भी वक्फ का काम हो, अपने स्तर से काम करें । इसमें एक नयी योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर 2422 ऐसे मामले ढूंढ़ कर निकाले हैं, जहां पर अनधिकृत कब्जे हैं । अनधिकृत कब्जे वक्फ की जायदाद पर कलंक हैं ।

जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो वक्फ की जायदादों से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिये, इस सिलसिले में जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं । इसके साथ-साथ हमने वक्फ विकास निगम की स्थापना की है, जिसने काम शुरू कर दिया है । यह निगम वक्फ की जायदादों पर भवन बनाने के सिलसिले में, कामर्शियल काम्पलेक्स बनाने के सिलसिले में उनकी तरक्की के लिए सहायता करेगा । इससे जो बहुत कम आमदनी है, वह बढ़ सकेगी । वक्फ के पीछे जो मंशा है, उसमें भी मदद मिल सकेगी, इससे लोकहित होगा, समाज का हित होगा । जो निगम के अन्तर्गत 4 योजनायें स्वीकृत की हैं बुलन्दशहर में और सीतापुर में, जहां पर स्वीकृति चली गयी है, मथुरा और सीतापुर में जो दो और वक्फ हैं, कारपोरेशन काम कर रहा है ।

वक्फ की जायदादों को डेवलप करने के सिलसिले में 62 लाख 50 हजार रुपये की मदद की जायेगी । यह उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है, जायदाद बनाने के बाद जो आमदनी होगी, उससे इस रकम को वह निगम को वापस करेंगे । वर्ष 88-89 में 27 अन्य योजनाओं में काम करना कारपोरेशन से निश्चित किया है और इसी के साथ-साथ वर्ष 88-89 में जो 27 योजनाओं की बात है, उसमें 389.84 लाख रुपये की सहायता शुरुआत में दी जायेगी वक्फ की उन जायदादों को डेवलप करने के लिये जो खुली पड़ी हैं । औकाफ के जो बोर्ड हैं, उन्होंने अगर मिलकर पारस्परिक समन्वय के साथ काम नहीं किया तो जैसे आबादी बढ़ रही है, इन्सान बढ़ रहे हैं । इस तरह से निहित स्वार्थों के तहत जो भावना बढ़ रही है, उनकी खुली हुई जमीनें रोकी नहीं जा सकती हैं । इसलिये शासन ने फैसला किया है कि आई0 आर0 डी0 पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 योजनाओं के तहत इस पर वृक्षारोपण करायेंगे ताकि इन जायदादों पर अवैध कब्जे को रोका जा सके और आमदनी में भी इजाफा हो सके ।

श्री यदुनाथ सिंह—

(3 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी हमारे सामने माननीय मंत्री जी ने केवल अपनी बातों की शैली में शिक्षा की बात को रखा । हमें ऐसा लगा कि जाके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई ।

(आवाज सुनाई न पड़ने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप जरा जोर से बोलें क्योंकि पूरे सदन में सुनाई नहीं पड़ रहा है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, अभी हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बातों की शैली में कुछ बात रखी और माननीय वीर बहादुर सिंह की सरकार का दम भरते हुये कहा कि शिक्षा ऐसी है और

शिक्षा वैसी है । मेरा कहना है कि साक्षरता के बारे में जो उन्होंने कहा है, यहां साक्षरता 27 प्रतिशत से आगे नहीं है । जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी बराबर बढ़ रही है, परिवार नियोजन के उपायों के बावजूद यहां की आबादी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है । मैं कहता हूं कि आजादी के पहले से ही प्रदेश में इलाहाबाद यूनीवर्सिटी थी, बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी थी, काशी विद्यापीठ थी, यह सब यूनीवर्सिटियां आजादी के पहले से ही स्थापित है, आज भी ऐसा नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग में जिस तरीके से प्राथमिकता शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो प्रगति होनी चाहिए थी, वह हुई हो ।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे एक रुपया का मानक रखा हमने, फिर भी वह बढ़ कर 100 प्रतिशत हो गया, परन्तु शिक्षा जगत में यह बात नहीं हुई है । जनसंख्या के आधार पर शिक्षा के द्वारा लोग साक्षर नहीं हो पा रहे हैं । शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां पर साक्षरता घटी न हो । आप चाहे कहीं पर देखें, लगता है कि उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा मेघालय और नागालैण्ड में लोग 30 और 33 परसेंट शिक्षित है इसी प्रकार से यदि मान्यवर, आप देखें—:

आन्ध्रा में	20·39 प्रतिशत
बिहार में	23·62 ,,
मध्य प्रदेश में	65·07 ,,
महाराष्ट्र में	30·39 ,,
मणीपुर में	29·00 ,,
उड़ीसा में	31·00 ,,
पंजाब में	33·00 ,, इसी प्रकार से
पश्चिम बंगाल में	30·00

इस प्रकार आप केवल राजस्थान और सिक्कम से कुछ तरक्की किये है, क्योंकि इनके यहां केवल 22 प्रतिशत है, लेकिन केरल में जब 60 प्रतिशत लोग शिक्षित हो सकते है, तब आपके यहां 27 परसेन्ट ही क्यों जबकि आपका प्रदेश एक ऐतिहासिक प्रदेश रहा है, यहां पर पहले से कई विद्यालय, विश्वविद्यालय रहे है और सम्पूर्णानन्द जैसे यहां पर शिक्षा मंत्री रहे है, लेकिन आज एक आप है शिक्षा मंत्री जो केवल वीर बहादुर सिंह की डुगडुगी बजाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे है । जो आदमी कभी विधान सभा या पार्लियामेन्ट का इलेक्शन फेस न कर सका हो वह आम जनता की भावनाओं और उनकी जरूरतों के बारे में क्या समझ सकता है . . . . (व्यवधान) ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, माननीय सदस्य शिक्षा के बजट पर नहीं बोल रहे है, बल्कि सिब्ते रजी पर बोल रहे है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप शिक्षा बजट पर कहिये माननीय यदुनाथ सिंह जी, व्यक्तिगत रूप में किसी के बारे में कुछ न कहा जाना चाहिए (व्यवधान) ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, सिब्ते रजी ही शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री ही सिब्ते रजी हैं, मान्यवर, दोनों एक ही बात है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि यदि आप कोई भी ऐसी मान्यता शिक्षा की ओर दे रहे हैं, जो शिक्षा को उजागर बनाने में काम आवे और न ही शिक्षण संस्थाओं में कोई आपकी प्रबन्ध कमेटी ठीक ढंग से काम कर रही है, कहीं-कहीं पर तो यह समिति ही नहीं है, तो इस प्रकार की व्यवस्था है आपकी । इसलिये मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि यह जो बजट आपने पेश किया है, यह बजट है, जिसमें लोकतांत्रिक शिक्षा के लिये इसमें कुछ रखा ही नहीं गया है, इससे पहले भी शिक्षा मंत्री हुये हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरे बजट का 20 प्रतिशत तक शिक्षा में बजट रखा है, वह उनको मालूम था कि शिक्षा पर कितना खर्च करने की आज आवश्यकता है, उसी के अनुरूप उनकी योजनायें हुआ करती थीं और आज आपने हरिजनों के लिये केवल 1 व 2 परसेंट का ही प्राविधान किया है ।

आप स्वयं देख लें कि उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या में आज कितने लोग आई0 ए0 एस0, आई0 ई0 एस0 आई0 पी0 एस तथा पी0 सी0 एस0 आदि के इग्जामिनेशन में बैठते हैं और कितने लोग उसमें सफलता पाते हैं और इसके विपरीत दूसरे प्रदेशों का अगर इस ओर आप डेटा देखें तो सही स्थिति का पता उस वक्त चल सकता है । यह शिक्षा मंत्री जी ने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों ने जो बजट व बजट भाषण बना दिया वह ही यहां माननीय मंत्री जी ने कह दिया, यह तो मात्र इनके इशारों पर ही चलते हैं, आज यहां की शिक्षा का स्टैण्डर्ड केवल लोगों को क्लर्क बनाने तक ही सीमित है ।

आज क्या स्थिति आप देखें यहां पर शिक्षा सचिव, जो राज्यपाल महोदय की दीर्घा में बैठे हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, जो यह कहते हैं कि मैं फलां मंत्री से भी बड़ा हूं और यहां तक कि मुख्य मंत्री से भी बड़ा हूं, वह आई0 ए0 एस0 से हैं मैं भी एक इंजीनियर हूं और इंजीनियर होने के नाते यह कह सकता हूं कि यदि एक इंजीनियर नर्क में भी जायेगा तो वहां भी वह स्वर्ग ही बनायेगा और अगर आई0 ए0 एस0 स्वर्ग में भी गया तो वहां भी वह उसे नर्क ही बनायेगा, इसके अतिरिक्त वह कुछ और नहीं बना सकता है । इसलिये आज जो यह शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया गया है वह कभी भी पं0 गोविन्द बल्लभ पंत और स्व0 रघुकुल तिलक जैसा हितों से सम्पूर्ण बजट जैसा नहीं हो सकता है ।

मान्यवर, 1931 में गांधी जी ने आन्दोलन किया था और उनका साथ विद्यार्थियों ने दिया था और उसके बाद उस तरह का आन्दोलन नहीं हुआ, जिसमें विद्यार्थी शरीक हुये हों । आज इतने स्कूल और कालेज हैं, उनकी हालत को आप देख लीजिये, उनकी स्थिति क्या है, संकटा प्रसाद शास्त्री जी बैठे हुये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इनकी शिक्षा व्यवस्था में कितने अनुसूचित जाति के लोग आई0 ए0 एस0 हुये । मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी को भी गारन्टी से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं और आप दम भर रहे हैं कि शिक्षा का आप बहुत प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, वह मेरी समझ में नहीं आता है । जो आप शिक्षा के नाम पर दम भर रहे हैं, वह मैं आपको बता रहा हूं कि आप शिक्षा के नाम पर बजट का 4 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं ।

मुख्य मंत्री जी हैं, वह 63 विभाग लिये हुये हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि वह किसी विभाग को कितना दखरख कर सकते हैं । मुख्य मंत्री होने के बाद नागरिक शास्त्र पढ़े होते, तो जानकारी हो गयी होती कि जितना डिवैलुयेशन विधायिका का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है और न होगा । पहले जब कोई प्रश्न उठाया जाता था तो किताब देखने लग जाते थे, कानून मंत्री के नाम पर जवाहर लाल नेहरू किताब देखने लग जाते थे । डा0 अम्बेडकर ने राष्ट्रीयता के नाम पर और एकता के नाम पर बहुत काम किया ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो और एक प्रकार की समान शिक्षा सभी को दी जानी चाहिये, चाहे वह निर्धन हो या अमीर हो, सभी को एक प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये । शिक्षा के मामले में कम से कम अंग्रेजों ने तो कुछ किया, उसके पहले शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी विचित्र हालत थी । अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी कमसे कम जगजीवन राम को वह कुर्सी तो मिल गयी । यहां कोई मुस्लिम अध्यापक नहीं हो सकता था, यादव अध्यापक नहीं हो सकता था । मैं जानता हूं कि जनपद मिर्जापुर की तहसील चुनार में 40 इण्टरमीडिएट कालेज हैं, उनमें कुर्मी लोगों का मैनेजमेन्ट है, वहां पर ब्राह्मणों को नहीं रखा जाता है, एक भी डिग्री कालेज नहीं है, जो अपनी धन दौलत के आधार पर बनाया गया हो, विभूति नारायण सिंह ने अपने लड़के को संस्कृत में पी0 एच0 डी0 करा दिया, वह सोने के हौदे पर बैठ कर चलते हैं और वह पी0 एच0 डी0 पा गये तो क्या होगा । आप अंग्रेजी पढ़ा कर उसको हटाने की बात करते हैं । यह अंग्रेजी की दास्तां का प्रतीक है ।

डाक्टर लोहिया कहते थे कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं जो देश पर शासन करते हैं । देश का प्रधान मंत्री अंग्रेजी में बोले, नेता अंग्रेजी बोले, कोई मंत्री अंग्रेजी में बोले तो हमें तकलीफ होती है । इस बात को कई बार सत्तारूढ़ बेंच के लोगों ने उठाया, प्रोफेसर वासुदेव सिंह जैसे हिन्दी प्रेमी लोगों ने उठाया, वे दिवंगत हो गये लेकिन आज उन्हें देश और प्रदेश याद करता है । जब चली देश में देशी भाषा, उस आन्दोलन में मैं रहा हूं । हमने सन् 64 से सन् 67 तक देखा है । आन्दोलन तो ऐसा होता है जैसे सन् 64 से सन् 67 तक जो हुआ था । डाक्टर लोहिया ने एक आन्दोलन चलाया था, विद्यार्थी भी उसमें शरीक हुए थे । जय प्रकाश भी आये । सन् 71 में श्रीमती गांधी ने प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार हटाकर विद्यार्थियों ने उसको मान्यता दी । सन् 75 से सन् 77 तक जय प्रकाश जी ने मान्यता दी, चौधरी चरण सिंह ने दिसम्बर 83 में दी । क्या इस सरकार के वीर बहादुर सिंह इसको मान्यता देने वाले हैं, युवा पीढ़ी इसको मान्यता देगी ।

प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, सीनियर बेसिक शिक्षा के अध्यापकगण कोई भी इस सरकार को जरा भी तरजीह देने की स्थिति में नहीं है । 1-2 साल किसी तरह से रहेंगे । श्रीमन्, इस बजट को कभी-कभी मेरा मन करता है कि एक रुपया भी न दिया जाय । यह तो एक परम्परा है । यह बजट तो एक बटा एक, जीरो बटा जीरो, लुर बटा लुर, सिब्ते रजी बटा वीर बहादुर सिंह . . . . . (व्यवधान) । यह बजट हम क्यों दें । क्या आप चाहते हैं कि थोड़े से पैसे देने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी अंग्रेजी के मामले हैं यदि हम महसूस करें तो एक पैसा नहीं दिया जाना चाहिए । इससे ज्यादा तो रूस वाले हैं । वे हर जगह रूसी भाषा में बोलेंगे, जर्मनी वाले हैं जर्मन भाषा में बोलना स्वीकार करते हैं । मान्यवर, मुझे

जापान जाने का मौका मिला है, वहां पर वे जापानी में बोलते हैं। वहां पर एक रूसी महिला थी, रशियन पढ़ाती थीं, उसे अपनी भाषा का गर्व था। चीन भी अपनी भाषा का गर्व करता है। अभी माता प्रसाद पांडेय जी बोल रहे थे, नेपाल जैसा छोटा देश भी नेपाली में भाषा का प्रयोग वहां पर करता है। हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे रेलवे और हर डिब्बे में अंग्रेजी लिखी होगी, हर जगह अंग्रेजी में बोलेंगे।

श्री हरदेव—

इसीलिये आपने इंजीनियरी छोड़ी है . . . . (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह—

यह वीर बहादुर सिंह की भाषा है। हरदेव जी का लड़का सिटी मांटेसरी स्कूल में पढ़ सकता है लेकिन क्या कोई हरिजन का लड़का वहां पर पढ़ सकता है। हरिजनों का लड़का किसी प्राइमरी स्कूल में नहीं जा सकता है . . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शांत रहें।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, 10 वर्ष के नीचे के बच्चे . . . . (व्यवधान)

मान्यवर, गला बैठ गया है . . . .

डाक्टर रजनी कांत दत्त—

मान्यवर, आपको पानी पिला दिया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इनको सिखाने का ज्ञान नहीं है। 5 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिये इन्होंने बाल विकास योजना बनायी है। इन्होंने यह बाल विकास परियोजना बनाई है (व्यवधान)

मान्यवर, पानी तो पिला दीजिये, गला रुक रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था करते हैं।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, आप इन्हें पानी पिला रहे हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

इनका तो पानी मर चुका है।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, आपको याद होगा शिक्षा का ज्ञान गर्भ में हो जाता है। आप पता नहीं विश्वास करते हैं या नहीं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन अपनी माता के गर्भ में ही सीखा था और 6 फाटक तक तोड़ना उसने वहीं सीखा था। यह एक से पांच वर्ष तक

के बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, इनको कोई ज्ञान भी शिक्षा के बारे में नहीं है वह क्या शिक्षा देंगे ? यह वीर बहादुर सिंह की सरकार क्या जानता है ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं (व्यवधान) एवं यह बच्चों के बारे में, बच्चों के प्रश्न पर क्या जानते हैं ? जो अद्भुत है ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, इन्होंने पानी पिलाने की ही बात कही, कुछ और पिलाने के लिये कहते तो मुश्किल हो जाता ।

श्री हरदेव—

माननीय कुशवाहा जी पानी पिलवा रहे हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मैं एक गड़रिया हूं, 426 भेड़ों को चराता हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कौन भेड़ किस नस्ल का है, मुख्य मंत्री किस नस्ल के हैं और सिब्ते रजी साहब किस नस्ल के हैं । मैं जानता हूं कि कौन दाना खाते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं । हमारे देश में सबसे बड़ा कुंद दिमाग अगर किसी का होता है तो वह शिक्षा मंत्री का होता है । ज्यादातर शिक्षा मंत्री दरबारी टाइप के होते हैं । कुछ ऐसे भी मंत्री हुये हैं, चाहे वह कालीचरण हों या कैलाशनाथ सिंह हों जो वास्तव में इसके योग्य थे, चाहे वह संकटा प्रसाद जी हों (व्यवधान) लगता है हम भेड़ हैं आप गड़रिया लेकिन जिस समय शिक्षा मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय लगा कि हम गड़रिया हैं और वह भेड़ हैं ।

मैं बताना चाहता हूं जब मैंने एक बार रघुकुल तिलक और बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने के लिये चिट्ठी लिखी मैं मिलना चाहता हूं और मैं एक गड़रिया हूं तो उन्होंने फौरन मुझे बुला लिया, अगर मैं यह लिखता कि मैं एक कैमिकल इंजीनियर हूं और 69 में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो वह कभी नहीं मिलने के लिये बुलाते क्योंकि आज सब जानते हैं कि किस तरह से छात्र निकल रहे हैं ।

आप जानते होंगे यदि कोई यूनिवर्सिटी से निकलता था, चाहे वह लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का या डिग्री कालेज का, उसका एक सम्मान होता था । कोई जाता था कहता था कि ग्रेजुएट हूं लेकिन आज ग्रेजुएट के नाम पर कोई विद्वान मिलने नहीं आता है । ग्रेजुएट के नाम पर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और सरकार रोजगार परक शिक्षा देने पर ध्यान नहीं दे रही है । इसलिये सरकार इस पर ध्यान दे । मान्यवर, इंटर और ग्रेजुएट के बच्चों को, कम से कम 21 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उनको गीता की शिक्षा देना चाहिए, जैसे कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करें ।

मान्यवर, आज विश्वविद्यालयों के भवनों की हालत ठीक नहीं है । मान्यवर, चुनार में 40 इंटर कालेज बनवा दिये हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वहां डिग्री कालेज क्यों नहीं बना रहे हैं ? मैं अपनी जमीन दे रहा हूं, सारे मानक पूरे कर देंगे तो क्या टीचिंग स्टाफ की कमी है । इसलिये डिग्री कालेज बनाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

मान्यवर, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास है टॉकियो गया था। मैकाले की एजुकेशन के बाद अमेरिका की एजुकेशन अच्छा है। आपके पी0 एच0 डी0 करने वाले की बात समझ में नहीं आती है। शिक्षा सचिव के पास गया था तो उनसे अशोक स्तम्भ के संबंध में कहा कि यह अधूरा है। इसे पूरा करने की ओर ध्यान दिया जाये। सारनाथ के पुरातत्व विभाग में यदि कोई चीज अधूरी मिली हो उसे पूरा करें। अंग्रेजों से तो अधूरी ही चीजें मिली हैं क्योंकि वह कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय आत्म-निर्भर हों। वह तो डिवाइड एण्ड रूल की नीति पर चलते थे।

इसीलिये उन्होंने यहां हिन्दू-मुस्लिम के नामों पर विश्वविद्यालयों के नाम रखे। जैसे अलीगढ़ और बनारस की यूनिवर्सिटीज के नाम धर्म संप्रदाय के नाम पर रखे। शिक्षा मंत्री एक समय श्री छागला भी हुए थे उनसे मैंने कहा था कि बनारस यूनिवर्सिटी का बनारस या काशी विश्वविद्यालय का नाम रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसी प्रकार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कर दिया जाये। इसलिये आज जरूरत इस बात की नहीं है कि यूनिवर्सिटीज के नाम हिन्दू मुस्लिम के नाम पर रखे जायं।

यहां पहले जाति के नाम पर विद्यालय हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह ने दिखाया है कि प्रदेश और देश के लिए यह आहतकारी है और उन्होंने अपने समय में इसको रोका। चौधरी चरण सिंह ने दिखाया है कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष में कैसे विजय हासिल की। "हाऊ कांवर्ड टू इंडिया" मैंने पढ़ी है, आप लोग भी पढ़ें। चौधरी साहब की अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र से संबंधित बहुत सी चीजें हैं जो पाठ्यक्रम में आनी चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में शहीद भगत सिंह जी को आतंकवादी कह दिया जाता है। जबकि उनकी माता इलाहाबाद में भारत पार्टीशन के समय भीख मांग रही थीं और बाद में उनको गोल्ड मेडल सम्मान और बाद में पंजाब सरकार ने उसको रिकनाइंज किया।

भारतवर्ष की इस पावन धरती पर प्राचीन काल में बहुत सी विदुषी महिलाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने जीवन और समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के सामने आगे बढ़कर ख्याति अर्जित की है। आज के युग में भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हुई हैं, सरोजिनी नायडू हुई हैं, कमला नेहरू हुई हैं। लेकिन महिलाओं की शिक्षा नहीं है। होली जैसे समय में रजनीकान्त दत्त समझते होंगे बनारस में महिलाएं तो घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं। क्या लखनऊ में यहां कोई महिला हुड़दंग में निकल जाए। हम चाहते हैं कि इंटर स्तर तक कालेजों में सह-शिक्षा लागू की जाये, लेकिन हम कन्ट्रोल नहीं करते हैं।

यहां कहा गया कि नारायण दत्त तिवारी के नाम पर जाली सर्टिफिकेट बन जाता है। जो आपका इलाहाबाद का शिक्षा बोर्ड है उसमें 20 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा देते होंगे। आप कहें तो सिब्ते रजी के नाम पर मैं फर्जी मार्कशीट और प्रमाण-पत्र ला दूं। आप कहें तो परीक्षा केन्द्र 20-20 किलोमीटर दूर होंगे और आपके सचिव कहते हैं कि हम मुख्य मंत्री के आदेश नहीं मानेंगे। आप लड़कियों का विकास करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको शिक्षित करना होगा। लेकिन आप तो उनको गृह विज्ञान का ज्ञान देते हैं। बहुतों के दिमाग में है कि उनको केवल चूल्हे-चौके की शिक्षा दी जाये। किन्तु आज शिक्षा और ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियां सफलतापूर्वक आगे न बढ़ रही हों, वह चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे पालीटेकनिक हो या अन्य कोई।

लड़कियों की शिक्षा पर जो आपका खर्च होगा, तभी प्रदेश का विकास होगा । यदि कोई देहात का लड़का है और एक शहर का लड़का है और आपने शिक्षा के नवोदय विद्यालय खोल दिये हैं । उसमें कम्पटीशन होगा, तो उसमें देहात के बच्चे कैसे आ पायेंगे । पता नहीं इनके यह विद्यालय किस वजह से खोले गये हैं । शिक्षा में एक्सपेरीमेंट बहुत होते रहे हैं, उसी में एक यह भी नवोदय विद्यालय वाला है । सन् 64 में डा0 एस0 कोठारी कमीशन हुआ और 48 में राधाकृष्णन कमीशन हुआ । बार-बार यह हुआ है । आप सत्ता में बैठें या हम बैठें, शिक्षा केवल विधान सभा और पक्ष प्रतिपक्ष के रूप में नहीं देखी जा सकती है । इसका दायित्व हम पर ही है, शिक्षा का संबंध सभी से है । आप पुस्तकों, किताबों, आंकड़ों और रेडियो और टी0 वी0 के द्वारा शिक्षा देना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्री हरदेव—

मान्यवर, यह हम लोगों की ओर इंगित करते हैं, आपकी ओर इंगित नहीं करते हैं । (व्यवधान) मान्यवर, जब हम लोग पढ़ते थे, [× × ×]

श्री यदुनाथ सिंह—

अशोक शिलालेखों के माध्यम से लोगों को समझाते थे । आज बहुत लोगों को कागज नहीं मिलता है और आप आपरेशन ब्लैक-बोर्ड पर शुरू करना चाहते हैं । अपने जिले के आस-पास वह रहना चाहता है, पढ़ाने वह जाता ही नहीं है । आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बताया, प्राइमरी शिक्षक जो हैं उसको टेलीविजन का कोई ज्ञान नहीं है, कम्प्यूटर का कोई ज्ञान नहीं है उसको आप यह चीजें दे रहे हैं जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, वह बच्चों को क्या सिखायेगा । यह तो वही बात हो गई कि बन्दर के हाथ में रेजर दे दें, तो इस तरह से तो आप अपनी नाक काटने का काम करेंगे । जो पांच साल तक शिक्षा प्राप्त किये हैं जिनको इन चीजों के बारे में जानकारी है उनके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं । अगर आपको शिक्षा के बारे में सोचना है तो आप बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचें ।

दुनिया में सबसे रद्दी शिक्षा अगर कोई है तो वह भारत के उत्तर प्रदेश की प्राइमरी एजूकेशन है उसके बारे में कहना चाहता हूं । अंग्रेज बड़े सेंसबिल थे । आपको याद होगा जब जनरल डायर से पूछा गया जब रौलेट एक्ट की बात आई थी गोलियां चलवाई थीं तो आपको यह ज्ञान नहीं था कि बच्चे हैं या महिलायें हैं या नहीं, तो बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा की आज बहुत जरूरत है । नकल के बारे में कहना चाहूंगा । आप क्या समझते हैं कि आपके दरोगा नकल रोक देंगे ? यह दरोगा अक्ल के कितने कमजोर होते हैं । दरोगा जाता है तो अपने कि विभाग के दरोगा के संतानों को नकल करवाने लगता है, दरोगा नकल रोक सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता है । मान्यवर, पिछले साल आपको शिक्षा विभाग, जो हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा ले रहा था उस समय जिला प्रशासन को हैण्डओवर कर दिया गया था, दो-तीन दिन जिला प्रशासन को हैण्ड-ओवर रहा, पुलिस वालों ने क्या किया कि दरोगा ने बैठ-बैठकर नकल कराया, तो एक पुलिस की मारलटी क्या है, इसको आप देखें । श्री मानवेन्द्र राय ने कहा है कि लेनिन की शिक्षा अच्छी है, यह क्रान्तिकारी है । आप एजूकेशन में शहीदे आजम भगत सिंह से प्रेरणा लें ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमती चारुशिला—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह आपकी तरफ पीठ करके बोल रहे हैं । इनको आपको संबोधित करके बोलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप मेरी तरफ संबोधित करके बोलें ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इण्टरमीडिएट एजूकेशन जो है, इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट, 1916 के अनुसार दी जा रही है तो इसमें आप कब तक संशोधन करेंगे । अगर आप इसी एक्ट के अनुसार शिक्षा देंगे तो आप 50 साल में भी जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पायेंगे । इण्टरमीडिएट की शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो व्यावसायिक हो । बच्चों के इन्ट्रेस्ट की शिक्षा होनी चाहिए यह कोई जरूरी नहीं है कि इण्टर में अगर वह थर्ड डिवीजन आया है तो बी0 ए0 और बी0 एस-सी0 में भी उसकी थर्ड डिवीजन हो ।

मान्यवर, मैं आपको एक बनारस की घटना बताऊं । बनारस यूनीवर्सिटी में 13 पेपर रखे गये थे । एक लड़का था, जो फिजिक्स के पेपर में पास हुआ और उसका डिस्टिंक्शन आया । दूसरी बार वह केमेस्ट्री के पेपर में पास हुआ और उसका डिस्टिंक्शन आया लेकिन फिजिक्स के पेपर में फेल हो गया । तो जब आप 13-13 पेपर कर देंगे तो क्या होगा । मान लीजिये लड़के की माता बीमार है या उसकी माता का निधन हो जाता है तो लड़का कैसे ठीक से अपने पेपर देगा । आज विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ है, दूसरी तरफ उसको ठीक से शिक्षा नहीं दी जा रही है । मान्यवर, दोहरी शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । क्रिश्चियन लोगों का मैनेजमेंट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनकी व्यवस्था अच्छी होती है । आप जब फातिमा अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर स्टाफ में जो नर्स होती हैं आप कहते हैं कि वह डिवोटी होती हैं ।

चूंकि केरल में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और वहां पर महिलाओं को बराबर सुविधा दी जाती है इसलिये वहां महिलाओं में शिक्षा अधिक है । वहां पर महिलायें प्रोफेसर हैं । यहां के स्कूलों का यह हाल है कि अगर 100 लड़के हैं तो 20 या 10 लड़कियां होंगी । तो इससे कोई कंपलेक्स फेयर नहीं बन पाता है । आप अगर लड़कियों या महिलाओं को शिक्षा देना चाहते हैं तो उनके अलग कालेज खोलें । साथ-साथ शिक्षा देने में कभी-कभी दिक्कतें आती हैं । मेरे यहां चुनार तहसील में निगामत कलां में इंटर-मीडियेट में एक लड़के ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और बलात्कार के बाद उसने लड़की को मार डाला ।

इंटरमीडियेट मे लड़कों की उम्र 16-17 साल की होती है, जो उस समय मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं तो उस समय सह-शिक्षा नहीं देना चाहिए । मैंने

इस कांड के बारे में न कार्य-स्थगन उठाया और न नियम 301 में उठाया । तो चुनार तहसील में लड़के ने यह कुकर्म किया । कहां गया आपका ब्रह्मचर्य और कहां गया आपका व्यायाम ? सह-शिक्षा केरल में हो सकती है या आपके सिटी मांटेसरी स्कूल में हो सकती है जहां पर हरिदेव जी के बच्चे पढ़ते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर 100 लड़के हों और 10 लड़कियां हों, वहां पर सह-शिक्षा की इजाजत न दें । अब मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । प्रौढ़ शिक्षा की चारुशीला जी को बहुत जरूरत है ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

जब आप सामने खड़ी हो गयीं हैं तो क्या फर्क पड़ता है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

आजकल की महिलायें और कन्यायें अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं, आपको देखभाल करने की जरूरत नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं । आपने स्कूलों में देखा होगा कि जब बच्चे का नाम रजिस्टर कराया जाता है तो पिता का नाम लिखा जाता है । बख्शी दीदी के बच्चे स्टूडेंट्स रहे होंगे तो मैं समझता हूं कि बख्शी दीदी के पति का नाम रजिस्टर में उद्धरित किया गया होगा । मेरा कहना है कि जब बच्चे का नाम रजिस्टर किया जाय तो माता का नाम पहले रखा जाय ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री यदुनाथ सिंह—

प्रौढ़ शिक्षा में वास्तव में पूरा का पूरा करप्शन है । यदि आपको प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर कुछ भी देना है, तो आप हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की प्रबन्ध समिति को दीजिये, पंचायत के नाम पर कुछ भी न दें, तब तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सफल हो सकता है । आप किसी पंचायत को दे देते हैं, ग्राम प्रधान को दे देते हैं, जहां पर केवल फर्जी आंकड़ों के आधार पर ही काम होता है । केवल रजिस्ट्रेशन ही देख कर आप जो दे देते हैं और उसकी जांच-पड़ताल नहीं करते हैं, उसमें बड़ा घपला होता है । इससे फर्जी लोगों की बाढ़ हो जाती है । कालविन ताल्लुकेदार स्कूल के हास्टल में एक लड़का सुशील कुमार ने आत्म हत्या कर ली थी । मान्यवर, यह आत्म हत्या की शिक्षा है, उसमें लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश के लोग जो बड़े-बड़े अफसर हैं, वे ग्वालियर में सिंधिया स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं ।

कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े-बड़े शहरों के किनारे के लोग शिशु मंदिर के नाम पर स्कूल खोल रखे हैं, कहीं पर आर0 एस0 एस0 के लोग चलाते हैं, कहीं पर जमाते इस्लाम के लोग चलाते हैं । औरंगजेब ने जब शाहजहां को बन्द कर दिया था, तो शाहजहां

ने बच्चों को पढ़ाना पसन्द किया था, उससे शिकायत करना चाहता था । ईसा मसीह के नाम पर या जमाते इस्लाम के नाम पर धार्मिक विश्वास के घेरे में आजकल स्कूल चल रहे हैं, उसको आप समाप्त करेंगे ? दोहरी शिक्षा नीति में पब्लिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल चल रहे हैं, इसी तरीके से तमाम संस्थायें, नर्सरी स्कूल चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में एक तरह पाठ्यक्रम चलाना लोकतंत्र की यही परीक्षा है--सस्ती शिक्षा, यानि सस्ती शिक्षा लोकतन्त्र की यही परीक्षा है । वैदिक काल में वैश्यायें ज्यादा सभ्य थीं । बौद्ध काल में चारुदत्त और वासवदत्ता के शिक्षित लोगों से ज्यादा सभ्य और सम्भ्रांत थे ।

अमिताभ बच्चन को जिताने के लिए पैदल चलेंगे, तो यह कोई मारल की बात नहीं हुई । शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । "पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होय ।" माननीय मंत्री जी आप यह घोषणा करें कि दोहरी शिक्षा नीति समाप्त होगी । आपके उत्तर प्रदेश की शिक्षा जो है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है, वह 27 परसेंट है और केरल में साक्षरता जो है, वह 60 परसेन्ट है । पूरे भारतवर्ष का साक्षरता का लक्ष्य 37 परसेन्ट है । आप कम से कम अपने पीरियड में उत्तर प्रदेश में साक्षरता का लक्ष्य 35 परसेंट तक पहुंचा दें ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । माननीय शिक्षा मंत्री जी के सराहनीय बजट का मैं स्वागत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरदेव जी, आप तो बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में बोलिये ।

श्री हरदेव—

माननीय विधायक साथी यदुनाथ जी ने एक घंटे की चर्चा में काशी की गरिमा को ही मिटा दिया । ऐसा इन्होंने चर्चा किया मानो यह ब्रिटिश प्रणाली या ब्रिटिश व्यवस्था में ही पले हों और वहां ही रहे हों । इन्होंने हमारी संस्कृति और विश्वनाथ बाबा की गरिमा को ही भाषण से खत्म कर दिया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जिन दिनों 2-4 गांवों में हम लोग दौड़ कर जाते थे, चिट्ठी पढ़ने वाला आदमी नहीं मिलता था, पत्र बाचने वाला नहीं मिलता था, कहीं उर्दू में आ जाता था तो वह भी चुनौती होता था, मान्यवर, भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने ऐसी शिक्षा की व्यवस्था किया कि हर गांव में प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडियेट कालेज, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करके हमारे प्रदेश का और देश का गौरव व तरक्की बढ़ाया है । यही नहीं आज हमारे शिक्षा मंत्री ने अपना पूरा दिल खोल-कर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का लाभकारी बजट पेश किया है । मैं आपकी चेयर के माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की बेसिक एजूकेशन पर ज्यादा से ज्यादा 2 अरब रुपये और अतिरिक्त धन भारत सरकार से मांग कर खर्च किये जायं ।

मान्यवर, जब तक प्रदेश की बेसिक एजूकेशन ठीक नहीं होगी, सुव्यवस्थित नहीं होगी, प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल की, तब तक हमारी उच्च शिक्षा और

टैक्निकल शिक्षा बहुत कमजोर हो जायगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1980 से लकर अब तक हमारी प्रदेश सरकार ने भवनहान विद्यालयों को भवन बनान के लिये पूर प्रदश म 50-57 हजार रुपय स लकर एक-एक लाख रुपये तक प्रत्यक भवन को दिया है और पूर प्रदश म हजारों हजार भवन का निर्माण कराया ह । मान्यवर, 86-87 में बोलया में 200 प्राइमरी पाठशालाओं के भवन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को मदद से बनाये गये हैं । और टाट-पट्टी का इंतजाम किया गया है । शिक्षा मंत्री जी ने काफी उस ओर ध्यान दिया है । मैं तो बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को कबूल किया है, कहा है कि जो भी माननीय सदस्यों के सुझाव आयेंगे, जो कमियां हैं, उनको अवश्य दूर किया जायेगा । इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में एक समान व्यवस्था अवश्य रखें ।

मान्यवर, 120 दिन लोग सरकारी छुट्टी ले लेते हैं, 120 दिन एक दूसरे के बदले काम करते हैं और 120 दिन तनख्वाह लेने की बिना काम किये कोशिश करते हैं । माननीय शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिये हैं कि इसे सुव्यवस्थित करके काम किया जाय । प्रदेश में नकल व्यवस्था खत्म करने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं जैसा कि बात आती है यहां लोग उठायेंगे, नकल प्रथा नकल प्रथा चिल्लाते हैं । आज भी एक प्रकरण उठा था कि विद्यालय के सेन्टर ऐसी जगह किये जायं ताकि हमको नकल में सुविधा मिले । समुचित समय पर अध्यापक पढ़ावें तो नकल छात्र नहीं करेंगें । मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को बताना चाहता हूं । हमारे रसड़ा तहसील में गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टरमीडिएट कालेज की आवश्यकता है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि गर्ल्स इंटरमीडिएट गवर्नमेंट कालेज, रसड़ा में खुलवाने की कृपा करें व रसड़ा में नवोदय विद्यालय खुलवायें । गर्ल्स हाई स्कूल के भवन निर्माण रसड़ा के लिए पैसा उपलब्ध करावें ।

श्री अधिष्ठाता—

हरदेव जी आप समाप्त करें ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, विधान सभा रसड़ा क्षेत्र में 18 प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता है, उसे खुलवाये और राज्कीय जूनियर हाई स्कूल कन्या विद्यालय पूरा उर्फ फरहदा क्लाकिस-नगर में खुलवाने की कृपा करें । मैं इसके साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री के बजट का समर्थन करते हुए कटौती का प्रस्ताव रखने वाले बुद्धिहीन साथी माननीय यदुनाथ सिंह की कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं तथा शिक्षा विभाग में आरक्षण कोटा शीघ्र पूरा करने की मांग करता हूं ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, क्या शिक्षा का प्रदेश में यही हाल रहेगा ? (व्यवधान)

श्री मूलचन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय यदुनाथ सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शिक्षा के लिये कई प्रकार की बातें बताई, तो जो नैतिक शिक्षा, अनैतिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रवर शिक्षा है यह सब शिक्षा समाप्त करके समान शिक्षा कर दें तो बहुत कल्याण होगा । आपके लिये कान्वेन्ट स्कूल और दून स्कूल, लेकिन आदिवासी अपने लड़के को कहां भेजेगा । आप मेरी बात नहीं समझ सकते ।

जैसा आपका बेटा, वैसे मजदूर का बेटा, लेकिन जहां अकल के दुश्मन हों, ईमान के दुश्मन हों, विचार के दुश्मन हों, व्यवहार के दुश्मन हों, व्यवस्था के दुश्मन हों, जहां नैतिकता के दुश्मन हों, मानव और मानवता के दुश्मन हों, राष्ट्र के दुश्मन हों, संविधान के दुश्मन हों, वहा हम समझत ह कि इस बात का काइ समझगा नहा । सावधान में कहा है कि दोहरी शिक्षा होगी । समान शिक्षा होनी चाहिये ।

मान्यवर, जब सब शिक्षा का स्तर समान कर देंगे, तो जहां कलेक्टर का लड़का जायेगा, वहां गरीब आदिवासी का लड़का भी रहेगा तो वहां न तो छाया है, न पानी है, न टाट है, न पट्टी है, तो दूसरे रोज कलेक्टर का लड़का कहेगा कि पप्पा मैं उस स्कूल म नहीं जाऊंगा । आप कहेंगे क्यों बेटा तो बच्चा कहेगा कि वहां न तो पानी मिलता है, न छाया है, तो आप अपने लड़के के लिये व्यवस्था करायेंगे तो सम्पूर्ण गरीब बच्चों के लिये व्यवस्था हो जायेगी । मगर आपको नहीं मालूम है, आप कह रहे हैं कि छात्राओं के लिये बड़ी अच्छी व्यवस्था करें ताकि वह शिक्षा ग्रहण कर, भारत सरकार में राजीव गांधी ने यह निर्देश दे दिये हैं कि छात्राओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाय कि वे एस0 डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 की ट्रेनिंग दी जाय ताकि वे पी0 सी0 एस0 की परीक्षाओं में आएं । आपको यह बात नहीं मालूम होगी, मुख्य मंत्री जी को मालूम होगी । आपकी नीति है कि छात्राओं के परीक्षा केन्द्र 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अन्दर हों, आपकी नीति है, मगर आपने 14 किलोमीटर दूर केन्द्र बनाए । मान्यवर, छात्राएं कैसे जायं । यही नहीं आपके मुख्य मंत्री जी के आदेश हो गये किन्तु शिक्षा सचिव उसका पालन नही करेंगे तो कैसे कल्याण होगा ?

मान्यवर, आप कहते हैं कि गरीबों के लिये, हरिजनों के लिये आपने व्यवस्था की है । मान्यवर, ब्रिटिश हुकूमत में बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर पैदा हुए, वह एक शिक्षा पद्धति थी । उन्होंने इस देश का संविधान बनाया । बाबू जगजीवन राम पैदा हुए । आप अभी से चिल्ला रहे हैं कि पांच हजार रुपये रिश्वत देकर परीक्षार्थियों को अलग से नकल कराने की व्यवस्था की जा रही है । हमारे सभी विपक्ष के लोग नकल के बारे में कहते हैं । विगत सत्र में माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में फर्जी पी0 एच0 डी0 की डिग्री और फर्जी वकालत की डिग्री दी जा रही है तो यू0 पी0 में कहां से सही शिक्षा नीति आए । अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहूंगा । हमारे हरदेव भाई बोलते हैं, हरदेव भाई मोटे आदमी हैं, [× × ×] उनके समक्ष तो "भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस पड़ी पगुराय ।"

(कई सदस्यों के खड़े रहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठिये ।

श्री मूलचन्द—

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा था, बस समाप्त ही कर रहा हूं, सुर्यावां टाउन एरिया वाराणसी में एक कन्या इण्टर कालेज दिया जाय । हाई स्कूल दिया जाय । मान्यवर, बस एक मिनट और लूंगा ।

श्री हरदेव—

माननीय मूलचन्द्र जी सदन में नौटंकी अच्छी कर लेते हैं ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री मूलचन्द—

हमारे यहां सूर्यावां वाराणसी में एक भारतीय कला दर्शन खड़कपुर सूर्यावां वाराणसी में है । यह जूनियर हाई स्कूल है । इसे 1972 से मान्यता प्राप्त है स्थायी, लेकिन अभी तक उसको एड नहीं मिल रही है, उसको एड दी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय यदुनाथ जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(4 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । तालीम एक बहुत अहम मसला है, यह उसका बजट आया है । मान्यवर, हमें कोई नीतिगत फैसले 2-4 लेने चाहिए । मैं सोच रहा था कि एक बहुत संजीदगी का माहौल इसे देंगे और मैं इसीलिये इस पर खड़ा हुआ । मान्यवर, आज जो स्थिति है, ज्यादा जगह इसका मयार गिर रहा । बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर बच्चों को पढ़ाने की जगहें नहीं हैं, एडमिशन की दिक्कतें हैं-यह जो कुछ सिलसिला चल रहा है, उन सब बातों पर गौर किया जाय । मान्यवर, मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लें सबसे ज्यादा बुनियादी बात यह कि मुल्क की आजादी के पहले यह शिक्षा क्या थी अभी माननीय सदस्य ने अंग्रेजों के समय की बात कही, अंग्रेज तो सिर्फ बाबू बनाने के लिये अपनी शिक्षा चला रहे थे, शिक्षा आजादी के बाद कुछ दिखी ।

हमारे देश के कुछ महान लोगों ने मानवता के आधार पर, तालीम के जरिये, देश की आजादी दिलाने का काम किया, हमें उनका कंट्रीब्यूशन को फरामोश नहीं करना चाहिये । मान्यवर, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से निकले और उन्होंने देश में तालीम को आगे बढ़ाने के लिये स्कूल कायम किये । अगर मुल्क आजाद हुआ तो उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता । चाहे हमारे सम्मानित जाकिर हुसैन रहे हों,

(मेजों की थपथपाहट)

सर सैय्यद अहमद खां रहे हों, चाहे मदन मोहन मालवीय जी रहे हों, चाहे ईश्वर चन्द्र विद्या सागर रहे हों, यह छोटे-छोटे जिलों में पैदा हुए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में शिक्षा प्राप्त की और समाज तथा देश को आगे बढ़ाने का काम किया । उन्होंने झोला लेकर चंदा इकट्ठा किया और तालीमी इदारे कायम किये, आज उन्हीं स्कूलों ने दयानन्द कालेज, एस0 डी0 कालेज और इस्लामिया कालेजों की शक्ल अख्तियार कर ली है । आज उन स्कूलों कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या वनस्पति गवर्नमेंट कालेजों से ज्यादा है । एक उन स्कूलों का मयार था, और आज आप बता दें कि इन गवर्नमेन्ट स्कूलों से कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले हैं ? जो भी निकले, वह प्राइवेट इंस्टीट्यूशस से निकले हैं । आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हालत बहुत खराब हो गयी है, हालत यह है कि एक वर्ग बन गया है और मैनेजमेन्ट बिल्कुल जीरो हो गया है । आज हम स्कूलों में सरकारीकरण पर आ गये हैं, पहले यह हालत थी कि अगर 10 स्कूल थे तो 7 प्राइवेट स्कूल होते थे तो 3 सरकारी स्कूल होते थे । आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है । लेकिन फिर भी सरकार चाहे तो 20 सालों में भी हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राइवेट स्कूलों के पास संसाधन नहीं हैं, न उनको मान्यता दी जा रही है और न अनुदान पर लिया जा रहा है। मान्यवर, पहले उ0 प्र0 की शिक्षा का बजट 71 करोड़ हुआ करता था आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन एक करोड़ पचास लाख रु0 खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरा काम नहीं कर पा रहा है, नये स्कूल नहीं बना पा रहे हैं। पहले जहां केवल 3 यूनिवर्सिटीज थी, आज बढ़कर 13 हो गयी हैं, तमाम प्राथमिक माध्यमिक बने जो टीचरों की संख्या बढ़ी, लेकिन आज भी टीचरों की कमी है हां छात्रों की संख्या बढ़ी है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तालीम में पब्लिक का इन्वालवमेन्ट बहुत जरूरी है। बिना पब्लिक के इन्वालमेन्ट के तालीम का मकसद पूरा नहीं होगा।

शिक्षा के मकसद को पूरा करने के लिये यदि सरकार 3-4 शिक्षा के बजटों को एक साथ मिला दे, बजटों को मिलाकर कोशिश की जाय, तो भी मकसद पूरा नहीं हो पायेगा। इसलिए पब्लिक का इन्वाल्वमेन्ट होना निहायत जरूरी है। न सरकार सारे स्कूल बना सकती है और न ही सारे टीचरों को रख सकती है। सरकार पर ही पूरी तरह से निर्भर नहीं हुआ जा सकता। मान्यवर, आज हमें निचले स्तर पर भी बहुत ध्यान देना होगा। मान्यवर, बहुत से लोग मानवतावादी होते हैं, अपने नाम से स्कूल चलाना चाहते हैं और जमीनें देते हैं। माननीय राम शरण दास जी आपके यहां भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जमीनें दी होंगी, स्कूल खोलने की उनकी तमन्ना होती है। अगर वे स्कूल भी खोले, चलाये भी और मेहनत भी करें और फायदा भी दिलायें, उसके बाद भी यदि उनका उन स्कूलों पर हक न रहे, उन्हें निकालकर बाहर कर दिया जाय, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिये।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि अगर अवाम के इस्तियाक को लाना है, पीपुल्स के इन्वालवमेन्ट को लेना है, जनता के सहयोग को लेना है, तो हमें उनके सहयोग को अवश्य लेना चाहिये, ताकि इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हो सके। हमें इसके लिये ऐसा रास्ता निकालना चाहिये, कि इसमें सरकारी पक्ष भी मौजूद रहे, हमारा भी इन्फोर्चमेन्ट होगा और वह लोग भी इसमें बढ़-बढ़कर आयें, और हम उनको मदद करें। आज हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने टिप्पणी की है और मैं उनकी टिप्पणी को पसन्द करता हूं, प्राइवेट स्कूलों के नाम पर आज दून स्कूल का नाम लिया जा रहा है, सिटी मान्टेसरी स्कूल का नाम लिया जा रहा है, बड़े-बड़े स्कूलों का नाम लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पढ़ाई में कुछ विशेष बात होगी, वहां से बच्चा पढ़कर अच्छा आदमी बनकर निकलता होगा, भले ही वहां कितनी भी गड़बड़ हो। इसलिये आज एक रिक्शे वाला भी यही चाहता है कि हमारा भी बच्चा सिटी मान्टेसरी में पढ़ने जाये।

मान्यवर, हमें फ्री एजूकेशन भी देना है, इस तरह की मयार को भी ठीक करना है। आपने ऐक्ट में तो बड़ा गजब कर डाला, चाहे कोई बच्चा पास हो या न हो, टीचर्स का प्रमोशन कर दिया जाता है। लेकिन एक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के लिये उसकी सी0 आर0 देखी जाती है और 3 बार करेक्टर रोल में इन्टरी हो जाने पर उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है। लेकिन टीचर्स के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वह चाहे पढ़ायें या न पढ़ायें, उनका कोई पढ़े या न पढ़े, पास हो या न हो, टीचर्स का प्रमोशन हो जाता है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि टीचर्स के लिये भी कोई इस तरह की प्रमोशन पर शर्त रखी जाये। उनको प्रमोशन भी दे दिया जाता है, सेलेक्शन ग्रेड भी दे दिया जाता है, जब तक उनकी अच्छी परफारमेंस न हो, उनका प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिये। ऐसा कोई फैसला लिया जाना होगा कि प्रमोशन सही प्रकार से हो। तीसरी

बात मैं कहना चाहता हूं कि आज लड़के और लड़कियों की तादाद बराबर है और कहीं तो लड़कियों की संख्या ही अधिक है । हमारे मंत्री जी न, पाटा की सरकार ने फैसला दिया है कि लड़कियों के स्कूलों के लिये ज्यादा सहूलियत दी जाय, उनको अधिक डिग्री कालेज दिये जायं ।

मान्यवर, जिन कामों में लड़कियां शिक्षायाफ्ता नहीं होतीं, वह काम तरक्की नहीं कर सकता । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज लड़कियों को भी एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान दिया जाना चाहिए और उनको इन्तजामियाढ़ाये में लेना आवश्यक है । इसी तरह मान्यवर, आपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात आई । अभी थोड़े-थोड़े ब्लाक लिये जा रहे हैं, एक समय ऐसा आयेगा, जब सब भवन बन जायेंगे । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक कन्सट्रक्शन एजेन्सी सरकार को बनानी चाहिये क्योंकि यह भवन तो बन जायेंगे, लेकिन वह अच्छे नहीं होंगे । अगर आप इस तरह की एजेन्सी नहीं बनाते हैं, तो आपको बड़ा नुकसान होगा । पैसा भी व्यर्थ खर्च हो जायेगा और भवन भी ठीक नहीं होंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके पेशकरदा बजट की भरपूर हिमायत करता हूं और श्री यदुनाथ सिंह से अपेक्षा करता हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव पर जोर नहीं डालें ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, आज जिस समय बजट पेश हो रहा था और 10 अरब रुपये की चर्चा की जा रही थी, शायद उस समय इस प्रदेश की आबादी का ध्यान मंत्री जी को नहीं था । मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों के बारे में चर्चा की गई । मान्यवर, शायद विधान सभा क्षेत्रों से इनका परिचय नहीं है, अन्यथा जब मान्यवर, हम लोगों को अपने विधान सभा क्षेत्र में जाना पड़ता है और उन जर्जर प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की तरफ भी देखना पड़ता है, तो ऐसे समय में एक जनप्रतिनिधि की हालत खस्ता हो जाती है, जब वहां के लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा भवनहीन विद्यालय में पढ़ने जाता है । आज मान्यवर, माध्यमिक विद्यालयों में, अन्य जगहों पर फीस कम कर दी गयी है, आज भी 9 रुपये फीस जूनियर हाई स्कूल में वसूल की जाती है । ऐसे तमाम भवनहीन विद्यालय मौजूद हैं । मैं अपने जनपद की कुछ चर्चा करना चाहूंगा ।

हमारे जनपद में 19 लाख रुपये लगाकर टी0 वी0 सेट्स लगाये गये हैं । हमारे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में जितने भी टी0 वी0 लगे हुए हैं, उनके केवल एन्टीना ही एन्टीना दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर भवन नहीं है । मैं अब उन नवोदित स्कूलों की तरफ इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिनके बारे में माननीय मंत्री जी बड़े जोरों से कह रहे थे । आज वास्तविकता यह है कि इन नवोदित विद्यालयों ने वर्ग-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है । केवल 150 बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ सकते हैं । इन विद्यालयों में केवल वे ही बच्चे पढ़ पायेंगे जो सर्वोत्कृष्ट परिवारों से आते हैं या जिनका कोई प्रभाव व दबाव है ।

आज शिक्षा की यह स्थिति हो गई है कि कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को गांव के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता है, इसी कारण नर्सरी स्कूलों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है । जैसा कि माननीय श्री गफरान साहब ने कहा, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं । पिछले इतिहास को देख लिया जाय, श्रद्धेय मदन मोहन

मालवीय, डा0 जाकिर हुसन व सर सयद अहमद जसे लोगों ने शिक्षण संस्थाय खोलकर आज हमार शिक्षा क स्तर को यहा तक पहुचाया है । इसी प्रकार यदि काई स्वतत्रता सग्राम का कर्मठ व्यक्ति काई इस तरह का स्कूल खोलना चाहता है तो शासन स्तर से उसे पूरा मदद मिलना चाहिए । एसा नहा होना चाहिए कि वह बचारा खोल और दूसरा आदमी उसे हथिया ल । मैं आपको अपने यहां का एक उदाहरण देना चाहता हू । हमारे यहां एक साधु ने भिक्षा ले-लेकर एक दामोदर सिंह इण्टर कालेज खोला, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने उसे हथिया लिया और उसका नाम बदल कर अपने भाई के नाम से उसे कर दिया । यदि ऐसी स्थिति रही तो कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक संस्थायें खोलने के लिए आगे नहीं आयेगा ।

आप लोग भी जानते है कि गुजरात में सरदार बल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला गया है और एैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से वह विश्वविद्यालय चल रहा है । 50 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए विद्यार्थी वहां रोज आते है, छात्रों के रहने के लिए वहां पर छात्रावासों की सुविधा है, अध्यापक/कर्मचारियों को भी वहां रहने की सुविधा उपलब्ध है । यहां तक कि 50 कि0मी0 दूर से छात्रों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा है ।

मान्यवर, प्राद्योगिक शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हू । प्राद्योगिक शिक्षा के बारे में माननीय मंत्री जी ने यहां पर चर्चा की और कहा कि इसे उद्योगपरस्त होना चाहिए । मेरे ही क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज है, यदि टेक्स-टाइल से संबंधित कोई चीज वहां पर होती है तो वहां जो तमाम बुनकर रहते है, उन्हें काफी सुविधा हुई होती । हमारा पूर्वांचल बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कृपा की जाय जिससे उस इलाके के रहने वाले लोगों को लाभ मिल सके ।

मान्यवर, आज शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । श्री जगदीश चन्द्र पन्त जैसे ईमानदार व कर्मठ प्रमुख सचिव के रहते हुए भी शिक्षा विभाग के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है । ऐसे-ऐसे लोगों को कुलपति बनाया गया है जो थ्रू-आउट थर्ड डिवीजन रहे है, शिक्षा आयोग में भी ऐसे ही व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया है । ऐसे-ऐसे लोगों को डाक्टर्स की डिग्री दी गई है और डी0 लिट की डिग्री दी गई है, जिन्हें लिट्रेचर की स्पेलिंग लिखना भी नहीं आता है ।

लेकिन शर्म की बात है कि ऐसे कुलपतियों का नामीनेशन होता है जो "विद्या" शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सकते, उनको डिग्रियां दी गयी है । इसके साथ ही मैं अपने जिले की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू । वहां पर हमारा सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर एक प्राविधिक विद्यालय खोलने का प्राविधान करें । इसके साथ ही मैं माननीय यदुनाथ सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू ।

*श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आज शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और पूरी तरह से परिपक्व बजट रखा है लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी लगाम और कसने की जरूरत है । शिक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विभाग में ऐसे लोग घुसे पड़े हैं । आज लोग कहते हैं कि बेईमानों की संख्या पढ़े-लिखों में ज्यादा है, बिना पढ़े-लिखे तो बेईमान होते ही नहीं हैं । आज ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है ।

मैं अपने जिले की बात पर आ जाता हूं। हमारे जिले की जनसंख्या 25 लाख है । हमारे यहां प्राइमरी स्कूल में 1,45,040 लड़के और 70,309 लड़कियां भर्ती होती हैं और इण्टर कालेज में पहुंचते-पहुंचते इनमें से 1,11,000 लड़के और 63,000 लड़कियां सीट नहीं पाती, संस्थाओं की कमी है, ऐसे लड़के-लड़कियों की संख्या बहुत है जो प्राइमरी से इण्टर के बीच में आउट हो जाते हैं । इण्टर के बाद डिग्री कालेज में 40 हजार इण्टरमीडिएट के छात्रों-छात्राओं में से मात्र 38,000 लड़के-लड़कियां मेरे जिले में डिग्री कक्षाओं में पहुंच पाते हैं । कारण क्या है ? हमारे यहां 20 ब्लाक हैं, 4 तहसीलें हैं, एक तहसील में सदर में 3 डिग्री कालेज हैं और एक दुद्धी में है, बाकी दो तहसीलों में, 250 कि0 मी0 का लम्बा जिला, उन तहसीलों में कोई इण्टर कालेज नहीं है ।

मेरे मिर्जापुर क्षेत्र में राबर्ट्सगंज, भौरावल और चुनार में मैं मांग करता हूं कि वहां पर गर्ल्स इण्टर कालेज दिये जांय और साथ ही साथ पूरी तरह से बल देना चाहूंगा कि चुनार में डिग्री कालेज और राबर्ट्सगंज में जल्द से जल्द डिग्री कालेज खोले जायं और एल-एल0 बी0 और एम0एस-सी0 की शिक्षा की घोषणा की जाय । इसके साथ ही मैं शिक्षा के बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्री [illegible] प्रसाद बोस—

[illegible], मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बुन्देलखण्ड के पिछड़े जिले बांदा की ओर, जहां से मैं चुनकर आया हूं, शिक्षा विभाग का ध्यान खींचना चाहता हूं । मान्यवर, बांदा में एक स्कूल है, फुरही गांव में वह स्कूल था और जनता पार्टी की सरकार ने [illegible] को खोला था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने [illegible] को वहां से [illegible] आश्चर्य करेंगे कि मध्य नवम्बर में [illegible] हाई स्कूल का ट्रान्सफर किया गया जबकि इस समय किसी भी स्कूल का ट्रान्सफर नहीं किया जाता है ।

इस मिलजिले में, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिला और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिला और शिक्षा सचिव से भी मैंने बात की, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं [illegible] । माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि इस समय कैसे यह ट्रान्सफर [illegible] मैं विदेश में था तब का यह वाकया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने [illegible] का ट्रान्सफर कैसे हो गया, अगर उन्हें कहीं और स्कूल खोलना था तो दूसरी जगह स्कूल खोल सकते थे ।

मान्यवर, उस स्कूल में 300 बच्चे शिक्षा पा रहे थे और उस गांव की आबादी 99 प्रतिशत हरिजन और मुसलमानों की है । शासन ने शिक्षा विभाग के दवारा शिक्षा दिग्दर्शन नामक पुस्तिका जो प्रकाशित की है उसकी भूमिका में भी दिया है कि "अनुसूचित जातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोलने जा रहे हैं ।" मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर अनुसूचित जाति की और अल्पसंख्यकों की 99 प्रतिशत आबादी है वहां से अपने स्कूल को अन्यत्र ट्रान्सफर करा दिया और अब कहते हैं कि अनुसूचित जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्कूल खोलेंगे ।

हमारे यहां से यह स्कूल मध्य नवम्बर में ट्रान्सफर किया गया । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया दिसम्बर में कि वहां से स्कूल को न हटाया जाय, लेकिन आज 22 मार्च हो गयी, जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी के हर आदेशों का पालन नहीं होता है, वैसे ही उनके इस आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया है । मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग जब मध्य नवम्बर में हाईस्कूल का ट्रान्सफर करेगा तो यह शासन का पागलपन नहीं तो और क्या है ? जिस स्कूल में 300 छात्र शिक्षा पा रहे हों, वहां हरिजन और मुसलमानों की आबादी का बाहुल्य हो, वहां से मध्य नवम्बर में स्कूल का ट्रान्सफर कर दिया जाय, तो इसे तो मैं पागलपन की ही संज्ञा दूंगा ।

इसके अलावा मैं दूसरी बात लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंध में कहना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्यिक संकाय में एक हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट हैं वह तो पूर्णकालिक कम करते हैं । इसके संबंध में हाई कोर्ट का भी आदेश है कि ये दो एकाउन्टेन्ट का काम करते हैं । इनके संबंध में हाई कोर्ट का भी आदेश है कि ये दो पूर्णकालिक काम नहीं कर सकते हैं । इस बारे में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी प्रत्यावेदन दिया है लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवायी नहीं हुई है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया । अब जो कुछ भी आपको कहना है, आप लिख करके शिक्षा मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

प्रस्तुत बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल जब यहां सदन में पर्यावरण का, खेलकूद का, सूचना विभाग का कम से कम चार विभागों का बजट वहां पर रखा गया था जिसका समय केवल डेढ़ घन्टा निर्धारित था लेकिन बाद में इस सदन में प्रस्ताव आया और बजट पर बोलने का समय और बढ़ा दिया गया । आज शिक्षा विभाग का बजट पेश हुआ है जिसके लिये समय सीमित है, दोनों पक्षों के सदस्य अपनी-अपनी बातों को यहां रखना चाहते हैं, तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा कि कम से कम दो घंटे का समय इसमें और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी सदस्यगण अपनी बात रख सकें इसीलिये दो-दो मिनट का समय दिया जा रहा है । आप लोग अब केवल अपने सुझाव ही दें ।

(व्यवधान)

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, अगर आपने सभी को 2-2 मिनट का समय दिया तो इसमें हम अपनी बात को क्या कह पायेंगे, कम से कम 10-10 मिनट का समय आप दें और मान्यवर आज इतना महत्वपूर्ण बजट है, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां पर नहीं हैं और न ही संबंधित मंत्री हैं, वह भी अभी चले गये, इसलिये मान्यवर इसका निर्णय कौन

कर दें और जाहिदी साहब यह चाहते नहीं हैं कि इसका समय और बढ़ाया जाये ।

(कई सदस्यों के बोलने से व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शांति बनाये रखें, सभी माननीय सदस्यों को अवसर इस पर दिया जायेगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, इसलिये आप सभी से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि सूत्र रूप में बोलने का कष्ट करें, जिससे सभी माननीय सदस्यों को मौका मिल सकेगा ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, आप समय कितना दे रहे हैं यह स्पष्ट नहीं हुआ आपकी व्यवस्था से, कृपया यह बता दें । कम से कम एक घंटा ही और बढ़ा दें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस पक्ष के साथी भी और हमारे इस पक्ष के साथी भी जो काफी तादाद में हैं, बोलना चाहते हैं, क्यों कि यह बजट इल्म से ताल्लुक रखता है, जिसके द्वारा प्रदेश की तरक्की का राज है, इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जो इसके लिये समय निर्धारित है, माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी बात कुछ सूत्र रूप में कह लें ताकि सभी माननीय सदस्यगण बोल सकें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप सभी से मेरा आग्रह है कि 2-2 मिनट के लिये सूत्र रूप में बोल लें ।

एक सदस्य—

नहीं मान्यवर 10-10 मिनट कर दें ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, जिस तरह से शिक्षा के बजट पर आज लोग बोल रहे हैं, लगता है इस महत्वपूर्ण बजट पर लोग गम्भीर नहीं हैं, बीच-बीच में कहीं हर देव जी बोल रहे हैं और कहीं कोई दूसरे मा0 सदस्य, बड़े ही हल्केपन से इसको मान्यवर, लिया जा रहा है, यह बड़े ही ताज्जुब की बात है और जहां तक 2-2 मिनट के लिए बोलने की बात कही गयी, इसमें मान्यवर, क्या होगा ? क्या हमें आपसे कोई फरियाद करनी है जो दो-दो मिनट में कर लें आप इसके लिए कुछ समय निर्धारित करिये जिससे मा0 सदस्य कुछ अपने-अपने सुझाव रख सकें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 48—भूस्खलन बचाव विभाग, अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) तथा अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (क्रमागत)

श्रीमती सरस्वती देवी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय शिक्षा के बजट पर जो बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और मा0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है,

उसका मैं हृदय से समर्थन करती हूं और विपक्ष के जिन साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनका घोर विरोध करती हूं । मान्यवर, किसी भी देश की उन्नति का आंकलन वहां के शिक्षित नागरिकों द्वारा ही किया जाता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के निर्माताओं ने 3 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की है और आज 40 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने काफी प्रगति की है, जहां पहले एक डिग्री कालेज था वहां पर आज 4-4 और 5-5 डिग्री कालेज है और इण्टर कालेज, हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बढ़ाये जा रहे हैं । प्राइमरी स्कूल हर किलोमीटर पर खोलने का प्राविधान है इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देती हूं ।

मान्यवर, ग्रामीण बच्चों को मेधावी आगे पढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय खोले गये हैं । इसके साथ ही साथ मैं शिक्षा विभाग को भी बधाई देना चाहती हूं कि उसने लड़कियों की शिक्षा के बारे में ध्यान दिया है और बी0 टी0 सी0 में लड़कियों की संख्या को बढ़ा दिया है । इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को धन्यवाद देती हूं साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि हर न्याय पंचायत में एक कन्या विद्यालय खोला जाये । मान्यवर, हम सभी लोग जानते हैं कि आज कल शिक्षा के वातावरण में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है इसके लिये शिक्षा विभाग की ओर से नैतिक शिक्षा और स्काउटिंग पर जोर दिया जा रहा है । विगत वर्ष 700 प्रतिभागियों ने 11 सितम्बर से 30 नवम्बर, 1987 तक शीतला खेल, अल्मोड़ा में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 1,400 प्रतिभागियों ने 11 सितम्बर से 1 मार्च, 1988 तक सी0 पी0 आई0 इलाहाबाद में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 700 प्रतिभागियों ने 5 दिसम्बर से 1 मार्च, 1988 तक हरिद्वार में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

हमारी सरकार समाजोपयोगी शिक्षा पर भी ध्यान दे रही है, जिससे बच्चे स्वावलम्बी बन सकें । इसके लिए मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहती हूं । मान्यवर, शिक्षा इतने महत्वपूर्ण बजट हैं, कि इसे सर्वसम्मति से पास होना चाहिए और विपक्ष के भाइयों से निवेदन करूंगी कि वह इसके लिए अधिक धन के प्राविधान करने के लिए निवेदन करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं और शिक्षा के बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने शिक्षा विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का मौका दिया । मान्यवर, आप जानते हैं कि प्रदेश में 27.16 प्रतिशत शिक्षित लोग हैं और 73 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं । जो 73 प्रतिशत अनपढ़ हैं, वह जागरूक शिक्षा मंत्री और सरकार से प्रश्न करते हैं—

"गांधी तो गांव-गांव हर एक बच्चे की जबां तक पहुंची ।
यह बताइये कि तालीम कहां तक पहुंची ।।" ?

मान्यवर, सरकार इस तरह से भ्रष्टाचार करती है कि उसका पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं उससे इस विभाग का जो भ्रष्टाचार है, उसका पर्दाफाश होता है । मान्यवर, लखनऊ में एक राजकीय गर्ल्स पालीटेक्निक है, यहां पर जो प्रशिक्षण अधिकारी का पद है वह राजपत्रित है, उस पर बिना साक्षात्कार लिए हुए,

सदस्य बिना विज्ञापन दिये हुये नियुक्त कर दिया गया, उनका नाम है, कुमारी गीता चतुर्वेदी और जब मैंने प्रश्न पूछा तो सरकार ने एक स्पेशल शासनादेश सं0 8586/18-प्रा0 शि0—2-85 (इ)/ई0 डी0/80, दिनांक 5-5-1984 जारी कर दिया । लोक-सेवा आयोग इनका नियुक्ति से सहमत नहीं हुआ और उसने कहा कि उनका अस्थाई परमीशन इस शर्त के साथ दी जा रही है कि एक वर्ष के अन्दर इनको अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय । माननीय, उसको जस्टीफाई करने के लिए यहां पर कहा गया है और शासनादेश निकालकर यह व्यवस्था दी गई है कि विज्ञापन में पद अधिक थे कन्डीडेट कम थे अतः स्वयं की प्रार्थना पर नियुक्त कर दी । विज्ञापन 24-12-79 को किया गया था पद ज्यादा थे और अप्लीकेशन्स कम थीं, इसीलिए उनको नियुक्त कर दिया गया । यह विभाग की जागरूकता है कि 24-12-79 को विज्ञापन हुआ और 10 दिन पूर्व 15-12-79 को नियुक्ति हो गयी यह कह कर कि कन्डीडेट्स कम आयें, अप्लीकेशन्स कम आयेंगे । इनके विभाग के भ्रष्ट अधिकारी यह पहले से ही जानते थे कि लोग कम आयेंगे । इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है ? यह मेरे पास जो शासनादेश है, मैं आपके माध्यम से इसे माननीय शिक्षा मंत्री के पास भेज दूंगा । वे कृपया इसको देखें और कार्यवाही करें ।

इसके अतिरिक्त टेक्निकल एजुकेशन विभाग में तीन-तीन साल से लोग पड़े हुये हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है, उनकी सर्विस अधर में है । एक हमारे पी0 सी0 दीक्षित रंगीले डाइरेक्टर हैं, कानपुर में हैं । कु0 गीता चतुर्वेदी हैं । जो सन् 1977 में क्लर्क के पद पर थीं । चार माह में उनकी पदोन्नति हुई फिर चार माह बाद वह रेगुलर इन्सपेक्टर हो गयी हैं और उसके बाद भाषा अनुदेशक के पद पर नियुक्त की गईं और दो वर्ष के बाद गजेटेड पोस्ट उन्हें दे दी गयी ट्रेनिंग अफसर की । यह सब क्या है ? (व्यवधान)

एक निवेदन और करना चाहता हूं । एक कुमारी दयाश्री कौल हैं 1979 में रेडियो इन्जीनियरिंग और लेक्चरर का पद विज्ञापित हुआ । इसकी शैक्षणिक योग्यता एम0 ए0 या एम0 एस-सी0 अथवा एम0 काम0 होना चाहिए यह कोई एजूकेशन की डिग्री नहीं रखती हैं । मात्र डिप्लोमा होल्डर हैं और बिना स्वास्थ्य परीक्षण कराये डाइरेक्टर ने इन्हें अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अय्यासी का अड्डा बनाकर इनकी पोस्टिंग कर दी । इसकी हमने शिकायत की । माननीय शिक्षा राज्य मंत्री बैठे हैं । आपने आदेश दिया कि इसकी 10 दिन के अन्दर जांच कर ली जाय और रिपोर्ट सहित पत्रावली भेजें । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब माननीय मंत्री जी ने 10 दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिये थे तो फिर भी आज तक उसकी जांच नहीं हो पायी है बजाय इसके उनकी पदोन्नति कर दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी की शिकायत पर उसकी पदोन्नति कर दी जाती है तो मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं और उसकी पदोन्नति वापस ले ली जाय । सरकार के मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं होता है ।

श्री अधिष्ठाता—

बाकी सुझाव आप मंत्री जी को लिखकर दे दें ।

श्री बुलन्दाद हुसैन अंसारी—

दूसरी बात यह है कि यह जो डाइरेक्टर हैं पी0 सी0 दीक्षित इनको कानपुर में ही रहने का आदेश दिया जाय । छोटे-छोटे अधिकारी यहां से नहीं आ जा सकते हैं

तो उनको भी कनपुर हेड-क्वार्टर में ही रहना चाहिये । यहां पर महिला पालिटेक्निक के प्रांगण में अपने बंगले वह रात में आ जात हैं । यह नहीं होना चाहिए । दूसर जो नियुक्तियां हुई हैं, वे कैंसिल होनी चाहिए पदोन्नति वापस ली जाय और डाइरेक्टर महोदय का आदेश दिया जाय कि कानपुर में ही हेड क्वार्टर में रहें । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है । माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हू और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हू । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में इस वक्त प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, ये तीन प्रणालियां चल रही हैं । मान्यवर, एजूकेशन आज ग्रामीण अंचल तक पहुंच गई है । इसके लिये हमारे मंत्री जी और विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं । एक बात और कहना चाहूंगा । ग्रामीण अंचलों में जो प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं उनमें जितने टीचर्स का एलोकेशन है वह पूरा नहीं पहुंच पा रहा है । वहां के टीचर्स दूसरे विद्यालयों में और दूसरे विद्यालयों के टीचर्स तीसरे विद्यालयों में जा रहे हैं । अतः मेरी मांग है कि इनमें बढ़ोत्तरी की जाय । उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहां 23 विश्वविद्यालय हैं, 404 महाविद्यालय हैं और जहां तक मेरी जानकारी है 49 राजकीय विद्यालय भी हैं ।

मान्यवर, विश्वविद्यालयों में आज जिस तरह से हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षायें पास करने के बाद लड़के और लड़कियां आ रही हैं, उनको दाखिला नहीं मिल पा रहा है । एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में आस-पास के जिलों के तथा प्रदेश के कोने-कोने से छात्र और छात्रायें आती हैं उनको छात्रावास की बहुत आवश्यकता होती है । लखनऊ विश्वविद्यालय में जो राजधानी की यूनिवर्सिटी है यहां बड़ी संख्या में छात्र, छात्रायें आते हैं । यहां पर छात्राओं का एक ही कैलास होस्टल है मेरी मांग है कि उसमें एक एडीशनल होस्टल और खोला जाय ।

हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय का एक सेन्टर लखनऊ में कायम हो गया है । मेरा अनुरोध है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इस सेन्टर को कायम किया जाय । हमारी सरकार की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्लान और नान-प्लान में बजट का 18.2 प्रतिशत का एलोकेशन है प्रदेश के हर क्षेत्र का चाहे वह ग्राम हो या शहर हो उसके हर परिवार का व्यक्ति शिक्षा से सम्बद्ध है । आज हर व्यक्ति चाहता है कि वह पढ़े-लिखे इसलिए मेरी मांग है कि इस विभाग के बजट एलोकेशन को और बढ़ाया जाय ।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहां हाई स्कूल और इण्टर बोर्ड की एक बहुत बड़ी संस्था है । जो इतनी बड़ी संख्या में परीक्षा का संचालन करता है देश में सबसे ज्यादा संख्या में लड़के और लड़कियां परीक्षा देती हैं । इसका समय पर परीक्षाओं का संचालन करना, समयबद्ध कार्यक्रम पर इन्तजाम करना और रिजल्ट आउट करना यह बहुत बड़ी बात है इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को और शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं ।

एक बात मैं महिला विद्यालयों में टीचर्स के एपाइन्टमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां काफी संख्या में महिला क्वालीफाइड टीचर्स उपलब्ध हैं लेकिन इसके बावजूद वहां मेल टीचर्स का एपाइन्टमेन्ट किया जाता है यह न्याय संगत नहीं है । इससे उनमें डिस्कन्टेन्टमेन्ट फेक्शन फैल रहा है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको देखें ।

एक बहुत अच्छी घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है कि हर तहसील स्तर पर और ब्लाक स्तर पर एक विद्यालय हो । यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस घोषणा को जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाय इससे लोगों के मन में शिक्षा के प्रति लहर दौड़ी है ।

एक बात और कहना चाहूंगा हमारे जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय खुले हैं उनके फण्ड के एलोकेशन में, जैसा माननीय गुफरान जाहिदी साहब ने कहा मैनजमन्ट और गवर्नमेन्ट के बीच टकराव हो रहा है तो उस स्थिति से हमें निकलना होगा और उसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा क्योंकि इसका असर टीचर्स पर पड़ता है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं चाहे वह लखनऊ विश्वविद्यालय का होस्टल हो या कानपुर विश्वविद्यालय का या अन्य किसी विश्वविद्यालय का होस्टल हो उनमें आजकल हिंसा बढ़ रही है । इसका कारण यह है कि एक-एक कमरे में 6-6 लड़के रह रहे हैं उसका नतीजा यह होता है कि उसमें कुछ एन्टी शोसल एलीमेन्ट भी पहुंच जाते हैं । इसलिए इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है । शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इण्टरमीडिएट बोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है इसमें जनमानस के कंट्रीव्यूशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है । इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है । हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि कैसेट्स के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा शिक्षा का प्रसार करेंगे । इसमें मेरा निवेदन है कि इस बात को सुनिश्चित कर लें कि यह बड़े-बड़े नगरों तक ही सीमित न हो बल्कि छोटे-छोटे नगरों तक भी इसका फायदा मिले । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, हमारे प्रदेश को तीन तबाह कर रहे हैं प्रशासन, परीक्षा और पाठ्यक्रम । इसमें शिक्षा को भी तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन तीनों का हमारी शिक्षा से गहरा संबंध है । प्राइमरी शिक्षा में आपका रिजल्ट 90 परसेन्ट से अधिक है और यही जब हाई स्कूल में पहुंचते हैं तो 56 प्रतिशत रह जाता है और इण्टरमीडिएट में 60 प्रतिशत हो जाता है । तो ऐसा लगता है कि प्राइमरी के सारे टीचर्स बड़े काबिल हैं जो 90 परसेन्ट रिजल्ट देते हैं । और हाई स्कूल/इण्टर के सारे अध्यापक बेकार हैं । यह वहां की हालत है जिसको आप कहें न कहें ।

मान्यवर, जो छात्रों के बीच जाते हैं वह जानते हैं कि यह शिक्षा संस्थायें हमारी भवनविहीन हैं और बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं । आपने कहा कि क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है और अध्यापक 9 बजे आते हैं तो ऐसा नहीं है क्योंकि जब 10 बजे का

स्कूल था तो 12.30 बजे आते थे और अब एक बजे आते हैं । बच्चों के लिए आज टाट-पट्टा नहीं है और न बैठने के लिए जगह ही है । इण्टरमीडिएट आपने कह दिया कि हमने कम्पलसरी जूनियर हाई स्कूल में हिन्दी और अंग्रेजी साइन्स कर दिया है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि स्कूलों में लैब नहीं है न किट है और न मास्टर ही है और 60 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिनमें यह सब चीजें गायब हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि क्रान्तिकारी परिवर्तन कर रहे हैं ।

मान्यवर, सर्वोदय विद्यालयों की बात कही गयी, तो यही पैसा आप मान्यता प्राप्त स्कूलों में बाट देते तो बेहतर होता । मान्यवर, आपने नयी शिक्षा नीति के लिए काफी पैसा विशेष प्रशिक्षण के लिए दिया है लेकिन आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं किया है जिससे कि अलग-अलग विषयों पर अध्यापक तैयार किया जा सकता है । यह केवल हवाई बात होकर रह गयी है और यह पैसा बेकार में गया है । जैसे यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन है जब इस तरह का कमीशन माध्यमिक शिक्षा के लिए न गठित करें तब तक आपकी समस्याओं का निदान होना सम्भव नहीं है । आपने कहा कि परीक्षाओं में नकल को रोक दिया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा केन्द्र आपके स्लाटर हाउस बन गये हैं जहां पर प्रतिभाओं को हत्या हो रही है कि जो योग्य है उसका 60 प्रतिशत आना मुश्किल है लेकिन जो नकल कर रहे हैं उनका प्रतिशत ज्यादा हो रहा है जिससे आपकी शिक्षा में उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की हत्या हो रही है । बी0 आई0 पीज के लिए विशेष परीक्षा केन्द्र बना दिये गये हैं । जहां नकल की जाती है । एक भी फ्लाइंग स्क्वायड ऐसा नहीं है जो परीक्षार्थियों का आइडेन्टी कार्ड देखता हो कि वह सही है । आज कहां नहीं पैसा चल रहा है । हमारे यहां फैजाबाद का डी0 आई0 ओ0 एस0 परीक्षा केन्द्रों से 500 रु0 और 1000 रुपया ले रहा है, यही स्थिति सब जगह हो गयी है ।

अब मैं वक्फ के संबंध में कहना चाहता हूं कि वक्फ के अभी तक केवल 33 मामलों का निपटारा हुआ है ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री यदुनाथ सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, आज शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट हमारी प्रदेश सरकार के क्रान्ति कारी मंत्री माननीय सिब्ते रजी ने प्रस्तुत किया जिसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, आज जब घर से चला था तो सोचा था आज कटौती का प्रस्ताव डा0 शिवानन्द नौटियाल जैसे प्रतिपक्ष के सम्मानित और विद्वान सदस्य रखेंगे, इनको सुनने का मौका मिलेगा, सुझावों को सुनने का मौका मिलेगा लेकिन श्रीमन् यहां पर जो माननीय विद्वान सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे, प्रस्ताव सुनने के बाद उनके सुझाव और उनके विचार सुनने के बाद ऐसा लगा कि वह अपने आप में पूर्णतः आधार हीन था . . . ।

कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कोई ऐसा महत्वपूर्ण सुझाव नहीं दिया कि जिसका अनुपालन करने के लिए हमारी सरकार विचार करती । मान्यवर, आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं सबसे पहले इस बजट का समर्थन करते हुए जो उन्होंने कहा कि सी0 डी0 आर0 के सहयोग से विज्ञान-किट निर्माण करने हेतु कारखाना लगाया जाएगा, जिससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निश्चित रूप से इस वैज्ञानिक युग में हमारे प्रदेश के छात्रों का बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, इसके लिये मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं नयी शिक्षा प्रणाली पर आधारित नवादित विद्यालयों की स्थापना के लिये, जहां पर प्रतिभाशाली छात्रों का आगे बढ़ने में योगदान दिया जायेगा और दूसरी तरफ यह विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिये आदर्श और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे ।

दूसरी ओर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, मुझे कहते हुए कतई कष्ट नहीं हो रहा है कि इस माननीय सदन में बैठे हुए लोगों के बच्चे तक पब्लिक स्कूलों में ज्यादा शिक्षा प्राप्त करते हैं । कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं जाना पसन्द करता । प्राइमरी स्कूल शिक्षा की सबसे बड़ी और मजबूत आधार-शिला है । लेकिन आज वहां पढ़ने के लिए जहां अध्यापक उपस्थित नहीं होते वहां अध्यापक के प्रयोग के लिए चाक तक की भी व्यवस्था नहीं की गई है । इसीलिए मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि वह उन प्राइमरी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, चाक, बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी और अध्यापकों के लिये कुर्सी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जो इस पर बजट रखा गया है उसको और बढ़ाया जाए, यह मैं आपसे मांग करता हूं ।

साथ ही परीक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कानपुर देहात से आता हूं जहां पर बोर्ड की परीक्षाएं ली जा रही हैं, हम वहां पाते हैं कि शहरों के बड़े बड़े घरों के बच्चे गांव में जाकर शिक्षा और परीक्षा का व्यापार कर रहे हैं । और वह हजारों रुपया देकर यह खुले आम नकल कर रहे हैं । आप कानपुर देहात का इसके लिए सर्वे करावें और परीक्षा व्यवस्था में जो अत्यधिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें सुधार करावें । और प्रौढ़ शिक्षा पर जिस तरह से धन व्यय किया जा रहा है, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है । मान्यवर, मुझे आपने मौका दिया, उसके लिये आभार प्रकट करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा इस बजट का स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, आज बेसिक शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । किन्तु आज उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई है और इसके चलते हालत प्राइमरी स्कूलों की यह हो गई है कि कहीं-कहीं 3 अध्यापक और दो छात्र रह गये हैं । कोई अपने बच्चों को उनमें पढ़ाना नहीं चाहता है । गांवों के स्कूलों में मेज कुर्सी और टाट-पट्टी आदि नहीं है और शहरों में बच्चों की संख्या नगण्य हो गई है । बच्चे पहुंचते नहीं और अध्यापक आते नहीं । जनपद बरेली की फरीदपुर तहसील में परीक्षा केन्द्र पर 11 सौ बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर और अपने घुटनों पर कापी रखकर परीक्षा दे रहे हैं क्योंकि उनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । ट्यूशन के सम्बन्ध में भी बड़ी शिकायतें हैं । जो छात्र विद्यालयों में शिक्षा लेने जाते हैं उन्हें वहां के अध्यापक बाध्य करते हैं कि वह विषय के अध्यापकों से घर पर ट्यूशन लें । इस संबंध में मैंने बरेली गवर्नमेन्ट कालेज का एक मामला उठाया था कि वहां पर 44 कामर्स के विद्यार्थियों को जिन्होंने मास्टरों से ट्यूशन नहीं पढ़ा था, उनको फेल कर दिया गया । इसी तरह अभी जाली प्रमाण-पत्रों की बात मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव के जरिये रखी थी, उसके लिए सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी कराने के लिए मंत्री जी ने कहा था ।

मान्यवर, यह रैकेट पूरे प्रदेश में डाले हुए हैं । 18 हजार बच्चे फर्जी प्रमाण पत्र लेकर नौकरियों में और आगे की परीक्षाओं में बैठने जा रहे थे और तीन हजार से ज्यादा की जांच चल रही है । इस तरह रैकेट फैले हुए हैं । हजारों लाखों छात्र इस चपेट में

आ जाएंगे । मान्यवर, रूहेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं यह बरेली में है चाहे प्रशिक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी के लोगों की नियुक्ति हो वहां के कुलपति जो हैं वह अपने को मुख्य मंत्री जी का गुरू बताते हैं और इन नियुक्तियों में गड़बड़ी करते हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में रूहेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की बड़ी मांग है मैं चाहूंगा कि रूहेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम डा0 भीमराव अम्बेदकर यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा जाए । एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों और प्रशिक्षकों का वेतन एक जैसा होता है उनके विषय में तो पारिवारिक पेंशन की राजाज्ञा आई लेकिन प्रशिक्षकों के विषय में पारिवारिक पेंशन के विषय में कोई राजाज्ञा नहीं आई है तो इसमें भी राजाज्ञा आनी चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री महरम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि इस बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, शिक्षा मंत्री और उनके राज्य शिक्षा मंत्रियों को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में बजट की अधिक धनराशि और जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों को जोड़ा गया है, उसको आप देखें, तो यह उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला बजट है । इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । यह इतना बड़ा विभाग है, इसमें कुछ कार्यों के क्रियान्वयन में कुछ त्रुटियां भी हुई होंगी । जब-जब कोई बड़ा काम किया जाएगा उसमें कुछ त्रुटियां भी होंगी । और उसमें कुछ सुझाव भी दिए जायेंगे तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी प्रभावी कदम उठायें । मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा ।

मान्यवर, प्राइमरी स्कूल के संचालन में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी उलझनें आ गई हैं । सब व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है मान्यवर, जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों की कमेटी आप बना दें । राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों को एक नामजट कमेटी बनाये जिसकी देखरेख में कार्य किया जाये । जो जिला परिषद् के नेतृत्व में पहले चल रहे थे वहां कोई चेक करने वाला नहीं है जहां एक अध्यापक की जरूरत है वहां तीन अध्यापक हैं और जहां तीन अध्यापक की जरूरत है वहां एक भी अध्यापक नहीं है । मान्यवर, फर्रुखाबाद में एक भी महिला डिग्री कालेज नहीं है वहां महिला डिग्री कालेज की स्थापना होनी चाहिए । माननीय मंत्री जी इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करें । प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के बारे में कहना चाहूंगा । बहुत दिनों से फर्रुखाबाद प्राइमरी स्कूल गांव में नहीं खोले गये हैं बड़ी-बड़ी ग्राम सभायें ऐसी हैं जहां विद्यालय नहीं है वहां नये विद्यालय खुलवाने का प्राविधान किया जाए इसकी बहुत जरूरत है । मान्यवर, यह भी कहना चाहूंगा कि जिन विद्यालयों में भवन नहीं हैं वहां भवन बनाये जाएं । आपने जिले में 50—60 भवन फर्रुखाबाद में दिये हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि जहां पहले आवश्यकता है वहां निर्माण पहले किया जाता । अपर स्कूलों के नाम तय किये गये वह गलत हैं ।

मान्यवर, जहां तक हमारी प्राविधिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का प्रश्न है उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए । उसके लिये कोई परामर्श जिले के स्तर पर नहीं होता है । उसके लिये एक कमेटी बनायें । जो प्रबन्ध समितियां माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रही हैं वह निरर्थक और प्रभावहीन हो गयी हैं । मैं मानता हूं कि अध्यापकों के अधिकार बढ़ाने चाहिये और उनको सुविधा देनी चाहिए लेकिन प्रभावहीन संस्था को

भी रखने से कोई फायदा नहीं है । आज कोई भी संस्था जो प्रभावहीन हो गयी हो ठीक से नहीं चल सकती है । प्रबन्ध समिति के अधिकारों को बढ़ाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आप मंत्री जी को बाकी सुझाव लिखकर भेज दीजियेगा ।

श्री महरम सिंह—

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(5 बजकर 20 मिनट पर)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सबसे पहले मैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । प्राथमिक शिक्षा से बच्चों के संस्कार बनते हैं लेकिन उसका सरकार ने सबसे ज्यादा बंटाधार किया हुआ है । शिक्षा में अगर हमारे प्रदेश को नीचे से गिना जाय तो तीसरा नम्बर आता है । मंत्री जी ने बड़े सब्ज बाग दिखाये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में जाने के लिए 3-3, 4-4 कि0 मी0 पैदल जाना पड़ता है । मंत्री जी यदि देखें तो मेरे क्षेत्र बुढ़ाना में एक धनवाड़ा गांव है जहां अल्पसंख्यक वर्ग के अधिक लोग रहते हैं लेकिन वहां बच्चों को 4-4 कि0 मी0 दूर जाना पड़ता है प्राइमरी शिक्षा के लिए । इसी तरह से जूनियर हाई स्कूल की बात है हमारे यहां 20-20 कि0 मी0 पर जूनियर हाई स्कूल मिलेंगे ।

बालक, बालिकाओं को दूर-दूर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है । मेरे जनपद में भौराकला एक गांव है वहां के निवासियों ने कहा कि हम 1 लाख की सहायता देंगे यदि हमारे गांव में कालेज खोल दें । उन्होंने कहा कि भवन के लिए भूमि देंगे और नकद 1 लाख रुपया देंगे । मैंने इसके लिए मंत्री जी से अनुरोध किया तो मंत्री जी ने कहा कि लिखकर दीजिये । मैंने लिखकर दिया लेकिन आज तक स्कूल नहीं खोला गया है । खेलों की बात मंत्री जी ने कही है ।

मेरठ जनपद में सरूरम में एक लड़कियों का कालेज है । वहां की लड़कियों ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और चैम्पियनशिप जीती है । लेकिन आप उस स्कूल को एड नहीं दिला पाये हैं । तो मेरा निवेदन है कि उस स्कूल को एड दिलाने का काम करें । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यहां मुजफ्फरनगर में मृतक आश्रित शिक्षक संघ के लोग 15 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं । 63 ऐसे लड़के हैं जिनके बाप शिक्षक रहते-रहते उनका स्वर्गवास हो गया । वह ट्रेंड लोग हैं जो अनशन कर रहे हैं । लेकिन आज तक कोई अधिकारी उनकी खबर लेने नहीं गया है । वहां का डी0 आई0 5 हजार रुपया मांग रहा है । वह कहता है कि हमें सचिव स्तर तक देना पड़ता है । नये स्कूलों के खोलने के बारे में प्राविधान किया गया है । मुजफ्फरनगर में जिला शिक्षा सलाहकार समिति जिसमें सांसद और विधायक उसके मेम्बर होते हैं और अधिकारी भी उसके मेम्बर होते हैं उनकी जो संस्तुति थी उसको अनदेखा कर दिया गया और बी0 एस0 ए0 तथा डी0 आई0 ने पैसा लेकर स्कूल खोले ।

माननीय संकटा प्रसाद शास्त्री न 16/3 क आदश दिया था कि शिक्षा सलाहकार समिति क निणया क अनुसार स्कूल खोल जाय लाकन उनक आदश का पालन नहा हुआ । म जनपद मुजफ्फरनगर क बार म एक उदाहरण और दना चाहता हू । वहा पर राजकीय जूनियर बासक ट्रानग स्कूल ह । उसक प्रासपल क बार म शिकायत का गयी ह । उसन पूर स्कूल क पखा का बच लिया ह और अनक भ्रष्टाचार किय ह । आपस उसकी शिकायतें की गयी लेकिन आप जांच तक नहीं करा पाये हैं । इन्होंने शिक्षा निदेशक का भी लिखा ह लाकन इनक आदश का पालन नहा किया गया । प्राइमरा स्कूल के मास्टर से लकर शिक्षा सचव तक इनक आदशों का पालन नहा करत ह । मुख्य मत्रा जी क आदश का जिस तरह स शिक्षा सचव न बाइपास कर दिया उससे ज्यादा बढ़कर शम का बात और कोइ नहा हो सकती । लड़ाकयों के परीक्षा केन्द्रों इण्टरमीडियेट हाइ स्कूल पराक्षा कन्द्रों का 5-5 हजार रुपये लेकर नीलाम किया गया ह । जहां 150-पानें 2 सौ लड़ाकयां ह उनक सन्टर को 20 कि0 मी0 दूर लगाया गया । म आपके माध्यम से अनुरोध करूगा कि जो मैंने तथ्य बताये हैं उनक बार में जांच कराकर कार्यवाही कर और जो सुझाव मैंने दिये ह उनको पूरा करने के संबंध में कार्यवाही करें । इन शब्दों के साथ म कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हू ।

श्री बद्री सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हू कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, म माननीय मत्रा जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हू और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हू । मान्यवर, श्री यदुनाथ सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, ऐसा लगता है कि चूंकि यह शिक्षा का बजट था और यह उनकी शिक्षा की परिधि से और उनकी समझ से बाहर था, इसीलिए उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है । यदि ऐसा न होता तो वह कटौती का प्रस्ताव न रखते । मेरी सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए प्रयत्नशील है । प्राइमरी शिक्षा म सुधार लाने हतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वन प्रगति पर है । विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए विज्ञान केटों का निर्माण करने के लिए इलाहाबाद में विज्ञान केट निर्माण-शाला की स्थापना की गयी है । वर्ष 1987-88 में 207 प्राइमरी स्कूल खोले गये वर्ष 1988-89 में 188 प्राइमरी स्कूल खोले जाने का लक्ष्य है तथा 72 सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का लक्ष्य है । प्रत्येक तहसील में कम से कम एक बालिका विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसमें केवल 19 तहसील अवशेष रह गयी हैं जहां आगामी वित्तीय वर्ष में ये विद्यालय खोले जायेंगे । उच्च शिक्षा के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत नई शिक्षा नामक परियोजना प्रारम्भ की गयी है । मैं अपने क्षेत्र के मांग आपके सामने रखता हू । मेरा क्षेत्र कालपी जनपद जालौन विस्तृत क्षेत्र है जो लगभग 90 किलोमीटर की लम्बाई-चौड़ाई में है । मेरे कालपी क्षेत्र में मात्र एक डिग्री कालेज, कालपी डिग्री कालेज है, जिसमें एम0 ए0 क्लासेस खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है । बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं, जिनको बी0 ए0 के बाद अपनी शिक्षा समाप्त करनी पड़ती हैं क्योंकि वे बाहर नहीं जा सकती हैं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण से भी वे बाहर नहीं जा पाती हैं ।

मेरी मांग है कि कालपी नगर में एक महिला डिग्री कालेज खोला जाय । आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना हमारे क्षेत्र में महोबा, कोठनवन ब्लाक में चालू किया जाय । मेरे क्षेत्र के कई गांव जैसे पथरेटा, हेमनपुरी, भगुआ, अटरा खुर्द आदि में स्कूल नहीं हैं, वहां पर स्कूल खोले जायं । मेरे क्षेत्र के ग्राम अकाढ़ी, रंधीरपुर, कोरहना आदि

में भवन नहीं है । ग्राम सरसई के श्री नेहरू औद्योगिक इण्टर कालेज में वहां के प्रबन्धक श्री गोविन्द सिंह पैसा लेकर नकल करवाने का ठेका करते हैं तथा कई अनियमितताएं इनके विद्यालय में हैं, इसकी जांच करके प्रबन्धक के खिलाफ कार्यवाही की जावे । प्रदेश के 1800 मान्यताप्राप्त स्थायी जूनियर हाई स्कूलों का अनुदान सूची पर लिया जावे । वर्ष 1985 से कोई भी स्कूल अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है । अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के बजट भाषण और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के विचारों को सुन रहा था । मान्यवर, उसके संबंध में कुछ बिन्दुओं पर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मुझे यह निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत में आज का दिन शायद इस साल का सबसे काला दिन माना जायगा । प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जब यह बजट रखा, काश उनकी समझ में यह आया होता कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हरियाणा, मद्रास और वेस्ट बंगाल में हाई स्कूल तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । वहां पर कक्षा 8 तक के बच्चों की फीस माफ रहती है और इसके साथ-साथ उनको खाने की और किताबों की भी व्यवस्था रहती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों प्राइमरी स्कूलों से विकास शुल्क के नाम पर उनसे रुपया वसूल किया ।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने यह सोचा होता कि इस देश में जो दोहरे नागरिक पैदा करने का काम किया जा रहा है तो मान्यवर, एक तरफ तो नवोदय विद्यालय की तैयारी करेंगे और अंग्रेजी स्कूल की तैयारी करेंगे श्रीमन्, यह बड़े शर्म की बात है । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि 5 सालों में भवन को बनाकर तैयार किया जाय लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां अभी तक भवन नहीं बने हैं जब कि अन्य राज्यों ने अपने भवन बनाकर पूरे कर लिये हैं । मान्यवर, अभी भी आपने यहां प्राइमरी पाठशालाओं को कभी हो जबकि जिलों को कह दिया गया कि प्राइमरी विद्यालय न खोले जायं । मान्यवर, 20—25 किलोमीटर चलकर प्राइमरी स्कूल के लड़के आज भी पहुंचते हैं ।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि एक हजार की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बना देना चाहिए । मान्यवर, पिछले साल 1986-87 में 6.8 प्रतिशत शिक्षा का बजट था इस साल घटाकर 3.4 प्रतिशत कर दिया । ऐसे में शिक्षा का विकास कैसे सम्भव है ? यह उत्तर प्रदेश की सरकार आंकड़ों की खेती करती है और आंकड़े ही काटती है । मान्यवर, इनको गोल्ड मेडल मिलता है 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जब कि शिक्षा की यह स्थिति है कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए नये विद्यालय नहीं खोले जाते हैं । मान्यवर, जिला शिक्षा सलाहकार समिति होती है विधायकों की और संसद सदस्यों की, लेकिन उसकी सलाह पर विद्यालय नहीं खोले जाते, वह इस समिति की सलाह पर खोले जा रहे हैं जिससे अव्यवस्था फैलती है । इस अव्यवस्था को रोका जाय ।

मान्यवर, पिछले कई वर्षों से हम लोग सुन रहे थे कि नई शिक्षा नीति आने वाली है इससे शिक्षा का रूप बदलेगा लेकिन मान्यवर, इस नीति को बनाने में उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की सलाह नहीं ली गयी, न प्रवक्ता की सलाह ली गयी, न कुलपति की सलाह ली गयी, न अवकाश प्राप्त अध्यापक, जिनको 40 वर्ष का

अनुभव है ऐसे लोगों से नहीं पूछा गया । मान्यवर, नई शिक्षा नीति जो बनाई गयी है यह कारखाने के मैनेजमन्ट के लोग और उद्योगपतियों की सलाह पर बनायी गयी है । मान्यवर, आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 जो बन्द कमरे में बैठकर राय बनाते हैं, उनका आप आदमी का सड़कों का जानकारी नहीं है, वह नीति बनाते हैं तो मान्यवर, शिक्षा ऐसी ही होगी । मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब नवोदय विद्यालय बनाये जाने लगे तो प्राइमरी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया गया जिस पर 58 हजार रुपये में भवन बन रहा है जब कि सरकारी आंकड़ है कि 65 हजार रुपय में बनेगा तो भवनों की स्थिति क्या होगी ।

मान्यवर, सरकारी आंकड़े के हिसाब से चलिये तो 21वीं शताब्दी आते-आते 52 फीसदी लोग निरक्षर होंगे इस देश में, यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है । 65 फीसदी अपने यहां निरक्षर हैं उत्तर प्रदेश में और इतने ही लगभग बेरोजगार रहेंगे । मान्यवर, ऐसी स्थिति में शिक्षा में लाखों का घोटाला नहीं होता है, करोड़ों का घोटाला होता है । चाहे शिक्षा मंत्री किसी को ठेका दे दें, चाहे अपने रिश्तेदार को दे दें । त्रिभाषा फार्मूला के रूप में एक करोड़ रुपया अध्यापकों को दिया गया है लेकिन उसका बंटवारा नहीं हो पाया है । और विभाग ने खा लिया है । मान्यवर, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए यह प्राइमरी शिक्षा इस प्रदेश में नहीं लागू की जा रही है मान्यवर, गुफरान जाहिदी साहब ने जो कहा वह सच है लेकिन 40 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया और क्यों नहीं आपने सलाह दी ?

मान्यवर, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या तीन गुनी से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है माननीय सहकारिता मंत्री जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं उस समय 7-8 हजार संख्या थी छात्रों की और आज वह बढ़कर 20-21 हजार हो गयी है लेकिन वहां छात्रावास नहीं बढ़ रहे हैं । मान्यवर, नये विद्यालयों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है, अध्यापकों का स्तर नहीं उठाया जा रहा है न उनकी वेतन वृद्धि हो रही है यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है । मान्यवर, इन शिक्षा मंत्री का आदेश इनका पूरा विभाग नहीं मानता है । इस शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जिनका आदेश उनका शिक्षा सचिव नहीं मानता, इनका निदेशक नहीं मानता । मान्यवर, इनके निदेशक का पता करिये तो हेड क्वार्टर पर पता लगेगा कि लखनऊ गये हैं और लखनऊ में पता करिये तो पता चलेगा कि इलाहाबाद गये हैं । यह सब सुविधाभोगी लोग ही इस शिक्षा जगत में बढ़ोत्तरी पा रहे हैं । मान्यवर, जो योजना जाती है, वह कार्यान्वित नहीं होती है ऐसी स्थिति में इनको लाखों रुपये तो क्या एक रुपया भी देना उचित नहीं है । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा0 रजनी कान्त दत्त—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, कुल बजट का 12 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया गया है और उसका 49.8 प्रतिशत प्राइमरी एजूकेशन पर खर्च किया जा रहा है । मान्यवर, इससे यह स्पष्ट है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार प्राइमरी एजूकेशन पर कितनी जागरूक है, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन में जो अध्यापक लगे हुए हैं वह बड़े अल्प वेतन-भोगी हैं, उसका नतीजा यह है कि जो आज कुशाग्र पढ़े-लिखे लोग हैं वह प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के रूप में काम नहीं करते हैं और प्राइमरी स्कूल जहां से बच्चों की नींव पड़ती है, वह कमजोर हो जाती है ।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले इन अध्यापकों को तनख्वाह किसी भी मान में विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर या आई0 ए0 एस0 या पी0 सी0 एस0 अफसरों से कम न हो । मान्यवर, 1951 में 30 करोड़ निरक्षर थे और 1981 में 36.23 करोड़ निरक्षर थे । मान्यवर, यह देखा गया है कि जहां माताएं पूर्ण रूप से निरक्षर हैं, वहां परिवार नियोजन का प्रतिशत कम है और जहां माताएं पढ़ी-लिखी हैं वहां पर परिवार नियोजन का प्रतिशत 26.9 है । मान्यवर, अगर एक व्यक्ति पढ़ता है, तो एक पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है और एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा एक परिवार पढ़ता है । मैं मांग करूंगा कि महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय । लड़कों के लिये यदि एक स्कूल खोला जाय तो लड़कियों के लिये तीन स्कूल खोले जायं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पहले मध्य सत्र मील मिलता था स्कूलों में, पौष्टिक आहार मिलता था, जो अब बन्द हो गया है । उसे फिर से शुरू किया जाय ।

स्कूलों में पहले पी0 टी0 के घंटे होते थे, इसके लिये स्कूलों में ग्राउन्ड होता था, आज भी प्रत्येक स्कूल में पी0 टी0 के घंटे होने चाहियें । हर स्कूल में ग्राउन्ड सम्भव न हो सके तो क्लस्टर के अनुसार जिमनेजियम और पी0टी0 के लिये ग्राउन्ड की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किताबों से वह सारे चेप्टर निकाल दिये जायं जिनसे साम्प्रदायिकता बढ़ती हो, अंध विश्वास बढ़ता हो । इससे देश को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी । मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के जय नारायण स्कूल की ओर दिलाना चाहता हूं । एक अल्प-संख्या बस्ती में स्थित यह स्कूल मध्य अठारहवीं शताब्दी का है । वहां पर पिछले 10 साल से एक भी ग्रेजुएट नहीं निकल पाया है । यह हमारे बनारस का सबसे पहला स्कूल है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी आपके नजदीक बैठे हैं, उनको लिखकर दे दीजिये ।

डा0 रजनी कान्त दत्त—

ठीक है, मान्यवर, मैं लिखकर दे दूंगा । एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के बजट पर माननीय यदुनाथ सिंह जी ने जो बातें कहीं, वह कुछ समझ नहीं पाये । उनके कहने से ऐसा लगता था कि "या रब न वह समझते हैं, न समझेंगे अकल की बात कहते हैं, कि मंत्री जी का अंदाजे बयां और ।" मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वह तो कटौती के प्रस्ताव पर बोलना ही नहीं चाहते थे, इसीलिये इधर-उधर की बात बोलते रहे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री बाबू राम यादव—

श्रीमन्, आपने मुझे माननीय यदुनाथ सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया उसके लिये आपका आभारी हूं । मान्यवर, हमें आज शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बहुत गम्भीरता से विचार करना है, लेकिन प्रारम्भ से ही ऐसा सिलसिला जारी है कि इस बजट को बहुत हल्के रूप में लिया जा रहा है और तमाशा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो रहा है । देश की आजादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया . . . . .

(शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया शांत रहें ।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो शिक्षा की गम्भीरता को देखते हुए उन्होंने 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था संविधान में की । मान्यवर, हमारे सामने बैठे हुए लोग, जब उस संविधान के तहत देश के मालिक बने तो उन्होंने संविधान का पुलिन्दा बना कर ताक में रख दिया । आज आजादी के 40 साल बाद भी 6 वर्ष से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात तो दूर रही, हमारे शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा इतिहास बनाया कि जो लोग पहले जानते थे कि प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क थी, उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों पर शुल्क लगा दिया । उससे जो गरीबों के बच्चे थे, भूखे नंगे मजदूरों के बच्चे थे, प्राथमिक विद्यालयों में कुछ सीख लेते थे, उनका सीखना बन्द हो गया ।

मान्यवर, जब इनका इतिहास लोग देखेंगे, तो यही कहेंगे कि कोई माननीय सिव्ते रजी साहब थे, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर शुल्क लेकर, गरीब और मजदूर के बेटे से शुल्क लेकर फीस लेकर शिक्षा को चलाया । इस इतिहास को काला इतिहास कहा जायगा । उस इतिहास के पन्ने को काला पन्ना कहा जायेगा । मान्यवर, जो यह सामने बैठे हुए लोग तारीफ कर रहे हैं, कम से कम उन्हें यह सोचना चाहिये कि सारे हिन्दुस्तान में हमारी शिक्षा का जो स्तर है, वह कहां है ? क्या शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, कितनी दे पा रहे हैं ? मान्यवर, साक्षरता के मामले में हमारा प्रदेश नीचे से तीसरे नम्बर पर है । यहां 27 फीसदी साक्षरता होती है । इस पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 69,954 है, इनमें से कितने विद्यालय आज भवन विहीन हैं इसको भी हमें देखना होगा, उस तरफ सोचना पड़ेगा ? 8156 विद्यालय जिन पर भवन नहीं हैं, उनका नामोनिशान नहीं है । इस 12 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में क्या इतनी संख्या से शिक्षा हो जायेगी ? प्राथमिक शिक्षा का ह्रास हो रहा है, इस कारण आज समाज में कितनी गिरावट हो रही है ।

मान्यवर, जब प्राथमिक शिक्षा ठीक से नहीं होगी, तो फिर उच्च शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है । मान्यवर, पहले शिक्षा के गुणवत्ता को देखने के लिये इंस्पेक्टरिंग स्टाफ होता था, वह स्कूलों में जाकर देखता था कि क्या पढ़ाई चल रही है, कितना पाठ्यक्रम पूरा हो गया है, लेकिन आज कोई देखने वाला नहीं है, आज शिक्षा की व्यवस्था देखने वाला नहीं है । आज इतने सारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, किसका बच्चा उस बेसिक स्कूल में पढ़ता है ? किसी का बच्चा नहीं पढ़ता है वह उस बेसिक स्कूल को उस काबिल ही नहीं समझते हैं । अगर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होना चाहिये । मान्यवर, मैं एक मिनट और लूंगा । माननीय मंत्री जी ने समता और समानता की बात कही । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप केवल शिक्षा में ही समता और समानता की बात लागू कर दें, तो आपको बहुत ही अच्छा शिक्षा मंत्री माना जायेगा ।

(श्री मोहम्मद अबरार अहमद को पुकारे जाने तथा श्री बाबूराम यादव के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें । माननीय मोहम्मद अबरार अहमद को मैंने बुला लिया है ।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, आज स्थिति क्या है ? दो तरह के स्कूल हैं एक में गरीब मजदूर का बेटा पढ़ता है उसके बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे में कलेक्टर और बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं । आप दोनों में समानता कर दीजिये, जब मजदूर और कलेक्टर का बच्चा एक साथ पढ़ेगा, तो यह समाज अच्छा बनेगा और कलेक्टर को भी उस स्कूल की बहुत चिन्ता रहेगी । मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय यदुनाथ सिंह जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री मोहम्मद अबरार अहमद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

श्री मोहम्मद अबरार अहमद जी अपनी बात कहें ।

प्रस्तुत बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव (क्रमागत)
(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शिक्षा मंत्री जी आपकी ओर के काफी माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं, बार-बार खड़े हो रहे हैं, 6 बजे तक का समय था । एक घंटे का समय बढ़ाने की बात हुई थी, अब आप जैसा कहें आगे के लिये । समय के हिसाब से तो मैं सोच रहा था कि अबरार साहब के बाद माननीय यदुनाथ जी को बुला लूं । जाहिदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, यह बजट संभवत: 2 बजे शुरू हुआ था, 4 घंटे के हिसाब से यह 6 बजे खत्म होना चाहिये । एक घंटे का समय और बढ़ाने की बात पहले आ गयी थी, 7 बजे यह खत्म होना है । कुछ माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं, यदि उधर माननीय यदुनाथ सिंह जी और माननीय मंत्री जी संक्षेप में कर लेंगे, तो इधर लोगों को बोलने का मौका मिल जायेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठें ।

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, इसके बाद प्राविधिक शिक्षा का बजट है । मेरा एक सुझाव है कि यदि आप उस पर सहमत हों, तो आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

(शोर होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठें । आप लोग पहले बैठें । इस तरह से कैसे काम चलेगा । माननीय जाहिदी साहब आप क्या कहने जा रहे हैं ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, यह बजट 2 बजे शुरू हुआ, 4 घंटे के हिसाब से 6 बजे तक यह होना था, एक घंटा समय बढ़ाने का प्रस्ताव पहले आया था, उस हिसाब से 7 बजे यह खत्म होगा । आप 6-40 बजे तक माननीय सदस्यों को मौका दे दें । फिर बाकी समय में माननीय यदुनाथ सिंह जी और माननीय मंत्री जी अपनी बात कह लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अबरार अहमद जी अपनी बात कहें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी इस सदन की भावनाओं का आदर करने में असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं । मान्यवर, चाहे इधर के सदस्य हों, या उधर के हों, सभी शिक्षा पर अपनी बात कहना चाहते हैं और मंत्री जी को भी यही चाहिये कि जो उनकी कमियां हैं, जो अच्छाईयां हैं, वह उनको सुनें । जाहिदी साहब ने एक घंटा बढ़ाने की बात कही है, उसको मान लें । जाहिदी साहब तो कभी-कभी ही कहते हैं ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 64-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या 65-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 66-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 67-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 68-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (क्रमागत)

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री के बजट के हक में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, शिक्षा का विस्तार होना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है । मगर आज जैसा माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है और नई शिक्षा प्रणाली दी । मान्यवर, आज नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिये कि आज शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा था और आज यह विचार करने का विषय है ।

हम स्कूल खोल दें, कालेज खोल दें, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियां बना दें, लेकिन अगर हम शिक्षा के स्तर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो कोई काम होने वाला नहीं है । आज हम इन बड़े-बड़े स्कूलों को खोलने के बाद ऐसी हुकूमत के हाथ में दे दें, जिसके हाथ में सर्टीफिकेट हो, मगर लिखना-पढ़ना नहीं आता हो, तो कैसे काम चलेगा । चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के सदस्य हों, यह विचार करने की बात है । हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विद्यार्थी, हमारा बच्चा किस तरह का चरित्र आगे पेश करेगा और इस देश को किस तरफ ले जायगा, यह शिक्षा के स्तर पर निभर है, तालीम के ऊपर निभर है । इसलिये जब शिक्षा का स्तर उच्च होगा, तब इस देश का विद्यार्थी अच्छी शिक्षा पायेगा और इससे देश का नाम ऊंचा होगा और आगे आने वाले जो बच्चे हैं, वह भी इसको आगे बढ़ा सकेंगे ।

माननीय, आप यह सुन लें, कि अगर इसी तरह से हमारी शिक्षा का स्तर चलता रहा और इसका ख्याल नहीं किया गया तो आने वाली जनरेशन इसी सदन में आयेगी, सचिवालय में भी बैठेगी और जिलों में भी बैठेगी, मगर वह काबिल नहीं होंगे और जब काबिल नहीं होंगे, तो इस देश की बागडोर नहीं चल सकेगी । जब बागडोर नहीं चल सकेगी, ता उस वक्त दूसरे देश हम पर कब्जा कर लेंगे । इस वक्त विचार का विषय यह नहीं है कि स्कूल कहां-कहां खोले जायें, विचार यह होना चाहिये कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो । कोई ऐसा काम किया जाय कि हमारे विद्यार्थी पढ़ाई में दिल लगायें । आज मास्टरों का करेक्टर अच्छा हो, टीचरों का करेक्टर अच्छा हो, प्रोफेसर्स का करेक्टर अच्छा हो, आज इस बात की जरूरत है ।

हमें सोचना होगा कि हम ऐसा कौन सा रास्ता निकालें कि हमारे छात्र पढ़ाई में मन लगायें, मास्टर पढ़ाने में मन लगायें और शिक्षा के स्तर को किस तरह बढ़ाया जाये । माननीय, पूर्व में बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ते थे और पढ़कर ज्ञान अर्जन करते थे । उस समय उनके लिये स्कूल नहीं हुआ करते थे । लेकिन आज भवनों की बात की जाती है तो मैं कहना चाहता हूं कि भवन बनाकर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता है, उसके लिये अच्छा स्तर होना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

माननीय, सत्ता पक्ष की ओर से अधिक लोग बोलना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरफ के 2-2 लोगों को बोलने का मौका दें और विपक्ष से लोग कम हैं, इसलिये उनकी तरफ से 1 व्यक्ति को बोलने का मौका दें ।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था मैंने नहीं की है, आप शान्त होकर बैठें ।

श्री अशोक वाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश के गिरते हुए शिक्षा स्तर को लेकर, चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सभी चिन्तित हैं । आज बेसिक शिक्षा पूरी तरह से बरबाद हो गई है । प्राइमरी विद्यालय खुलते नहीं, अध्यापक सही समय पर पहुंचते नहीं हैं । एक-एक एस0 डी0 आई0 ने प्रत्येक अध्यापक से 15 रुपये महीने तय किया है, चाहे वह स्कूल में जाये या नहीं जाये । माननीय मंत्री जी की इस ओर ध्यान गया है या नहीं । आज इस प्रशासनिक निकम्मेपन के कारण बेसिक शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया है ।

आज प्रदेश के अन्दर 20 हजार भवनहीन स्कूल हैं । जनता पार्टी ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल होगा और प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक जूनियर हाईस्कूल होगा, लेकिन आज तक उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है । आज भी

एसी-एसी जगह है, जहां 4-4 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़ता है । 1975-76 से ट्रेन्ड अध्यापक बेकार पड़े हुए हैं, उनका रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है । आज शिक्षकों के चयन में बड़ा गड़बड़ी की जा रही है, वहां पर बड़ा घोटाला है । एक-एक बेसिक शिक्षा अधिकारी को 10 लाख रुपये सालाना इन्कम है । किसी भी जनपद को माननीय मन्त्री जी आप ले लें और उसकी जांच करा लें । जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, इसलिये मेरी मांग है कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला चयन समिति का गठन होना चाहिए और वे ही अध्यापकों का चयन करें ।

मान्यवर, मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । रोज नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं । 10 प्लस एजुकेशन का वोकेजनाईजेशन आफ एजुकेशन की बात कही गयी है । आज आई0 टी0 आई0, जी0 टी0 आई0 व इन्जीनियरिंग किये हुए युवकों को स्वतः रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कैसे 10 पास युवक को रोजगार दिला देंगे । वोकेजनलाईजेशन आफ एजुकेशन को समाप्त करके केवल वोकेशनल एजुकेशन की बात आप करें । आवश्यकता है रोजगार देने वाली शिक्षा की, न कि रोजगारपरक शिक्षा की । पिछले दिनों हंगामा भी हुआ था परीक्षा केन्द्रों के बारे में । आज उन केन्द्रों पर किस तरह से नकल करवाई जा रही है ? जिला चयन समिति जो है, जो सेन्टर्स का चयन करती है, एक-एक डी0 आई0 ओ0 एस0 5 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक लेता है और वहीं सेन्टर रखता है । आप इसकी जांच करवायें जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का चयन किया गया है, वह आरक्षित सूची में था, वह बहुत ही जूनियर अधिकारी था । पदों का क्रियेशन किया गया और निदेशक का चयन किया गया । इनके साथ जो बाबू थे, जब ये यहां आये तो उसे भी ट्रान्सफर करके यहीं ले आये । यह बाबू परचा आउट कराता था । इसलिए मेरा कहना यह है कि परीक्षा केन्द्रों का चयन डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बाडी द्वारा किया जाय ।

मान्यवर, मैं उच्च शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । यहां पर भी रोज नये-नये प्रयोग किये जा रहे हैं । अब थ्री इयर्स डिग्री कोर्स कर दिया गया है । थ्री इयर्स डिग्री कोर्स का सैलेबस क्या होगा, इसका अभी तक पता नहीं है ? टू इयर्स डिग्री कोर्स व थ्री इयर्स डिग्री कोर्स में क्या फर्क है ? जिस तरह से इसका प्रचार व प्रसार होना चाहिए, वह नहीं किया गया । थ्री इयर्स का अभी तक पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया गया है । कुलपतियों को इसे तैयार करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है । इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि इस पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त अध्यापकों की जो आवश्यकता थी, उसकी व्यवस्था नहीं की गई है और न ही व्याख्यान मण्डप व उपकरणों की व्यवस्था की गई है । इसी के साथ ही महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाय । उच्च शिक्षा सेवा आयोग के निकम्मेपन के कारण आज शिक्षकों के सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं ।

मान्यवर, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । आज यह प्रदेश के लिए एक कलंक है और इस पर फिजूल पैसा खर्च किया जा रहा है । यह मात्र रोजगार का साधन बनकर रह गई है, इस शिक्षा से लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है । केवल फर्जी आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं । नवोदित विद्यालयों के संबंध में कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय भाषा संस्कृत, जिसने देश को जोड़ने के लिये सदैव मजबूत कड़ी का काम किया है, उसकी घोर उपेक्षा की गयी है । नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत के विकास एवं प्रसार के लिये कोई स्थान नहीं रखा गया है । इससे अधिक तो अंग्रेजों के शासनकाल में संस्कृत को बढ़ावा मिला था, लेकिन आज स्वदेशी सरकार ने संस्कृत

जैसी राष्ट्रभाषा के साथ जो अन्याय किया है, उससे प्रदेश की जनता में चिन्ता एवं आक्रोश व्याप्त है । मेरा अनुरोध होगा कि माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारकों से इस बात का दबाव डालें कि संस्कृत भाषा को, नई शिक्षा नीति में, समुचित संरक्षण एवं सम्मान प्रदान किया जाय ।

बालिकाओं की शिक्षा के लिये भी प्रदेश सरकार निरंतर घोषणा करती रही है, लेकिन शिक्षा के उन्नयन के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है । आज भी प्रदेश की महिलाएं 16 प्रतिशत से कम साक्षर हैं । बालिका विद्यालयों में शौचालय एवं पेयजल तक की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है । अच्छा होता कि महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिये शासन इण्टरमीडिएट तक की बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कर देता । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इसके साथ ही अपेक्षा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे आदेश नहीं पारित करेंगे, जो कि विभाग की नीतियों के विरुद्ध हों जिससे कि मंत्रि-परिषद् और कार्यपालिका के बीच टकराव की सम्भावना उत्पन्न हो सके ।

श्री पुरुषोत्तम लाल—

मान्यवर, आपने विद्वान शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, शिक्षा विभाग को छिपे ज्ञान का बोध कराता हूं तथा उसे सभ्य, शीतल, गुणी तथा रोजगार परक व्यक्ति बनाता है, उस संदर्भ में रीढ़ है जो उसके अन्दर मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं ।

जहां माननीय मंत्री जी ने अपनी विद्वता के कारण एवं अपने कुशल नेतृत्व में समाज के बहुमुखी विकास हेतु शिक्षा को व्यापक बनाया है । वही शिक्षा के व्यापक दृष्टि-कोण से देश-प्रदेश का प्रत्येक समाज इन 40 वर्षों में आगे बढ़ा है, माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज जो बेसिक शिक्षा आपके विभाग के माध्यम से दी जा रही है वह शिक्षा समाज की रीढ़ है, उसमें गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसके ऊपर समाज तथा देश को समुन्नतशील बनाने का दायित्व होता है वह गुरु, जिसे भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है उसके बारे में विद्वानों ने कहा है कि—

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर:
गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम:"

जहां गुरु को ब्रह्मा एवं भगवान के समान संसार में स्थान दिया गया है । वहीं आज प्राइमरी स्कूलों में गुरु का जो विद्यार्थी के प्रति महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिये, जो कि समाज की बुनियादी नींव है, आज उसका नैतिक स्तर इतना गिरा है कि शिक्षा जगत में यह चिन्ता का विषय बन गया है, जिसके कारण पूरा विद्यार्थी समाज के नैतिक स्तर में गिरावट आयी है जिससे आने वाले दिनों में पूरे भारत राष्ट्र के सामने चिन्ता का विषय होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं । जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत मेरे सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एस0 ए0 वी0 इण्टर कालेज, सैनी को जिसे 1985 में सामूहिक नकल के कारण सचिव, उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद ने सदैव के लिए परीक्षा केन्द्र उसको निरस्त कर दिया, माध्यमिक शिक्षा परिषद् सचिव ने उसे क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधि के बार-बार विरोध करने पर भी 1988 में पुन:

परीक्षा केन्द्र बना दिया यह कहते हुए कि विद्यालय सड़क के किनारे स्थित है । यह चिन्तनीय विषय है कि जो स्कूल पैसा लेकर सामूहिक नकल करा रहा हो, वहां का जन-प्रतिनिधि उसका विरोध कर रहा हो, उसके बाद भी उसे परीक्षा केन्द्र बनाया जाय, यह तो जनप्रतिनिधि की अवमानना है । एक बात और कहना चाहता हूं कि सिराथू विधान सभाई क्षेत्र में बहुत तादाद में प्राइमरी विद्यालय के भवन नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि हमारे यहां जूनियर हाइस्कूल के और प्राइमरी स्कूल के भवनों को बड़ी संख्या में बनायें जायं क्योंकि बहुत से प्राइमरी विद्यालय आज भी पेड़ों के नीचे चल रहे हैं, जिससे मेरे क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बैठने के लिये जगह मिल सके । गंगा और यमुना के बीच द्वाबा में सिराथू विधान सभाई क्षेत्र शहर से करीब 10 कि0 मी0 पर है, वहां पर एक भी राजकीय स्तर का बालिका विद्यालय नहीं है, जबकि द्वाबा में 3 तहसीलें चायल, मंझनपुर, सिराथू हैं । मेरी मांग है कि वहां पर राजकीय इण्टर बालिका विद्यालय खोला जाय । इसी के साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं तथा माननीय श्री यदुनाथ जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं बजट के लिये तो उनको धन्यवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन उनकी भाषा, शैली और शब्दों के चयन की, इन बातों में उन्होंने जो सामंजस्य स्थापित किया वह जरूर सराहनीय था और उसी में उन्होंने बजट की रूपरेखा को लगा दिया और माननीय मंत्री जी समझ गये कि हमने बड़े कारगुजारी ढंग से बजट को सदन में रखा जाय ।

मैं अधिक न कह कर केवल तीन बातें ही कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में शिक्षा को सुधारना चाहते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो नवीं कक्षा में सपुस्तक परीक्षा प्रणाली को चालू किया हुआ है, जिसको दसवीं कक्षा में भी लागू कराने के लिये शिक्षा सचिव ने बहुत दबाव डाला, इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने उसे अस्वीकार कर दिया । अब आप इतना और बतला दें कि अब भी नवीं कक्षा में वही शिक्षा प्रणाली लागू रहेगी या नहीं ?

दूसरी बात यह कि माननीय मंत्री जी जब आप बजट रख रहे थे तो आपने नये विद्यालय खोलने की बात कही लेकिन इसमें आपको क्रेडिट नहीं है क्योंकि प्राईवेट मैनेजमेन्ट कमरा बनवा देता है और उसे आप मान्यता दे देंगे तो यह आपके द्वारा स्कूल खुलवाना नहीं कहा जायेगा जब तक कि आप नये स्कूलों को खोलने के लिये अपने बजट से पैसा देने का प्राविधान नहीं करेंगे, वह स्कूल आपके द्वारा खोला हुआ नहीं माना जायेगा । केवल मान्यता दे देना स्कूल खोल देना नहीं कहा जा सकता है । आप अपने बजट से नये स्कूल के लिये अध्यापकों का वेतन तथा स्कूल के लिये जब तक उपकरण नहीं देते हैं, तब तक वह आपके द्वारा खोला गया स्कूल नहीं माना जायेगा ।

तीसरी बात यह कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो कि किसी के कन्ट्रोल में नहीं है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरह इसमें दोहरी शासन प्रणाली चल रही है । मैनेजमेंट को आप अधिकार नहीं देते हैं किसी को निलम्बित करने का, दूसरी तरफ

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्राईवेट मैनेजमेन्ट से कहते हैं कि मैनेजमेन्ट से बात करो । तो आप यह दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कीजिये ।

चौथी बात यह कि शिक्षा जगत के अध्यापक जो विधान सभा में या विधान परिषद् में जाते हैं और दोनों जगह से वेतन लेते हैं, इस पर भी आप प्रतिबन्ध लगाइये । या यह करिये कि ऐसा जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उनकी आप पांच साल के लिये छुट्टी करिये । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि स्कूल में पढ़ता था तो मेरे अध्यापक जब मुझे एक दिन पढ़ाते थे तो बहुत खराब लगता था । आप भी इस दोहरी वेतन प्रणाली का खतम करिये ताकि वह लोग एक ही तरफ ध्यान दें और वहीं से अपना वेतन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

मा0 पाण्डेय जी, अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री बसन्त सिंह गहलौत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, शिक्षा का अर्थ सूचना नहीं है । आज प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक जो शिक्षा दी जा रही है वास्तव में वह शिक्षा का अर्थ सार्थक नहीं करती है, यहां शिक्षा को केवल सूचना मात्र माना गया है । इसलिये आप देखते हैं कि टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा देने की बात की जाती है । टेलीविजन दे देना और हम समझते हैं कि शिक्षा का काम पूरा हो गया । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि मानवीय प्रसुप्त शक्तियों को जगा कर शिक्षा प्रदान करे, आप शिक्षा का अर्थ किसी भी भाषा में देखें कि मानव मन की प्रसुप्त शक्तियां जो हैं उन्हें जगाया जाय वही सही शिक्षा है । मान्यवर, सभ्य नागरिकों को बनाने के लिये, जगत के कल्याण के लिये शिक्षा हो । आज शिक्षा में ऊपर से लेकर नीचे तक इसका कहीं स्थान नहीं है ।

मान्यवर, जब माननीय राजीव गांधी ने मानव संसाधन विकास विभाग को कायम किया इससे उन्होंने नई शिक्षा-नीति निर्धारण की जो दिशा दी है, उसके पीछे उनकी एक ही मंशा रही है कि भारत के गिरते हुए चरित्र का उत्थान किया जाय क्योंकि हम चाहे जितने ही योजनाएं बनाएं उनसे इतना विकास नहीं होगा जब तक आदमी के चरित्र का विकास नहीं होगा । आज हर जगह इस बात को कहते सुना जा रहा है कि लोगों का नैतिक पतन हो रहा है, यह कैसे ठीक होगा । यह ठीक होगा शिक्षा के माध्यम से ही कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है, लेकिन आज जो शिक्षा दी जा रही है, फिजिक्स के माध्यम से, केमिस्ट्री के माध्यम से, गणित के माध्यम से और इतिहास के माध्यम से, इन शिक्षाओं से आदमी के मन का विकास नहीं हो सकता है, यह तो मात्र जानकारी देते हैं, इन शिक्षाओं से मन के विकास का कोई संबंध नहीं है. जब आदमी के अंदर मन का विकास होता है तो फिर उसके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी चीजें आती हैं, उदारता, क्षमा करने की आदत, दया, ईमानदारी और अच्छे ढंग से काम करने की शक्ति, लेकिन आज अगर आप देखें चाहें वह ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें ईमानदारी हो, कर्तव्यनिष्ठा हो, दया हो, दया और उदारता हो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब तक यह गुण आदमी के अंदर उजागर न हों तब तक वह शिक्षा अच्छी शिक्षा नहीं कही जा सकती है, यह गुण योग की शिक्षा से ही लोगों में उजागर हो सकते हैं, जैसा कि पहले के लोग हुआ करते थे, उनमें योग की शिक्षा हुआ करती थी, इसी लिए उनमें सारे अच्छाई के गुण पाये जाते थे, आज भी इस शिक्षा द्वारा आदमी चरित्रवान, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ बन सकता है और जब यह बातें उसमें होंगी तो वह आत्म-निर्भर, समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धान्तों को व्यवहारिक रूप में ला सकता है, लेकिन आज योग से तात्पर्य लोग आजकल के यागा से लगाते हैं, यह योग नहीं यह तो मात्र शारीरिक व्यायाम है और आज आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी दिमाग से सोचते हैं लोग जो मात्र ऊपरी सतह की है, इसकी पहुंच ज्यादा अन्दर की नहीं है। भारत में गम्भीर रूप से इस ओर चिंतन किया गया कि मानव का विकास कैसे हो, इस विषय में महर्षि पतांजलि का बड़ा योगदान है, उन्होंने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के चरम विकास के लिए भारी प्रोग्राम दिया है, इस प्रकार के प्रोग्रामों पर विदेशों में आज भी शोध कार्य हो रहे हैं, और यह शिक्षा वह अपने यहां दे रहे हैं लेकिन हमारे हिन्दुस्तान ने अभी इस ओर बिल्कुल महत्व नहीं दिया है, इन्हीं कारणों से जो विकास यहां होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, इस लिए मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि आप बुलाईए आज के शिक्षा-विदों को और हमें भी बुलाईए, सभी बैठकर इस पर विचार करें। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गहलौत साहब अब कृपया पधारें, समय नहीं रहा।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बजट को रखते समय बड़ी चालाकी के साथ इस बात का प्रयास किया कि स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति रही है और अब की स्थिति के बारे में आंकड़े देकर कन-विन्स करने का प्रयास किया है कि हमारी उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं। इसी संबंध में मैं भी मान्यवर, कुछ आंकड़े रखकर यह बताना चाहता हूं कि आज शिक्षा में उत्तर प्रदेश ने अन्य के मुकाबले में क्या प्रगति की है, उ0 प्र0 का परसेंट 27.16 रहा है, कुल भारतवर्ष के हिसाब से 36.27 है शिक्षा में इस प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान में उ0प्र0 का नम्बर तीसरे पर है, सबसे नीचे बिहार का, उससे कुछ अच्छा जम्मू कश्मीर और फिर उत्तर प्रदेश, साथ ही केरल प्रदेश की 70.42 प्रतिशत है, महाराष्ट्र की 47.18 तथा इसी प्रकार से गुजरात में 47.70 है तो इस प्रकार से शिक्षा की प्रगति में उ0 प्र0 दो-एक प्रदेशों से ऊपर है, बल्कि और प्रदेशों से बिल्कुल नीचे है, इस गिरावट में जहां और बहुत से कारण है, वहीं पर एक कारण बजट में धन की कमी भी है। इस बार माननीय मंत्री जी ने एक हजार अरब का प्राविधान किया है जो पूरे बजट का मात्र 18 परसेंट ही है, हालांकि पिछले वर्ष 20 प्रतिशत का खर्चा इस ओर रखा गया था, अगर माननीय शिक्षा मंत्री वास्तव में इस ओर कुछ प्रगति चाहते हैं, शिक्षा नीति के साथ-साथ और अधिक बजट को भी बढ़ाए।

साथ ही मान्यवर मैं अपने क्षेत्र बलिया की ओर भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां एक यूनिवर्सिटी प्रस्तावित थी, जो जौनपुर को दे दी गयी, लेकिन अब इस ओर विचार कर लिया जाए और कुछ स्कूल हमारे यहां लड़कियों के लिए दिए जाए क्योंकि यह व्यवस्था हमारे यहां की बिल्कुल चरमरा सी गयी है। पिछड़े क्षेत्रों में उदारता से विद्या-

लय खोलें ।, बालिकाओं की शिक्षा पर और जोर दें ।, लड़कियों की सुविधा हेतु एक हायर सेकेन्ड्री तथा एक महाविद्यालय खोलें ।, बलिया स्थित सतीशचन्द्र डिग्री कालेज की व्यवस्था को ठीक करायें ।,

श्री अधिष्ठाता—

मेरा आग्रह है कि आप लोग भाषण न दें,, अपनी बात को सूत्र रूप में कह दीजिये,, तभी सभी लोग बोल पायेंगे ।

श्री गजराज सिंह—

मान्यवर,, मैं शिक्षा विभाग के बजट का समर्थन करने और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।, मान्यवर,, 400 बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण का प्रस्ताव बजट में रखकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है । मैं मान्यवर, 3 सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर,, मेरा पहला सुझाव यह है कि जनपदों में जो राजकीय दीक्षा विद्यालय खोले गये हैं उन विद्यालयों से सन् 1974 से 1987 तक हजारों अध्यापकों को प्रशिक्षित किया है, लकिन उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पायी है और अध्यापक सड़कों पर मारे-मारे घूम रहे हैं, उन्हें अभी तक स्थान नहीं मिला है । हर दूसरे साल प्रशिक्षित अध्यापकों की एक कतार तैयार हो जाती है, तो मेरा सुझाव है कि इन राजकीय विद्यालयों को जनपद स्तर से समाप्त कर दिया जाये और इनके स्थान पर राजकीय हाई स्कूल या राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज खोल दिये जायें, चाहे वह बालकों के लिये हों और चाहे वह बालिकाओं के लिये हों, तो अच्छा होगा तथा मंडल स्तर पर राजकीय दीक्षा विद्यालय खोल दिया जाये ।,

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि जो जूनियर हाई स्कूल की परीक्षायें होती हैं, उनको आप देखें । जो इन्टरमीडिएट कालेज होते हैं और वहां पर कक्षा 8 की पढ़ाई होती है, लेकिन जो बच्चे इण्टरमीडिएट कालेज में कक्षा 8 में पढ़ते हैं, उनको जिला परिषद् से बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है और अन्य स्कूलों के बच्चों को जिला परिषद् से बोर्ड की परीक्षा देनी होती है, तो मेरा कहना है कि यह जो दुहरी नीति है, इसको समाप्त किया जाना चाहिये । मान्यवर, कई सदस्यों ने जिक्र किया कि 10 रुपया प्रति छात्र के हिसाब जूनियर हाई स्कूल के परीक्षार्थियों से पैसा लिया जाता है और वह पैसा बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया जाता है । जनपद गाजियाबाद में तमाम ऐसे स्कूल हैं, जहां पर 10 रुपया प्रति बालक से धन लिया जा रहा है । मान्यवर, इसी आधार पर पहले जो श्री हीरा सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद में थे, उनका स्थानान्तरण किया गया था, उन्होंने प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से 20 हजार से 40 हजार तक रुपया लिया था, यह रिश्वत केवल इसलिये ली गयी थी कि उन्होंने केन्द्र मन चाहे बनाये थे । आज आप देख रहे हैं कि लड़कियों के परीक्षा केन्द्र 15-15 और 20-20 किलोमीटर की दूरी पर बनाये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

जो शेष रह गया हो, उसको आप लिखकर दे दें ।

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं 2-3 सुझाव देकर अपनी समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, शिक्षा विभाग द्वारा प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा दी जाती है, इनका स्तर गिर रहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिय था, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है । शिक्षा का राष्ट्रीयकरण अब तक हो जाना चाहिय था । अगर आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने में असमर्थ हैं तो प्रबन्धतंत्र को यह अधिकार दे देना चाहिये कि जो अध्यापक अच्छी प्रकार से बच्चों को न पढ़ाय, उनको वह अलग कर सके, या उनके खिलाफ कोइ कायवाही कर सकें । अध्यापक न तो जिला विद्यालय निरीक्षक की बात मानता है और प्रबधतंत्र की बात मानता है, वह बड़ी मनमानी करता है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है और स्कूलों में फीस बढ़ाने का काम हो रहा है, जिससे अभिभावकों को बड़ी परेशानी हो रही है ।

जहां पर फीस बढ़ाई गयी है, उसमें कमी करायी जाय । इस बार जो हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षायें हो रही है उनमें यह देखा है कि सुधार आया है, आप इसमें और सुधार करने का प्रयास कर । इसके अलावा जिन जूनियर हाई स्कूलों को ग्रान्ट नहीं मिली है उनको ग्रान्ट इन एड पर लाया जाय । मेरे यहां दो गांवों-पिराली और दरोरा में जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनके भवन नहीं है । मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि उनको शीघ्र बनाया जाय । आपकी नीति के अनुसार किसी भी जन प्रतिनिधि को उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा गया है, जो कि उनका प्रतिनिधित्व कर सके । विद्यालय जो बनने चाहिए, वे नहीं बन पा रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय यदुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया है । मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर विरोध करता हूं । मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण बजट है कि इस पर मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय के अभाव में मैं कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा...

श्री अधिष्ठाता—

मैं चाहता हूं कि ज्ञान का सागर सूत्र रूप में मंत्री जी तक पहुंच जाय । आप ज्ञान का सागर सूत्र रूप में ही रख दें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, यह बात सही है कि आजादी के बाद हमने चाहे प्राइमरी स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो या उच्च शिक्षा हो, हमने बहुत सारे स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय खोलकर यह प्रयास किया है कि एक अच्छी शिक्षा हम समाज को दे सकें । यह भी सही है कि जितने विद्यालय और विश्वविद्यालय खुले हैं और जितने प्राइमरी स्कूल काम कर रहे हैं उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है । कितने ही प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई भी अध्यापक आज पढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं । क्योंकि वहां पर कोई उचित वातावरण पढ़ाने का नहीं है । इसी तरीके से जूनियर और माध्यमिक विद्यालयों की दशा भी जर्जर हालत में है । मैं कहना चाहता हूं कि हम आज शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं । इस ओर हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है और पिछले दो सालों में ग्रामीण अंचल तक नये स्कूल खुलवाने का प्रयास किया है जिस तरीके से हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी ने नवोदित विद्यालय खोल कर शिक्षा गांवों तक पहुंचाने का काम किया है, वह निःसंदेह प्रगति का द्योतक है ।

इस तरह गांव के नौजवान व बच्चे जो शिक्षा नहीं पा सकते थे, उनको पढ़ने का मौका मिला है । यह भी सही है कि आज हमारे सामने विपक्ष द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कोई अच्छा सुझाव नहीं दे पाये हैं वो सभी सम्मानित सदस्य चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों समय के अभाव में सही सुझाव सदन के सामने नहीं आते हैं । अगर आप इस शिक्षा प्रणाली को सुधारना चाहते हैं तो आमूलचूल परिवर्तन करना होगा । आज जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमारे बजट में है, इसी कारण शिक्षा में कुछ संतुलन रख पाये हैं और हम बच्चों का मानसिक विकास कर पाये हैं वह अच्छी शिक्षा का ही परिणाम है ।

मान्यवर, गाजियाबाद के बारे में कहना चाहता हूं । गाजियाबाद जनपद को बने 10 साल हो गये और आज तक उस जनपद में एक भी राजकीय इण्टर कालेज नहीं बना है । पिछली बार मुख्य मंत्री जी ने वहां पर घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि हम वहां पर इस वर्ष से एक राजकीय बालिका इन्टर कालेज की स्थापना करेंगे लेकिन वह आज तक नहीं हुआ । कृपया मंत्री जी इस बारे में तुरन्त व्यवस्था करायें । . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जब आप बैठ जांय । मंत्री जी को लिखकर दे दें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

मेरे क्षेत्र में दो जूनियर हाई स्कूल खोले जाये एक छजारसी गांव में तथा दूसरा सिहानी गांव में । अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैं माननीय यदुनाथ सिंह के जरिये रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि 2 मिनट में कोई पालिसी की बात नहीं कह सकता है लेकिन चन्द बातें मंत्री जी से गुजारिश करनी है । कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के आर्टिकिल 30 (1) के तहत आपने मान्यता देना बन्द कर दिया है और इस तरह से आप अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं । इसलिये मेरी गुजारिश है कि आप कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल 30 (1) के तहत जो इन्सीट्यूशन मान्यता मांगे उन्हें आप मान्यता दें दें । लेकिन पता नहीं वह कौन सी बात है जिसकी वजह से रोक लगाई है । मेरी मांग है कि उसे हटा दें ।

दूसरी बात यह है कि यह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को आप को बंद करना होगा क्योंकि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी सिविलिजेशन कल्चर की आदत लेकर आती है इसलिये उस तरीके को बंद कीजिये और देशी जुबान में शिक्षा चलाईये ।

एक सवाल और आता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है । उसकी वजह क्या है इस पर गौर करना पड़ेगा । स्कूलों में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे आज टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं जिन टीचर्स का रिजल्ट अच्छा न हो उनको आप दंडित करें । अगर सजा उनको नहीं देंगे तो आजकल हो रहा है जैसा हमारे दोस्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फरमा रहे थे कि टीचर्स बाजारों में घूमते हैं और लड़कों में अराजकता पैदा करते हैं । इसलिये इस पर कंट्रोल करने के लिये आप नियम या कानून बनायें ।

इस देश और प्रदेश की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि यहां शिक्षा नीति बदलती रहती है । अभी एक जोरदार नीति लाई गयी है कि सरकार नवोदय विद्यालय खोलेगी । तो यह क्या करेंगे इनमें करप्शन फैलाना शुरू हो गया है । इस समय जो फार्म उसके मिल रहे हैं उसमें बच्चों का कहीं फोटो नहीं लग रहा है । बगैर फोटो के फार्म होंगे कोई बच्चा जो क्वालिफाइड होगा वह परीक्षा में बैठेगा और दूसरा बच्चा उसके लिये चुन लिया जायेगा ।

अब मैं उर्दू के बारे में बताना चाहता हूं यह उर्दू का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं । हमारे यहां गोंडा में शास्त्री विद्यालय में 1978 में कहा गया कि बी0 ए0 में उर्दू की पढ़ाई के लिये कक्षा खोल देंगे लेकिन आज तक नहीं खुला है । मैं कहूंगा कि इसके आर्डर जल्दी दे दें ।

मेरे क्षेत्र में उतरौला तहसील है और वह म्युनिसपैलिटी भी है लेकिन वहां लड़कियों का स्कूल नहीं है । इसलिये वहां एक लड़कियों का स्कूल खुलवा दें ताकि वहां लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनका स्तर ऊंचा हो सके ।

मैं एक शब्द वक्फ के बारे में कहूंगा, उनकी जो जायदाद है उनका दुरुपयोग हो रहा है । वह तीन-तीन, चार-चार रुपये में किराये में हैं इसलिये उनको रेंट कंट्रोल से मुस्तसना करा दें ।

*श्री सुरेश चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इसका समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे यहां कुमायूं विश्वविद्यालय और पंत नगर जैसे महान विश्वविद्यालय हैं लेकिन वहां पर किसी भी पद पर चाहे क्लास वन हो, या क्लास टू हो या क्लास थ्री हो किसी में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है । जिससे वहां कर्मचारियों में असंतोष फैला हुआ है । मैं आग्रह करूंगा कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय ।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देती है जिनके अभिभावकों की आय एक हजार प्रतिमास है । मेरी मांग है कि उसे बढ़ा कर डेढ़ हजार कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने सुझाव लिख कर दे दें ।

(6 बज कर 22 मिनट)

श्री सुरेश चन्द्र—

मेरे क्षेत्र में पहाड़पानी में नेहरू स्मारक विद्यालय के प्रांतीयकरण की मांग बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

समय से हो रही है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे शीघ्रातिशीघ्र प्रांतीयकृत कर दें । हमारे यहां राजकीय इंटर कालेज, पतलोट, ओखलकांडा ब्लाक में पिछले दस सालों से बना है लेकिन वह अभी तक भवनहीन है । मैं चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र उस भवन के लिये पैसा दें । नैनीताल मुख्यालय में अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास नहीं है, पर्यटकों के कारण छात्रों को रहने में परेशानी होती है इसलिये मैं चाहूंगा कि छात्रों के लिये शीघ्रातिशीघ्र छात्रावास बनाया जाय । कुमायूं और गढ़वाल को मिलाकर एक हिल कैडर बनाया जाय जिसमें वहां जो 4500 अध्यापक हैं उनका एक हिल कैडर बनाकर उनको समायोजित किया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा रखे प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने शिक्षा के बजट को बहुत ही सजा कर पेश किया है । जहां तक इसमें जो कमियां हैं और पालिसी मैटर की बात है उसमें कुछ कहने के लिए काफी समय चाहिए लेकिन समय न होने के कारण संक्षेप में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । मुझे मंत्री जी से उम्मीद थी कि वह उर्दू दां हैं इसलिये उर्दू के संबंध में वह यहां कुछ एलान करेंगे कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बना दिया जायेगा । श्री वी0 पी0 सिंह जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का बिल लाया जायेगा लेकिन यह सरकार उर्दू का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटती है किन्तु आज तक उर्दू को दूसरी सरकारी जबान नहीं बना सकी । मुझे अफसोस है कि मंत्री जी ने आज उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का कोई एलान नहीं किया ।

मान्यवर, संभल जिला मुरादाबाद में एक डिग्री कालेज महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज के नाम से है उसमें 1984 से आज तक उर्दू और हिन्दी की एम0 ए0 क्लासेज खोलने की इजाजत जो सरकार नहीं दे रही है तो वह शिक्षा की तरक्की क्या देगी, लिहाजा मैं चाहता हूं कि वहां उर्दू और हिन्दी एम0 ए0 क्लासेज खोलने की इजाजत दी जाये ।

मान्यवर, आज भी जो बेसिक प्राइमरी स्कूल हैं उनमें एक करोड़ चौबीस लाख बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन उनके बैठने के लिए न टाट-पट्टी है और न भवन ही है । जब यह सरकार बेसिक शिक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं कर सकती है तो आने वाली नस्लों को बराबरी का दर्जा कैसे मिल सकेगा ? कान्वेन्ट स्कूलों में बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं किन्तु गरीबों के बच्चों के लिए टाट-पट्टी, भवन और कलम तक नहीं है । मैं चाहूंगा कि संभल में जो एक लड़कियों का राजकीय जूनियर हाई स्कूल है जो दो हिस्सों में प्राईवेट मकानों में चल रहा है उसके लिये भवन का व्यवस्था की जाय जिससे वहां पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके । संभल में दूसरा एक प्राइमरी स्कूल मोहल्ला हिन्दूपुरा खेड़ा में है जिसकी इमारत नहीं है, लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं, पांच टीचर हैं, इसलिए मंत्री जी से गुजारिश है कि इस स्कूल के लिए इमारत का प्रबन्ध कर दें ।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और जो सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर अमल होना चाहिए । श्री यदुनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मेरा एक सुझाव यह है कि आपने मान्यता प्राप्त सहायता सूची में प्रस्तावित 18 सौ विद्यालय रखे हैं, लेकिन 1984-85 में केवल 314 विद्यालय का दिया है और 1985 से आपने अभी तक किसी का मान्यता प्राप्त अनुदान सूची में नहीं रखा है । तो मेरा अनुरोध है कि एक हजार विद्यालयों का अनुदान सूची में रखा जाए और जो शेष बचें उनको आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए रखा जाए और कम से कम 500 प्राइमरी विद्यालय इस वर्ष खोले जाएं, ताकि प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 विद्यालय खुल सकें ... (व्यवधान) हमारे यहां श्रीमती राधारानी एक सीनियर सहायक अध्यापिका हैं, जिनका प्रमोशन ड्यू हो चुका है और जो आरक्षित वर्ग से आती हैं, उनकी प्रोन्नति के लिए हम लोग विगत दो वर्ष से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर नहीं हो पायी है ।

इस सम्बन्ध में वहां के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग में अनु0 जाति प्रधानाचार्य पद पर कोई आरक्षण नहीं है । इसके साथ मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र मूरतगंज-नेवादा, जिला इलाहाबाद की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर बहुत से भवनविहीन हैं और मरम्मत योग्य भवन के विद्यालय हैं, वहां इस ओर ध्यान देकर भवन बनवाए जायं और जो मरम्मत योग्य हैं उनके मरम्मत कराई जाए । वहां पर बहुत से प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय प्राइवेट चल रहे हैं और उन्होंने आपके यहां मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनकी जांच कराकर, यदि वे सही हैं और मानकें पूरी करते हैं तो उनको मान्यता दी जाए । प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में पानी की भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां पर एक-एक हैण्ड पम्प की विशेष व्यवस्था की जाए । इसके साथ ही साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई कन्या विद्यालय नहीं है, वह वहां पर कन्या विद्यालय हाई स्कूल इण्टरमीडिएट खोला जाए । हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के जो फार्म वहां मिलते हैं, उनके वितरण में बड़ा भ्रष्टाचार है । गत कई वर्षों से और इस वर्ष 2-2 और 3-3 सौ रुपये में फार्म बिके हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए और फार्मों के सुलभ तरीके से वितरण कराने की समुचित व्यवस्था की जाए । इसके अलावा वहां पर परीक्षा केन्द्र 60/70 किलोमीटर दूर पर दिये गये हैं । सेन्टर्स स्थापित करने के लिए भी एक मानक होना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए । मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि बहुत से हमारे इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल विद्यालयों के अध्यापक हैं, जो घरों पर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं । यह प्रथा समाप्त की जाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सम्मानित सदस्यों से आग्रह करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन माननीय सदस्यों को अवसर नहीं मिला है, वह मंत्री जी को लिखकर दे दें और मैं मंत्री जी से भी विशेष आग्रह करूंगा कि वह उन पर भी उसी प्रकार अपना निर्णय लें, जैसे वह इसी सदन में कही गई हों । यदुनाथ सिंह . . . । (श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने पर) (व्यवधान) आप बीच में सवाल पूछ सकते हैं, उसका हम समय देंगे, लेकिन आप बैठिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसे तो सुन लें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री फजलुल बारी—

उनका एक अहम मामला है आप उनको बोलने दें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है अभी मैं सड़क पर आ रहा था तो वहां प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या आप एम0 एल0 ए0 हैं ? मैंने कहा "हां" तो वह बोले आप जाकर अपने लघु मंत्री जी से जो प्राथमिक शिक्षा के मंत्री हैं उनसे यह जाकर कह दीजियेगा—

"मुफ्त का वेतन घर का काम
बेसिक, शिक्षक नमक हराम ।"

यह मंत्री जी का मामला है मैं कहना चाहता हूं कि आपके बीच में मंत्री जी को भले ही समर्थन रहे लेकिन जनता ढिंढोरा पीटती है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाण्डे जी ने जो समस्या बताई है उसका मंत्री जी आप निदान कर दीजियेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इस कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जो कटौती की भावना पर बल दिया है, उनका मैं आभारी हूं । मान्यवर, 10 अरब 38 लाख 40 हजार बजट दे रहे हैं । हम कहते हैं कि 1971 की जनसंख्या के अनुपात में यह ज्यादा नहीं है । शिक्षा पर बजट 20 प्रतिशत होना चाहिए । 6.8 प्रतिशत पहले थे । माननीय सदस्यों ने कहा कि अब चार प्रतिशत से भी कम है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि और प्रदेशों में हाईस्कूल तक शिक्षा निःशुल्क होती है इन्होंने प्राइमरी पर कोई विकास कर नाम का अधिभार नहीं लगाया गया है, लेकिन हाईस्कूल तक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए इन्होंने जो हर तहसील स्तर पर बालिका विद्यालय खोलने के लिए कहा है उसमें कम से कम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से जरूर राय ले लें स्थल चयन के बारे में । साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इण्टरमीडिएट के बाद जो तीन वर्ष के डिग्री कोर्स की बात आई है ।

मान्यवर, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका कुछ फायदा हो । हमारे यहां होता क्या है कि एम0 ए0 और एम0 एस0 सी0 करने के बाद भी लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं है । जो डिप्लोमा होल्डर हैं जो आई0 टी0 आई0 और बी0 टेक किये हैं जो टेक्निकल लोग हैं वह भी बेरोजगार हैं । महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात कही गई । तो मान्यवर, शिक्षित महिलाओं का परसेन्टेज बढ़ाने के लिए इण्टरमीडिएट

तक पढ़ाई टोटल निःशुल्क कर दें । इण्टरमीडिएट में भी फीस माफ कर दें तो बहतर होगा ।

मान्यवर, सह-शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा । सह-शिक्षा ग्रेजुएशन स्तर पर लागू की जाए इससे पहले सह-शिक्षा लागू न की जाए । कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि जो लड़के हाइ स्कूल में होते हैं वह कुछ ऐसे कुकर्म करते हैं जो कलंक की बात होती है उसे फिर आइ0 पी0 सी0 आर सी0 आर0 पी0 सी0 भी कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, पूरे विश्वविद्यालयों में जैसा मैंने कहा कि शिक्षित होकर अगर आप कुलपति के सामने या एकेडमी के सामने जाएं तो वह मिलना नहीं चाहते हैं ।

मान्यवर, जब वह कहता है कि हम गड़रिया हैं, किसान हैं, मजदूर हैं तो वह मिलने के लिए तयार हो जाते हैं । तो आज शिक्षा का स्तर क्या हो गया है ? एम0 ए0, बी0 ए0 करने के बाद लोग घूम रहे हैं । पहले ग्रेजुएट को इज्जत दी जाती थी लेकिन आज शिक्षा का स्तर गिर गया है । शिक्षा को रोजगारपरक, रोजगार उन्मुख होना चाहिए । आपने एक परिषद् बनायी है जिसके जरिये आप शिक्षा में अनुसंधान करते हैं और जिसके आप चेयरमैन हैं । मैं कहना चाहता हूं कि राजाराम शास्त्री कोल्हापुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति रहे हैं । डा0 राधाकृष्णन जिन्होंने शिक्षा जगत में बड़ा नाम किया है और कांग्रेस की बड़ी सेवा की है । तो आपको इन लोगों के किये गये कार्यों से सीखना चाहिए । राजाराम शास्त्री जी अभी जीवित हैं । इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उससे आप फायदा उठायें । रघुकुल तिलक जी नहीं हैं लेकिन इन्होंने जो कार्य किये हैं उनसे आपको सबक लेना चाहिए ।

आपने विश्वविद्यालयों में आई0 ए0 एस0 कुलपति बैठा दिये हैं । आप सोचते हैं कि इससे शिक्षा में सुधार होगा लेकिन इससे शिक्षा में कोई सुधार होने की सम्भावना नहीं है । अब मैं दोहरी शिक्षा नीति के बारे में कहना चाहता हूं । कहीं पर क्रिश्चियन लोग ईसा मसीह की जयजयकार कर रहे हैं तो कहीं पर मदरसों में अल्लाहो अकबर हो रहा है । कहीं पर हिन्दू स्टेट की बात हो रही है और कहीं पर गोलवरकर की जय-जयकार हो रही है । तो यह नहीं होना चाहिए । आप अशोक के चक्र को प्रतीक मानिये । अम्बेदकर ने भी इसको प्रतीक माना है । संविधान में जिस चक्र को मान्यता दी गयी है उसको प्रतीक मानें । अशोक के इस चक्र को प्रतीक मानने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि इसको सभी मान्यता देते हैं । जो विश्वविद्यालय हैं उनके प्रांगण में या जहां पर खेलकूद के मैदान हैं वहां पत्थर का या लोहे का शिलालेख लगायें । इससे आम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । आम जनता कागज पर लिखी बातों से उतना प्रभावित नहीं होती है जितना पत्थर के शिलालेख से प्रभावित होगी । मालवीय जी के, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर खुली एजूकेशन देने की बात आप कर रहे हैं तो अशोक स्तम्भ जो सार्वभौम है यूनीवर्सल है जिसको सभी धर्मों के लोग चाहे इसाई हों, हिन्दू हों, मुसलमान हों, पारसी हों या यहूदी हों मानते हैं तो शिलालेख लगायें जो राष्ट्रीयता को मजबूत करेगा ।

मान्यवर, बच्चों की शिक्षा के मामले में उपेक्षा बरती जा रही है । प्राइमरी एजूकेशन में जो बिलो 10 ईयर्स के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । संविधान में भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित किया जायगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उधर ध्यान नहीं दिया गया है । आपने बालाहार योजना चलायी है, आंगनबाड़ी चलायी है तो कोई बच्चा अपनी मां को छोड़कर दूसरी दाई को

मां मानकर आंगनबाड़ी में जाने के लिए तैयार नहीं होगा । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो काफी पढ़े-लिखे लोग हैं जो 4 फर्स्ट क्लास लिये हैं और वह प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो उनको पढ़ाने की अनुमति देना चाहिए और वही वेतनमान देने चाहिये जो आप, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रोवेंशियल यूनिवर्सिटीज के अध्यापकों को देते हैं । यह उनकी क्षमता है कि वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकते हैं । विश्वविद्यालय में पढ़ाना आसान है लेकिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना कठिन है ।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जहां-जहां विश्वविद्यालय हैं उनके जो छात्रसंघ हैं वहां पर 18 वर्ष के छात्रों को वोट देने के लिए प्राविधान कर दें । मताधिकार की सुविधा उनको होनी चाहिए । ग्राम सभाओं, नगर पालिकाओं में 18 वर्ष वालों को वोट की सुविधा है तो वह विश्वविद्यालय के छात्रसंघ में वोट क्यों नहीं दे सकते । मैं इण्टरमीडिएट तक तो छात्र संघ बनाने के खिलाफ हूं लेकिन विश्वविद्यालय के जो छात्रसंघ हैं उसमें छात्रों को वोट देने का अधिकार 18 वर्ष वालों को होना चाहिए । विश्वविद्यालय के छात्र संघ में कोई छात्र राजनीति की बात करता है तो अच्छी बात है ।

(इस समय 6 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जो शिक्षा पर इतना बजट रख रहे हैं, उसमें प्राइमरी शिक्षा के लिए अधिक प्राविधान किया जाना चाहिए । इस सदन के माननीय सदस्य फजलुल बारी साहब शायद अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा में न भेजते होंगे । यहां पर कोई भी माननीय सदस्य या मैं शायद ही अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा में भेजता हो ।

मान्यवर, कोई भी माननीय सदस्य अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा में नहीं भेज रहा है । नर्सरी स्कूल व्यवसायिक बन गये हैं । पूरे प्रदेश में एक तरह का पाठ्यक्रम हो, तभी तो मैंने कहा कि "निर्धन हो या धनवान, शिक्षा हो एक समान ।" जैसा माननीय सुखपाल पाण्डे जो अभी कह रहे थे कि प्राइमरी एजूकेशन के कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, वे तो स्कूल में जाते ही नहीं हैं । मैं इन तमाम बातों को रखते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम हाई स्कूल तक की निःशुल्क शिक्षा की गारंटी घोषित करें । हर जगह जूनियर हाई स्कूल और बेसिक स्कूलों में एक शिक्षा नीति घोषित करें और विद्यार्थियों को साझेदारी विश्वविद्यालय स्तर तक तो करेंगे ही ।

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, शिक्षा के इस बजट पर बहुत ही बहुमूल्य सुझाव आये और खुशी की बात है कि प्रतिपक्ष से बड़े योग्यतम सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा । मान्यवर, उन्होंने बड़े तफसील और विस्तार के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए बहुत सारी बातें कहीं । निश्चित रूप से मेरी जो क्षमता थी, मैंने उनके भाषण से सारांश निकालने की कोशिश की । नवोदय विद्यालय की जो संकल्पना है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की है । मान्यवर, मैंने अपने शुरू के बजट भाषण में कहा कि नवोदय विद्यालय के अन्तर्गत हमारे ग्रामीण अंचल के जो मेधावी छात्र हैं, उनके लिए आवासीय व्यवस्था के साथ-साथ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है । नवोदय विद्यालय में प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने की व्यवस्था की गयी है । जो छात्र वहां के करीब के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे नवोदय विद्यालय में भर्ती होने के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठ सकते हैं ।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पर इस नवोदय विद्यालय की बहुत ज्यादा स्वागत हुई है और ज्यादातर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वे अपने इलाकों में ऐसे नवोदय विद्यालय खोलना चाहते हैं । माननीय यदुनाथ सिंह ने राष्ट्रीय एकता की बात कही । मैं राष्ट्रीय एकता नहीं मानी जायगी । राष्ट्रीय एकता का मतलब यह है कि कन्याकुमारी मान्यवर, राष्ट्रीय शिक्षा जो है, केवल प्रदेश के स्तर पर रखी जायगी, तो वह सही माने में राष्ट्रीय एकता नहीं मानी जायगी । राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक और नागालैण्ड से लेकर राजस्थान तक एक विश्वास हो, एक निष्ठा हो, एक प्रेम हो । तो इसमें हमारी योजना है कि उत्तरी भारत के 20 प्रतिशत विद्यार्थी दक्षिणी भारत में पढ़ने जायेंगे और दक्षिणी भारत के 20 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तरी भारत में पढ़ने आयेंगे ।

मान्यवर, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपने बात रखी, निश्चित रूप से मैंने शुरू में भी कहा है कि यह प्राइमरी स्कूलों के अन्दर जो बुनियादी संशोधन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे स्कूल को आकर्षित करेंगे उनमें भी एक अभिप्रेषण की भावना पैदा हो जायेगी, उसके तहत यह कार्यक्रम रखा गया है । मान्यवर, नकल के बारे में यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है किन्तु नकल को कैसे रोका जाय, इसके बारे में कोई बुनियादी सुझाव नहीं आया है । मान्यवर, अभी यदुनाथ सिंह जी ने कहा कि दरोगा इसको रोक नहीं सकेगा, प्रशासनिक अधिकारी नहीं रोक सकेंगे, आइये हम सब मिलकर उन लोगों को जो नकल कराते हैं, उनको रोकने का प्रयास करें निश्चित रूप से यह विभाग भी नकल के प्रति जागरूक है और उसने इसको रोकने की काफी व्यवस्था की है । हर साल काफी लड़के पकड़े जाते हैं । जिन केन्द्रों पर सामूहिक नकल होती है वह डिबार किये जाते हैं उनके सारे बच्चों का परीक्षाफल रोक लिया जाता है । इसके बारे में आगे कहना चाहता हूं कि जो आपने शिक्षा के बारे में कहा कि हाई स्कूलस्तर तक की शिक्षा जो है वह मुफ्त कर दी जाय । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में छठे दर्जे तक हमारे बालकों की शिक्षा मुफ्त है, बालिकाओं को शिक्षा इण्टरमीडिएट तक मुफ्त दे रहे हैं, उनसे फीस नहीं ली जा रही है । मान्यवर, जो उपेक्षित क्षेत्र है तहसील स्तर का वहां बालिका विद्यालय को हायर सेकेन्डरी स्तर का खोला जायेगा ।

मान्यवर, त्रिवर्ष डिग्री कोर्स के संबंध में जो बात कही गयी है और साथ-साथ कहा गया है कि शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाय । निश्चित रूप से संकल्पना यह है कि इण्टरमीडिएट स्टेज पर जो एक मोड़ आता है, हम बच्चों को एक ऐसा मौका दें कि वह रोजगार की तरफ बढ़ सकें और बिलावजह जो उच्च शिक्षा की तरफ जा रहे हैं वह न जायं । मान्यवर, जैसा आपने हर एक को स्नातकोत्तर बनाने की बात कही गयी यह न परिवार के हित में होगा, न राष्ट्र के हित में होगा और न समाज के हित में होगा, इसको स्नातक बनाने से कोई लाभ नहीं होगा । मान्यवर, यह को-एजूकेशन को समाप्त करने की बात कही गयी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने संविधान बनाया था आज से वर्षों पहले तो संविधान में यह घोषित किया कि लिंग के आधार पर मतभेद नहीं होगा और जैसा आपने कहा कि ला एण्ड आर्डर में कानूनी अव्यवस्था खड़ी होती है, मैं समझता हूं कि को-एजूकेशन के कारण कानूनी अव्यवस्था नहीं होती है । मान्यवर, बहुत से पश्चिमी इलाके हैं वहां पर हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर पर को-एजूकेशन चल रही है और सफलता से चल रही है । बुनियादी तौर पर हमें अपने सोचने के ढंग को बदलना होगा तभी यह सम्भव हो पायेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह—

हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट में मान्यवर, यदि 100 लड़के रहेंगे और 2 लड़कियां रहेंगी तो परसेन्टेज इतना कम है लड़कियों का कि इसमें दिक्कत होगी । को-एजूकेशन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूं । जहां पर कम लड़कियां पढ़ रही हैं वहां पर दिक्कत पड़ रही है ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि लड़कियो को हमारे अभिभावक पढ़ाना चाहते हैं । मान्यवर, जहां पर लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है और उनके अभिभावक जागरूक हैं और वह किसी प्रकार की हिचक नहीं महसूस करते हैं और वह समझते हैं कि हमारी बालिका को शिक्षा मिलनी चाहिए । यह सुचारूरूप से शिक्षा चल रही है । इसलिए इस पर पुनर्विचार को आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, एक बात यहां और कही गयी है उसके बारे में बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्दर जो नये आयाम बने हैं लोकतंत्र के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, समाजवाद के बारे में, इससे हमने अपने इस पाठ्यक्रम को सुसज्जित करने का प्रयास किया है । और हम कोशिश करेंगे चाहें हम किसी वर्ग के हों चाहे किसी पार्टी के हों हमारा और आपका दृष्टिकोण एक होना चाहिए । मान्यवर, जहां तक आपने पाठ्यक्रम में एकरूपता की बात कही, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इस पर विचार हो रहा है कि जो साधारण विषय हैं उनमें एक प्रकार का पाठ्यक्रम लागू करने का निश्चय किया जाय । मान्यवर, यह जहां तक आपने कहा कि प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक हैं, वह स्कूलों में नहीं जाते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उनकी उपस्थिति आश्वस्त की जाय ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

आप तीन-तीन साल तक एक एक डी0 ए0 नहीं दे सके, कैसे जायं ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, हमारे हरदेव जी ने कहा कि बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बजट का जो प्राविधान है, उसमें अधिक से अधिक प्राविधान किया जाना चाहिए । आज के बजट में कुल बजट का 51.9 प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा के लिये रखा गया है और हमारा प्रयास है कि प्रारम्भिक शिक्षा किसी न किसी तरह इस योग्य बनें कि उसका आकर्षक बनें । मान्यवर, जाहिदी साहब ने कहा कि अध्यापकों के मूल्यांकन की योजना होनी चाहिए । निश्चित रूप से यू0 जी0 सी0 ने जो नये वेतनमान निर्धारित किये हैं, उसमें मूल्यांकन का प्राविधान रखा गया है ताकि अध्यापकों को प्रोन्नति मिल सके । आगे भी ध्यान रखा जायगा कि इस सन्दर्भ में क्या कर सकते हैं ? अभी तिवारी जी ने कहा कि पूर्वांचल में विश्वविद्यालय खोला जाय तो वहां विश्वविद्यालय खुल चुका है और उनकी मांग शासन ने पूरी कर दी है ।

मान्यवर, जहां तक नरेन्द्र देव जी ने कहा कि अपने विभाग के ऊपर आपको लगाम लगाने की ज्यादा आवश्यकता है, निश्चित रूप से इसको देखने का प्रयास करेंगे कि विभाग में किसी प्रकार की शिथिलता न हो और चुस्ती से काम हो और वहां पर सभी कार्यों का निस्तारण शीघ्र से शीघ्र किया जाय । बोस साहब ने बांदा में एक स्कूल का स्थानान्तरण दूसरे कस्बे में किये जाने की बात कही, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा

कि वहां पर यह बताया गया है कि बच्चों के बैठने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं था । वहां पर जो स्कूल दिया गया था, इस वायदे पर दिया गया था कि उस ग्रामीण कस्बे के लोग जमीन उपलब्ध कराएंगे । उस मामले में कोई वादा पूरा नहीं किया गया ।

इस तरह से डी0 एम0 से प्राप्त आख्या में कहा गया है । उसमें यह भी है कि संबंधित विद्यालय के वातावरण संबंधी और भी समस्याएं हैं और विद्यालय का वातावरण दूषित हो गया है । इसलिए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासन ने निर्णय लिया, लेकिन जो स्थानान्तरण किया गया वह केवल 5 किलोमीटर दूर है । जैसा कि बोस साहब ने कहा कि वहां पर वीकर सेक्शन के हरिजन और अल्पसंख्यक बच्चे ज्यादा हैं । अभी यह भी बताया गया कि वहां पर बच्चों की संख्या पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है, वहां पर अध्यापकों के रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां तक मुख्य रूप से यह बात कही कि कमजोर वर्ग के लोगों से एक विद्यालय छीन लिया है, इस पर हम पुनः विचार करेंगे कि किस तरह से आपको विद्यालय दे सकें । मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में सुधार की बात कही ।

श्री जमुना प्रसाद बोस—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया है बांदा के स्कूल के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को विभाग द्वारा जो सूचना दी गयी है, गलत दी गयी है । वहां पर जमीन दी जा चुकी है । वहां से 5 किलोमीटर दूर होने की बात भी गलत है । असलियत यह है कि वहां से जहां पर स्कूल ट्रान्सफर किया गया है वह जगह 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर लोग जायं यह सम्भव नहीं है । तीसरी बात यह है कि वहां पर वह जो ग्रामीण स्तर का स्कूल था, वह टाउन एरिया में लगाया गया है । चौथी बात यह कि इसके बारे में जो बहुत से कारण बताये गये हैं, गलत हैं । असलियत यह है कि एक 20 सूत्री कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, वह अपने गांव ओरल में स्कूल ले गये हैं । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । बांदा का महिला डिग्री कालेज भी जूनियर स्कूल में लगता है ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी । यदि वहां पर जमीन उपलब्ध करा दी गयी है तो जैसा कि मैंने कहा, पुनर्विचार करूंगा और इस संबंध में विचार कर लिया जायेगा ।

प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में कहा जा रहा था, जिस प्रकार से परियोजनाओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा चल रही है, अनौपचारिक शिक्षा चल रही है, केन्द्र ने इस पर निर्णय लिया है उसमें चुस्ती आयेगी । प्रौढ़ शिक्षा के बाबत में यह भी कहना चाहता हूं कि जिला स्तर पर मीटिंग होती है और बीस सूत्रीय मीटिंगों में सारे विधायक उसमें आते हैं, वह उसमें अवश्य देखें । मैं यह भी निर्देश दे रहा हूं कि समस्त जिलों के विधायकों को, जो जिले में और क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा की योजनायें चल रही हैं, उनके बारे में उन्हें सूचित किया जाय । मैं माननीय सदस्यों से भी यह अनुरोध करूंगा कि समय निकाल कर अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें, जो उसमें संभव हो सकेगा हम करेंगे। जो एक धारणा बन गयी है, उसमें हो सकता है कि प्रक्रिया बदलने में पूर्ण रूप से कोई बात हो ।

मान्यवर, ट्यूशंस की समस्या के बारे में कहा गया, दो या तीन से ज्यादा एक भी अध्यापक को करने की इजाजत नहीं है । अगर इससे ज्यादा कोई अध्यापक कर रहा है

तो अगर जानकारी माननीय सदस्य देंगे, तो जो भी अध्यापक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है, वह की जायेगी । जहां तक प्राथमिक स्कूलों को खोलने की बात है, जिला योजना में यह सब है, माननीय सदस्य जिलों में बैठकर जिला योजना में तय करते हैं, बीस सूत्रीय कार्यक्रम में तय करते हैं, हम उसी हिसाब से कार्यवाही करते हैं । मान्यवर, मैं यह भी बता देना चाहता हूं अब जो शासन की नीति है, हम प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार पर कम ध्यान दे रहे हैं । जो भवन विहीन विद्यालय हैं, जो किसी दबाव में खुल गये हैं, या जरूरत के लिहाज से खुल गये हैं, जिनमें बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, उनको प्रथम वरीयता देकर उनका सुदृढ़ीकरण पहले करें ।

जो वेतन वितरण अधिनियम है, उसमें पूरा भार वेतन का शासन वहन करता है । आज जो हमारा बजट है उसका मुख्यतया प्रतिशत वेतन वितरण पर जाता है । प्राथमिक स्कूल हैं 72 हजार और जूनियर हाईस्कूल 16 हजार हैं, जो तनख्वाहें शासन के कोष से जाती हैं वित्तीय स्थिति इस समय जो शासन की है उस परिप्रेक्ष्य में कोई अनुदान नहीं दे रहे हैं । हमने पहले अनुदान दिये हैं । जैसी हमारी वित्तीय स्थिति आगे आयेगी निश्चित तौर से जो अशासकीय विद्यालय हैं जो अनुदान लिस्ट पर आ चुके हैं उन पर विचार करेंगे । भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया, जहां पर इसकी शिकायत आयेगी, निश्चित रूप से उसकी जांच पड़ताल करायी जायेगी । हमारे एक माननीय सदस्य जी ने कहा कि नयी शिक्षा नीति जो है, उस पर कहीं विचार नहीं हुआ । मान्यवर, इस देश के अन्दर जो जन प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सभा है वह लोकसभा है, राज्य सभा है । नयी शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानी जाती है । मान्यवर, ढाई वर्ष तक इस पूरे भारतवर्ष में विचार हुआ, लोकसभा में राज्य सभा में विचार के बाद यह पारित हुआ । इसके बाद यह कहना कि इसके ऊपर विचार नहीं किया गया, मैं समझता हूं कि यह सही बात नहीं है ।

मान्यवर, जहां तक बी0 टी0 सी0 के समायोजन की बात कही गयी, बी0 टी0 सी0 के जो ट्रेंड शिक्षक हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ गयी है जैसे-जैसे प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे उनका समायोजन करेंगे । आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अन्दर प्रशिक्षण की बात है, चाहे व्यक्ति सेवाकाल से पहले हो या सेवा में रहते हुये, उसका मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है । मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगा कि शैक्षिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे । इस तरह के बीस का प्रस्ताव हमने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है । मान्यवर, जो व्यक्तिगत प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो अध्यापक प्रशिक्षण पाकर निकले हुये हैं/निकल रहे हैं उनको समय के हिसाब से पूर्ण रूप से लाभ मिल सके, उनका उपयोग हो सके । जहां तक माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि जनता पार्टी के शासन में यह फैसले लिये गये, यह सारे फैसले लिये गये थे, मान्यवर अब जनता पार्टी के शासन ने क्या किया वह तो नहीं मालूम, लेकिन जिस शासन में हम हैं, जो काम किये जा रहे हैं उसे जनता जानती है, वह किस प्रकार से काम कर रही है, यह बात किसी से छिपी नहीं है . . .

मान्यवर, आज यहां पर व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा और रोजगार देने वाली शिक्षा की व्याख्या बाजपेयी जी ने रखी, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया । मान्यवर, हमारी यही कोशिश है कि हम आगे आने वाले 3 वर्षों के अन्दर प्रदेश के 10 प्रतिशत जो

हमारे विद्यार्थी हैं, उनको प्लस टू के स्तर पर, ग्यारहवीं-बारहवीं के स्तर पर रोजगार-परक व्यवसायिक शिक्षा दें । मान्यवर, यहां पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के बारे में बहुत बात कही गयी । मैं बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों ने यू0 जी0 सी0 के निर्देश पर निर्णय लिया है कि वह क्या पढ़ायेंगे, किस तरह का सेलेबस रखेंगे । अब मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की शंका करने की अथवा फेरबदल करने की आवश्यकता है । वैसे इसमें जो मुख्य रूप से बुनियादी कोर्स हैं, उनको ही पढ़ाया जायेगा ।

मान्यवर, आप भी जानते हैं कि शिक्षा के स्तर के गिरने के सम्बन्ध में यहां बात कही गयी मान्यवर, आज कहीं-कहीं यह देखा जाता है, कि हमारे स्नातक स्तर के कुछ विद्यार्थी ठीक से व्याकरण नहीं लिख सकते, हिन्दी में प्रार्थना-पत्र नहीं लिख सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं । इसीलिये त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में एक भाग भाषा से सम्बन्धित भी रखा गया है । इस भाग में उनको भाषा के सम्बन्ध में शिक्षा दी जायेगी और इसके अन्दर यह भी शिक्षा दी जायेगी कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है और जो हमारा रोजगार से संबंधित शिक्षा है, यह सब कुछ इस त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्दर होगा । मान्यवर, आज ज्ञान का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और श्री यदुनाथ सिंह ने अपने कटौती प्रस्ताव में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के विषय में बहुत कुछ कहा ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1948 में एक कमीशन बना था, उसमें हमारे स्वर्गीय राधाकृष्णन साहब भी थे, वह बहुत जाने माने शिक्षाविद् थे । उन्होंने भी इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया था कि त्रिवर्षीय कोर्स लागू कर देना चाहिये इसी तरह से कोठारी साहब का नाम है, विपक्ष के लोग उनको अच्छी तरह से जानते होंगे, वह भी हमारे देश के बहुत बड़े शिक्षाविदों में से हैं, जिस समय वर्ष 1965 की शिक्षा नीति प्रतिपादित की जा रही थी उस समय भी उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को लागू कर दिया जाये । निश्चित रूप से मान्यवर, मेरे पास काफी सुझाव हैं और हमारे माता प्रसाद जी ने भी कहा कि सपुस्तक प्रणाली रोक दी जाये । मान्यवर, यह सपुस्तक प्रणाली हो या न हो, इस पर हम अवश्य विचार करेंगे । इसी तरह मान्यवर, विद्यालयों को मान्यता देने की बात कही गयी और धन देने की बात की गयी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब हम धन देने की स्थिति में होंगे, तब हम अवश्य धन वहन करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो देश में 9 पिछड़े हुये प्रदेश हैं, हम कोशिश करेंगे कि वह शिक्षा के क्षेत्र में जल्दी ऊपर उठें । यह तभी संभव हो सकता है, जब आपका और हम सबका सहयोग मिलेगा ।

मान्यवर, हमारे फजलुल बारी साहब ने भी एक बात उठाई, यद्यपि वह चले गये, मुझे दुःख है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक विद्यालयों की मान्यता पर हमने कभी कोई रोक नहीं लगाई । इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई निर्णय आये हैं और कई पक्षों से यह बात आई है । मान्यवर, हम तो चाहते हैं कि शिक्षकों का हित, विद्यार्थियों का हित और जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, उनका पोषण हो सके । इसके लिये हमने विधिक की भी राय ली है और हम शीघ्र इस पर अपना निर्णय लेंगे ।

मान्यवर, जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, वह संविधान के अनुच्छेद—2 के अनुरूप है । मान्यवर, यहां पर यह भी कहा गया कि अंग्रेजी स्कूलों को बन्द कर देना चाहिये । अंग्रेजी स्कूलों से मैं इनका मतलब नहीं समझ सका, यदि यह यहां पर होते तो मैं उनसे

पूछ लेता । यह जरूर है कि जो विद्यालय हमारे यहां चल रहे हैं, उनमें कुछ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जरूर हैं, ऐसे स्कूल ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदायों की तरफ से चलाये जा रहे हैं । हमारी नजर में अल्पसंख्यक बराबर हैं, मुसलमान हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे सिख हों, चाहे पारसी हों, हमारी दृष्टि में सब अल्पसंख्यक बराबर हैं । यदि हम अल्पसंख्यकों के अधिकार पर किसी तरह के रोक लगाने की कोशिश करेंगे, तो यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होगा । इस गरिमामय सदन के माननीय सदस्य भी इस बात को पसन्द नहीं करेंगे . . .

माननीय श्री बर्क साहब ने उर्दू के बारे में कुछ बातें कही हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम कोई ढिंढोरची नहीं हैं, जो कहते हैं, वही करते हैं । प्रदेश के अन्दर जूनियर हाईस्कूलों में 5 हजार अध्यापकों को नियुक्त करने की बात हमने कही, अभी तक हम 4 हजार अध्यापक नियुक्त कर चुके हैं । प्राथमिक स्तर पर भी हमारे जो विद्यालय हैं, जहां पर 40 से ज्यादा उर्दू पढ़ने वाले हैं, वहां पर उर्दू शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है । हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई यह नहीं कहने पाये कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है ।

मान्यवर, जहां तक आरक्षण की नीति का सवाल है, शिक्षा विभाग पूर्ण प्रयास कर रहा है कि इस नीति का विभाग में पूरी तरह से प्रतिपादन किया जाय । जैसा कि माननीय सदस्य ने शिकायत की है, पदोन्नति के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि आरक्षण पदोन्नति में नहीं आता है, फिर भी माननीय सदस्य ने सूचना दी है, उसे मैं अवश्य दिखवा लूंगा ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी ने अपनी भावना व्यक्त की हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं और जो उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 35,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 97,16,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 3,86,74,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 5,36,91,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 12,78,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

अनुदान संख्या 68—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 2,27,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 34,78,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का और इसके विद्वान सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बहुत बार इस सदन में भी और पूरे प्रदेश में पिछले कई साल से कई वर्षों से इस बात पर आम चर्चा छिड़ी हुई है कि शिक्षा का मतलब यह नहीं होता कि खाली अक्षर ज्ञान करा दिया जाय, 'क', 'ख', 'ग', 'घ' सिखा दिया जाय । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके और यही नहीं कि शिक्षा रोजगार परक हो, बल्कि इसे ऐसा होना चाहिये कि वह एक अच्छा वैज्ञानिक और एक अच्छा इन्जीनियर बन सके । जो इसके चारों ओर लोग हैं, सारा समाज है, वह ऐसे उद्योग धन्धे स्थापित कर सके, ऐसी चीजें लगा सके जो दूसरों को भी सेवा का अवसर दे सके और रोजगार दे सके । मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग का बजट मैं पेश कर रहा हूं । इस पर पिछले दो वर्षों से, जिसको नई शिक्षा नीति कहते थे, का नाम हमारे युवा हृदय सम्राट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय नीति दी ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिये कि क, ख, ग, घ न पढ़ावें बल्कि कुछ और पढ़ावें । मैं जानना चाहता हूं कि ये शिक्षा पर कटौती रख रहे हैं या शिक्षा नीति की आलोचना कर रहे हैं ?

श्री चेतराम गंगवार—

मैं निवेदन कर रहा था कि दो साल बहस में हुई, इसके बाद जो नई शिक्षा नीति है, पूरे प्रदेश में जितने शिक्षाविद् थे, विधायक थे, देश भर में जिसको राष्ट्रीय नीति कहते हैं वह निकलकर आयी । हमारा प्राविधिक शिक्षा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है । इसमें हमने महत्वपूर्ण उपलब्धि पिछले ढाई वर्षों में, जबसे श्री बीर बहादुर सिंह की सरकार आयी है, हमने अर्जित की है ।

(इस समय 7 बज कर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

मैं विद्वान सदस्य माननीय तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि हमने इन तीन वर्षों में अनेक संस्थायें खोली हैं। उसी का यह नतीजा है कि माननीय अधिष्ठाता जी आप देख रहे हैं कि आज प्रदेश में एक प्रकार का इण्डस्ट्रियल रेव्यूल्यूशन हुआ है और नये-नये आविष्कार करने का वातावरण प्रदेश में बना है।

हमने इन संस्थाओं में तीन स्तरीय योजना चालू की है। पहले में डिग्री कालेज स्तर पर इसमें 13 इंजीनियरिंग कालेज प्रदेश में हैं, 79 पालीटेक्निक डिप्लोमा स्तर की संस्थायें हमारे पास हैं, 12 का मानक और है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्राविधिक शिक्षा में। इसके अलावा 6 और अन्य संस्थायें हैं जो कि हमारे सहयोग से ही प्रदेश में चल रही हैं। इस तरह से 110 संस्थायें प्राविधिक शिक्षा की प्रदेश में काम कर रही हैं। मैं आई0 टी0 आई0 की बात नहीं कर रहा हूं, उसका बजट दूसरा है।

माननीय तिवारी जी ने बीच में इन्टरप्ट किया था इसीलिये मैं उनको बतला रहा हूं कि यह शिक्षण संस्थायें अंग्रेजों से बिरासत में हमें नहीं मिली हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे आप कहने की अनुज्ञा दें कि माननीय तिवारी जी आपके शासन काल में एक संस्था को छोड़ कर कोई भी संस्था हमें विरासत में नहीं मिली है। यह सब तिरंगे झंडे के नीचे, पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, माननीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में 110 में से एक आपके जमाने को छोड़ कर कुल 109 संस्थायें आज कार्यरत हैं। खासतौर से पिछले तीन सालों में हमने 15 संस्थायें अभी हाल में ही स्थापित की हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, थोड़ा संक्षेप में कहें।

श्री चेतराम गंगवार—

अब संक्षेप में ही तो कह रहा हूं, सुबह से तो बैठा हुआ हूं। यह जो संस्थायें हैं इनमें प्रवेश-क्षमता के बारे में, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डिग्री स्तर पर प्रवेश-क्षमता 1800 है। डिप्लोमा स्तर पर 10,455 की प्रवेश क्षमता है। आपको जान कर गर्व होगा कि पिछले तीन सालों में महिला पालीटेक्निक की भी संस्थायें खोली गयी हैं जिनकी प्रवेश क्षमता 405 है। एस0 टी0 एस0 में 700 की व्यवस्था है। इस प्रकार से हमारे पास 13 हजार के लगभग प्रवेश क्षमता है।

इसके अलावा हम शहरों तक ही नहीं गये हैं, हम गांवों में भी गये हैं। हमारी जो 109 संस्थायें हैं उनमें से 21 संस्थायें गांवों में दूर अंचलों में कार्य कर रही हैं। हमने पिछले सालों में 10 संस्थायें और कायम की हैं।

श्री रघुवर दयाल शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके तबलची लोग दिखायी नहीं पड़ रहे हैं कि जो कोई मंत्री जी के साथ न्याय करे ?

श्री चेतराम गंगवार—

हमने 1988-89 में, जैसे कि अभी गाजियाबाद के बारे में कहा गया कि वह जिला बन गया है, तो हमने गाजियाबाद में भी पालीटेक्निक खोल दिया है। जहां भी जैसे ही जिला बनता है, हम वहां पर पालीटेक्निक खोल देते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, आप

हम अनुज्ञा दें कि मैं 1988-89 का बजट पेश करते हुए माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि हमने पीलीभीत में और कानपुर देहात में दोनों जगहों पर हमने एक-एक पालीटेक्निक स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

अब हमारे पास मान्यवर आउट-ले प्लान में वर्ष 1988-89 में जो व्यवस्था है, वह 5 करोड़ और 50 लाख रु0 की । इस और साथ ही में यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां दो डिवीजन केवल ऐसे हैं, जहां इन्जीनियरिंग कालज नहीं है, एक रूहेलखण्ड और दूसरा मुरादाबाद डिवीजन । हमारा अब मान्यवर यह प्रयास होगा कि इन दोनों डिवीजनों में भी इंजीनियरिंग कालज खोल दें । साथ ही मान्यवर हमारा प्रयास यह भी है कि हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनको और भी पूरा-पूरा ध्यान दें, इसी के तहत नैनीताल में पहले एक इंजीनियरिंग कालेज था, अब माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पौड़ी गढ़वाल के कान्डसत व अल्मोड़ा में द्वाराहाट और नैनीताल में पन्तनगर में एक-एक इंजीनियरिंग कालेज और दिये गये हैं, इसी प्रकार से बुन्देलखण्ड में झांसी में एक इंजीनियरिंग कालेज देकर इस ओर कीर्तिमान स्थापित किया गया है । साथ ही 55 लाख रुपये और इस बजट में दे दिये गये हैं, पिछले साल पहाड़ के लिए 97 लाख रुपये की व्यवस्था थी और इस बार यह 55 लाख रुपये अलग से इस बजट में दे दिये गये हैं ।

मान्यवर, यही नहीं इसके अलावा 15 पालिटेक्निक्स कालेजज हम और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित कर रहे हैं, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, श्रीनगर, उत्तरकाशी, नरेन्द्रनगर, द्वाराहाट, लोहाघाट, काशीपुर, गोपससल्ट, शक्तिफार्म, ताकुला आदि स्थानों में यह संस्थायें स्थापित की हैं । वैसे तो यह सभी जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन हैं, वह बहुत ही सीमित हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम पिछड़े क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों की ओर हमारा प्लान जो है, बजट तो अलग है, लेकिन प्लान जो है वह 18 करोड़ 71 लाख रु0 में से 3 करोड़ 25 लाख रु0 केवल हिल्स के लिए अलग है, साथ ही 55 लाख रुपये इनके लिए हमने पृथक से दिया है ।

मान्यवर, एक बात और बता दूं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के 10 वें सूत्र में जो शिक्षित राष्ट्र से संबंधित है, के अन्तर्गत खासतौर से महिला शिक्षा पर जोर दिया गया है और इस वर्ष बरेली में महिला पालिटेक्निक स्थापित होने के पश्चात् 9 संस्थायें और स्थापित की हैं, जबकि पिछले तीन सालों में केवल एक लखनऊ में ही था परन्तु अब हमने कानपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, मथुरा देहरादून, अल्मोड़ा, वाराणसी में भी स्थापित कर दिया है । इन संस्थाओं के अतिरिक्त भी हमने डिप्लोमा कोर्स की भी व्यवस्था नवयुवक लड़कियों व महिलाओं के कल्याण के लिए की है, यह संस्थाएं हमने रायबरेली, बलिया, मुजफ्फरनगर, महमूदाबाद, उत्तर काशी, लोहाघाट, पिथौरागढ़ स्थित द्वाराहाट-ताकुला, जहांगीराबाद-जालौन और ललितपुर आदि स्थानों पर स्थापित की हैं, जिसमें हमने सेक्रेट्रीयल प्रेक्टिस तथा स्टेनोग्राफी के पाठ्यक्रम चालू किये हैं । तो वहां पर भवन की व्यवस्था थी, इसलिये वहां पर दो ट्रेड की स्थापना की गयी है और उससे महिलाओं को सुविधा प्रदान की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी अभी आप और कितना समय लेंगे ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर 5 मिनट और दे दें । मान्यवर, रोजगार मुहैया करने के लिये एक कम्युनिटी पालीटेक्निक की व्यवस्था की है और जो काम करता है, उस आदमी की प्रशंसा भी करनी चाहिये । हमारे जो सचिव हैं पी0 सी0 शर्मा, उनका इसमें विशेष योगदान

रहा है । 1 करोड़ 24 लाख रुपयों की व्यवस्था कम्युनिटी पालीटेक्निक के लिये की गयी है ।

मान्यवर, ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत हमारी सरकार काम कर रही है और यह योजना रायबरेली, व्यक्षीपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर झांसी, उत्तरकाशी, नरेन्द्र नगर, रुड़की, गोरखपुर, गाजियाबाद में लागू है । और इस योजना के अन्तर्गत 3 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है । मान्यवर, हम गुणात्मक सुधार करना चाहते हैं । अभी तक इन संस्थाओं में एडमिशन ऐसे ही हो जाता था, लेकिन अब प्रवेश परीक्षा परिषद् को गठन कर दिया गया है, जिससे प्रतिभाशाली छात्र ही इनमें प्रवेश प्राप्त कर सकें । मान्यवर, कर्मचारियों की बेहतर सेवा के लिये 25 हजार रुपये से सर्वोत्तम पुरस्कार की योजना चालू की गयी है जिसमें इस वर्ष बी0 आर0 सरन, हेड आफ दि डिपार्टमेंट मेकेनिकल, हीवट पालीटेक्निक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है और मान्यवर, अनुदेशकों का पद नाम परिवर्तित करके सहायक प्रवक्ता कर दिया गया है, जो मांग पिछले 10 सालों से चली आ रही थी ।

7 इन्जीनियरिंग कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी है । विशारद जी बड़े विद्वान सदस्य हैं, उनके यहां भी कम्प्यूटर लाईन्स की व्यवस्था की जा रही है और कम्प्यूटर की कक्षायें शुरू हो रही हैं । इसके अतिरिक्त जो मशीनें पुरानी हो गयी थीं, जो पहले से चली आ रही थीं, उनको बदलने में तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो पहले कभी नहीं हुई, तो यह बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया गया है । इसके अतिरिक्त परीक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया गया है, परीक्षाओं में जो नकल होती थी, उसको समाप्त करने के लिये फ्लाइंग स्क्वायड की व्यवस्था की गयी है और 802 छात्रों को पकड़ा गया है । मथुरा पालीटेक्निक में बड़े पैमाने पर नकल करायी गयी, तो परीक्षा को रद्द कर दिया गया है । और यह आरोप लगाया गया कि एक-एक, दो-दो हजार रुपये देकर नकल करायी गयी थी । इस कारण हमने वह परीक्षा रद्द करवा दी । ऐसी बहुत सी चीजें हमने की हैं । सर्विसेज के बारे में कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे यहां शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनकी बहुत पहले से यह मांग चली आ रही थी कि वहां पर जो डिमोंस्ट्रेटर होते थे उनको असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा दिया जाय । यह 10/20 साल पुरानी उनकी मांग थी उनको सहायक प्रवक्ता कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त जो अनुरक्षण अनुदान उनको मिलता था 165 रुपये जिससे वे लोहा लकड़ी आदि लेते थे, उसे बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया है । यह उनकी 15 साल पुरानी मांग थी . . . (व्यवधान) । मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि चाहे वह प्राविधिक शिक्षा परिषद् हो या संयुक्त प्रवेश परिषद् हो उसको स्ट्रेंथेन करने के लिये हम सजग हैं । परिषद् में जो जगह खाली पड़ी थी उसमें हमने गैर सरकारी व्यक्ति को, इस सदन के एक माननीय सदस्य को जिन्हें 10/11 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है । माननीय लाल प्रताप सिंह जी को इस परिषद् का अध्यक्ष बनाया है जिससे इसमें मजबूती आये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री चेतराम गंगवार—

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तुत करता हूं । मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि एच0 बी0 टी0 आई0 में एक शोध कार्य करा रहे हैं । वाज तेल और घी के

दाम बहुत बढ़ रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया कि इस पर भी शोध कार्य किया जाय, यह कार्य चल रहा है और नीम करेजी और महुवा के पेड़ और उनके फलों से यह तेल बन रहा है जो खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल होगा । यह एक नई उपलब्धि है । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बजट प्रस्तुत करने का मौका दिया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मंत्री जी एक विशेष प्रकार का तेल बता रहे हैं कि वे बना रहे हैं । वह राणा साहब के लिये बना रहे हैं . . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी तो मुरादाबाद भेज रहे हैं ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

पहले ही वह तेल उपलब्ध है । नया बनाने की जरूरत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर कटौती के प्रस्ताव के लिये नेता विरोधी दल का नाम भेजना चाहिये था । शिक्षा पर यदुनाथ सिंह का लिखकर आया है . . . (व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, इसमें रुचि है . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर रुचि है तो बोल सकते हैं ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

आप कृपा करके एजेन्डा देखिये । उसमें सबके नाम होते हैं । कटौती का प्रस्ताव कोई भी रख सकता है । आपको पहले से बता देते हैं । माननीय हृदय नरायन दीक्षित ने पहले से इस पर कटौती का प्रस्ताव दे रखा है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं । लेकिन आना चाहिये । परम्परा यही है कि पहले से लिखित में आना चाहिये ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

इसमें हृदय नरायन दीक्षित का नाम है ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है । मैं अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा कि कृपया संक्षेप में कहूं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे माननीय कौशिक जी तथा अन्य मानीय सदस्यों के अनुरोध पर कटौती का प्रस्ताव पेश ब्वरने का मौका दिया ।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, एजेन्डा की सूची में कहीं पर अनुदान में कटौती का प्रस्ताव नहीं दिया है । आप देख लें किस एनेक्जर में यह दिया हुआ है । यह अलाहिदा है कि आप उनको बोलने दें ।

श्री अधिष्ठाता—

दिया हुआ है नत्थी (ट) है ।

श्री अम्मार रिजवी—

ठीक है मान्यवर ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

इन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा का सहारा लिया है इसलिये नजर नहीं आ रहा है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, जब माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा का मतलब क, ख, ग सिखाना नहीं होता है । तो शिक्षा का उनका मतलब क्या होता है मैं नहीं जानता । लेकिन अगर शिक्षा का मतलब यह होता है कि इनके प्राविधिक शिक्षा प्राप्त इंजीनियर चाहे किसी भी विभाग में काम करें उदाहरण के लिये अगर सिंचाई विभाग में काम करे तो खेतों में पानी न पहुंचे और बिजली विभाग में काम करें तो यहां भी बिजली गायब हो जाय । तो इनके प्रशिक्षित इंजीनियर जहां काम करते हैं सब जगह असफलता ही हाथ लगती है ।

मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना । एक बात उन्होंने बहुत सच कही उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं उन्होंने क्हा कि वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ गये हैं इसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि एक सच बात उन्होंने कही । माननीय मंत्री जी ने तरक्की की बात कही लेकिन जिस ढंग से यह बजट लाये हैं जो उनका संवैधानिक कर्तव्य होता है उसमें वह बहुत गंभीर नहीं दिखाई दिये । कोई मौलिक बात उन्होंने नहीं बताई, वही बातें दुहराई जो इन पुस्तकों में दी गई है । मैं समझता था कि वह कोई आह्वान करेंगे जिससे प्राविधिक शिक्षा का कार्यक्रम गांवों के विकास के लिये वहां तक पहुंचेगा । आज असंतुलित नगर विकास नागरिक जीवन में पर्यावरण व प्रदूषण एक चुनौती बन गया है उससे जूझने का हम सोचते थे कि वह कोई संकल्प देंगे लेकिन उसकी झलक उनके भाषण में दिखाई नहीं पड़ी ।

आज हमारे यहां जो प्राविधिक शिक्षा है उससे निकलने वाले लोग चाहे कृषि विभाग में जायं या यातायात में जायं उनकी हालत ठीक नहीं चल रही है ।

मान्यवर, हमारे यहां उ0 प्र0 में विपुल संसाधन हैं तमाम तरह के उपकरण हैं लेकिन हमारी सरकार उनका समझदारी से प्रयोग नहीं कर रहा है, उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर सरकार के पास यह समझदारी क्यों नहीं है । उचित टेकनिकल शिक्षा के अभाव के कारण ही हमारी योजनायें आज असफल हो रही हैं । आज परिस्थिति यह है कि दुनियां के देश जैसे रूस जैसे देशों के बच्चे प्राविधिक शिक्षा के कारण ही स्पुतनिक से खेल रहे हैं लेकिन हमारे यहां बच्चे परिवार नियोजन के भार से दबे हुये निरोध का गुब्बारा फुला कर खुश रहते हैं । आज दुनियां ध्वनि और प्रकाश की गति के यांत्रिक विमान बना रही है लेकिन हमारे यहां के वैज्ञानिक बैलगाड़ी में बालबियरिंग भी नहीं लगा पाये हैं इसकी जगह गोबर और सन लगाते हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सी संस्थायें हमने खोल दी हैं । मैं उन्हें बताना चाहता हूं यह भारत सरकार के योजना मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका है स्टेटिस्टिकल एब्सट्रैक्ट इंडिया 1985 मिनिस्ट्री आफ प्लानिंग, भारत सरकार की पुस्तक से आंकड़े देना चाहता हूं—पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 5,45,80,000 है और यू0 पी0 की 12 करोड़ ।

पश्चिमी बंगाल की आबादी के दूने से भी ज्यादा है लेकिन पश्चिमी बंगाल में 58 संस्थायें हैं और यहां डिग्री स्तर की 13, डिप्लोमा की 79 और सर्टीफिकेट की 12, कुल 104 संस्थायें हैं । पश्चिम बंगाल का अनुपात लें तो यहां 116 टेक्निकल संस्थायें होनी चाहिए । इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश में इसी पुस्तिका के अनुसार प्राविधिक शिक्षण संस्थायें 88 हैं, आबादी 5,35,50,000, यू0 पी0 की आधी से कम है आबादी, अनुपात 176 संस्थाओं से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि यहां 104 हैं । हरियाणा और पंजाब की जनसंख्या दो-दो करोड़ भी नहीं है, मगर हरियाणा में 73 और पंजाब में 68 संस्थायें हैं । इनका अनुपात लें तो आबादी का गुणक 6 होता है, हरियाणा से तुलना करें तो यहां 438 स्कूल चाहिए और पंजाब के अनुसार 268 संस्थायें यहां होनी चाहिए और मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत से स्कूल खोल दिये हैं ।

मान्यवर, करप्शन के संबंध में बताना चाहता हूं कि इसी सदन में विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री रघुबर दयाल वर्मा का अतारांकित प्रश्न सं0 123 का हवाला देना चाहूंगा । मान्यवर, लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज, विकास नगर, कूर्सी रोड, लखनऊ में है, लेकिन यह संस्था फर्जी ट्रेनिंग देती है । प्रश्न श्री वर्मा जी ने किया था कि क्या उक्त संस्था ने मान्यता प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन पत्र दिया था ? इसका उत्तर सरकार ने दिया कि भारत सरकार द्वारा दी गयी सूचनानुसार आल इंडिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, नई दिल्ली ने आल इंडिया बोर्ड आफ मैनेजमेंट स्टडीज की विजिटिंग कमेटी ने संस्था के अनुरोध पर संस्थान का निरीक्षण किया ।

आगे प्रश्न था कि क्या समिति ने यह संस्तुति की कि उक्त संस्था को मान्यता न दी जाये । तो जवाब था—उक्त कमेटी की संस्तुति आल इंडिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन के आल इंडिया बोर्ड आफ मैनेजमेंट स्टडीज के सम्मुख प्रस्तुत हुई जिसने संस्थान द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों को निर्धारित स्तर का नहीं पाया एवं इन्हें अखिल भारतीय अधीनस्थ सेवाओं में भर्ती अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु मान्यता नहीं दी ।

तो अखिल भारतीय संस्था ने जांच की और फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता उस संस्था को दे दी गयी । भारत सरकार में इस तरह का एक कमीशन है—"मोनोप्लाईज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज" जिसने हैदराबाद में और दिल्ली में इस तरह के स्कूलों का

बंद कराया है । इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस स्कूल के संबंध में भी कोई कार्यवाही मंत्री जी करें ।

मान्यवर, एक मोती लाल नेहरू कालेज, इलाहाबाद में है वहां टेक्निकल से संबंधित और अन्य एडमीशन का जितनी परीक्षायें होती हैं, वह इलाहाबाद में होती थीं । लेकिन इधर प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने टेक्निकल की परीक्षायें इलाहाबाद से उठा कर कमला नेहरू कालेज, सुल्तानपुर में कराना शुरू कर दिया है, उसमें मनमाने ढंग से दखलंदाजी की जाती है और सत्ता पक्ष के नेता अपने लोगों का वहां प्रवेश दिलवा देते हैं ।

मान्यवर, मंत्री जी श्री भगवती सिंह विशारद जी का हवाला दिया कि कप्यूटर कोर्सेज उन्नाव में चलाने जा रहे हैं मैं भी वहां से चुनकर आता हूं । मुझे निवेदन करना है कि दो साल पहले उन्नाव में कप्यूटर कोर्स की स्वीकृति हुई थी और दो-ढाई लाख की भवन बन गया, उपकरण आ गये लेकिन बाद में पता चला कि वह वहां से ट्रान्सफर हो गया है । मंत्री जी ने घोषणा की यह तो खुशी की बात है लेकिन इसमें विश्वास करने में कठिनाई दिखाई पड़ती है । मंत्री जी ने बताया कि तमाम नये स्कूल खोल रहे हैं लेकिन इनके विभाग का जो बजट है उसमें आयोजनागत व्यय लगातार घटता जा रहा है और नान-प्लान में खर्च बराबर बढ़ रहा है ।

यह जो इनके आंकड़े हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा । वर्ष 86-87 में 16 करोड़ 29 लाख और 89 हजार का इनका आयोजनागत व्यय है जबकि नान प्लान में 18 करोड़ 50 लाख 68 हजार है, 87-88 में आयोजनागत में 15 करोड़, 22 लाख 45 हजार है और नान प्लान में 22 करोड़ 39 लाख 34 हजार है और इसी तरह यह 88-89 में आयोजनागत में केवल 13 करोड़ 7 लाख 43 हजार रुपया व्यय हुआ है और नान प्लान में 23 करोड़ 85 लाख 13 हजार रुपया व्यय किया गया है । इससे स्पष्ट है कि आयोजनागत व्यय में बराबर कमी होती गई है और नान प्लान व्यय में बढ़ोत्तरी होती चली गई है । जबकि होना यह चाहिए था कि नान प्लान खर्च में कटौती होती और आयोजनागत व्यय में वृद्धि की गई होती । नान-प्लान बढ़ता जाएगा तो उन्नति की किसी प्रकार संभावना समझ में नहीं आती है । मंत्री जी बोल रहे थे कि उनके विभाग द्वारा गांवों के बेरोजगार बच्चों को यह बताया जाता है कि वह शहरों में आकर ट्रेनिंग लें और आपकी पुस्तिका में यही बताया गया कि गांवों के युवकों को तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न विषयों में ट्रेनिंग दी जाती है । जबकि वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है ।

जिला स्तर पर जो ट्रेनिंग है वह फोटोग्राफर की दुकान है, उसमें इन बच्चों को भेज दिया जाता है, कोई प्रेस में भेज दिया जाता है और यह वहां ठहला करते हैं, उसको 50—60 रुपये की छात्रवृत्ति मिल जाती है । कोई टहला करते हैं बिजली की दुकान पर और एक भी छात्र प्रशिक्षित होकर वहां से नहीं लौटता है, केवल उसको कुछ पैसा मिल जाता है । इस तरह से वह न प्रशिक्षित हो पाता है, न रोजगार प्राप्त कर पाता है और न वह उसके योग्य बन पाता है । बाद में यह बेरोजगार बच्चे उद्योग विभाग के अन्तर्गत स्वत: रोजगार योजना में आवेदन करते हैं, तो प्रथम तो उनको बैंक से धनराशि नहीं मिल पाती है और यदि किसी तरह मिल भी गयी तो वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, प्रशिक्षित किसी ट्रेड में न होने के कारण ।

माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी, जो हमारे जिले के 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, उनको ठीक से जानकारी है कि गांवों के बच्चों का भविष्य रोजगार की दृष्टि से अन्धकार-मय है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह गांवों के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग परीक्षा में

और डिप्लोमा परीक्षाओं में कुछ विशेष अंकों का उनके लिए वेटेज प्रदान करने की व्यवस्था करें और उस पर विचार करने का कष्ट करें, तो बड़ी कृपा होगी । इसके साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए बहुत ही मुख्तसर में चन्द बातें आपसे निवेदन करूंगा । मंत्री जी ने बहुत विस्तार से यह बताया कि किस तरह से प्राविधिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हमारे प्रदेश में हो रहा है । यह भी सर्वविदित है कि किसी भी विकासशील देश के नवनिर्माण में प्राविधिक शिक्षा का बहुत ही महत्व है । यही नहीं हमारे कास्टीट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई हैं कि साइन्टिफिक टेम्पर है यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसमें भी इसका बहुत हाथ है । भारतवर्ष को आधुनिक बनाना है, बिना आधुनिक बने हम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते हैं और आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं । इसलिए विज्ञान की, टेक्नोलाजी की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे नेताओं ने तीन लक्ष्य सामने रखे थे । हमको स्वतंत्रता हासिल करनी है । सामाजिक जीवन को बदलना है ।

इसके अलावा यह कहना चाहूंगा कि हमारा सम्पर्क जब पश्चिमी देशों से हुआ तो यहां के लोगों ने अच्छी तरह से समझा कि बिना साइंस और टेक्नोलाजी के तरक्की नहीं हो सकती है, आखिर क्या चीज है कि वेस्ट ने इतनी तरक्की की । साइंस में, वाइलाजी में टेक्नोलाजी आदि में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं । इसलिए इस शिक्षा का महत्व है । मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं । थोड़ी सी बात मैं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के बारे में बताना चाहता हूं । इसका गठन 1958 में हुआ । जितनी संस्थायें हैं उनका एसोसियेशन और इन्सपेक्शन करता है और देखता है ।

मैं 5-6 महीनों से इससे जुड़ा हुआ हूं । हमारी कोशिश है कि अनुशासन हो और अच्छी पढ़ाई हो । इसकी पहली मीटिंग 23 जनवरी को हुयी थी उसमें कुछ निर्णय लिये गये और यह निर्णय लिया गया कि मेकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रानिक्स कोर्स में पहले कोई लिमिट नहीं थी लेकिन हम लोगों ने कहा कि यह उचित नहीं है । इसको यूनीफार्म तरीके से होना चाहिये इसलिये 3 साल का कोर्स कर दिया है । इसी तरह से यह भी रखा गया है कि अगर किसी वजह से इम्तहान रुके, लड़कों की स्ट्राइक हो गयी या इम्तहान का बाईकाट कर दिया उन्होंने, तो फिर दूसरा इम्तहान नहीं होगा । अगर किसी विशेष कारण से या दूसरी वजह से इम्तहान नहीं हुआ तो फिर से इम्तहान होगा । यह इसलिए किया गया है ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे । एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो बीमारियां सामान्य शिक्षा में हैं वही थोड़ी बहुत इसमें भी हैं । एक खास बात यह है कि टीचर के अंदर समर्पण की भावना पैदा की जाय । यह सबसे बड़ी बात है ।

मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब टीचर राजनीति से बिल्कुल अलग हो जायगा तब शिक्षा में गुणात्मक सुधार जिसकी आप अपेक्षा करते हैं वह होगा । इस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सभी दलों को, पालीटिकल लीडर्स को बैठकर एक चीज तय करनी चाहिये कि इसमें किसी तरह से राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये । जैसे सिविल सर्वेन्ट्स पर रोक लगा है कि वह राजनीति में भाग नहीं ले सकता उसी तरह से टीचर्स को राजनीति में भी नहीं लने देना चाहिय । मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे प्रोफेसर ग्लासगी ने कहा है—ए टीचर इज वन हू टीचेस विद फुल माइन्ड एण्ड फुल हार्ट टू रिलीज द फोर्स विच एजूकेशन हैज लेस, तो बहुत से लीजेंडरी टीचर्स हुये हैं उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं । एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिना इफर्टस किये कोई आदमी ऊपर नहीं उठ सकता है । कोई आदमी चाहे कि वह बैठा रहे तो वह ऊंचा उठ नहीं सकता है ।

हमारे बोर्ड में हमारे शिक्षा सचिव जी, मि0 शर्मा, मि0 सिंह और डायरेक्टर साहब बहुत ही स्टीपुलेटेड लोग हैं । 5-6 महीनों से मेरा उनसे संपर्क है । मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि वह सब अच्छे लोग हैं । सचिव भी बहुत ओवर वर्क आदमी हैं । मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में हमारी प्रगति अच्छी होगी । आल इंडिया काउंसिल जो बनायी गयी है जो स्टेच्यूटरी बाडी है उसके मार्गदर्शन में काम होता है । इन्हीं बातों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से और माननीय लाल प्रताप जी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने प्राविधिक शिक्षा पर विस्तार से प्रकाश डाला । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने आई0 टी0 आई0 कालेज हैं या जो आपकी प्राविधिक शिक्षा परिषद् है जिसके आप अध्यक्ष हैं, आप बता दें कि जिन संस्थाओं को आपने मान्यता दी है प्राविधिक शिक्षा में तकनीकी शिक्षा में उस मान्यता देने का मानक क्या है और उन मानकों के ऊपर जितनी संस्थाओं को आपने मान्यता दी है वह आपकी मान्यताओं के विपरीत काम कर रहे हैं । तो क्या आप उनकी मान्यता को वापस लेंगे यदि नहीं लेंगे तो तकनीकी शिक्षा का स्तर नीचे गिरता चला जायगा । यहां पर आपकी नाक के नीचे जो लाल बहादुर इंस्टीट्यूट है उसके बारे में मैंने नवम्बर, 87 में माननीय मुख्य मंत्री को आवेदन-पत्र दिया था और आरोप लगाये थे कि इस संस्था में घर बैठे फर्जी डिग्री बांटने का काम होता है । करसपांडेंस, पत्राचार कोर्स के आधार पर डिग्री और डिप्लोमा बांटने का काम यह संस्था कर रही है, जिनके पास न योग्य अध्यापक है और न परीक्षक है । मेरे पास तकनीकी शिक्षा सचिव का पत्र आया कि इसकी जांच हो रही है लेकिन जांच आज तक पूरी नहीं हुयी है ।

मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में भारत सरकार का जो टेक्निकल बोर्ड है उसने भी जांच की और यह कहा कि यह संस्था निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है इसकी मान्यता को समाप्त कर देना चाहिये । आज आप देखें कि सारे भारतवर्ष में एक जाल बिछा रखा गया है और लाखों रुपये पत्राचार शिक्षा के नाम पर प्राविधिक शिक्षा के नाम पर डिप्लोमा और डिग्री देने में वसूल यह संस्था कर रही है विश्वविद्यालय से मान्यता नहीं है और सम्बन्ध नहीं है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच एम0 आर0 टी0 पी0 सी0 के सुपुर्द करें जो जांच करे कि क्या-क्या गड़बड़ियां इसमें हो रही हैं । यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, 2 मिनट सुन लें । (व्यवधान) मान्यवर, मैं इतने बड़े भ्रष्टाचार का मामला खोलने जा रहा हूं । वैसे कहिये तो आप कहेंगे कि बजट पर कहिये और बजट पर कहेंगे तो आप सुनने को तैयार नहीं हैं । 2 मिनट दे दीजिये ।

*श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी एवं अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा को बधाई देते हुए कि इस साल इन्होंने पहाड़ पर भी 2 जगहों पर इंजीनियरिंग कालेज खोले हैं और कानपुर देहात, पीलीभीत और झांसी में भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है । मैं चाहता हूं कि मिर्जापुर हरियाणा के आकार का जिला है वहां पर भी राबर्ट्सगंज में एक पालीटेक्निक और मिर्जापुर में एक इंजीनियरिंग कालेज की व्यवस्था की जाय । इसलिए मान्यवर, कि वहां पर बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के लिए लाखों लोगों ने अपनी जमीन, अपना घर सब कुछ कुरबान कर दिया है । उस मिर्जापुर में एक इंजीनियरिंग कालेज और राबर्ट्सगंज में पालीटेक्निक की मांग करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता—

बुनियाद जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का जो विभाग है वह इतना बड़ा बेलगाम है कि जो मंत्री जी दस्तखत कर देंगे या आदेश कर देंगे उसका उल्टा करेंगे । मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं—गवर्नमेन्ट गर्ल्स पालीटेक्निकल लखनऊ में परीक्षण अधिकारी के राजपत्रित पद पर बिना साक्षात्कार किये हुए, बिना विज्ञापन दिये हुए कुमारी गीता चतुर्वेदी को नियुक्त कर दिया गया है । इसमें बहुत ही संक्षेप में कहूंगा । इसमें शिक्षा मांगी गयी थी एम0 ए0, एम0 एससी0, एम0 काम0 होना चाहिये लेकिन यह गीता चतुर्वेदी न तो एम0 ए0 है, न एम0 एस-सी0 है और न एम0 काम0 है, यह केवल बी0 एड0—एम0 एड0 है जब कि यह करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको अस्वीकार करते हुए यह कहा कि एक वर्ष के अंदर इसकी नियमानुसार नियुक्ति कर दी जांय । इस तथ्य को छिपाकर एक इसमें है पी0 सी0 दीक्षित जी सलेक्शन कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका अनुमोदन कर दिया है और यह दिया 5.5.84 को एक आदेश विशेष रूप से इशू किया कि जब एडवरटाइजमेन्ट किया गया तो स्थान अधिक थे और कंडीडेट कम आये । विज्ञापन हुआ 24.12.79 को और नियुक्ति हुई है 15.12.79 को तो नियुक्ति विज्ञापन से 10 दिन पूर्व हो गयी । यानि इतने जागरूक आफिसर थे कि इनको पहले मालूम हो गया कि कंडीडेट कम आयेंगे । 1977 में उनको क्लर्क बनाया गया और 4 महीने में लाइब्रेरियन बनाया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

इस बजट पर भी आप यह बात कह चुके हैं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, दूसरी बात जो इसमें नहीं कहा है जो मंत्री जी का मामला है । मान्यवर, एक मामले में कु0 दया श्री कौल की नियुक्ति पर मैंने मंत्री जी से शिकायत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की, मंत्री जी ने उस पत्रावली पर लिखा कि 10 दिन में इसकी रिपोर्ट दे दी जाय । और माननीय मंत्री जी के आदेशों के बावजूद आज तक मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मंत्री जी के पास पत्रावली नहीं पहुंची है । अगर पहुंची हो तो खड़े होकर बता दें, मैं बैठ जाऊंगा । हुआ यह कि उसके बाद उनकी पदोन्नति कर दी गयी और जो इनके रंगीले डायरेक्टर हैं पी0 सी0 दीक्षित कानपुर के, यह रोज लखनऊ में रहते हैं और यहां पर अय्याशी का अड्डा बनाये हुए हैं । उनको आदेश दिया जाय कि वह कानपुर में अपने हेड क्वार्टर में ही रहें ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, न तो सरकार ने प्राविधिक शिक्षा के बजट को गम्भीरता से लिया है और न इसे आपने गम्भीरता से लिया । निवेदन यह करना है कि पूरे बजट का .5 प्रतिशत भी प्राविधिक शिक्षा पर न व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है । इससे प्राविधिक शिक्षा की प्रगति कैसे होगी । विद्यालयों में न तो साज-सज्जा है, न मशीनें हैं । मेरी जानकारी है कि डिग्री स्तर की कक्षाओं में चित्रों से और वी0 सी0 आर0 से पढ़ाया जाता है क्योंकि प्रयोगात्मक स्तर पर सिखाने के लिए उपकरण नहीं हैं । मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो राजकीय पालीटेक्निक, उन्नाव हैं वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी नाम से एक कोर्स चल रहा है । वहां पर एक ही अध्यापक पूरे कालेज को पढ़ा रहा है तो कैसे काम चलता होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं । महिलाओं की शिक्षा के बारे में कहा गया कि लखनऊ, कानपुर, मथुरा, गोरखपुर आदि में स्कूल खोले जाने हैं तो आपकी 1986 की बजट के समय वितरित पुस्तिका में यह सब पहले से ही है । 1986-87 में बरेली, बनारस और कुमाऊं में संस्तुति की गयी है । मान्यवर, मैं आधा मिनट और लूंगा । मान्यवर राज्य तकनीक स्कूल तेलियरगंज इलाहाबाद के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । वहां के प्रिंसिपल पर गम्भीर अनियमितताओं के आरोप लगाये गये कि प्रवेश में अनियमितता की गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी । वहां के प्रिंसिपल ने अध्यापकों को पिटवाया । इसी प्रकार उन्नाव में आई0 टी0 आई0 में घूस ली गयी ।

श्री अधिष्ठाता—

आई0 टी0 आई0 से इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मुझे उम्मीद है कि जो सुझाव दिये गये हैं, छात्रों के प्रवेश के संबंध में मंत्री जी कुछ वेटेज देने की घोषणा करेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी भाषण दें इससे तो अच्छा है कि हम लोगों का कुछ स्पष्टीकरण पूछने की इजाजत दे दें ।

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, मैं भाषण नहीं करूंगा । माननीय दीक्षित जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वह बहुत ही विद्वान हैं, मैं उनकी कुछ बातों का जबाब दे दूं । माननीय दीक्षित

जो ने कहा कि राजकीय पालीटेक्निक उन्नाव में कम्प्यूटर एप्लीकेशन के डिप्लोमा कोर्स के लिए जो मशीने थी उनका स्थानान्तरण कर दिया गया, लेकिन कहा काइ चीज नहीं भेजी गयी है । पिछले साल वह खुला और इस साल शुरू कर देंगे और प्रवेश हो जायगा । दूसरे उन्होंने कहा कि कमला नेहरू इंस्टीट्यूट जो प्रधान मंत्री के क्षेत्र में है, उसमें अनियमितताएं होती है । उन्होंने मान्यवर, सही बात नहीं कही । हमारे यहां कोई अनियमितता नहीं होती है । माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी साहब ने बात कही, उनकी आधी बात से मैं इत्तफाक करता हूं । एक काई गीता चौधरी की नियुक्ति की बात उठायी, पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है, हम उसे देख लेंगे, अगर काई अनियमितता है, गलत सूचना दी गयी है, तो हम फाइल मंगाकर देख लेंगे । मान्यवर, जो उन्होंने कहा कि फाइल मंगाकर मंगाते है, फाइल आती नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है, फाइल मंगाये और वह न आये ऐसा नहीं होने वाला है । इसको हम देख लेंगे, माननीय बुनियाद साहब को भी बता देंगे कि क्या हुआ । मान्यवर, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, मान्यवर, स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है, टेक्नालाजी और साइंस को डेवलप कराने में उनका बड़ा नाम रहा है, उनके नाम से यहां इंस्टीट्यूशन चल रहा है इस पर माननीय सदस्य ने बताया । मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि हमने उसको रिगनीशन दी थी । मान्यवर, हमने यह सोचकर दिया था कि अच्छा काम करेगा, अब मान्यवर जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनके नाम से यदि कोई इंस्टीट्यूशन है, उस पर हम न दे तो फिर किस पर देंगे । हमारे पास 17 आवेदन-पत्र आये थे, यहां समय कम है नहीं मैं सबका जिक्र करता हूं, एक इंस्टीट्यूशन को हमने दिया । मान्यवर, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् है, वह इसको देखती है ।

मान्यवर, अभी माननीय बुनियाद साहब ने एक बच्चे के एडमीशन की बात के संबंध में कहा कि एक बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाते । मान्यवर, यही तो विशेषता है प्राविधिक शिक्षा की । महिला पालिटेक्निक को छोड़कर, वह भी मेरिट पर है, यही एक विशेषता है कि हरेक का एडमिशन नहीं होता, जो अच्छे स्कालर्स है, प्रतिभावान है, जो मेरिट के आधार पर आते है, उनका ही प्रवेश हो पाता है और वही बच्चे आगे चलकर इन्जीनियर, साइंटिस्ट वगैरह बनते है । मान्यवर, देश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो एशिया एवार्ड है, यूरोपियन एवार्ड है उसमें स्थान अर्जित करके कल ही का देखें, रिमोट सेंसिंग यान-ए जो सेटलाइट छोड़ी है, वह इन्जीनियर्स का कमाल है, साइंटिस्ट का कमाल है ।

मान्यवर, जहां तक मेन पावर की बात है, आज हम दुनिया में तीसरे नम्बर पर है और साइंस और टेक्नालाजी में पांचवे नम्बर पर है, यह इसी प्राविधिक शिक्षा का कमाल है । अब माननीय दीक्षित जी से कहूंगा कि उनके यहां पालिटेक्निक खुल गयी है, माननीय नरेन्द्र देव जी ने मिर्जापुर की बाबत कहा, उनका जिला बहुत बड़ा है, हम उसको देखेंगे, हम उनको आश्वासन देते है कि अगली दफा जब समाधन होंगे तो इसे देखेंगे । जैसा कि माननीय दीक्षित जी ने भी कहा हमारे संसाधन बहुत सीमित है । लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया कि वहां ठीक से पढ़ाई नहीं है उसको फिर से इक्जामिन करायें, उसको हम देखेंगे । माननीय दीक्षित जी सारी औपचारिकता पूरी हो गयी और सारी बातें आ गयी अब आपसे अनुरोध है कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेकर इसे पारित करें ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विशेष योग्यता रखने वाले लड़के ही इसमें सेलेक्ट होते हैं । मान्यवर, इसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने 802 विद्यार्थियों को परीक्षाफल निरस्त कर दिया निश्चित रूप से इसमें इनवेजीलेटर्स भी दोषी होंगे । मथुरा जिले की पालीटेक्निक के परीक्षार्थियों के रिजल्ट की बात थी, बरेली के परीक्षार्थियों के रिजल्ट की बात थी, बरेली का परीक्षाफल आपने घोषित करा दिया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह बरेली का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है, उसी तरह मथुरा जनपद में भी पालीटेक्निक कालेज की परीक्षाओं का परीक्षा-फल घोषित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, यह आरोप सही नहीं है कि मैंने बरेली का परीक्षाफल घोषित करा दिया और मथुरा का रोक दिया । आपने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया । मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर मास कापीयंग हुई थी इसके लिए हमने वहां पर दो-तीन टीमें भेजी, जिसमें से हमारी एक टीम को वहां के अध्यापकों और बच्चों ने मिलकर मारा और कमरों में बन्द कर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि हम वहां की परीक्षाएं शीघ्र करा देंगे, और जितना शीघ्र हो सकेगा, उसका परीक्षाफल घोषित करवा देंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल में एक पालीटेक्निक के खोलने की बात कही गयी थी, दो साल हुए इस बात को । लेकिन आज तक वहां पर न तो ट्रेड की व्यवस्था की गयी और न कंस्ट्रक्शन का काम प्रारम्भ हुआ और न साइट सलेक्शन का काम हुआ । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वह कब तक इस पालीटेक्निक को खुलवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहारन-पुर में एक पालीटेक्निक खोलने की व्यवस्था की गई थी । लेकिन वहां भी आज तक उसको खोला नहीं गया, उसको खुलवाने की व्यवस्था कब तक हो जायेगी, यह मैं जानना चाहता हूं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजूकेशन में पिछड़ा हुआ है और यहां का लाखों रुपया कर्नाटक और मद्रास में चला जाता है । यह जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन है, तो क्या मंत्री जी पिछड़े जिलों में इन्जीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक खुलवाने की व्यवस्था करेंगे और यदि यह सरकारी तौर से इनको नहीं खोल सकते, तो क्या प्राइवेट खोलने के लिए प्रोत्साहन देने की कृपा करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं माननीय पाण्डेय जी की गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजूकेशन में पिछड़ा हुआ है । हमारे यहां इलाहाबाद में जो इंजीनियरिंग कालेज है, वहां पर हमारे अन्य प्रदेशों के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के

लिये भेजते हैं । इस प्रकार हमारा उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजूकेशन में आगे है । यह आपसे किसने कह दिया कि हम पिछड़े हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु 34,78,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिसमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों को काफी दिनों से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी गयी सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया ।

जनपद आगरा के थाना अछनेरा के ग्राम गुड़ियापुर की सीमा में श्रीमती महादेवी हत्याकांड के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लखपत सिंह पुत्र झम्मन सिंह जाट, निवासी गुन्सारा, थाना कुम्हेर, जनपद भरतपुर (राजस्थान) ने एक लिखित सूचना दिनांक 22-1-88 को थाना अछनेरा जनपद आगरा पर दी । इसमें दिनांक 21/22 जनवरी, 1988 की रात्रि को ग्राम सरसा जनपद जाते हुए गुड़ियापुर के निकट जेवर, कपड़ा, नगदी आदि छीनने व अपनी पत्नी श्रीमती महादेवी को फायर कर एवं भाला से चोट पहुंचाकर पांच बदमाशों नाम पता अज्ञात सूरत शनाख्त द्वारा हत्या कर देने का उल्लेख किया गया है । उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना अछनेरा पर अ0 सं0 16/88, धारा 396 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

2—मृतका श्रीमती महादेवी के पति श्री लखपत सिंह द्वारा दी गयी लिखित सूचना में एक बदमाश द्वारा उसके हाथ बांध देने और उसकी छाती पर तमंचा रखने तथा शेष बदमाशों द्वारा उसकी पत्नी को खेत में खीचकर बलात्कार करने की कुचेष्ठा का उल्लेख नहीं किया गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22/23-1-88 की रात्रि को पुलिस द्वारा किसी बदमाश को गिरफ्तार नहीं किया गया और न छोड़ा गया । पुलिस द्वारा कोई गैर जिम्मेदाराना कार्य करने की बात प्रकाश में नहीं आई है, अतएव पुलिस की भूमिका को लेकर जनपद आगरा की जनता व सरहदी जिले व राज्य की जनता में रोष व्याप्त होने की पुष्टि नहीं हुई है ।

सही तथ्यों का पता लगाने के लिए उपरोक्त अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, को अभिदिष्ट कर दी गई है ।]

*श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, यह बिल्कुल असत्य है । 21/22 जनवरी, 1988 की रात्रि में श्रीमती महादेवी की हत्या जनपद आगरा के अछनेरा थानान्तर्गत गुड़ियापुरा के निकट कर दी गई । हत्या का कारण यह है कि वे हत्यारे उसके साथ बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन महादेवी ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप केवल प्रश्न करें ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, इस वक्तव्य में जो कहा गया है कि कोई गैर जिम्मेदाराना कार्य पुलिस ने नहीं किया है तो फिर एस0 एस0 पी0 ने करावली पुलिस चौकी के सब-इन्सपेक्टर को क्यों निलम्बित कर दिया और अछनेरा थाने के प्रभारी इन्सपेक्टर को क्यों लाइन हाजिर किया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, इन सब बातों को देखकर ही पूरे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 को दे दी गयी है । यदि हम उस पर यहां पर चर्चा करेंगे तो सी0 आई0 डी0 जांच पर उसका प्रभाव पड़ेगा ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, जिससे सी0 आई0 डी0 जांच प्रभावित हो । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थाना अछनेरा के अन्तर्गत उन्होंने एक हत्यारे को पकड़ा और उसे पकड़कर सब-इन्सपेक्टर व कुछ पुलिसकर्मी उसे पुलिस चौकी किरावली पर लाये थे । किरावली के सब-इन्सपेक्टर को निलम्बित कर दिया गया और उसके बाद अछनेरा के सब-इन्सपेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया तथा अन्य पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया और हत्यारे को छोड़ दिया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जो मृतक महिला के पति थे, उन्होंने कोई बलात्कार की बात सूचना में नहीं लिखाई है और न ही इस प्रकार की कोई लिखित सूचना पुलिस को दी है। सी0 आई0 डी0 जांच चल रही है, जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, उन सब बातों को देख लिया जायेगा।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 की जांच नियुक्त कर दी है, लेकिन इस काण्ड को लेकर किरावली में काफी असन्तोष है। पूरे अखबार रंगे पड़े हैं।

(इस समय 8 बजकर 24 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

"महादेवी ने इज्जत की मौत पसंद की", "लूट हत्या के विरोध में किरावली बद जाम" "अछनेरा प्रभारी लाइन हाजिर, किरावली प्रभारी निलम्बित, चौकी प्रभारी का तबादला "महादेवी हत्याकाण्ड ने तूल पकड़ा, किरावली, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी के बाजार बन्द रहेंगे"।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें क्या नई बात कह रहे हैं ?

श्री बदन सिंह—

इनको तो यह पद छोड़ देना चाहिये मंत्री जी को। आपके अधिकारी गलत सूचना भेज देते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है।

उसके बाद के अखबार में निकला है कि "महादेवी के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को दो दिन की मोहलत", "महादेवी काण्ड को लेकर थाना घेरा", इन्होंने सी0 आई0 डी0 से जांच मुकर्रर करा दी है, पुलिस दोषी है। दो-दो, तीन-तीन वर्ष से पुलिसकर्मी, डकैत, लुटेरों और हत्यारों से मिले हुए हैं, इसलिए उस थाने पर बराबर हत्यायें और लूट हो रही है। मैं तहसील किरावली की जनता की ओर से जो सी0 आई0 डी0 की जांच कर रहे हैं, उनके लिए एक मांग-पत्र भेज रहा हूं, यह मांग है कि महादेवी ने जो वीरता का काम किया और अपनी इज्जत की रक्षा की, उसके मरणोपरान्त उसको प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जब सी0 आई0 डी0 को दे दिया तो क्या स्पस्टीकरण करेंगे ?

श्री बदन सिंह—

उसने अपने सतीत्व की रक्षा की, अपने पति के जीवन की रक्षा की। उसको मरणोपरान्त प्रशस्ति-पत्र के लिये क्या भारत सरकार को सिफारिश करेंगे ? यह मांग-पत्र तहसील किरावली की जनता की तरफ से है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसे सीधे माननीय मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 जांच के उपरान्त जो भी परिणाम आयेंगे और जो भी कार्यवाही होगी, अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

श्री बदन सिंह—

प्रशस्ति-पत्र के लिये सिफारिश करेंगे या नहीं यह उत्तर दिलवा दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जबर्दस्ती तो नहीं कर सकता ।

श्री बदन सिंह—

आप निर्देश तो दे सकते हैं । जब पूरे प्रदेश में महादेवी ने अकेले ऐसा काम किया है कि निहत्थे होते हुए भी अपने सतीत्व की रक्षा की, बदमाशों से अकेले जूझती रही । यह प्रशासन इस लायक भी नहीं है कि उसे प्रशस्ति-पत्र दे सके । इससे ज्यादा निन्दनीय और लज्जाजनक दूसरी बात क्या हो सकती है ।? चूंकि प्रशस्ति-पत्र के लिये सिफारिश करने के लिये शासन तैयार नहीं है, इसलिये मैं इसके विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री बदन सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

दिनांक 21 मार्च, 1988 को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रति सम्मानजनक शब्दों के लिये संसदीय कार्य मंत्री के प्रति बधाई का प्रस्ताव लाने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

आज दिनांक 22-3-88 को नियम 110 के अन्तर्गत जिस प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष का निर्णय इस प्रकार है—

"श्री मुलायम सिंह यादव, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा कतिपय अन्य सदस्यों ने नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसे मैं निम्नांकित कारणों से अस्वीकार करता हूं :—

(1) नियम 110 (1) में प्रस्ताव संवेदना अथवा बधाई के बाबत प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रश्नगत प्रस्ताव में बधाई की बात भी है तथा भारत सरकार से अनुरोध की बात भी है । ऐसा खिचड़ी प्रस्ताव नियम 110 में नहीं आ सकता ।

(2) प्रस्ताव की भाषा में व्याकरण की भी त्रुटि है । प्रस्ताव में कहा गया है कि "यह सदन...बधाई देता हूं"

(3) परम्परानुसार बधाई के प्रस्ताव नेता सदन की ओर से ही आते हैं । अन्य सदस्यों की ओर से प्रस्तुत नहीं किये जाते ।

उपरोक्त कारणों से मैं प्रश्नगत सूचना दिनांक 22-3-88 को अस्वीकार करता हूं ।"

बांदा जनपद के थाना अतरा में श्री शिव प्रसाद गुप्त के परिवार पर अराजक तत्वों द्वारा किये गये हमले के सम्बन्ध में दिये जाने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या—11 को स्थगित करने के लिये माननीय मंत्री जी ने लिखा है, इसलिये हम इसको स्थगित करते हैं । इसको जल्द ही करा देंगे ।

आगरा जनपद में विद्युत् आपूर्ति न होने से पेयजल समस्या होने तथा मथुरा-आगरा जनपदों में पेयजल की समस्या से संबंधित दोनों चर्चाओं को एक साथ लिये जाने पर आपत्ति

श्री लक्ष्मी नारायण—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मद संख्या 12 में जो चर्चा लगी हुई है इसमें आगरा और मथुरा दोनों जिलों की समस्या है इसके लिये मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि आप दोनों जिलों के लिये आधा-आधा समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आधा-आधा समय ले लीजियेगा, हमें क्या आपत्ति है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस चर्चा के विषय में आपने निर्देश दिया था और आपने कहा था कि एक-एक घण्टा आगरा और मथुरा को दिया जायेगा । इसमें दोनों को मिला दिया गया है, यह उचित नहीं है । दोनों को अलग-अलग समय दिया जाना चाहिये और इसके लिये दो घण्टे का समय दिया जाना चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इसके लिये मा0 नगर विकास मंत्री जी यहां उपस्थित थीं फिर वे माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में भी गयी । उन्होंने निवेदन किया था कि यदि 7 बजे तक यह आ जाय तो इसे ले लें, आज उनको दिल्ली आवश्यक कार्य से जाना था, इसलिये उन्होंने कहा कि यदि 7 बजे तक यह न आ पाये तो इसे किसी अन्य दिन के लिये स्थगित करा दें । वैसे आप लेना चाहें तो ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु बेहतर यह होगा कि किसी दूसरी तिथि में इसको कर दें और इसको कार्यसूची में पहले ही रख दें ताकि सही तरीके से इस पर विचार हो सके ।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके दो भाग हैं और दोनों को आपस में मिला दिया गया है । एक सूचना मैंने दी थी उसमें हमारी समस्या दूसरी थी कि विद्युत की सप्लाई न मिलने के कारण जो पेय जल की समस्या उत्पन्न हो गयी, टंकियों में जो पानी दिया जाता है, वह बिजली के बन्द हो जाने से संबंधित था । मथुरा की जो समस्या थी जिसे माननीय लक्ष्मीनारायण जी ने दिया था उससे भी हमारी समस्या जुड़ी हुई थी पेय जल के संबंध में, लेकिन मैंने जो अकेले सूचना दी थी वह विद्युत विभाग से संबंधित थी, इसलिये दोनों को एक में मिलाया जाना गलत है । इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि मेरा जो अकेले वाला मामला है वह विद्युत् विभाग से संबंधित है और विद्युत मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं इसलिये आज मेरी बात हो जाने दीजिये और शेष को स्थगित करके बाद में चर्चा के लिये स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों ही चर्चा एक साथ होंगी ।

श्री विजय सिंह राणा—

आप मेरी व्यवस्था को नहीं समझे । आप दोनों विषय को एक साथ मिला रहे हैं जबकि एक समस्या पेयजल के संबंध में है जिसको कि आज यहां कोई सुनने वाला मंत्री नहीं है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा प्रश्न यह है कि माननीय राणा जी ने अपने विषय के संबंध में माननीय सदन को अभी अवगत कराया कि विद्युत आपूर्ति खराब होने की वजह से ग्रामीण पेय जल योजनायें प्रभावित हुई थीं । मैंने नियम 56 में आगरा जिले में पेय जल संकट जो हुआ और हो रहा है उसके संबंध में सूचना दी थी । मथुरा वालों ने अलग मथुरा के लिये सूचना दी थी । इस संबंध में शासन ने अधिकारियों की एक मीटिंग भी बुलायी थी और मान्यवर, उस मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुए तो मान्यवर, जब तक आगरे के लिये और मथुरा के लिये पेय जल आपूर्ति नहीं करेंगे और जब तक हमारी इन समस्याओं को माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं सुनेंगे, तब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता है और दूसरा हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार की जाये । यही मेरी व्यवस्था है । (हंसी)

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा कि सम्मानित सदस्यों ने अपनी-अपनी समस्याओं का जिक्र किया, इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आइटेम जहां पर है उसी के अनुसार इसकी चर्चा आप कराइए ।

आगरा जनपद में विद्युत् आपूर्ति ठप्प हो जाने से उत्पन्न पेय जल की समस्था के संबंध में चर्चा

श्री विजय सिंह राणा—

यह प्रश्न जो है मान्यवर, मेरा वह दो विभागों से संबंधित है, एक तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि एक विद्युत की समस्या है, पेय जल से संबंधित है । इस संबंध में हमने जो प्रश्न उठाया है वह यह कि होली के 4-5 दिन पहले से ही सम्पूर्ण हमारे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति नहीं हो सकी, जिसकी वजह से होली जैसे त्योहार में सारे क्षेत्र में मनहूसी सी छाया रही । इस पर 5 तारीख को सारी जनता अकोला में गांव की सड़क पर उमड़ कर आक्रोष में आ गयी, जब मुझे मालूम हुआ तो मैं भी वहां गया । समस्या जो वहां पर उत्पन्न हुई वह यह थी कि विद्युत् आपूर्ति न मिलने के कारण अकोला के पानी की टंकी खाली पड़ी थीं, उन दिनों जनता एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी । माननीय विद्युत् मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि इस विभाग के अलावा पर्यटन विभाग भी इनके पास है, इसी वजह से यह जमीन पर कम चलते हैं और हवा में ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं इनसे यह अनुरोध करूंगा कि जब हमारे प्रश्नों का उत्तर दें तो बजाए हेलीकाप्टर के ऊपर से नीचे उतर कर दें, वैसे आज इनका वह हेलीकाप्टर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है ।

मान्यवर, हमारे यहां समस्या जो उत्पन्न हुई उसका कारण यही रहा कि जो ताज सब-स्टेशन पर ओ0 सी0 वी0 है, जिससे तीन फीडर एक साथ निकलते हैं : 1—कुंडौल फीडर, 2—बमरौली कटारा, और तीसरा इटौरा फीडर । मान्यवर, वर्ष भर इटौरा और कुंडौल फीडर एक ही ओ0 सी0 वी0 से चलाये गये क्योंकि इस ओ0 सी0 वी0 की दो सीटियां जल गयी हैं और वर्ष भर यह सीटियां उपलब्ध नहीं हो सकीं । इस-लिये अल्टरनेटिव रूप में दो सीटियों से ही कभी इटौरा और कभी कुंडौला को चलाया गया इसलिये पानी के अभाव में किसान की फसलें पूरी तरह सूखती रहीं और होली के दिन दो सीटियां वह भी जल गयीं फिर तीनों फीडर दो सीटियों से चलाये गये,

जिसको वजह से फिर यह तीनों फीडर बंद हो गये फिर इसकी वजह से पीने के पानी की समस्या पैदा हो गयी, क्योंकि वहां पर सम्पूर्ण पानी इन्हीं टोंकियों से सप्लाई होता था, इसी कारण वहां जनता एक-एक बूंद पानी के लिये तरसती रही ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि बमरौली, कटार फीडर जैसे पहले ताज फीडर के नाम से शहरी फीडर था लेकिन बाद में कुछ विभागीय शरारत के कारण इस फीडर को देहाती फीडर पर बना दिया गया, यही मान्यवर, मूल समस्या बन गयी, हालांकि यह मूलतः शहरी फीडर है, इसलिये इसे पुनः अण्डरटेकिंग का दे दिया जाय और कुंडौला फीडर पर बहुत कम भार है, इसलिये इस बमरौली-कटारा फीडर के साथ जोड़ दिया जाय । साथ ही ताज उपग्रह से निकलने वाली इन तीनों फीडरों में से इन दो फीडरों को ताज उपगृह से जोड़ दिया जाय बरौली अहीर पर एक नया विद्युत् उपगृह स्थापित कर दिया जाय और इटारा फीडर का इसी उपगृह से बिजली दी जाये तथा शमशाबाद रोड पर शहर का बड़ा भारी विकास हो रहा है, यहां पर आकाशवाणी और टी0 वी0 केन्द्र भी स्थापित हो गये हैं, इस लिये इस क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता और बढ़ गयी है, इसलिये आज की स्थिति में बरौली अहीर सब-स्टेशन बनाये जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गयी है और यहां की समस्या का सही हल भी है और इससे ताज फीडर की शक्ति भी बढ़ जायेगी ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि ताज सिकन्दरा और फाउंडरी नगर फीडर को जो आपस में सम्बद्ध कर दिया जाय, जिससे एक दूसरे के सहारे से यह चलाये जा सकें । हमारे क्षेत्र की दूसरी समस्या यह है कि जगनेर रोड पर अकोला से लेकर घनौली टपरा तक मेरे क्षेत्र के सम्पूर्ण गांव कागारोल फीडर से जुड़े हैं, यह कागारोल आगरा से करीब 20-22 कि0 मी0 दूर है और वहां से यह लाईन उल्टी आगरा की ओर आती है, इस लाईन पर लाईन मैन लाईन इन्सपेक्टर्स तथा ओवर सीयर हैं, उन्होंने खैरागढ़ के दुकानदारों से सौदा तय कर रखा है, जिसके अन्तर्गत जो 170 स्पेलर चलते हैं, खैरागढ़ में उनसे 700 रुपये प्रति महीने लिये जाते हैं तथा और दुकानदारों से 200 रुपये लिये जाते हैं ।

(इस समय 8 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पुनः पीठासीन हुये ।)

वह लोग लाइन काट कर हमारे क्षेत्र की बिजली की सप्लाई काटकर खैरागढ़ को दे देते हैं और उसके बदले में बड़ी रकम उनको मिलती है । मान्यवर, यह मांग मेरी नयी नहीं है, बहुत दिनों से मैं यह मांग करता चला आ रहा हूं कि कामन सैल पर एक अलग ट्रान्सफार्मर लगाकर अकोला लाइन को अलग कर दें तथा इस पूरी लाइन को दो भाग करके मलपुरा से नीचे के क्षेत्र को विचपुरी से जोड़ दें और ऊपर का क्षेत्र ज्यों का त्यों बमरौली पर रहने दें । मान्यवर, इस वर्ष इटौरा फीडर व कुन्डौल फीडर एक ही ओ0 सी0 बी0 से चलाये जाते रहे हैं इसलिये एक फीडर को चलाते समय दूसरे को बन्द करना पड़ता है, जिसके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र की फसलें खेतों में सूख गयी हैं । यह सी0 टी0 न होने के कारण होता रहा है, यह ट्रान्समिशन सेक्शन के हाथ में था जिस पर मुख्य क्षेत्रीय अभियंत्रण का भी कोई नियंत्रण नहीं है । इसलिये ट्रान्समिशन सेक्शन पर मुख्य क्षेत्रीय अभियंत्रण का प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर दिया जाये तथा सी0 टी0 अग्रिम अधिशासी अभियन्ता वितरण के नियंत्रण में दे दी जाये । साथ ही कुन्डौल फीडर पर बहुत कम भार है इसलिये न्यूनतम भार के लिये एक फीडर को चलाने का औचित्य नहीं है । इसलिये कुन्डौल फीडर को भी बमरौली कटारा फीडर पर आबद्ध कर दिया जाये । एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि बरौली अहीर और टपरा (नरीपुरा) की पानी की टंकियों को शहरी फीडर से जोड़ने के आदेश हो चुके हैं और जल निगम में लाइन का पैसा भी जमा कर

दिया है लेकिन अभी तक दोनों टंकियों को शहरी फीडर से नहीं जोड़ा गया है, माननीय मंत्री जी इस कार्य को तुरन्त कराने की व्यवस्था करें ।

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कुछ चीजें माननीय सदस्यों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । आगरा तो महान शहर है, वह कई वजह से महान है, इसीलिये कुछ गड़बड़ी लगी रहती है, वह समस्या है, लेकिन राना साहब का इलाज है, उसके लिये मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं । आगरा फीडर में बहुत दूर से जल विद्युत् आती है, देहरादून से आती है, इसलिये उसमें कमी आ जाती है, हमारा यह प्रयास है । इस फीडर का जब हरदुआगंज से जोड़ दिया जायेगा तो यह समस्या दूर हो जायेगा । एम0 वी0 ए0 के ट्रांसफरमर का आवश्यकता थी, इसलिये कुछ परेशानी हुई और वह ट्रान्सफारमर बम्बई बनने गया था, और बन भी गया है और मेरी जानकारी है कि वह जल चुका है और यह दिक्कत जल्दी ही दूर हो जायेगी । ग्रामीण अंचलों में बड़ी लम्बी लाइनें हैं और बिजली मिर्जापुर में पैदा होती है तो राना साहब के यहां जाते-जाते बहुत दर हो जाती है । नलकूप जो चलते हैं उनके इन्डक्टिव लोड के लिये 15 करोड़ रुपये की आवश्यकता ऊर्जा निगम से पूरी करने की कोशिश की जा रही है और जब यह धन मिल जायेगा तो यह समस्या दूर हो जायेगी ।

मान्यवर, आगरे का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत पुराना है, हम उसका सर्वे करा रहे हैं । सर्वे करने के बाद उसके लिये हम कुछ न कुछ प्रयास करेंगे जिससे उसका फल उपलब्ध हो । कुछ माननीय सदस्यों ने और विशेषकर राणा जी ने दो सुझाव दिये थे । मैं दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बात तो वहां पर एक सब-स्टेशन बनाने की बात कही है वह 33/11 पर बनना है । मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्य एक चीज की जिम्मेदारी ले लें कि वे हमें भूमि उपलब्ध करा दें ।

श्री विजय सिंह राणा—

यह हम करा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार—

जिस दिन आप हमें भूमि उपलब्ध करा देंगे उसके एक वर्ष के अन्दर हम वहां पर ट्रांसफारमर पर करेंट दे देंगे । दूसरी बात माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर तीन सब-स्टेशन्स हैं एक ताज पर है, एक सिकन्दरा में है और एक फाउन्डी नगर में है । मैं बताना चाहता हूं कि ताज में 40-40 के0 वी0 के दो ट्रांसफारमर हैं, सिकन्दरा में 20 का एक है और फाउन्ड्री नगर में अभी थोड़ी गुंजाइश है । हम कोशिश करेंगे कि इनसे आपको सुविधा प्राप्त हो जायेगी और उन सब को एक साथ जोड़ देंगे । मैं आश्वासन देता हूं कि उन तीनों गांवों को जैसे पहले उसी फीडर से जुड़ते थे, उसी तरह से उनको फिर से जोड़ देंगे ।

वन विभाग में कार्यरत वाचर, खूट मुंशी तथा बैरियर मोहर्रिरों को प्रति माह न्यूनतम मजदूरी अदत्त कर दिये जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री हर्ष वर्द्धन—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि मद संख्या 13 पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा चलनी है । चूंकि मेरा आज ही प्लास्टर कटा है । मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को आप स्थगित कर दें और किसी दूसरे दिन इसको ले लें ।

---

*सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । स्थगित कर दें ।

(मद संख्या 13 स्थगित की गई)

आगरा जनपद में विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाने से उत्पन्न पेयजल की समस्या के संबंध में चर्चा (क्रमागत)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने राणा साहब के प्रश्न के उत्तर में एक बात बतायी । मैंने अपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव में ग्राम समूह पेयजल योजना जहां आपकी बिजली जाती है वहां की लाइन बहुत खराब है, बिजली वहां नहीं पहुंच पाती है । हमारे क्षेत्र में आल्हादपुर में मक्खनपुर फीडर से मठरौना फीडर पर लोड ज्यादा दे दिया । जहां पर हर समय लो वोल्टेज रहता है पम्प चल पाता नहीं है । लेकिन मठरौना फीडर में लोड ज्यादा होने के कारण बिजली नहीं पहुंचती है । इसलिए हमारे यहां 10 गांवों में पानी नहीं मिल रहा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा मठरौना पर फीडर बनाने के लिए जगह 78 में मिल गयी है, धन का प्राविधान हो लुका है उसे जल्दी निर्माण करा दें ।

ग्राम समूह पेयजल योजना में बिजली की आपूर्ति 24 सौ घन्टे सुनिश्चित करा दें । आज गांवों में पेयजल का भयंकर संकट पैदा हो गया है । टंकियों के नलकूपों और कुओं का जलस्तर नीचे हो गया है कुएं सूख गये हैं—ग्रामीण बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं । आल्हादपुर में पेयजल का भीषण संकट पैदा हो गया है बिजली के लो वोल्टेज के कारण हमारे यहां 12 टंकियां बेकार हो गयी है । कोटला-नायनी, उसीइनी, अलीनगर कैनेरा में आज पानी का संकट हो गया है । मैं निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो टंकियां हैं उनमें बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय । भटसैना में सब-स्टेशन तत्काल बनाया जाय मक्खनपुर से जो हमें बिजली मिलती है उसके लिए एस0 ई0 से कहें कि हमें बिजली सुनिश्चित कराये इस समय वहां से बिजली काटकर शिकोहाबाद को दे दी जाती है । हमारे यहां के लोग जब बिजली नहीं मिलती है तो बिजली विभाग के इंजीनियरों से जाकर झगड़ा करते हैं जिससे वहां और भी संकट हो जाता है इसलिये यह व्यवस्था करा दें कि मक्खनपुर से हमें बिजली मिलती रहे ताकि पानी का संकट न बने ।

इसके साथ ही फिरोजाबाद नगर और देहात में बिजली और पानी का घोर संकट है वहां रूरल फीडर से हमें जोड़ रखा है जब बिजली की कमी होती है तो सबसे पहले हमारे यहां की बिजली काटी जाती है । इस प्रकार चार लाख की आबादी वाले शहर में पानी की टंकी बन्द हो जाती है तो पीने के पानी की समस्या हो जाती है । जब लोग इंजीनियर से गाली-गलौच करते हैं तो 8-8 दिन तक कोई इन्जीनियर देखने के लिए नहीं आता है । वहां की मुसीबत को देखते हुए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय । जब रोस्टर बनता है तो सबसे पहले छोटे शहरों की और गांवों की बिजली काटी जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस घोर संकट से हमें बचाने के लिये विशेष ध्यान दें और रोस्टिंग से फिरोजाबाद को बचावें । मठरौना फीडर तत्काल बनवाने को कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मैं माननीय मुंशी जी से निवेदन करूंगा कि वह कुछ व्यवस्था करें नहीं तो यह जो चार लोग रह गये हैं यह भी चले जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

चर्चा आगे के लिए स्थगित की जाती है ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कांशल—

मान्यवर, मैं आगरा के पेयजल की समस्या के संबंध में कहना चाहता हूं कि पेयजल की समस्या के साथ विद्युत आपूर्ति भी जुड़ी हुई है ।

मैं पहले पेयजल के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक आगरा के पेयजल की समस्या की बात है कि उसकी गंभीरता से माननीय मंत्री जी परिचित हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी परिचित हैं । पिछले दिनों उस गंभीरता को देखते हुये सदन में मसला आया था । आज आगरा में पानी का राशन हो गया है । एक घंटे सुबह और एक घंटे शाम को पानी मिल रहा है और वह भी जिस क्वालिटी का है वह पीने के लिये नितांत अयोग्य है । इसके बावजूद आने वाली गर्मियों में और भी भयंकर स्थिति हो जायेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ।

जब से आखला बैराज बना तब से आगरा और मथुरा में पानी मिलना बंद हो गया और दिल्ली से आगरा तक का मलमूत्र साफ कराकर आगरा जल संस्थान द्वारा सप्लाई किया जाता है यह पानी शुद्ध नहीं है । आगरा कैनाल में कीटन में बहुत बड़ी मात्रा में औद्योगिक एफ्लुवेंट डाला जाता है उसमें सीवर व नाले मिलते हैं और फिर उसको साफ कराकर हम लोग काम चला रहे हैं । पिछले दिनों जैसी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने घोषणा की थी उसके अनुसार 14 मार्च को संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलायी थी जिसकी अध्यक्षता माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने की थी उसमें नगर विकास राज्य मंत्री भी उपस्थित थी । उसमें आगरा के पेयजल संकट को दूर करने के लिए उपायों को तीन श्रेणियों में बांटा था, एक तात्कालिक, दूसरा अल्पकालिक और तीसरा दीर्घकालिक । उसमें अल्पकालिक जो उपाय बताये गये उसमें एक हजार मार्क टू हैण्डपम्प तत्काल लगाने का निर्णय लिया गया था, पहले 500 हैण्डपम्प जो जल संस्थान ने लगाये थे उनमें से एक-तिहाई तत्काल खराब हो गया है । अतः 500 हैण्डपम्प जल निगम लगायेगा और 500 जल संस्थान लगायेगा ।

इसके साथ ही जो पुराने शाही कुएं हैं उनकी सफाई की जाय और ताजमहल के पास जहां पर दो लाख की आबादी रहती है उसकी समस्या का तत्काल निदान करने के लिये शाहजहां गार्डन में जल निगम द्वारा एक नया ट्यूबवेल बनाया जाय क्योंकि जो ट्यूबवेल है वह शाहजहां गार्डन की सिंचाई के काम में आता है । इसके साथ ही जल संस्थान के अधिकारियों का कहना था कि जब भी बिजली का वोल्टेज कम होता है उस समय उनकी मशीनें काम करना बंद कर देती है तथा पम्प काम करना बंद कर देते हैं । इसलिये तत्काल जो उपाय सोचा गया है उसके अनुसार स्वतंत्र फीडर से जल संस्थान को बिजली अबाधगति से दें तो ठीक रहेगा, इसका इस्टीमेट 98 लाख रुपये का विद्युत विभाग ने बनाकर नगर विकास विभाग को दिया है । मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी यह पैसा जल संस्थान सीमित संसाधनों के कारण नहीं दे पायेगा, अतः नगर विकास विभाग ऊर्जा विभाग को पैसा दे जिससे निर्माण कार्य तत्काल शुरू हो सके ।

अल्पकालीन जो उपाय है उसमें गंगा कैनाल से आगरा जल संस्थान तक पानी लाने की व्यवस्था बड़े-बड़े पाइप्स डालकर की जानी है । मान्यवर, वहां रोस्टिंग की समस्या सामने आती है जिससे 15 दिन पानी नहीं मिल पायेगा इसलिये सुझाव दिया गया है कि बड़े पाइप्स से गंगा कैनाल का पानी जलाशय में 15 दिनों के लिए स्टोर कर लें तो शुद्ध जल आगरा को लगातार मिल सकता है । इस हेतु सिंचाई विभाग को सर्वे रिपोर्ट तैयार करके शीघ्र प्रस्तुत करनी है ।

मान्यवर, दीर्घकालीन योजना के लिये यमुना पर बैराज बनाया जाना निश्चित हुआ है लेकिन इसको भी ताजमहल के खतरे के आधार पर अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है । विगत 6 मार्च को उच्च स्तरीय बैठक में जवाहर पुल के पास बैराज बनाने के आदेश सिंचाई विभाग को मुख्य मंत्री जी ने दिये हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि जवाहर पुल के पास बैराज बनाने हेतु शीघ्र व्यवस्था की जाय जिससे पानी की स्थायी व्यवस्था हो सके ।

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो निर्णय 14 तारीख को लिये गये हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिये तत्काल व्यवस्था करा दें ताकि मई-जून के पहले पीने के पानी की व्यवस्था हो सके अन्यथा पिछले वर्ष जो कानून व्यवस्था भंग हुई थी उससे ज्यादा इस बार होगी और वह समस्या न शासन व प्रशासन के लिये ही सर दर्द साबित होगा । इसलिए एक हजार मार्क-टू नलकूप तत्काल लगाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये तथा स्वतंत्र फीडर के निर्माण हेतु 98 लाख रुपये नगर विकास विभाग से ऊर्जा विभाग को दिलाया जाये ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि रियाद में पीने के पानी का संकट है इसलिये 700 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है बम्बई व गुजरात में भी सैकड़ों किलोमीटर से पेयजल लाकर समस्या का निराकरण किया जाता है । इसी तरह झांसी में माताटीला से पानी लेकर पीने [illegible] । तो आगरे में गंगा कनाल से 30-35 किलोमीटर दूर जल संस्थान है वहां यह पानी लाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती । मान्यवर, मुझको बताया गया है कि मात्र 2 करोड़ रुपये इसमें लगना है । यदि इससे आगरा जैसे जो पर्यटक स्थल है जहां देश विदेश के पर्यटक आते हैं और जब वहां के निवासियों को पानी नहीं मिलता है तो बाहर के लोग किस तरह से संकट में समय गुजारते हैं, इसको सभी जानते हैं इसलिये निवेदन करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर आश्वासन दें विद्युत की जो समस्या है उसमें जैसा कि ऊर्जा मंत्री जी ने बताया कि मार्टिन बर्न कम्पनी पहले विद्युत की व्यवस्था करती थी लेकिन उसके जाने के बाद आगरा में विद्युत की व्यवस्था जर्जर हो गयी है और विद्युत लाइनें जीर्ण-शीर्ण स्थित में पहुंच गयी हैं, वहां न ट्रान्सफारमर्स है, न केबल्स है, न कन्डक्टर्स हैं और न धन ही है, यह चीजें न होने से वहां की विद्युत व्यवस्था कैसे ठीक होगी ।

मान्यवर, वहां के इन्जीनियर्स, जोनल इन्जीनियर परिश्रमी हैं और परिपक्व हैं लेकिन जो [illegible] यहां टेक्नीकल से होती है उसकी आप व्यवस्था करादें जैसे—ट्रान्सफारमर्स—400 के0 वी0 ए0—15, 250 के0 वी0 के 12, 160 के0 वी0 के 5, 100 के वी के 10, (2) ए0 सी0 एस0 आर0 एल्मूनियम कंडक्टर्स—डाग 100 कि0 मी0, रैबिट 100 कि0 मी0 (3) पी0 वी0 सी0 इंसूलेटेड एल0 टी0 केबिल—400 स्कावयर मीटर—1000 मीटर 240 स्कायर मीटर 1500 मीटर 150 स्का0 मीटर 2000 मीटर और 70 स्कावर मीटर—1000 मीटर (4) 11 के0 वी0 3 कोर केबिल—240 स्का0 मीटर—500 मीटर, 150 स्कावयर मीटर—500 मीटर तथा धन की तत्काल व्यवस्था की जाये । उपरोक्त सामान की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आगरा शहर में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था सुधर नहीं सकेगी जो हमने सामग्री का निवेदन किया है प्लस कुछ धन की भी व्यवस्था आप कर दें तो आने वाली गर्मी में आगरा के निवासियों को सुविधा मिलेगी ।

आगरा नगर के साथ एक विशेष बात यह है कि आगरा में कोई भी आदमी जनरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकता है । जनरेटर का उपयोग वहां पूर्णतया निषिद्ध है, क्योंकि ताजमहल को उससे नुकसान होगा । तो इसके लिये आपसे अनुरोध है

कि आप उसका विशेष ध्यान रखकर सामग्री और धन की व्यवस्था कर दें । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगा . . . (व्यवधान) मुन्शी जी से क्या कहूं, आबकारी का समय तो शुरू ही हो गया है, सवा नौ बज रहे हैं उन्हें नींद आना स्वाभाविक है ।

(व्यवधान)

ससदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्री बदन सिंह जी कुछ कह लें अपनी बात उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे । बिजली से सम्बन्धित प्रमोद तिवारी जी का कहना है, मैं केवल . . . (व्यवधान) मुंशी जी को देखकर मुझे मीर तकी साहब की एक शेर याद आ गई, जो मैं कहना चाहता हूं :—

"सरहाने मीर के अहिस्ता बोलो,
अभी टूक रोते-रोते सो गया है ।"

मथुरा-आगरा जनपद में पेय जल की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा

श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो चर्चा आगरा के पेय जल संकट के ऊपर हो रही है, मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और यह चर्चा केवल आज ही इस सदन में नहीं हुई है, वर्षों से इस सदन में आगरा के पेयजल पर इस प्रकार चर्चायें होती रही हैं और आगरा में पेय जल की आपूर्ति करने के बारे में मंत्री जी द्वारा और मंत्रिपरिषद् के दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार आश्वासन भी दिये गये हैं ।

आगरा ऐसा दुर्भाग्यशाली शहर है और आगरा का ग्रामीण क्षेत्र ऐसा दुर्भाग्यशाली है कि उसके लिये आज तक कोई रास्ता नहीं सोचा गया । जहां तक आगरा नगर के पेय जल का सवाल है, वह पानी नहीं पी रहा है, मलमूत्र पी रहा है और इस वजह से पी रहा है कि आगरा के पास अखेला बांध से जो नहर निकाली है, इसमें दिल्ली, फरीदाबाद और अखेला के औद्योगिक क्षेत्र आदि का जितना दूषित पानी है और सीवर लाइन हैं, उसका पानी कीथम झील में डाला जाता है । यह मेरे क्षेत्र में स्थित है । यह सदैव ही जलकुम्भी से आच्छादित रहता है और या अब यह जलकुम्भी ऊपर से निकाल दी गई है, लेकिन यह अब भी उसमें है । क्योंकि जलकुम्भी ऐसा जिद्दी पौधा है, जो कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है । उसमें यह सड़ा करता है और कीथम झील से आगरा नगर का पानी जो आपूर्ति होता है, उसमें क्लोराइड और दूसरे प्रकार की पूरी गंदगी आगरा के लोगों को पीने के लिये मिला करती है । जैसा कौशल जी ने आपको उदाहरण दिया, मैं इस बार स्पष्ट करना चाहता हूं और इस सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आगरा नगर को यमुना नदी का पानी पीने के लिये नहीं दिया जायेगा, उसको सदा ही प्रदूषित जल मिलता रहेगा, इससे उसे मुक्ति नहीं मिल सकती है ।

गंगा नदी का पानी जो वहां पचावर स्थान पर पहुंचता है, तो पचावर से मांट ब्रांच निकलती है और दूसरा वहां से दावरी रजबहा निकला है, तो दावरी रजबहा के माध्यम से गंगा नहर का पानी यमुना में पहुंचा दिया जाये और इस तरह से इस पानी के पहुंचने से दावरी, हथकोली, सेलीखड़ा, बरौली, मंगना और मथरिया के पास से कैलाश के निकट जमुना में सीधा गिर सकता है । इस रास्ते से सम्पूर्ण प्रदूषित जल

समाप्त होकर उसे अच्छे जल में बदला जा सकता है । नगला मथुरिया होकर दावरी रजबहा का पानी सीधा कैलाश के पास जमुना नदी में गिरता है । इस दावरी रजबहा से आगरा को पानी दिया जा सकता है जो शुद्ध पेय जल होगा । आगरा से दावरी रजबहा की दूरी 35-36 किलोमीटर है । वहां से पाइप लाइन के द्वारा पानी पहुंचाया जा सकता है और आगरा को शुद्ध पेय जल मिल सकता है लेकिन इसमें एक कठिनाई पैदा हो रही है उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग इसमें रोड़ा अटकाये हुए है, और वह इसलिये रोड़ा अटकाये हुए है कि वह कोई कार्य शीघ्र नहीं कराना चाहता है ।

मान्यवर, आगरा नहर पहले अंग्रेजों के जमाने में बनाई थी इसका इस प्रकार निर्माण किया गया था कि इस पर कोई पैसा नहीं लगा । मान्यवर, तो यह जो आगरा नहर है इससे आगरा और मथुरा में पानी जाता है, उसका जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है उसका पूरा पैसा सिंचाई विभाग खा गया है । 22 सौ क्यूसेक से चार हजार क्यूसेक की क्षमता नहर का आधुनिकीकरण करने के लिये थी । सिंचाई विभाग ने इसकी क्षमता नहीं बढ़ाई और पूरा पैसा खा गया है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कीठम झील के द्वारा जो पानी गंगा नहर में जाता है वह पानी इस्केप से साढ़े 6 सौ क्यूसेक पानी हिन्डन कट के द्वारा जमुना में डाला जाता है । यह जमुना से आखेला बांध में और आखेला बांध से गंगा नहर में डाला जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

मर्ज भी बतायें और तजवीज भी करें ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, वह भी रख रहा हूं आप व्याकुल न हों मैं आपके कष्ट को समझ रहा हूं । आगरा की जनता का कष्ट आपके सामने रख रहा हूं इसलिये मैं आपको यह तजवीज दे रहा हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गंगा नहर का पानी सिंचाई विभाग आगरा को देने में, रोड़ा अटका रहा है । शासन और प्रशासन इतना निकम्मा है कि यह इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं आपको कल नहीं तो परसों गंगा नहर का पानी आगरा को देना होगा । अगर आप पानी नहीं देंगे तो किसी भी मंत्री को आगरे के अन्दर घुसने नहीं दिया जायेगा । जब तक आगरा को गंगा नहर का पानी नहीं मिलता है ।

आगरा में बेराज बनाने के यह झूठे आश्वासन देते हैं झूठे आश्वासन पूरे नहीं हो सकते हैं । हमारे देहात में एक कहावत है—"बिना चून उपरासी नहीं होती" मान्यवर जब तक यह पैसा नहीं देंगे आगरा के पेय जल की व्यवस्था का नवीनीकरण कैसे हो सकता है । मान्यवर, अब मैं आगरा की ग्रामीण जनता की तरफ से कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, ग्रामीण अंचल की समस्या जो फतेहपुर सीकरी की है उसमें 303 गांव में से 268 गांव का जल-स्तर 30-40 फिट नीचे चला गया है और जितनी ग्राम समूह पेय जल योजनायें फतेहपुर सीकरी के अन्दर हैं, उसमें जितने सम्मिलित गांव हैं उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है ।

(अब आप समाप्त करें कहे जाने पर)

मान्यवर, मैं बैठूंगा नहीं, जब तक अपनी बात नहीं कह लूंगा । जितनी पेय जल, योजनायें वहां पर लागू हैं उन पर शासन और प्रशासन एक पैसा भी खर्च नहीं कर

रहा है तथा जो चालू योजनायें हैं उनमें इन्होंने पाइप लाइन डालकर किसी भी सम्मिलित ग्राम को पूरे तरीके से पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की है । इसके अतिरिक्त 14 ग्राम समूह पेयजल योजनायें प्रस्तावित हैं जिन पर काम नहीं किया जा रहा है । फतेहपुर सीकरी-क्षेत्र तथा किरावली गांव का पानी खारा है और वहां का जल स्तर नीचे चला गया है जिससे हैन्ड पंप काम नहीं करते हैं । वहां पर पाइप लाइन योजना से ही पानी की आपूर्ति की जा सकती है और कोई दूसरी योजना काम नहीं कर सकती है । हमारे यहां जठा, मंगरौल जाट, गहराकलां, इकरामपुर, इमलावदा, बैदो, दूरा आदि के लिये पेयजल योजनायें प्रस्तावित हैं लेकिन उन पर काम शुरू नहीं किया गया है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य अभियंता आगरा को इस काम के लिये 9 सौ लाख रुपया दिया गया था लेकिन जिस तरह से केन्द्र सरकार से पूरे बजट में कटौती हुई उसी तरह से यहां कटौती कर दी गयी और केवल 761 लाख रुपये रहने दिया गया । जब पैसा नहीं देंगे तो कोई ग्राम समूह पेयजल योजना नहीं बन पायेगी और पानी गांवों में नहीं पहुंच पायेगा । इसी तरह से अगर गंगा नहर से पानी आगरा में नहीं पहुंचायेंगे तो आगरा की पेयजल व्यवस्था हल नहीं हो सकती । संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं । यह बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और आगरे से बड़ा इनको लगाव है और हमसे बड़ा प्यार और प्रेम रखते हैं । इसलिये मैं आश्वासन नहीं चाहूंगा बल्कि मैं उनसे इन योजनाओं के लिये धन चाहता हूं ताकि आगरे की पेयजल व्यवस्था को पूरा कराया जा सके । इसके साथ ही साथ मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं ।

फतेहपुर सीकरी में एक 33 के0 वी0 सब-स्टेशन बना हुआ है । इस पावर हाउस से जितनी भी लाइनें बिजली की निकलती हैं वह जीर्णशीर्ण हैं जिससे स्पार्किंग होती है । अभी परसों वहां पर स्पार्किंग हुयी जिससे दूकानों में आग लग गयी । इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं ....।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी उस दिन कुछ बहुमूल्य सुझाव नहीं रख पाये थे । मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कृपया उन्हें याद करके कह दें अगर वह कार्यवाही में आ जायेंगे तो उससे हमें फायदा होगा ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी में 33 के0 वी0 का जो सबस्टेशन है, वहां से सांभरा ग्राम के लिये लाइन गयी है । उस लाइन से सोनौठी, मोहम्मदपुर, पाली, गिलोय के राजकीय नलकूपों के लिये लाइन जाती है जिससे वह लंबी हो गयी है जिससे नलकूपों को पानी नहीं मिल पाता है तो इसको छोटा किया जाय । इसी तरह से दूसरी लाइन इम्लावदा और चुरियारी के लिये जाती है इससे डडूकरा, कराई को सीधा जोड़ा जाय । इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों के द्वारा जो 5-5 गांव विद्युतीकरण के लिए चयनित किये जाते हैं, हम लोगों के क्षेत्र के गांवों को चयनित किये हुए दो वर्ष हो गये हैं, लेकिन आज तक एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ । मान्यवर, यह बताया जाता है कि उनके पास न खम्भे हैं, न तार हैं और अन्य सामान भी नहीं हैं । इस सूखे के समय में वहां पर 420 कनेक्शन्स मंजूर किये गये, जबकि पहले जब सूखा नहीं था, तब 840 कनेक्शन्स मंजूर किये गये थे । मान्यवर, जो मैंने सुझाव दिये हैं, उन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और उस पर कार्य करवा कर हमको अनुग्रहीत करेंगे ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

माननीय सदस्य फिरोजाबाद श्री वर्मा जी ने कुछ बातें कही, जिसमें खासतौर से मटसेना क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या को देखते हुए मटसेना में एक नये 33 के0 वी0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण की बात कही । मान्यवर, संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए अगले वर्ष 1988-89 में उस समस्या का समाधान किया जायेगा । मान्यवर, दूसरी समस्या जो उन्होंने रखी है, वह व्यवहारिक नहीं है । ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल की व्यवस्था है, उसके लिए 24 घंटे विद्युत् सप्लाई किया जाय, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके जरिये हम रेगुलर पावर सप्लाई कर सकें । जहां तक इंडिपेंडेंट पावर के जरिये सीधी लाइन जोड़ने की बात है, वह आज की स्थिति में सम्भव नहीं है । इसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं । एक समस्या उनकी जो है, संभवतः उनकी बातों से यह प्रतीत होता है कि उनके यहां पर जो शेड्यूल है, उससे ज्यादा रोस्टिंग होती है । माननीय डाक्टर साहब ने आगरा का जिस तरह से जिक्र किया है, मैं उससे परिचित भी हूं । उसको दूर करने के लिए उन्होंने बताया कि हम वहां पर जनरेटर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ताज सब-स्टेशन के ओवर लोड के कारण बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है । उन्होंने खासतौर से ट्रांसफारमर के लिए, कंडक्टर के लिए और केबिल के लिए कहा है । मैंने वहां के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये हैं । एक बात और उठाई गयी जो इंडिपेन्डेन्ट फीडर के संबंध में है । उस पर कुछ शिकायत की है कि कुछ और लोगों को कनेक्शन दे दिये हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस पर अगर किसी और को कनेक्शन दिया गया है, तो आगरा की जल समस्या को देखते हुए पहली प्राथमिकता और वरीयता हर हालत में जल संस्थान को दी जायेगी । उसमें अगर किसी को कनेक्शन दिया गया है, तो उसे हटा लिया जायगा । हमारे विभाग की तरफ से कहीं पर कोई लापरवाही नहीं है । परन्तु इसके लिए धन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जल निगम और नगर विकास विभाग की है ।

जो माननीय डाक्टर साहब ने बात रखी है, मैं स्वयं नगर विकास विभाग के मंत्री को पत्र लिखूंगा । अगर धन उपलब्ध हो जायगा, तो इसका इन्तजाम करा दिया जायगा । उसके बाद माननीय बदन सिंह ने कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं । वे इतने महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि उनको समझने के लिए हमें कुछ समय चाहिये । मैं समझ कर माननीय बदन सिंह के आदेशों का पालन करूंगा और यह प्रयास होगा कि जिस तरह से उन्होंने सुझाव दिया है उसको मैं दिखवा लूंगा, जहां पर कार्य किया जा सकता है और यह जो सम्भव है उसको कराने का प्रयास किया जायेगा । मैं माननीय बदन सिंह को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आगरा को पहले निपटना बहुत मुश्किल बात है । माननीय अधिष्ठाता जी, डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल ने और माननीय बदन सिंह जी ने और माननीय वर्मा जी ने और माननीय राणा साहब ने आगरा के बारे में पूरे विस्तृत रूप से, उस मीटिंग में क्या तय हुआ था ? उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, इसका प्लान हम लोगों ने डिसकस किया था । इसमें दो चीजें थी एक यह थी कि अभी फौरन कौन-कौन सी चीज करानी जरूरी होगी जिससे तुरन्त वहां के लोगों को राहत मिल सके । दूसरी बात यह कि इसके अतिरिक्त और कौन सी ऐसी व्यवस्था की जाय कि आगरा के लोगों के लिए पानी की समस्या को देखते हुए हमेशा-हमेशा सदैव के लिए या ज्यादा समय के लिये वहां की समस्या का निदान हो जाय, उसके बारे में डा0 कौशल साहब ने पूरी तरह से बता दिया ।

जो तुरन्त समस्या के समाधान के लिये बात हुई थी उसमें इंडिया मार्क-2 नलकूपों की बात थी और कुछ जो गांव के क्षेत्र हैं उसमें और दूसरे पम्प्स लगाने की बात थी, वह वहां पर तय हुआ था कि इसके लिए सरकार धन उपलब्ध करायेगी ताकि इस समस्या का तुरन्त निदान हो सके । उसके बाद एक और व्यवस्था पर विचार किया गया था कि बैराज बनाने से पहले, क्योंकि बैराज तो बनेगा, माननीय बदन सिंह को यह कहूंगा कि वह विश्लेषण कितने इस्तेमाल करते हैं, वह दोस्त भी कहते हैं, कभी मुहब्बत भी है और कभी निहायत निकम्मे हैं, बिल्कुल बेकार है । खैर मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता हूं । मैं कहता हूं कि समय लगेगा थोड़ा बहुत तो जब बैराज बनेगा क्योंकि सरकार पूरी तरह से बैराज बनाने के लिए वचनबद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है । उसके पहले उस दिन यह निर्णय लिया था कि गंगा कैनाल से लेकर यमुना नदी तक एक बीच में ड्रेन सी बना दी जाय । मैंने यह सुझाव दिया था कि बजाय ड्रेन बनाने के एक हयूम पाइप के अन्दर वह पानी ले आया जाया ताकि सीपेज न हो तो उस वक्त हमने सुझाव दिया था कि यमुना जी का लेबिल जो है उसको ऊंचा करना यह एक सुझाव था, उस पर उसी दिन यह आदेश दिये गये थे कि इसका एस्टीमेट बनवाया जाय और उसको शासन को भेजा जाय ताकि धन को उपलब्ध कराया जाय । यह वैकल्पिक व्यवस्था करायी जाय ।

उसमें सिंचाई विभाग ने कठिनाई बताई थी कि रिस्टोरिंग करेंगे तो पानी की कमी होगी क्योंकि टेल तक पानी आने में जितने क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, उससे बहुत कम पानी यहां आयेगा इस लिए इसको देखना जरूरी है । यह तय हुआ था कि इसको सुनिश्चित किया जाय कि पानी बराबर टेल तक पहुंचता रहे, उस यमुना नदी तक जाता रहे, इस पर विचार किया जाय । तो खासतौर से डा0 साहब ने जो बात कही थी एक तो फौरन किस तरह से राहत पहुंचेगी, दूसरा थोड़े दिनों बाद क्या होगा और तीसरा एक परमानेन्ट समाधान जो था । तो इन चीजों के लिए मैंने निवेदन किया । जहां तक नलों, पाइप लगाने का है वह कर दिया है इसकी फिजीबिलिटी देखकर धन उपलब्ध कराया जायेगा । बैराज बनेगा क्योंकि आगरा को विश्व बैंक की और तमाम सहायता, उसको दोहराना नहीं चाहता । काफी समय हो गया है लेकिन आगरा में पानी पीने की समस्या है और आस पास तमाम समस्या है, वह बहुत भीषण है । फतेहपुर सीकरी के बारे में कहूंगा । बदन सिंह जी ने फतेहपुर सीकरी पर विचार विमर्श किया । ग्राउन्ड वाटर जो है हमारा उसको हमने आदेश दिया था कि वह जाकर जगह-जगह पर बोरिंग करके यह देखे कि कहां पर पानी मीठा मिलता है और कहां पर नहीं ।

फतेहपुर सीकरी से करीब दो-ढाई किलोमीटर दूर होगा जहां बोरिंग करके कुछ मीठा पानी मिल गया है । यह वहां की समस्या है । एक समय ऐसा आता है कि वहां पर बिल्कुल पानी नहीं रह जाता है । आम आदमी की तो बात क्या कहें, वहां की भयावह स्थिति यह है कि अकबर को फतेहपुर सीकरी इसलिये छोड़नी पड़ी कि वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी । लेकिन आधुनिक जमाने में, एज आफ साइन्स एण्ड टैक्नालाजी के युग में साइन्स और तकनीक के युग में हर असम्भव काम सम्भव हो सकता है । माननीय कौशलजी ने बगदाद के बारे में कहा, वह रियाद के बारे में है कि दमाम से पानी रियाद में लाते हैं । वहां से 700 किलोमीटर का फासला है । समुन्दर से पानी लेकर उसको मीठा करके सिंचाई करते हैं । इस बात का पूरा प्रयास किया जायगा कि आगरा की पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जा सके और जिस तरह से हो सके करना है । जो तत्काल करना है, तत्काल किया जायगा, जो परमानेंट

करना है, उसमें धन उपलब्ध कराना है । उसके लिये प्रयास किया जायेगा कि कोई ऐसा काम हो जाय ताकि आगरा की इस समस्या का समाधान हो जाय ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, कोरम देख लीजिये, कोरम नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आपके माध्यम से नरेन्द्र देव जी से अनुरोध है कि कृपया इस समय कोरम का प्रश्न न उठावें और इसके बारे में या और भी जो चर्चा हो, उसको हो जाने दें ।

श्री अधिष्ठाता—

घंटी अभी नहीं बजी है । अब एक दो आदमी रह गये हैं, वह अपनी बात कह लें ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, नरेन्द्र देव जी मान गये हैं । मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं अपना प्रस्ताव वापस ले लिया ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से मांग की थी कि मेरे क्षेत्र में हैण्ड पम्प योजना सफल नहीं है और वहां पर ग्राम समूह पेयजल योजना के द्वारा पानी भेजा जा सकता है । माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वहां पर 40 एल0 पी0 सी0 डी0 की ग्राम समूह पेयजल योजना के धन लगायेंगे । मेरा निवेदन है कि वहां पर 70 एल0 पी0 सी0 डी0 की ग्राम समूह पेयजल योजना की व्यवस्था की जाय । यह मैं आश्वासन चाहूंगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह सारा ब्यौरा बाद में दिया है, इसीलिये मैंने अनुरोध कर दिया था कि माननीय बदन सिंह जी भूल रहे हैं । उन्हें अब याद आया है । उस समय यह बात नहीं याद आयी । मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया सभी माननीय सदस्यों से कि आगरा की जल आपूर्ति के लिये जो भी सम्भव कदम होगा, उठाया जायगा । जो कदम फौरन उठाये जाने वाले हैं, फौरन करूंगा, जिनमें देर लगेगी उसका सारा ब्यौरा कि कितने नल लगेंगे, किस डिजाइन के लगेंगे, किस स्कीम में आयेगा, यह ब्यौरे का प्रश्न है, इसको बाद में ब्यौरा आने पर देखा जायगा ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री और पूरे सदन के संज्ञान में है कि मथुरा धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । मान्यवर, मथुरा में कई हजार आदमी बृज की चौरासी कोस की परिक्रमा के लिये निकलते हैं और दुर्भाग्य है कि मथुरा की छाता तहसील का पानी पूर्णरूपेण खारी है । मान्यवर, जिस दिन यह

प्रश्न उठाया गया, उस दिन सोमवार को माननीय मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और उसमें तीन बातें तय की गयीं ।

मथुरा की पेयजल समस्या का दीर्घकालीन, अल्पकालीन और तत्कालीन हल क्या हो सकता है । उस मीटिंग में यह तय किया गया कि तत्कालिक हल के लिये मथुरा जिले को हैण्ड पम्प 500 दिये जायं, खतौली स्केप से 1100 क्यूसेक पानी दिया जाय । इसी के तहत फिर यह कहा गया कि अल्पकालीन हल के लिये खतौली स्केप, जानी स्केप दोनों से 1500 क्यूसेक पानी दिया जाय । ग्रामीण पेयजल समूह योजना के अन्तर्गत बोरिंग कराके पाइप लाइन से डाइरेक्ट गांवों को पानी दिया जाय । ओवर हेड टैंक बनने की जो बात है, वह जल्दी नहीं हो पायेगा, उसमें समय लगने की संभावना है । दीर्घकालीन हल में अपर आगरा कैनाल में मध्य गंगा कैनाल का पानी डाला जाय जिसके लिये पांठ ब्रांच को पार करके यमुना नदी पर एक्वीडिक्ट बनाकर अपर आगरा कैनाल से पानी डाला जाय । मान्यवर, खतौली स्केप से जब तक अपर आगरा कैनाल को 1100 क्यूसेक पानी नहीं दिया जायेगा तब तक मथुरा के खारे पानी की समस्या और पेयजल की समस्या का हल हो नहीं सकता तथा वहां के तालाबों को भरा नहीं जा सकता, कुएं के जल स्तर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता ।

मान्यवर, मथुरा दो भागों में बंटा हुआ है, यमुना के एक पार छाता और मथुरा तहसील है और दूसरी तरफ सादाबाद और मांठ तहसील है । सादाबाद और मांठ तहसील का पानी मीठा है और मथुरा और छाता का पानी पूर्ण रूपेण खारी है । यहां हैण्ड पम्प भी कामयाब नहीं हो पाते हैं । इन दोनों तहसील मथुरा और छाता के गांव राजस्थान के किनारे बसे हुए हैं, अपर आगरा कैनाल का रजबहा और माइनर की वहां पर टेल है, वह गांव टेल पर है, इस समय 500 क्यूसेक खतौली स्केप से पानी अपर आगरा कैनाल को दिया जा रहा है । खतौली स्केप से एक महीने पहले 1100 क्यूसेक क्षमता से पानी दिया जा चुका है । आपसे तत्कालीन हल के लिये एक निवेदन करूंगा ।

मान्यवर, एक मिनट दे दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग के सचिव और विशेष सचिव इन दोनों के रुख से उस दिन मीटिंग में बिल्कुल जाहिर था कि वह किसी भी कीमत पर खतौली स्केप और जानी स्केप से पानी बढ़ाने के मूड में थे ही नहीं । मान्यवर, इस समय मथुरा को 700 क्यूसेक पानी अपर आगरा कैनाल को जा रहा है उसकी क्षमता है 2200 क्यूसेक । खतौली स्केप से 1100 क्यूसेक पानी तुरन्त आगरा नहर को दिलवाया जाय ताकि वहां के तालाब भरे जा सकें और कुओं का जल स्तर ऊपर आ सकें ।

मान्यवर, कामर, शिथला, गढ़ीबरवाड़ी, जानू महरोली, दौलतपुर आदि गांवों के तालाबों में पानी भरना है । मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि ग्रामीण पेयजल समूह योजना है, उसमें ट्यबवेल बन गये हैं, बोरिंग हो गयी है, पाइप लाइन पड़ गयी है, विद्युत विभाग से कनेक्शन नहीं मिला है सिक्योरिटी भी भर गयी है, आपके सामने यह समस्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस दिन रखी गयी थी । माननीय ऊर्जा मंत्री जी जितनी ग्रामीण पेयजल समूह योजना आज तैयार हैं, वहां उनको बिजल कनेक्शन दिलाया जाय । उस दिन एम0 डी0 साहब ने भी यह बात रखी थी कि डाइरेक्ट बोरिंग करके अण्डरग्राउन्ड पाइपलाइन डलवाकर पानी दिलवाया जाय, क्योंकि अभी ओवर हेड टैंक बनने में टाइम लगेगा ।

मान्यवर, जो किनारे के गांव हैं, और जहां पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी है, उन किनारे के गांवों को पाइपलाइन से जोड़ा जाय और पानी दिया जाये । इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा । मान्यवर, अपर आगरा कैनाल, यमुना नहर हरियाना के बीच में से होकर जाती है, जिससे हालत यह हो जाती है और जब से वहां पर देवीलाल मुख्य मंत्री बने हैं, तब से वहां के लोग एसे निरंकुश हो गय हैं कि 80-80 फीट पटरी को अपने लिये काट लेते हैं, लेबर भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन वह शत-प्रतिशत पानी का उपयोग करना चाहते हैं । एक बात मैं और नोट कराना चाहता हूं कि अगर वह 2-3 साल और मुख्यमंत्री रह गये, तो मथुरा को बिल्कुल ही पानी मिलना बन्द हो जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, अगर वहां पर बंसी लाल मुख्य मंत्री बन गये, तो हमारे यहां की सारी की सारी नहर हरियाणा को दे दी जायेगी ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि पलवल में जब श्री राजीव गांधी जी चुनाव सभा को संबोधित करने गये थे, उनसे भी चौधरी बंसीलाल ने इसकी मांग की थी कि अपर आगरा कैनाल का कंट्रोल हमें दे दिया जाय और पूरा पानी दिया जाये । तो मान्यवर, देवीलाल जी ने हमारी नहर काट रखी है और बंसीलाल मुख्य मंत्री बन जाते तो पूरा ही पानी रुकवा देते । मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी उसकी क्षमता बढ़ाने के बारे में दिखवा लें और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बातों में न आकर मध्य गंगा कैनाल का पानी अपर आगरा कैनाल को दिलवाना सुनिश्चित करें । यह दीर्घकालीन हल है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि जल्दी और खतौली से हजार-डेढ़ हजार क्यूसेक पानी दिलवा दीजिये और बोरिंग कराके पम्पसेट्स भी चलवा दीजिये और माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि वह इसके लिये कनेक्शन दिलवा दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरा सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपनी बात कहने के लिये समय थोड़ा लें, क्योंकि कर्मचारियों को भी देर हो रही है और माननीय नरेन्द्र जी भी यहां पर बैठे हुये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री कुशल पाल सिंह जी, अभी जो बातें हुई हैं, उनको दोबारा रिपीट न करें और अगर कुछ अलग से कहना चाहते हैं, तो कहें ।

श्री कुशल पाल सिंह—

मान्यवर, यहां पर पेयजल समस्या की बात हो रही है । इस बार सूखे के कारण मथुरा जनपद में पेयजल का भारी संकट पैदा हो गया है । वैसे तो पिछले साल भी पानी का संकट था, लेकिन इस साल अक्तूबर--नवम्बर के महीने से ही मथुरा जनपद में पानी का अकाल हो गया और बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है और मान्यवर कोई भी तालाब ऐसा नहीं है, जहां पानी हो । मान्यवर, मथुरा जनपद के नौहझील, माड, छाता, चौमा ब्लाकों जमुना के किनारे-किनारे के गांवों में पानी का जल स्तर अत्यन्त नीचे चला गया है, प्राइवेट ट्यूबवेल भी फेल हो गये हैं और कुओं में भी पानी नहीं है । जितने

जल निगम के सरकारी ट्यूबवेल हैं, उनमें से एक ही काम कर रहा है, वह भी पानी काफी कम देता है । वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है । मानागढ़ी पेयजल योजना, सुरी पेयजल योजना, वाराँठ, मांठ एदलगढ़ी, रौंहरा पेयजल योजना, बुखरारी पेयजल योजना, एस पेयजल योजना, विशम्भर पेयजल योजना में जहां एक-एक ट्यूबवेल लगा हुआ हैं यहां एक-एक ट्यूबवेल और दिया जाय।

पेयजल योजना के अंतर्गत जो गांव आते हैं, अधिकांश गांवों में पाईप लाइन से जो पानी जाती है, वह बूंद-बूंद जाता है, इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां पाईप लाइन पड़े है, उन्हें बढ़ा दिया जाय और कुछ स्टेन्ड पोस्ट बढ़ा दिये जायं, 2-2 हैण्ड पम्प लगा दिया जाय । मान्यवर, मांटा क्षेत्र में बीसों गांव एसे हैं, जहां हैण्ड पम्प नहीं लगे हुए है, यदि कोई प्राइवेट ट्यूबवेल वाले से पानी लेता है तो एक रुपया घड़े के हिसाब से देता है, वह भी शाम को नहीं मिल पाता है । हमारे यहां कुछ ट्यूबवेल तैयार पड़े हैं, किन्तु उन्हें विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया गया है, विद्युत विभाग वाले बताते है कि 10 लाख रुपया अभी हमें लेना है, इसलिए हम कनेक्शन नहीं दे पायेंगे । इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि रिकवरी तो होती रहेगी, आप इस समय उन्हें कनेक्शन दे दीजिये ।

मान्यवर, जहां तक तालाबों का सवाल है, सब सूखे हैं, हमारे मांटा ब्रान्च में पानी नहीं है, गोकुल, सादाबाद क्षेत्र के तालाब सूखे पड़े हैं, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए इस ओर भी ध्यान दिया जाय । मथुरा में वोल्टेज बहुत लो आ रहा है । शेरगढ़ व सुरीर में सब-स्टेशन बनाकर तैयार हो गये हैं, उनको चालू करवा दिया जाय । मान्यवर, मेरा एक सुझाव है । पिछली बार मीटिंग हुई थी, उस समय आश्वासन दिया गया था कि 500 हैण्ड पम्प दिये जायेंगे । जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं, जल निगम के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वह उनकी मरम्मत करवा सके । वे खराब पड़े रहते हैं । जो टंकियां है, यदि उसका आपरेटर्स छुट्टी पर चला जाता है तो वे बन्द हो जाती हैं, पानी नहीं मिल पाता है । जो हैण्ड पम्प अधूरे छोड़ दिये जाते हैं और बाद में विवादास्पद हो जाते हैं, इनके बारे में विधायकगण व एम0 पी0 को अवगत कराया जाय ताकि सार्वजनिक हित में वह उसको तय कर सकें । ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या को समाप्त किया जाय और जो बिजली दी जाय, वह सही दी जाय ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मथुरा के संबंध में विद्युत विभाग का ध्यान आकर्षित करवाया है । इस सन्दर्भ में मुझे कहना है कि उनके वहां तो विद्युत की आपूर्ति कुल मिलाकर सन्तोषजनक है । दूसरी बात उन्होंने कहा कि देहातों में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिये ट्यूबवेल्स को जल्दी से जल्दी कनेक्शन दिये जांय । मान्यवर, जल निगम की ओर से जो आवश्यक औपचारिकतायें होती हैं, उनकी पूर्ति होने के बाद विभाग की नीति है कि उन्हें कनेक्शन दे दिया जाय, विशेषकर जो पेयजल की योजनायें होती हैं । यदि कहीं एसी बात हो कि औपचारिकतायें पूरी हो गई है, फिर भी कनेक्शन नहीं मिला है, तो मैं उसे अवश्य दिखवा लूंगा और उसे शीघ्र दिया जायेगा । उसे शीघ्र दे दिया जाय, माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि एसी सूची मुझे उपलब्ध करा दें ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

जैसी आगरा के सम्बन्ध में मीटिंग हुई थी, वैसी ही मथुरा के बारे में मीटिंग हुई । उसके अन्दर जो सिफारिशें थी और जो निर्णय लिये गये थे, उनका कार्यान्वयन

करवाया जायगा । इसमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आयी थी जो माननीय लक्ष्मी नारायण जी ने कही कि जो जब ओवरहेड टैंक्स नहीं बन सकते क्योंकि उसमें समय लगता है तो डायरेक्ट बोरिंग से पानी दे दिया जाय । जो नहर के बारे में बात कही तो रोस्टरिंग की बात बीच में आती थी । अगर एक जगह हो तो ठीक है, रुटीन का पानी उससे नियंत्रित होता है । मथुरा की जलापूर्ति के लिये पूरा प्रयास किया जायगा । वह धार्मिक स्थान है, कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहां पर वृन्दावन है, रसखान की समाधि है, वहां जलापूर्ति के पूरे प्रयास किये जायेंगे । माननीय राज्य विद्युत् मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि विद्युत् की भी आपूर्ति की जायगी । इस बीच में अगर कोई समस्या पैदा होती है तो माननीय सदस्य किसी भी समय सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम सैदपुर पट्टी के निकट बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद द्वारा बनाए जा रहे बांध के हर वर्ष बह जाने के संबंध में चर्चा

*श्री रिजवानुल हक—

मान्यवर, अपने तारांकित प्रश्न संख्या—6 नत्थी (ख) दिनांक 24-2-88 पर नियम 49 में चर्चा का आरम्भ करते हुए बताना चाहूंगा कि राम गंगा नदी मुरादाबाद शहर की आबादी के निकट से बह रही है उत्तर में और ग्राम सैदपुर पर आ जाती है, दूसरी जो नदी है गांगन, वह मुरादाबाद के दक्षिण से बहती है, वह भी ग्राम सैदपुर पर आ जाती है । इसके बाद 20 कि0 मी0 की दूरी में अण्डाकार रूप में मुरादाबाद के दक्षिण में संगम है । मेरा प्रश्न यह था कि इस पर एक बांध बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद द्वारा 81-82 से बनाया जा रहा है, इसके हर वर्ष बह जाने का क्या कारण है ? लाखों रुपया किस प्रकार खर्च हो रहा है ? उत्तर आया है कि बांध बनाने की योजना नहीं बल्कि गैप भरने की योजना 81-82 में बनायी गयी थी । मई, 1982 में 3 हजार की लागत से गैप भर दिया गया, जुलाई में वह कहते हैं कि गैप बह गया, फिर क्रमशः इसके ऊपर 59 हजार रुपये, 84 हजार रुपये और 5 लाख 10 हजार रुपये खर्च हुए, इस तरह 10 लाख 56 हजार रुपये खर्च हुए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सुझाव दे दें ।

श्री रिजवानुल हक—

सुझाव यह है कि जहां जनपद रामपुर के नीचे जाकर इसका संगम था, बहुत बड़ी नदी रामगंगा गांगन नदी में गिर गयी उसमें घाट जुड़ गये हैं, जमीनें क्षतिग्रस्त हो गयी है, हजारों बीघा जमीन कट गयी है । रामगंगा नदी ने ओरिजनल कोर्स में बहना बन्द कर दिया है और गांगन नदी के रूप में बहनें लगी है । इसमें 50 गांव फंस गये हैं उनके बह जाने का संकट है और इसमें किस तरीके से धन व्यय किया गया है पता नहीं टी0 ए0 सी0 ने कैसे इसे एप्रूव कर दिया है । उन 50 गांवों को एक रास्ता चाहिए, अगर वहां पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा एक पुल बनवा दिया जायेगा तो इस समस्या का हल हो जायेगा या इस स्थान पर आप बैराज बना दें । जहां पर दोनों नदियां मिलती है, संगम पर एक बैराज बनाने की स्वीकृति है, उस बैराज को वहां पर न बना करके यदि इस स्थान पर बना दिया जाय तो 50 गांवों के लोगों को जीवन मिल जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया ।

मत्स्य एवं सिंचाई राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य ने जिस काम के बारे में अभी उल्लेख किया है वह मरम्मत का कार्य नहीं था बल्कि वह एक योजना स्वीकृत थी और वह 8 लाख 60 हजार रुपये की योजना थी जिसका पुनरीक्षण करके 11 लाख 90 हजार रुपये उस योजना के लिये स्वीकृत किया गया था । उसमें रामगंगा नदी में गैप आ गया था उस गैप को मिट्टी से बन्द करके ऊपर से पीचिंग करने की योजना तैयार की गयी थी और उसके अन्तर्गत वह कार्य हो रहा था । मान्यवर, पिछले वर्ष में जो खर्च हुआ था वह केवल 3 हजार रुपये का कार्य था जो कि मार्च तक काम हुआ था लेकिन मार्च के बाद मई तक भी काम उसमें हुआ था । जो वर्षवार हमने प्रश्नोत्तर में खर्चा दिखाया है यह उस योजना के अन्तर्गत खर्च किया गया था । माननीय सदस्य को आशंका है कि 3 हजार का काम मरम्मत के कार्य में खर्च किया गया वह उनका भ्रम है । इसका स्थायी हल निकालने के लिये कि नुकसान न हो, कटाव न हो, जहां दोनों नदियां इकट्ठा होने जा रही हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि यह बहुत गम्भीर मामला है और 35 गांवों से जुड़ा हुआ है और वहां आने-जाने का रास्ता नहीं है । 10 लाख 53 हजार रु0 इसमें खर्च हुआ है । माननीय मंत्री जी इसको जो सफाई दे रहे हैं, बहरहाल वहां पर इस किस्म की कोई योजना नहीं बनी है, और सारा पैसा विभाग के लोग खा गये हैं और श्री जगत राम राणा, जो एस0 ई0 हैं, और 5 सालों से वहां पर कार्यरत हैं, इन्हीं के जेर-साया सारा कार्य हुआ है और यह सारा पैसा जो सरकार की ओर से दिया गया था, खा गये तो माननीय मंत्री जी क्या इनके समस्त मामलों में कोई विजिलेन्स इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे और क्या साथ ही माननीय मंत्री जी यह भी आश्वासन देंगे कि ग्राम सिकन्दरपुर पट्टी में जहां पर यह दोनों नदियां मिलती हैं, पर पुल बनवा देंगे क्या कोई पुल बनवाए जाने का प्रस्ताव पहले से विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्या अब वहां पर पुल बनाये जाने के संबंध में माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर, इसके स्थायी हल के लिए माडेल स्टडी कराई जा रही है, उसके अनुसार हम सारी योजना बनाएंगे और मामले में टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराई जा रही है, इसमें जो दोषी पाया जायेगा, उसे अवश्य दंडित किया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल 11-00 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 55 मिनट पर बुधवार, अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
22 मार्च, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों की सूची

श्रेणी (ए)	श्रेणी (बी)	श्रेणी (सी)
1. बांदा	1. बलिया	1. आजमगढ़
2. जालौन	2. बस्ती	2. बदायू
3. हमीरपुर	3. फैजाबाद	3. बहराइच
4. फतेहपुर	4. झांसी	4. बाराबंकी
5. जौनपुर	5. ललितपुर	5. बुलन्दशहर
6. पौड़ी गढ़वाल	6. रायबरेली	6. देवरिया
7. टेहरी गढ़वाल		7. एटा
8. चमोली		8. इटावा
9. उत्तरकाशी		9. फर्रुखाबाद
10. सुल्तानपुर		10. हरदोई
11. कानपुर (देहात)		11. गोण्डा
12. अल्मोड़ा		12. गाजीपुर
13. पिथौरागढ़		13. मैनपुरी
14. नैनीताल		14. मथुरा
15. देहरादून		15. मुरादाबाद
		16. पीलीभीत
		17. प्रतापगढ़
		18. रामपुर
		19. शाहजहांपुर
		20. सीतापुर
		21. उन्नाव
		22. दादरी तहसील का वह भाग जो पहले बुलन्दशहर जनपद में पड़ता था और अब गाजियाबाद में है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

परिशिष्ट "क"

डायमन्ड डेरी कालोनी के ऐसे अध्यासियों की सूची जिनके ऊपर फरवरी, 1988 तक किराया अवशेष है ।

आवास संख्या	अध्यासी का नाम	अवशेष धनराशि	माह
ई0डी-15	श्री दैनिक पैगाम पत्रकार	12543.34	2/88
ई0डी-16	श्री कार्यालय दैनिक गणेष	22538.83	28/11/79 से 2/88
ई0डी-21	श्री राम कुमार	3062.65	3/85, 12/85 से 2/88
ई0डी-22	श्री एन के0 भट्ट	7392.15	1/83 से 2/88
ई0डी-23	श्री अरविन्दर सिंह	6599.60	12/8/85 से 2/88
ई0डी-24	श्री अच्यूता नन्द मिश्रा	1440.90	9/87 से 2/88
ई0डी-27	श्री सरयू पाण्डेय	10196.86	2/9/82 से 2/88
ई0डी-28	श्रीमती आर0 ए0 शर्मा	550.15	5, 11, 12/82
ई0डी-29	श्री के0 आर0 खान	4847.10	2/81 से 2/88 13/7/86 से
ई0डी-30	श्री एन0 सी0 पन्त	9336.50	31/2/88 एस0 आर0
ई0डी-33	श्री कैलाश वर्मा	24654.20	8/8/86 से 2/88
ई0डी-35	श्री जी0 एस0 मिश्रा	29143.50	2/88 तक
ई0डी-42	श्री महेन्द्र त्रिपाठी	7726.05	12/79 से 2/88
ई0डी-45	श्री नरेश श्रीवास्तव	2529.00	5/84 से 2/88
ई0डी-46	श्री अलेक्जेण्डर चण्डी	18354.65	9/82 से 2/88
ई0डी-47	श्री कृष्णकर त्रिपाठी	2271.40	8, 9/86 से 2/88
ई0डी-48	श्री जगन्नाथ चौधरी	26941.00	10/83 से 2/88
ई0डी-32	श्री उग्रसेन सिंह कोमिस्टर	6957.90	2/82 से 10/86
ई0डी-37	श्री ज्ञान प्रकाश	1802.50	1/86 से 2/87
ई0डी-39	श्री के0 एस0 ओझा	6911.88	10/6/83 से 2/88
ई0डी-43	श्री आर0 वी0 पाण्डे	6010.35	8/81 से 2/88
ई0डी-49	श्री हरिनन्दन पाण्डेय	862.25	11/86, 2, 5/87, 1, 2/88
ई0डी-52	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	2408.70	9/83 से 2/88

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

अपराधियों का अपराधिक इतिहास

नाम पता अभियुक्त	मु0 अ0 सं0	धारा	थाना	परिणाम
विरेन्द्र सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह, सा0 डीली गिरधर, थाना इनायतनगर, फैजाबाद	1--40/88	307/504/506 भा0द0वि0	इनायतनगर	विवेचनाधीन
	2--283/86	392 ,,	,,	एफ आर--145 23-10-86 खारिज
	3--80/87	307 ,,	खण्डासा	सी एस--10/ 26-2-88
श्री नाथ सिंह पुत्र राम पाल सिंह, साईट गांव, थाना इनायतनगर, फैजाबाद	1--12/87	379 ,,	शिवरतन गंज रायबरेली	विवेचनाधीन
	2--80/87	307 ,,	खण्डासा	सी एस--10/ 26-2-88
	3--40/88	307/504/506 ,,	इनायतनगर	विवेचनाधीन
	4--153/85	395/397 ,,	,,	एफ आर--6 खारिज 24-5-85
	5--153-ए/85	,, ,,	,,	एफ आर--6-ए खारिज 24-5-85
	6--153-सी/85	,, ,,	,,	एफ आर--6-सी खारिज 24-5-85
	7--153-डी/85	,, ,,	,,	एफ आर--6-डी खारिज 24-5-85
रामविलास पुत्र रती लाल बढ़ई, सा0 कलन्दरपुर, थाना खण्डासा, फैजाबाद	1--80/87	307 ,,	खण्डासा	सी एस--10/ 26-2-88

पी0 एस0 यू0 पी0—9 वि0 सभा दिनांक 10-6-88—813 प्रतियां (लाइनों) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा